सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

परिणाम बजट

2013-2014

विषय सूची

क्रम सं.		पृष्ठ सं.	
		से	तक
	भूमिकानिष्पादन सार	i iii	Ii iv
	अध्याय		
1.	**प्रस्तावना : अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा**	1	32
2.	**बजट अनुमान का विवरण (एस बी ई) :**	33	117
(i)	*अनुदान सं. 53 – गृह मंत्रालय*	33	57
(ii)	*अनुदान सं. 55 – पुलिस*	58	97
(iii)	*अनुदान सं. 56 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय*	98	117
3.	**सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें :**	118	138
(i)	*केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी पी एफ) के लिए पूंजीगत अवसंरचना*	118	119
(ii)	*स्वतंत्रता सेनानी पेंशन*	119	120
(iii)	*भारत का महारजिस्ट्रार*	120	120
(iv)	*आपदा प्रबंधन*	120	127
(v)	*जेन्डर बजटिंग*	127	137
(vi)	*व्यय सूचना प्रणाली*	137	138
4.	**योजनाओं के वास्तविक निष्पादन सहित पिछला निष्पादन :**	139	277
(i)	*सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़क का निर्माण तटीय सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण*	139	146
(ii)	*सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना*	146	162
(iii)		162	169

क्रम		पृष्ठ सं.

सं.		से	तक
(iv)	*राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ)*	169	175
(v)	*पुलिस आवास योजना*	175	179
(vi)	*वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए योजना*	180	184
(vii)	*स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी)*	184	190
(viii)	*राजभाषा विभाग*	191	205
(ix)	*पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं*	206	210
(x)	*पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)*	210	211
(xi	*राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम*	212	231
(xii)	*भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं*	232	248
(xiii)	*केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं*	248	275
(xiv)	*आप्रवासन सेवाएं*	275	277
5.	**वित्तीय समीक्षा जिसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों तथा राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को शामिल किया गया है**	278	296
6.	**सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	297	326
7.	**परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई**	327	335

भूमिका

'पुलिस और लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। संविधान के उपबंधों के अनुसार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार का दायित्व किसी आंतरिक अशांति अथवा बाह्य आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कार्य संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाए। संघ सरकार के मंत्रालयों के मध्य उत्तरदायित्वों के आबंटन में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, केन्द्र-राज्य संबंध, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय को सौंपी गई हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करके किया जा रहा है।

2. परिणाम बजट में वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 में कुछ कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यकलापों में की गई प्रगति की मुख्य बातों तथा वर्ष 2013-2014 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का समावेश है।

3. परिणाम बजट की विषय सूची को निम्नलिखित सात अध्यायों में विभक्त किया गया है :-

अध्याय-1 इसमें मंत्रालय के कार्यकलापों, इसके अधिदेश, लक्ष्यों एवं नीतिगत ढांचे, संगठनात्मक ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचयात्मक नोट दिया गया है।

अध्याय-2 इसमें व्यय बजट खंड-।। एवं इसके परिणामों में सम्मिलित बजट अनुमानों का विवरण (एस बी ई) दिया गया है।

अध्याय-3 इसमें सुधारात्मक उपायों तथा नीतिगत पहलों का ब्यौरा दिया गया है।

अध्याय-4 इसमें मंत्रालय की योजनाओं के वास्तविक कार्य-निष्पादन सहित विगत का कार्य-निष्पादन दिया गया है।

अध्याय-5 इसमें बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति सहित बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों और राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के विवरण को सम्मिलित करते हुए वित्तीय पुनरीक्षा दी गई है।

अध्याय-6 इसमें सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन की पुनरीक्षा दी गई है।

अध्याय-7 परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई।

निष्पादन-सार

गृह मंत्रालय के लिए दस अनुदानें हैं। इनमें से पाँच अनुदानें (96, 97, 98, 99 एवं 100) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी उन्हें प्रदत्त बजटीय आबंटनों के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार, अनुदान सं. 54-मंत्रिमंडल और अनुदान सं. 57-संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल युक्त) को अंतरण के लिए किए गए आबंटनों में भी गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से शामिल नहीं है क्योंकि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली योजनाओं की जांच तथा स्वीकृति के लिए जिम्मेदार हैं।

2. अतः गृह मंत्रालय केवल तीन अनुदानों अर्थात् अनुदान सं. 53- गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 55 –पुलिस और अनुदान सं. 56 –गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के अन्तर्गत उपबंधित बजटीय आबंटनों के लिए ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

3. इन तीन अनुदानों के लिए बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	**बजट अनुमान 2013-14**		**कुल**
	योजनागत	**योजनेतर**	
53-गृह मंत्रालय	1360.98	812.88	2173.86
55-पुलिस	8661.02	43603.79	52264.81
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	478.00	1587.17	2065.17
कुल योग	**10500**	**46003.84**	**56503.84**

4. अनुदान सं. 55 – पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए है तथा इसमें सर्वाधिक बजट आबंटन है। इस अनुदान में दिल्ली पुलिस के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

5. अध्याय-1 में गृह मंत्रालय के अधिदेश, भावी कार्यों के विवरण (विजन), लक्ष्यों और नीतिगत ढांचे का उल्लेख किया गया है।

6. परिणाम बजट का अध्याय-2 गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित तीन अनुदानों में शामिल प्रमुख योजनाओं/कार्यकलापों के लिए किए गए बजटीय आबंटनों को प्रतिबिम्बित करता है। जहां कहीं संभव है वहां इन आबंटनों को वास्तविक परिणामों तथा उनके संभावित परिणामों के साथ दर्शाया गया है। जहां कहीं संभव है वहां संभावित परिणामों को होने वाली जोखिमों को भी दर्शाया गया है।

7. अध्याय-3 में विशिष्ट योजनाओं/कार्यकलापों के सेवा सुपुर्दगी तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार के उद्देश्य से हाल के विगत में मंत्रालय द्वारा की गई विशिष्ट नीतिगत पहलों का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में जेंडर बजटिंग लागू करने के लिए हाल ही में की गई पहल को भी शामिल किया गया है ताकि केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लाभ के लिए किए गए बजट आबंटनों का उपयोग किया जा सके।

8. गृह मंत्रालय की प्राथमिक भूमिका एवं जिम्मेदारी की प्रकृति पर गौर करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारियों जैसे वैकल्पिक सेवा सुपुर्दगी तंत्र इसके कार्यकलापों के लिए साधारणतया उपयुक्त और व्यावहारिक नहीं हैं। तथापि, कुछ सीमित क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी राज्य सरकार की एजेंसियों को सक्रिय रूप से सम्बद्ध करके निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं के अधिक विकेन्द्रीकरण तथा निधियों के अंतरण पर बल दिया गया है। केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए आबंटित निधियों के उपयोग की गति में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर किया जा सके और संतुष्टि स्तर में वृद्धि की जा सके।

9. इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के संबंध में संस्थागत एवं समन्वय तंत्र को सुदृढ़ बनाने को विशेष महत्व दिया गया है। अन्य पहलों में छात्र वीजा, पर्वतारोहण तथा चिकित्सा वीजा ऑन लाइन जारी करने की छूट तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश शामिल हैं।

10. गृह मंत्रालय, प्राप्तियों एवं संवितरणों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों तथा प्रमुख योजनाओं आदि के संबंध में अपनी वेबसाइट पर मासिक वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है

ताकि इसकी कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इस संबंध में विवरण परिणाम बजट के अध्याय-7 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न एजेंसियों को जारी अनुदानों के दक्ष उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों के निगरानी के संबंध में एक प्रबंध सूचना पद्धति विकसित की है। साथ ही व्यय के ताजा आंकड़े ई-लेखा–महालेखा नियंत्रक की वेब आधारित व्यय सूचना प्रणाली पर रियल टाइम आधार पर उपलब्ध हैं।

11. अध्याय-4 में, हाल के विगत में की गई प्रमुख गतिविधियों/योजनाओं के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादनों की समीक्षा की गई है। इसमें इन योजनाओं की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। अध्याय-5 में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा राज्य सरकारों एवं संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशियों की स्थिति का उल्लेख करते हुए हाल के वर्षों में आबंटनों एवं उपयोगों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

12. अध्याय-6 में मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक एवं एक स्वायत्त निकाय अर्थात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भूमिका एवं दायित्व पर प्रकाश डाला गया है।

13. अंत में, अध्याय-7 में ''पिछले वर्ष गृह मंत्रालय का परिणाम बजट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई'' का उल्लेख किया गया है।

अध्याय-1

अधिदेश, भावी कार्यों का विवरण, लक्ष्य एवं नीतिगत ढांचा

अधिदेश :

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है जिनमें आंतरिक सुरक्षा, अर्ध सैनिक बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-।। 'राज्य सूची' की प्रविष्टि सं. 1 और 2 के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं किन्तु संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है, उचित सलाह देता है, सुरक्षा, शांति तथा सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित घटक विभाग हैं :-

- पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा पुनर्वास से संबंधित आन्तरिक सुरक्षा विभाग;
- राज्य, केन्द्र-राज्य संबंधों, अन्तर-राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित विभाग;
- राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचना से संबंधित गृह विभाग;
- जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में संवैधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर विभाग;
- तटीय सीमाओं सहित सीमाओं के प्रबंधन से संबंधित सीमा प्रबंधन विभाग;
- राजभाषा के संबंध में संविधान के उपबंधों और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 को लागू करने वाला राजभाषा विभाग; और

- भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त का कार्यालय मुख्यतः जनगणना कार्यों, जिनमें जनगणना से संबंधित सभी आंकड़े होते हैं, तथा प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने से संबंधी मामलों को देखता है।

1.3 राजभाषा विभाग का एक अलग सचिव है और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू-कश्मीर विभाग और सीमा प्रबंधन विभाग केन्द्रीय गृह सचिव के अधीन काम करते हैं तथा आपस में एक-दूसरे से जुड़े हैं।

<u>भावी कार्यों का विवरण</u> :

1.4 व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एवं मजबूत, स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र के निर्माण के लिए शांति एवं सद्भावना आवश्यक पूर्वापेक्षाएं होती हैं। इस उद्देश्य के लिए यह परिकल्पना की गई है कि गृह मंत्रालय निम्नलिखित बातों के लिए पूरा प्रयास करेगा :-

- आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना;
- समाज को अपराध-मुक्त वातावरण मुहैया कराना;
- सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नयन;
- कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय-प्रणाली उपलब्ध कराना;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाए रखना;
- आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करना;
- प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना; तथा
- सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग आशानुकूल बनाना।

<u>लक्ष्य एवं उद्देश्य</u> :

1.5 गृह मंत्रालय के उत्तरदायित्व में बहुत अधिक विषय हैं। तथापि, मंत्रालय के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में, संक्षेप में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

- देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना;
- केन्द्र-राज्य संबंध को शांतिपूर्ण बनाए रखने में बढ़ावा देना;
- संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन;

- राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का संरक्षण एवं संवर्धन;
- केन्द्रीय पुलिस बलों का गठन, प्रशासन एवं तैनाती;
- राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण;
- मानवाधिकारों के सिद्धांतों का संरक्षण एवं उन्हें बढ़ावा देना;
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती रेखा का प्रभावी रूप से प्रबंधन;
- आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना;
- स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना;
- दस वर्षीय जनगणना करना;
- मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण;
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; और
- भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) नियमों के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग का प्रशासन।

नीतिगत-ढांचा :

आंतरिक सुरक्षा :

जम्मू और कश्मीर :

1.6 वर्ष 2012 (31 दिसम्बर, 2012 तक) में जम्मू एवं कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में आतंकवादी हिंसा के सभी मानदंडों के संदर्भ में काफी सुधार दिखाई दिया है तथा कश्मीर घाटी, वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कानून एवं व्यवस्था की समस्या से मुक्त रही है। वर्ष 2012 में आतंकवादी हिंसा संबंधी आंकड़े/मानदंड, लगभग दो दशक पूर्व जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह के शुरू होने के बाद से अब तक न्यूनतम हैं।

1.7 आतंकवादी हिंसा के संदर्भ में कश्मीर की स्थिति में वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 (दिसम्बर, 2012 तक) में 35.29 प्रतिशत की कमी दिखाई दी है। इसी प्रकार, वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सुरक्षा कार्मिक एवं नागरिकों की मृत्यु में क्रमश: 54.54 प्रतिशत एवं 51.61 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, वर्ष 2012 में (दिसम्बर, 2012 तक) घुसपैठ में वर्ष 2011 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 6.88% की वृद्धि हुई।

1.8 केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार के साथ जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इस रणनीति के चार प्रमुख तत्त्व हैं :-

- सीमाओं को सीमा-पार आतंकवाद से सुरक्षित रखने और आतंकवाद को रोकने के लिए सभी सुरक्षा बलों द्वारा अति सक्रिय रूप से समुचित उपाय करना।

- राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक (सिविल) प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना।

- स्थायी शांति प्रक्रिया सुनिश्चित करना और राज्य में अपने दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ने वाले सभी वर्ग के लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों का निराकरण करना।

<u>विकास संबंधी प्रयास</u>

जम्मू व कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना

1.9 प्रधानमंत्री ने 17-18 नवम्बर, 2004 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान लगभग 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक पुनर्संरचना योजना की घोषणा की थी जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में आर्थिक अवसंरचना एवं बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था का विस्तार करने, रोजगार एवं आय सृजन क्रियाकलापों पर जोर देने तथा आतंकवाद से प्रभावित विभिन्न समूहों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लक्ष्य वाली परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुनर्संरचना योजना में शामिल सभी योजनाओं की वर्तमान अनुमानित लागत 32009.05 करोड़ रु. है। उपगत व्यय 14569.61 करोड़ रु. है। जम्मू एवं कश्मीर के वर्ष 2012-13 के बजट में पी एम आर पी के लिए 700 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

1.10 पुनर्निर्माण योजना-2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/योजनाओं को राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना, (अर्थव्यवस्था के 11 क्षेत्रों को कवर करने वाली 67 परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं) के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। उपर्युक्त 67 परियोजनाओं/योजनाओं में से 33 परियोजनाएं/योजनाएं पूरी हो गई हैं। ग्रेटर जम्मू के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि तथा सुधार से संबंधित पूर्व-व्यवहार्यता संबंधी परियोजना तथा बाहरी सहायता से राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण से संबंधित एक और परियोजना को पी एम आर पी परियोजनाओं की सूची से हटा दिया गया है। शेष 32 परियोजनाओं में से 29

कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएं और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

कुछ प्रमुख परियोजनाएं तथा उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

1.11 चुटक जल विद्युत परियोजना के यूनिट I, II और III को सहक्रियाशील बनाया गया है तथा यूनिट को शीघ्र ही सहक्रियाशील बनाए जाने की संभावना है। एन एच पी सी में रोजगार की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों द्वारा चलाए गए मौजूदा आंदोलन और काम को रोके जाने के कारण उरी-2 एच ई पी परियोजना की शुरुआत को मार्च, 2013 तक टाल दिया गया है। 'राज्य में सभी गांवों के विद्युतीकरण' की परियोजना के अंतर्गत एन एच पी सी ने 2767 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा 51012 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विद्युत कनैक्शन मुहैया कराए गए हैं। 'जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में विद्युत ट्रांसमीशन एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण कार्य' संबंधी परियोजना के अंतर्गत 73 योजनाओं में से 42 योजनाएं (19 ग्रिड स्टेशन और 20 ट्रांसमिशन लाइन तथा 3 बे) पूरी की जा चुकी हैं।

1.12 सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत डोमेल-कटरा सड़क पूरी कर ली गई है। नरबल-तंगमार्ग सड़क भी लगभग पूरी हो गई है। मुगल रोड को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं अर्थात बटोटे-किश्तवार रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बी) की डबल-लेनिंग, कारगिल से होकर श्रीनगर-लेह (एन एच-1डी) की डबल-लेनिंग, श्रीनगर-उरी नियंत्रण रेखा सड़क के उन्नयन के अंतर्गत कार्य भी प्रगति पर है।

1.13 इसी प्रकार प्रवासियों के पुनर्वास संबंधी परियोजना अर्थात् 'कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरों का मकान' पूरी कर ली गई है। दो कमरे वाली 5242 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इनका आबंटन चल रहा है।

<u>जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यदल</u>

1.14 जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए दो विशेष कार्यदल, अवसंरचना की कमियों के विशेष संदर्भ में जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की जांच करने और समुचित सिफारिशें करने के लिए डॉ. अभिजीत सैन, सदस्य, योजना आयोग और डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2010 में गठित किए गए। विशेष कार्यदल में फरवरी-मार्च, 2011 में अपनी रिपोर्टें दे दी है जिनमें उन्होंने जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमश: 497 करोड़ रुपये एवं 416 करोड़ रु. की कुल लागत से शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अल्पकालिक परियोजनाओं की सिफारिश की है। जम्मू एवं लद्दाख क्षेत्रों में सिफारिश की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विशेष योजनागत सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रमश: 100 करोड़ रुपये एवं 150 करोड़ रुपये का प्रावधान

किया गया। राज्य सरकार प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

1.15 वर्ष 2012-13 के लिए राज्य योजना में जम्मू, लेह और कारगिल प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए क्रमश: 150.00 करोड़ रु., 50.00 करोड़ रु. तथा 75.00 करोड़ रु. का आबंटन आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अधिकांश योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है।

<u>विशेष उद्योग पहल (एस आई आई जे एण्ड के)</u>

1.16 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक रोजगार योजना प्रतिपादित करने हेतु डॉ. सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल योजना की सिफारिश की है। जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल योजना का उद्देश्य वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में 5 वर्ष की अवधि में जम्मू एवं कश्मीर के 40000 युवकों में कौशल विकास करना तथा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रशिक्षित मानवशक्ति को अच्छी लाभदायक नौकरियां मुहैया कराना है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) तथा कॉर्पोरेट सैक्टर द्वारा पी पी पी मोड में कार्यान्वित की जा रही है।

1.17 परियोजना मूल्यांकन समिति ने 5 वर्षों में 25090 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के 25 कॉर्पोरेटों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। 185 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 106 उम्मीदवारों को नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है तथा 48 और उम्मीदवारों की प्लेसमेंट चल रही है। अन्य कॉर्पोरेटों में भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है तथा ये चरणों में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के परामर्श से इस योजना की रूपरेखा फिर से तैयार की गई है ताकि इसे और अधिक लचीली तथा प्रासंगिक बनाया जा सके। आशोधन संबंधी प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 24 जनवरी, 2013 को अनुमोदित कर दिया गया था।

1.18 जम्मू एवं कश्मीर के युवकों के लिए इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करने के लिए एन एस डी सी द्वारा एक वेबसाइट तैयार की गई है जहां इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना पंजीकरण ऑन लाइन करा सकते हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जम्मू एवं कश्मीर में भर्ती

1.19 वर्ष 2011 के दौरान, विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जम्मू एवं कश्मीर के लिए आबंटित 3128 कांस्टेबल रिक्तियों के मुकाबले कर्मचारी चयन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर के 504 उम्मीदवारों का चयन किया है तथा 2219 उम्मीदवारों का चयन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आयोजित की गई स्थानीय भर्ती रैलियों के माध्यम से किया गया है।

1.20 इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 (2012-13) के लिए कांस्टेबल/जी डी की भर्ती भी पूरी कर ली गई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लए 3062 रिक्तियों की तुलना में अब तक 919 उम्मीदवारों का चयन कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तथा 1161 उम्मीदवारों का चयन भर्ती रैलियों के माध्यम से किया गया है। एक और दूसरी रैली मार्च-अप्रैल, 2013 माह में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

पूर्वोत्तर :

1.21 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का परित्याग करें, भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराएं तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। इस नीति में हिंसा और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले तत्त्वों के विरुद्ध सतत् विद्रोह-रोधी अभियान भी शामिल हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघ सरकार भी, विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य प्राधिकारियों की सहायता करने तथा खतरे के आकलन के आधार पर सुभेद्य संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। सीमा पर बाड़, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सूचना का आदान-प्रदान करने सहित सीमा पर सतर्कता और चौकसी रखने के प्रयोजनों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। एस आर ई (सुरक्षा संबंधी व्यय) के अंतर्गत विद्रोह विरोधी अभियानों तथा भारतीय रिजर्व बटालियनों आदि के रूप में अतिरिक्त बल गठित करने के लिए सहायता के अलावा पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के अधीन स्थानीय पुलिस बलों एवं आसूचना एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.22 आतंकवादियों के समर्पण/गिरफ्तारियां होती रही हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिगत गुटों के साथ संवाद/बातचीत की गई है तथा अभियानों का निलंबन संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीमा पार के आतंकवाद पर नियंत्रण लगाने के लिए म्यांमार के साथ जिला स्तर पर सीमा सम्पर्क कार्यालयों (बी एल ओ) की बैठकों के अतिरिक्त् प्रति वर्ष गृह सचिव के स्तर पर राष्ट्रीय

स्तर की बैठकें तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर सैक्टोरल स्तर की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बंगलादेश के संबंध में भी दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रति वर्ष गृह मंत्री के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

1.23.1 **वर्ष 2012-13 में हासिल महत्वपूर्ण परिणाम**

30 अप्रैल, 2012 को विभिन्न संगठनों के 103 भूमिगतों ने आई जी ए आर (दक्षिण) मुख्यालय में गृह राज्य मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संयुक्त सचिव (एन ई), गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा असम राइफल्स के अधिकारियों की मौजूदगी में मणिपुर के मुख्यमंत्री के समक्ष हथियारों के साथ समर्पण किया। समर्पणकर्ताओं का संगठन-वार सार निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	संगठन का नाम	कुल संख्या
1.	यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)	22
2.	प्यूपल्स यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट (पी यू एल एफ) (सभी गुट)	21
3.	प्यूपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (सभी गुट)	14
4.	कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) (सभी गुट)	10
5.	प्यूपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए)	09
6.	कांगलेई याओल कन्ना लुप (के वाई के एल)	08
7.	कुकी नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (के एन एल एफ)	08
8.	यूनाइटेड नागा प्यूपल्स काउंसिल (यू एन पी सी)	04
9.	कुकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (के आर एफ)	02
10.	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन-आई एम)	02
11.	नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन-के)	01
12.	कोमरेम प्यूपल्स आर्मी (के आर पी ए)	01
13.	यूनाइटेड प्यूपल्स पार्टी ऑफ कांगलीपाक (यू पी पी के)	01
	कुल	103

1.23.2 नृजातीय हिंसा पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने असम में हुई साम्प्रदायिक हिंसा, जो 19 जुलाई, 2012 को कोकराझार में भड़की तथा बाद में चिरांग और धुबरी जिलों तक फैल गई, जिसमें 99 जानें गईं तथा 4.85 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए तथा जिन्हें राहत शिविरों में ठहराया गया, के दौरान शांति बहाल करने के त्वरित एवं तत्काल

आवश्यक कदम उठाए। नवम्बर, 2012 में असम के कोकराझार जिले में हिंसा की और घटनाएं घटित हुईं जिनमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। सुरक्षा की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में ठहरे विस्थापित व्यक्तियों को मुहैया कराई गई राहत की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने जुलाई, 2012 को असम का दौरा किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री के साथ बैठकें की तथा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। गृह मंत्रालय ने घंटा-दर-घंटा आधार पर असम में स्थिति की निगरानी की। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने असम राज्य में पहले से तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 117 कम्पनियों के अतिरिक्त हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 68 अतिरिक्त कम्पनियां भी मुहैया कराईं। प्रभावित लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में 127 पुलिस पिकेट स्थापित किए गए थे। इस समय सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है तथा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

1.23.3 दिनांक 8.10.2012 को केन्द्र सरकार, असम सरकार और दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) और डी एच डी/जोएल संगठन के गुटों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में असम में उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए और अधिक स्वायत्तता तथा क्षेत्र के तेजी से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए विशेष पैकेज का भी प्रावधान है।

1.23.4 शस्त्रों की तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा सीमा पार के आतंकवाद के मुद्दों पर पड़ोसी देशों के साथ चर्चा करने के लिए संस्थागत ढांचे विद्यमान हैं। म्यांमार से संचालित भारतीय विद्रोही संगठनों से निपटने के लिए विगत में गृह सचिव, भारत सरकार और म्यांमार के चीफ ऑफ जनरल स्टॉफ के बीच सार्थक विचार-विमर्श हुआ। म्यांमार के साथ 19वीं सैक्टोरल स्तर की बैठक दिनांक 26 और 27 जून, 2012 को कोलकाता में हुई। भारत और म्यांमार के बीच 18वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक 28-29 दिसम्बर, 2012 को हुई। दोनों पक्ष मादक द्रव्यों के व्यापार, शस्त्रों की तस्करी और उग्रवाद के बीच अवैध संबंध को समाप्त करने में सहयोग करने पर सहमत हो गए।

1.23.5 बंगलादेश और भारत के बीच गृह सचिवों की 13वीं बैठक 16-17 अक्तूबर, 2012 को ढाका में हुई। बंगलादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सी.क्यू.के. मुस्तफा अहमद, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बंगलादेश सरकार ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव ने किया। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग को बढ़ाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे, जिन पर चर्चा की गई, निम्नलिखित थे:

(i) शस्त्रों एवं स्वापक द्रव्यों की तस्करी।

(ii) जीरो रेखा के 150 गज के भीतर एकीकृत जांच चौकियों/भू-सीमा शुल्क केन्द्रों का निर्माण।

(iii) 12वीं संयुक्त कार्य दल की बैठक का परिणाम।

(iv) विशेष रूप से भारतीय विद्रोही संगठनों से निपटने, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के सुगम संचालन में भारत की सुरक्षा चिंता के निराकरण में सहयोग।

(v) सीमा पर होने वाली आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त गश्त में वृद्धि।

(vi) स्थानीय मुद्दों का समाधान करने के लिए सीमावर्ती जिलों के जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के बीच नियमित परामर्श के तंत्र का पुनरुत्थान।

(vii) विभिन्न नोडल प्वाइंट्स की गतिविधियों को तेज करना।

(viii) वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सहयोग प्रदान करना।

(ix) मादक द्रव्यों के खतरों पर अंकुश लगाना।

(x) तीन करारों अर्थात् आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता, दंडित व्यक्तियों के अंतरण तथा आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध द्रव्यों की तस्करी संबंधी करारों के कार्यान्वयन।

(xi) वीजा प्रक्रिया का उदारीकरण और

(xii) भारत सरकार द्वारा भू सीमा करार 1974 तथा वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित प्रोटोकोल का अनुसमर्थन।

1.23.6 बंगलादेश और भारत के गृह मंत्रियों के बीच चौथी बैठक 28-29 जनवरी, 2013 को ढाका में हुई। बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. मुहिउद्दीन खान आलमगीर, गृह मंत्रालय, बंगलादेश सरकार ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व श्री सुशील कुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने किया। दोनों गृह मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा प्रबंधों पर हस्ताक्षर किए जाने पर अपना संतोष व्यक्त किया तथा इस बारे में अपना विश्वास व्यक्त किया कि प्रत्यर्पण संधि आदि से दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों के बीच आपसी सम्पर्क को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

1.24 पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम और मणिपुर राज्यों में बड़ी तादाद में हिंसा की घटनाएं जारी हैं। नागालैंड और मेघालय में हिंसा का स्तर पूर्व वर्ष से ऊँचा है। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में

शांति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में, कुछ घटनाओं को छोड़कर, माहौल सामान्य रूप से शांतिपूर्ण है।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र</u> :

1.25 अब पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं। वर्ष 2004 में हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उस समय आंध्र प्रदेश में सक्रिय प्यूपल्स वार (पी डब्ल्यू) तथा बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम सी सी आई) का सी पी आई (माओवादी) में विलय हो गया है। सी पी आई (माओवादी) एक प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है जो हिंसा की अधिकांश घटनाओं और आम नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है तथा इसे, इसके सभी गुटों और प्रमुख संगठनों सहित, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत राष्ट्र के विरुद्ध सी पी आई (माओवादी) का सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत हमारी संवैधानिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने हिंसा का त्याग करने तथा बातचीत के लिए आगे आने के लिए वामपंथी उग्रवादियों का आह्वान किया है। इस अनुरोध को उनके द्वारा ठुकरा दिया गया है क्योंकि वे अपने उद्देश्य को हासिल करने के साधनों के रूप में हिंसा में विश्वास रखते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के अनेक भागों में हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। आदिवासी जैसे गरीब और हाशिये पर आए वर्ग इस हिंसा की पीड़ा झेल रहे हैं। अनेक सदाशय तथा उदार बुद्धिजीवी, माओवादी विद्रोह के सिद्धांत, जो हिंसा का महिमामंडन करता है तथा तथाकथित वर्ग-शत्रुओं के विनाश में विश्वास करता है, के सभी स्वरूप को समझे बिना माओवादियों के प्रचार के झांसे में आ जाते हैं। वर्ष 2007 से सी पी आई (माओवादी) काडरों द्वारा 2,500 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। मारे गए नागरिकों में अधिकतर आदिवासी हैं जिनको निर्ममतापूर्वक यातना देने और मारे जाने से पूर्व 'पुलिस मुखबिरों' की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में आदिवासी तथा आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग तथाकथित प्रतिबंधित प्यूपल्स वार ऑफ सी पी आई (माओवादी) के सबसे अधिक पीड़ित बने हैं।

<u>विजन/नीतिगत ढांचा</u> :

1.26 सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों से समग्र तरीके से निपटने का है जिसमें सुरक्षा, विकास और जन अवबोधन के क्षेत्र शामिल हैं। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने में संबंधित राज्य सरकारों से विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्श और बातचीत के बाद यह उचित समझा गया है कि एक ऐसे एकीकृत दृष्टिकोण से परिणाम निकलेंगे जिसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा

के विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत अध्ययन किया गया और विभिन्न योजनाएं तैयार करने, उनके कार्यान्वयन तथा निगरानी पर विशेष ध्यान देने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नौ राज्यों के 106 प्रभावित जिलों को लिया गया। तथापि, चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और उनके प्रयासों में अनेक तरीकों से सहायता करती है। इनमें शामिल है- केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तथा दृढ़ कार्रवाई कमांडो बटालियनें (कोबरा) मुहैया कराना; इण्डिया रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना; विद्रोह-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी स्कूलों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत राज्य पुलिस और उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना की योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमियों को पूरा करना; नक्सल रोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराना; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान; अन्तर-राज्य समन्वय को सुगम बनाना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा सिविक कार्रवाइयों में सहायता करना आदि। इसके पीछे जो सोच है वह ठोस तरीके से माओवादी खतरे से निपटने में राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है। यह प्रभाग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना तथा भारत सरकार की अन्य विभिन्न विकास और अवसंरचना पहलों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

1.27 प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई, 2010 को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की तथा वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने में प्रभावित राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। तदनन्तर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित नए कदम उठाए गए हैं :

(i) वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक रूप से प्रभावित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में से प्रत्येक में एक एकीकृत कमान की स्थापना की गई है। इस एकीकृत कमान में सिविल प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल अधिकारियों के अतिरिक्त सुरक्षा स्थापना से अधिकारी होंगे तथा यह बड़ी सावधानी के साथ सुनियोजित नक्सल-रोधी अभियान चलाएगी।

(ii) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में कमान एवं नियंत्रण ढांचे की पुनर्संरचना की गई है तथा इनमें से प्रत्येक राज्य में

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है जो राज्य में महानिरीक्षक (नक्सल-रोधी अभियान) के गहन समन्वय में कार्य करेगा।

(iii) केन्द्र सरकार ने, मौजूदा आबंटनों के अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 के आधार पर वित्त पोषण की व्यवस्था से 2.00 करोड़ रु. प्रति पुलिस थाने की दर पर पूरी तरह से सुरक्षित 400 पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक नई योजना अनुमोदित की है।

(iv) त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं और दशाओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी मौजूदा अनुदेशों को अधिभावी बनाने अथवा उन्हें आशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर अधिकारियों के एक अधिकार-प्राप्त दल का गठन किया गया है।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से कहा गया है कि वे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए), जिसमें लघु वन उत्पादों पर ग्राम सभाओं को स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं, के उपबंधों को प्राथमिकता आधार पर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें।

<u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं</u>

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम</u> :

1.28 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्य सरकारों को वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में मारे गए सिविलियनों /सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान, पुलिस कार्मिकों के बीमा, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, समर्पण नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों को मुआवजे के संबंध में 106 जिलों के व्यय की प्रतिपूर्ति करता है तथा बीमा, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुसार समर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कॉडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना और प्रचार सामग्री से संबंधित आवर्ती व्यय के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

<u>विशेष अवसंरचना योजना</u> :

1.29 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना अवसंरचना संबंधी महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें मौजूदा योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता है, को पूरा करने के लिए 500.00 करोड़ रु. के परिव्यय से ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित की गई थी। ये अगम्य क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा की आवश्यकताओं से संबंधित है। अब तक इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 445.82 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

आतंकवादी, साम्प्रदायिक एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों/उनके परिवारों के सहायतार्थ केन्द्रीय योजना :

1.30 इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को सहायता देना है। इस स्कीम के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 3.00 लाख रु. की राशि दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत नक्सली हिंसा से प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1.00 लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त है।

एकीकृत कार्य योजना :

1.31 योजना आयोग प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 71 जिलों सहित 82 चयनित आदिवासी एवं पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाएं मुहैया कराना है। अब तक एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत जिलों को 5340.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता संबंधी योजना :

1.32 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार के लिए फरवरी, 2009 में सड़क आवश्यकता योजना (आर आर पी) का प्रथम चरण-I अनुमोदित किया गया। मूल आर आर पी-I में 7,300.00 करोड़ रु. की लागत से 5,565 कि.मी. सड़क के विकास की परिकल्पना की गई थी। आर आर पी-I, जो अब कार्यान्वयनाधीन है, में 5,477 कि.मी. लंबी सड़कें शामिल हैं तथा इसे मार्च, 2015 तक पूरा किए जाने की संभावना है। सड़क आवश्यकता योजना के चरण-II के भागों को भी राज्य सरकार द्वारा दर्शाई गई प्राथमिकता के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परामर्श से गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। सड़क आवश्यकता योजना में पुलों सहित कुल 5624 कि.मी. का सड़क

भाग शामिल है तथा इस पर 9400.00 करोड़ रु. की लागत का अनुमान है तथा इसके मूल्यांकन और सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

<u>पूर्णतः सुरक्षित पुलिस थानों की योजना</u> :

1.33 मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत 2.00 करोड़ रु. की यूनिट लागत पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों में 400 पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं। इस योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को अब तक 356.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम</u> :

1.34 इस योजना के अंतर्गत, प्रभावित राज्यों में नागरिक (सिविक) कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। यह एक सफल योजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय जनता तथा सुरक्षा बलों के बीच सेतु का काम करना है।

<u>निष्कर्ष</u>

1.35 भारत सरकार का यह विश्वास है कि विकास और सुरक्षा संबंधी पहलों दोनों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी कम विकास जैसे मुख्य कारणों का सार्थक तरीके से समाधान करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे विद्यालय भवनों, सड़कों, रेलवे, पुलों, स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना, संचार सुविधाओं आदि को व्यापक रूप से निशाना बनाने का सहारा लेते हैं। ये अपनी पुरानी विचारधारा कायम रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लोगों को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित देश के अनेक भागों में विकास की प्रक्रिया दशकों पीछे चली गई है। सिविल समाज तथा मीडिया को यह बात समझनी होगी ताकि माओवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने तथा इस तथ्य को समझने के लिए दबाव बनाया जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति तथा आकांक्षाएं माओवादी नजरिए से पूरी होने वाली नहीं हैं। सरकार ऊपर स्पष्ट की गई रणनैतिक सोच के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वामपंथी उग्रवादी हिंसा में पिछले दो वर्षों अर्थात् 2011 और 2012 में काफी कमी आई है। सरकार के बहु-आयामी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

<u>आतंकवाद का मुकाबला करना</u> :

1.36 सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवाद का खतरा न तो समाप्त हुआ है और न ही कम हुआ है और तदनुसार 26.11.2008 के बाद से उठाए गए विभिन्न कदमों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है, उनमें सुधार किया गया है तथा उन्हें समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार सभी राज्यों में आतंकवाद/उग्रवाद का सामना करने के लिए वचनबद्ध हैं क्योंकि कोई भी कारण, चाहे वह वास्ततिवक हो या काल्पनिक, किसी भी रूप में आतंकवाद या हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता है। साथ ही, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कटिबद्ध है कि आतंकवादी कृत्य करने वालों, उनके मार्गदर्शकों और षडयंत्रकारियों को कानून के कटघरे में लाया जाए, उनको अभियोजित किया जाए तथा अधिकतम सज़ा दी जाए।

1.37 सरकार आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करने तथा ध्वस्त करने के लिए भी कटिबद्ध है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2008 में यथा संशोधित) की धारा 51क के उपबंधों के अंतर्गत 49 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। मंत्रालय में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के लिए एक समर्पित सैल स्थापित किया गया है।

जांच और अभियोजन में सफलता

1.38 वर्ष 2012 में बम विस्फोट के मामलों की जांच करने वाली सुरक्षा एजेंसियों ने इन मामलों को सुलझाने में काफी सफलता हासिल की। 17.4.2010 को एम.सी. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में हुए बम विस्फोट, 19.09.2010 को जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट हुई गोलीबारी और बम विस्फोट, 13.07.2011 को मुम्बई में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोट, 7.9.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास बम विस्फोट तथा 13.02.2012 को इजरायली दूतावास की कार में विस्फोट के मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए।

1.39 राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम अधिनियमित किया गया तथा इसे 31.12.2008 को अधिसूचित किया गया। 31.12.2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक महानिदेशालय के अधीन कार्य कर रही है तथा इसमें मुख्यालय नई दिल्ली और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ और मुम्बई में स्थित इसके शाखा कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर 657 पद सृजित किए गए हैं। इनमें शाखा कार्यालयों के लिए हाल ही में स्वीकृत 265 पद अगले वित्त वर्ष (अर्थात् 2013-2014) में भरे जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय, दिल्ली, शाखा कार्यालय हैदराबाद और गुवाहाटी को ''पुलिस स्टेशनों'' के रूप में अधिसूचित किया गया है। अन्य शाखाओं के लिए अधिसूचनाएं संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित हैं। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार, 52 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे गए। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के 39 विशेष न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं।

द्विपक्षीय सहयोग

1.40 24-25 मई, 2012 को भारत-पाकिस्तान गृह सचिव स्तर की वार्ता आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के मुद्दों, अर्थात् आतंकवाद, मुम्बई आतंकी हमले, एन आई ए और एफ आई ए के बीच सहयोग, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले, गृह/आंतरिक सचिवों के बीच हॉटलाइन की स्थापना, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर महानिदेशक स्तर की वार्ताएं आयोजित करने, मछुआरों/कैदियों की रिहाई और परस्पर विधिक सहायता संधि आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

नेटग्रिड :

1.41 सरकार ने 1.12.2009 को गृह मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना की है। आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने हेतु कार्रवाई योग्य आसूचना का संचालन करने के लिए नेटग्रिड डाटा बेसों को जोड़ेगा। इस प्रकार, नेटग्रिड की स्थापना एक ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए की गई है जिससे आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता में सुधार होगा। नेटग्रिड की परिकल्पना ऐसे ढांचे के रूप में तैयार की गई है जिससे सूचना तक पहुंचने, मिलान करने, विश्लेषण करने, सह-संबंध स्थापित करने, भविष्यवाणी करने तथा उसका त्वरित प्रसार करने में सूचना प्रौद्योगिकी से सहायता मिलेगी। नेटग्रिड एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन है। विभिन्न स्तरों पर 39 पद सृजित किए गए हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 6 जून, 2011 को 'सिद्धांत रूप में' विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) अनुमोदित कर दी। योजना आयोग ने एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम के रूप में इसका अनुमोदन कर दिया है। व्यय वित्त समिति ने दिनांक 23.01.2012 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया और सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने नेटग्रिड परियोजना के फाउंडेशन, हॉरिजन-I और हॉरिजन-II के कुछ घटकों के कार्यान्वयन के लिए 1002.97 करोड़ रु. की राशि के संबंध में डी पी आर को 14.6.2012 को अनुमोदित कर दिया। फाउंडेशन तथा नेटग्रिड के प्रथम हॉरिजन पर कार्य चल रहा है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

1.42 14 नवम्बर, 1985 से प्रभावी स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से एक केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन करने के लिए इस अधिनियम की धारा 4 (3) में स्पष्ट उपबंध किया गया। इस उपबंध के अनुसरण में भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया। राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति में आपूर्ति और मांग न्यूनीकरण उपाय शामिल हैं। बहु-एजेंसी दृष्टिकोण में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, डीआरआई, सीबीएन, सीमा रक्षक बल, राज्य पुलिस, आबकारी, वन विभागों आदि जैसी अनेक केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को उक्त अधिनियम, जिसमें कड़े कानूनी ढाचे का प्रावधान है (गैर-जमानती अपराध, 20 वर्ष तक कारावास, पुनः किए गए कतिपय अपराधों के लिए मृत्युदंड, त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय आदि), के विभिन्न उपबंधों को प्रवृत्त और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मादक द्रव्य संबंधी मामलों में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों/सहमति ज्ञापन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय, नियंत्रित डिलीवरी और समन्वित अभियान भी मादक द्रव्य नियंत्रण रणनीति का मुख्य भाग है। केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यह ब्यूरो निम्नलिखित के संबंध में उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कार्य करता है :-

- एन डी पी एस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम, 1985 के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाईयों का समन्वय।
- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों (1961, 1971 और 1988) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिरोधी उपायों के संबंध में दायित्वों का निर्वहन।
- इन मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण तथा नियंत्रण के समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए विदेशों में संबंधित प्राधिकारियों और संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता।
- मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय।

यह ब्यूरो निम्नलिखित कार्य कर रहा है :-

(i) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर स्वापक द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी, व्यापार और दुरुपयोग से संबंधित आसूचना का संग्रहण, मिलान और प्रचार।

(ii) मादक द्रव्यों की तस्करी, व्यापार की कार्य प्रणाली, मूल्य ढांचे, विपणन के तरीके द्रव्यों के वर्गीकरण, उनके व्यापार और उपभोग का अध्ययन ताकि क्षेत्र कार्यालयों को सतर्क किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके।

(iii) केन्द्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाइयों का समन्वय तथा ऐसे मामलों की कार्रवाइयों में सहायता करना जो अन्तर-राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों।

(iv) अन्य मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क, सहयोग और समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(v) मादक द्रव्य संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में सदैव पूर्ण और विस्तृत तथा अद्यतन जानकारी रखना तथा कमियों को दूर करने और जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई करने के लिए सरकार से सिफारिशें करना।

(vi) औपचारिक अथवा अनौपचारिक, अभिज्ञात अथवा विवक्षित क्रियाविधियों, प्रक्रियाओं, कार्यों, अभिसमयों तथा शर्तों (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) की मादक द्रव्यों की तस्करी से प्रासंगिकता और संबंध का पता लगाने के लिए समय-समय पर इनका व्यापक अध्ययन करना।

(vii) न्यायालय के निर्णयों का बारीकी से अध्ययन करना तथा अधिकाधिक दंड सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कार्यालयों द्वारा मादक द्रव्यों के तस्करों के विरुद्ध चलाई गई जटिल अभियोजन कार्यवाहियों में मार्गदर्शन करना।

(viii) किसी एक एजेंसी से ऐसे अन्तर-एजेंसी अनुरोध प्राप्त करना जिन पर किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जानी है तथा इष्टतम परिणाम हासिल करने के लिए ब्यूरो के पास अन्य कोई सूचना मुहैया कराने के बाद इसे आगे भेजना तथा आई.सी.पी.ओ. – इंटरपोल के विदेशी सदस्य देशों को भेजने के लिए इंटरपोल (सी बी आई) भारत को भी सूचना मुहैया कराना।

(ix) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और क्षेत्र कार्यालयों के अधिकारियों के लिए भारत के भीतर और भारत से बाहर प्रशिक्षण का प्रबंध करना तथा विदेशों में मादक द्रव्यों की तस्करी के चुनिंदा केन्द्रों पर जाकर ऑन द स्पॉट अध्ययन करना।

(x) मादक द्रव्यों की तस्करी की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोधी उपायों पर चर्चा करने, विचार करने तथा उन्हें अपनाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना।

(xi) विभिन्न क्षेत्र कार्यालयों की व्यवहारिक प्रचालन आवश्यकताओं की समय-समय पर जांच तथा आकलन करना और सरकार को यह सलाह देना कि क्या मादक द्रव्यों के तस्करों द्वारा सामान्य रूप से अथवा विशेष क्षेत्र में अपनाए गए तकनीकी और

प्रचालनात्मक साधनों से निपटने के लिए इन क्षेत्र कार्यालयों के पास उचित और पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तथा सुधारों के बारे में सुझाव देना।

(xii) स्वापक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा इस विषय पर अन्य कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में क्षेत्र कार्यालयों और केन्द्र सरकार के प्रयासों में सहायता करना।

<u>सीमा प्रबंधन</u> :

1.43 घुसपैठ, तस्करी तथा सीमा पार से होने वाली अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर गश्त के लिए सड़कों सहित बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सीमा चौकियों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। गुजरात में कच्छ के रन के कुछ भाग को छोड़कर अधिकांश भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण तथा तेज रोशनी का कार्य पूरा कर लिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 82 प्रतिशत सीमावर्ती बाड़ का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा व्यवहार्य भागों में शेष कार्य चल रहा है। भारत-पाक और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्वीकृत की गई हैं। 61 सीमा चौकियों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 114 दूसरी सीमा चौकियों में यह कार्य चल रहा है। भारत-म्यांमार सीमा पर 10 कि.मी. भाग पर बाड़ लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। लगभग 4 कि.मी. बाड़ पूरी कर ली गई है।

1.44 भारत-चीन सीमा पर अपर्याप्त सड़क अवसंरचना की स्थिति का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 804 कि.मी. लंबी भारत-चीन सीमा पर 27 सड़कों के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना के लिए सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2 सड़कें) तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) निष्पादन एजेंसियां हैं। 27 सड़कों में से 24 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष दो सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

1.45 भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही तथा समाज विरोधी तत्त्वों के लिए सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण, सशस्त्र सीमा बल, जो इन सीमाओं के लिए सीमा रक्षक बल है, की इन सीमाओं पर सचलता तथा इसकी सीमा चौकियों से सम्पर्क सीमित है। अत: इन सीमाओं पर सड़क अवसंरचना की आवश्यकता है। अत:, भारत सरकार,

सशस्त्र सीमा बल और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम राज्य सरकारों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात इन राज्यों से इन दो सीमाओं पर सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए।

1.46 सरकार ने उत्तराखंड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) तथा बिहार (564 कि.मी.) राज्यों में भारत-नेपाल सीमा पर 1,377 कि.मी. लंबी रणनीतिक सीमा सड़कों और असम राज्य में भारत-भूटान सीमा पर 313 कि.मी. लंबी रणनीतिक सीमा सड़कों के निर्माण/उन्नयन का अनुमोदन कर दिया है।

1.47 भारत-पाक सीमा पर रन के कच्छ में अनेक सीमा चौकियां दूरवर्ती, अगम्य संपर्क रहित क्षत्रों में स्थित हैं। अत: कच्छ और पाटन जिलों को जोड़ते हुए गधूली से संतालपुर तक एक सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए गुजरात सरकार ने, सीमा सुरक्षा बल के साथ परामर्श करके, इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया था। तत्पश्चात, सरकार ने गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 255 कि.मी. लंबी सीमा-सड़क का अनुमोदन कर दिया है जिसमें मौजूदा 132 कि.मी. लंबी सड़क का उन्नयन तथा 123 कि.मी. लंबी नई सीमा सड़कों का निर्माण शामिल है। गुजरात सड़क एवं निर्माण विभाग ने 132 कि.मी. के लक्षित कार्य में से अब तक 95% कार्य पूरा कर लिया है।

1.48 भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-पाक सीमा पर उक्त योजनाएं सरकार द्वारा नवम्बर, 2010 में अनुमोदित की गई हैं। इन्हें 2011-12 से पाँच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के विस्तृत तौर-तरीके सड़क वार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किए जा रहे हैं।

1.49 भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए उत्तम सीमा प्रबंधन अनिवार्य है और इस उद्देश्य के लिए ऐसी प्रणालियां स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करती हों तथा साथ ही जो व्यापार और वाणिज्य में भी सहायक हों। बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था करने तथा एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मुहैया कराने तथा भू-सीमाओं पर व्यापार और सुरक्षा को सुकर बनाने/बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के साथ लगी भारत की सीमाओं पर स्थित अभिज्ञात प्रवेश स्थानों पर दो चरणों में 13 एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्टें तैयार किए जाने, भूमि के अधिग्रहण आदि जैसी पूर्व-निर्माण गतिविधियां शुरू की गई हैं तथा कुछ एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण 2010-11 में पहले ही

शुरू हो गया है। अटारी में एकीकृत जांच चौकी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा इसे क्रियाशील बना दिया गया है।

1.50 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 17 राज्यों में 96 जिलों के 361 सीमा ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 2006-10 वर्षों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2375.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की जा चुकी है। वर्ष 2010-11 के लिए 691.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था तथा 2011-12 के लिए 900.00 करोड़ रु. तथा 2012-13 के लिए 990.00 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

तटीय सुरक्षा

1.51 भारत की तट सीमा 7,516.6 कि.मी. लम्बी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्त्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तट की रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक तटीय सुरक्षा योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 204 नौकाओं और वाहनों के साथ 73 तटीय पुलिस थाने, 58 आउट पोस्ट तथा 30 बैरकों का अनुमोदन प्रदान किया गया है। 95.00 करोड़ रु. (लगभग) के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय से इस योजना का मार्च, 2011 तक विस्तार कर दिया गया है। जून, 2010 में सरकार द्वारा इस योजना को 95.00 करोड़ रु. के अतिरिक्त अनावर्ती परिव्यय के साथ मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है। अनावर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 495.00 करोड़ रुपए (लगभग) तथा आवर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 151.00 करोड़ रुपए है। इस योजना को मार्च, 2011 तक कार्यान्वित किया गया था। 26/11 की मुम्बई घटनाओं के बाद देश की तटीय सुरक्षा की विभिन्न स्तरों पर व्यापक समीक्षा की गई है। अन्य विभिन्न उपायों में तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटरक्षक के परामर्श से सुभेद्यता/अन्तराल का विश्लेषण कर लिया है तथा पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों, वाहनों, नौकाओं आदि से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के नाम से एक व्यापक योजना तैयार की गई तथा उसे 1 अप्रैल, 2011 से कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित किया।

1.52 तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए वैसल ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों की स्थापना, मछुआरों को पहचान-पत्र जारी करने, सभी नौकाओं के पंजीकरण, ट्रांसपोन्डरों की स्थापना, तटीय

गांवों के निवासियों को बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने तथा समुद्र में गहन गश्त जैसे विभिन्न अन्य उपायों को गृह मंत्रालय के गहन समन्वय से अन्य संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.53 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 2009 में 'समुद्री खतरों से समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति' का गठन किया गया। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि तथा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं। तटीय सुरक्षा के संबंध में सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की राष्ट्रीय समिति द्वारा 4 सितम्बर, 2009, 22 जनवरी, 2010, 14 मई, 2010, 23 नवम्बर, 2010 और 29 जुलाई, 2011, 22 जून, 2012 तथा 30 नवम्बर, 2012 को हुई इसकी बैठक में समीक्षा की गई।

साम्प्रदायिक सौहार्द :

1.54 सरकार, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के मन में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाती है। यह देश में साम्प्रदायिक स्थिति की निगरानी करती है तथा अशांति को रोकने और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाती है।

मानवाधिकार :

1.55 भारत के संविधान में सिविल और राजनैतिक अधिकारों के लगभग पूरे दायरे की रक्षा करने के लिए उपबंध तथा गारंटियां हैं। राज्य नीति के निर्देशी सिद्धांतों में राज्यों को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करना होता है ताकि एक ऐसी न्यायपूर्ण तथा साम्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाया जा सके। हमारे देश की सिविल और दंड विधियों में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने और समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है।

1.56 इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों के निवारण के लिए एक मंच (फॉरम) की स्थापना की है तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था की है।

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल</u> :

1.57 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, असम राइफल्स और राष्ट्रीय जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों के गठन तथा उनकी तैनाती की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। असम राइफल्स, सेना के प्रचालनात्मक नियंत्रण के अधीन है। तथापि, असम राइफल्स के गठन एवं प्रशासनिक/वित्तीय विषय, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां हैं।

1.58 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा गार्ड हैं। असम राइफल्स को रक्षा मंत्रालय के प्रचालनात्मक नियंत्रण में भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात किया जाता है। इन केन्द्रीय पुलिस बलों को विद्रोह रोधी तथा आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए भी तैनात किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक स्थापनाओं, महत्वपूर्ण सरकारी स्थापनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी एवं संयुक्त क्षेत्रों की स्थापनाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, विशिष्ट स्थितियों में लगाने तथा खतरों को विफल करने, आकाश में, जमीन पर तथा आतंकवाद-रोधी और जल में विमान अपहरण रोधी अभियान चलाने तथा बंधकों को बचाने के अभियान चलाने के लिए एक कार्य-अभिमुखी बल है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने तथा विद्रोह रोधी ड्यूटियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख बल के रूप में नियुक्त किया जाता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए भी तैनात किया जाता है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों में दृढ़ कार्रवाई हेतु 10 कमांडो बटालियन सृजित किए गए हैं।

1.59 विगत हाल में सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 116 अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

- वर्ष 2009 में स्वीकृत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 38 बटालियन जिनको वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक के दौरान गठित किया जाना है।

- वर्ष 2009 में स्वीकृत सीमा सुरक्षा बल के 29 बटालियन जिनको 2009-10 से 2013-14 के दौरान गठित किया जाना है।

- वर्ष 2010 में स्वीकृत सशस्त्र सीमा बल के 32 बटालियन जिनको 2010-11 से 2014-15 के दौरान गठित किया जाना है।

- वर्ष 2011 में स्वीकृत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 13 बटालियन जिनको वर्ष 2012-2013 से 2016-17 के दौरान गठित किया जाना है।
- वर्ष 2008 एवं 2010 में स्वीकृत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 4 बटालियन।
- इन 116 बटालियनों में से 47 बटालियनों का गठन हो चुका है तथा 2012-13 में 14 बटालियनों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

1.60 वर्ष 2009 में चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई और हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के चार क्षेत्रीय हब स्वीकृत किए गए हैं। सभी चार हब कार्यशील हो गए है। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है और सरकार संकट के समय बल की प्रभावी गतिशीलता के लिए इसकी नफरी को प्रत्येक हब के लिए 241 से बढ़ाकर 460 करके चैन्नई, कोलकाता और मुम्बई में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के सुदृढ़ हब की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए हैदराबाद में भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद की स्थापना संबंधी अवसंरचना जुटाने के लिए 533.68 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय हब, कोलकाता के संवर्धन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को 34.315 एकड़ भूमि मुहैया कराई है।

1.61 गृह मंत्रालय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त आवास प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने आवासीय भवन (योजना) के अंतर्गत पुलिस आवास हेतु 2500 करोड़ रुपये के आबंटन का अनुमोदन किया है। पहले पांच वर्षों में वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10 और वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए बजट प्राक्कलन स्तर पर आबंटन क्रमश: 150 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये, 270 करोड़ रुपये, 297.40 करोड़ रुपये तथा 487.90 करोड़ रु. था। वर्ष 2012-13 में इस योजना के अंतर्गत बजट प्राक्कलन स्तर पर 1185.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान भौतिक लक्ष्य 6665 आवास, 149 बैरक बनाने का है। बजट अनुमान 2013-14 में रिहायशी भवन (योजनागत) के लिए 1503.01 करोड़ रु. तथा कार्यालय भवन (योजनागत) के लिए 2653.66 करोड़ रु. की राशि मुहैया कराई गई है।

<u>पुलिस बलों का आधुनिकीकरण</u> :

1.62 गृह मंत्रालय विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस बलों के क्षमता निर्माण की दिशा में वर्ष 1969-70 से ''पुलिस बलों के आधुनिकीकरण'' संबंधी एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को सुरक्षित थानों, चौकियों, पुलिस लाइन्स के

निर्माण, वाहनों, सुरक्षा/चौकसी/संचार उपकरणों, आधुनिक हथियारों, विधि-विज्ञान उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं, पुलिस आवास आदि के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम इस प्रकार से तैयार की गई है कि आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं का सामना करने वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बलों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

1.63 इस योजना का वार्षिक आधार पर दो वित्त वर्षों 2010-11 और 2011-12 तक विस्तार किया गया और अब यह 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो गई है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना का वर्ष 2012-13 से पाँच वर्ष की अवधि तक आंशिक रूप से योजनेतर के अंतर्गत तथा आंशिक रूप से योजनागत के अन्तर्गत विस्तार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर 7 फरवरी, 2013 को हुई बैठक में विचार किया गया तथा इसे अनुमोदित किया गया। योजनेतर के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजटीय प्रस्ताव संशोधित अनुमान स्तर पर 1300.00 करोड़ रु. है। संशोधित अनुमान 2012-13 के स्तर पर योजनेतर भाग के अन्तर्गत पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। योजनागत के अंतर्गत 3750.87 करोड़ रु. तथा योजनेतर अनुदान के अंतर्गत 8628.43 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से 2012-13 से 2016-17 तक 5 वर्षों के लिए एम पी एफ के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है जिसमें महानगर पुलिस व्यवस्था के लिए 432.90 करोड़ रु. की राशि शामिल है।

<u>क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान</u> :

1.64 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र से पूरी वित्तीय सहायता के साथ 1989 में चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ पूरे भारत के जेल कार्मिकों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

1.65 यह आशा की जाती है कि सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 30-32 पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

1.66 इसके अतिरिक्त, वेल्लौर, तमिलनाडु में कार्यरत एक संस्थान अर्थात् जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने इस संस्थान की स्थापना करने के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर हाल ही में कोलकाता में एक क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने

इस संस्थान को वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगभग 1.55 करोड़ रु. का एकबारगी अनुदान प्रदान किया है।

<u>कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003</u> :

1.67 भारतीय जेलों में बंद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था ताकि वे अपनी शेष सज़ा अपने मूल देशों में काट सकें। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परस्पर हित वाले देशों के साथ इस तरीके से एक संधि/करार पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

1.68 भारत सरकार ने अब तक 18 देशों, अर्थात् यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सउदी अरब, यू.ए.ई., मालदीव, इजरायल, थाइलैंड, टर्की, बोस्निया और हर्जेगोविना तथा इटली के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, ब्राजील, कतार और रूस की सरकार के साथ भी बातचीत पूरी कर ली गई है।

1.69 इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक 12 भारतीय कैदियों को मारीशस से भारत में तथा 6 ब्रिटिश कैदियों को भारत से यू.के. में प्रत्यावर्तित किया गया है तथा 01 कैदी को यू.के. से भारत में प्रत्यावर्तित किया गया है ताकि वे अपनी शेष सज़ा अपने-अपने देशों में काट सकें।

<u>शस्त्र नीति</u> :

1.70 इस नीति का उद्देश्य देश में शस्त्रों और गोलाबारूद के प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करना तथा उनके दुरुपयोग को रोकना भी है।

<u>आपदा प्रबंधन</u> :

1.71 अपनी भू-जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण भारत को अनेक प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं से खतरा रहा है तथा यह विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है। इसको बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भू-स्खलन, हिम खंड तथा वन आग से अत्यधिक खतरा है। वर्षों में हुआ विकास आपदाओं से प्रभावित हो जाता है। अतः विकास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि 27 आपदा प्रशमन उपायों को विकास प्रक्रिया का भाग नहीं बनाया जाता है। देश में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा प्रवण हैं। लगभग 58.6% भू-भाग सामान्य से लेकर बहुत अधिक तीव्रता तक भूकम्प प्रवण है; 12% भूमि बाढ़ एवं नदी अपरदन-प्रवण है; 7,516 कि.मी. में से 5,700 कि.मी. भाग चक्रवात और सुनामी-प्रवण है; 68% कृषि भूमि सूखा--प्रवण है तथा पहाड़ी क्षेत्रों को भू-स्खलन तथा हिमखंडों से खतरा है।

1.72 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाई है ताकि आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं, जैसे निवारण, प्रशमन, तैयारी, राहत, कार्रवाई और पुनर्वास को शामिल किया जा सके।

1.73 उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसरण में सरकार ने 23.12.2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने, विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने तथा आपदा तथा आपदा जैसी किसी भी स्थिति में समग्र, समन्वित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न संस्थागत तंत्रों का प्रावधान है।

1.74 गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के पत्र सं. 30-2/2011-एन डी एम II के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पुनरीक्षा करने के लिए डॉ. पी.के. मिश्रा, अध्यक्ष, गुजरात विद्युत नियामक आयोग, गुजरात की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया है।

1.75 इस कार्य दल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और केन्द्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन आई डी एम, गैर-सरकारी संगठनों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों आदि सहित अन्य स्टेकहोल्डरों से परामर्श किया है। प्रश्नावलियों तथा क्षेत्रीय परामर्श/कार्यशाला के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि से विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचार मांगे गए हैं। इस प्रकार के उपर्युक्त परामर्शों के दौरान तथा कार्य दल द्वारा परिचालित की गई प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में परिवर्तनों के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों को संकलित किया गया तथा इन पर 12 अक्तूबर, 2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में चर्चा की गई।

1.76 इस समय यह कार्य दल मसौदा रिपोर्ट पर कार्य कर रहा है। इस कार्य दल की अंतिम रिपोर्ट मंत्रालय को 28 फरवरी, 2013 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

1.77 केन्द्र सरकार ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा अधिदेशित किए गए अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया है।

1.78 आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति केन्द्र सरकार द्वारा 22 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित कर दी गई है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसरण में तैयार की गई है जिसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से समग, सक्रिय, बहु-आपदा अभिमुखी तथा प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित तथा आपदा-प्रतिरोधी भारत की परिकल्पना की गई है। इसमें अपंग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य उपेक्षित समूहों सहित समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का निराकरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के आधार पर अलग-अलग राज्य भी आपदा प्रबंधन के बारे में अपने स्वयं की राज्य नीति तैयार कर रहे हैं।

<u>आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :</u>

1.79 आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) भारत सरकार की आपदा जोखिम प्रशमन पहल में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना का चरण-I, चक्रवात की भविष्यवाणी, ट्रेकिंग और चेतावनी प्रणाली, चक्रवात जोखिम प्रशमन तथा बहु संकट जोखिम प्रबंधन में क्षमता निर्माण को अपग्रेड करने के लिए 1,496.71 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश और ओड़िशा राज्य के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

1.80.1 अग्निशमन और आपात सेवाओं का सुदृढ़ीकरण : देश में अग्निशमन और आपात सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अग्निशमन सेवाओं को सभी प्रकार की आपात स्थितियों में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य करने में समर्थ बहु-संकट कार्रवाई बल में उत्तरोत्तर रूप से परिवर्तित करने के लिए 200.00 करोड़ रु. के परिव्यय से नवम्बर, 2009 में केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित एक योजना शुरू की गई। उपकरणों के प्रापण के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र तथा राज्य का अंशदान 75:25 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90:10 के अनुपात में है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 28 राज्यों में लागू की जा रही है।

1.80.2 केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना के माध्यम से नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने का कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100.00 करोड़ रु. के परिव्यय से अप्रैल, 2009 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना तथा इसे चुस्त-दुरुस्त बनाना है ताकि यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपनी प्राथमिक भूमिका का निर्वहन करते हुए आन्तरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों में पुलिस की सहायता कर सके।

1.80.3 स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम – नीतिगत स्तर पर परिवर्तन अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों तथा सूचना, शिक्षण और 29 संचार गतिविधियां चलाने वाले अन्य पणधारियों के क्षमता निर्माण, ढांचागत प्रशमन उपायों के संवर्धन तथा कुछ विद्यालयों में प्रदर्शनात्मक ढांचागत मरम्मत के द्वारा विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 48.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था।

1.80.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से 25.00 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय क्षेत्र की योजनेतर स्कीम (2007-12) के अंतर्गत राज्यों द्वारा नामित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा अन्य नोडल संस्थानों के आपदा प्रबंधन केन्द्रों के कार्यक्रम खर्चों के अतिरिक्त चार सदस्यों की फैकल्टी तथा दो सहायक स्टॉफ को मदद मिलती है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। भारत सरकार ने 11 राज्यों में अतिरिक्त केन्द्रों तथा विशिष्ट आपदाओं से संबंधित 6 उत्कृष्टता केन्द्रों के बारे में भी सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

1.80.5 जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी जोखिमों सहित विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, शहर, शहरी स्थानीय निकाय) पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियां शुरू करने और उबरने के लिए तैयारी करने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 20 मिलियन डॉलर (लगभग 100.00 करोड़ रु.) के परिव्यय से भारत सरकार-यू एन डी पी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम पूरे देश में 26 राज्यों और 58 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.80.6 भारत सरकार-यू एस ए आई डी आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना : भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी यू एस एजेंसी के साथ एक परियोजना अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की अवधि को अब बढ़ाकर 2015 तक कर दिया गया है। परियोजना का कुल परिव्यय 4.715 मिलियन अमेरिकी डॉलर है (इसमें प्रशिक्षण अध्ययनों के लिए 420,000 अमेरिकी डॉलर, उपकरणों के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर तथा तकनीकी सहायता के लिए 3.795 अमेरिकी डॉलर शामिल हैं) तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए 5.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

<u>जनगणना अभियान तथा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार किया जाना</u> :

1.81 भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

i. दस-वर्षीय जनगणना करना तथा जनसंख्या और जनसंख्या की जन सांख्यिकीय विशेषताओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करना तथा उनका प्रसार करना।
ii. नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन, मृत्यु दर तथा जनसंख्या संबंधी अन्य संकेतकों के बारे में आंकड़े मुहैया कराना।
iii. देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का समन्वय तथा निगरानी करना तथा नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से देश में वर्तमान आधार पर जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के नियम निर्धारित करना।
iv. देश में सामान्य नागरिकों का सामान्य जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना।

1.82 उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय को वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की परियोजना भी सौंपी गई है जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग की सलाह पर तैयार की गई है ताकि जिला स्तर पर आधारभूत जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य संकेतकों के बेंचमार्क हासिल किए जा सकें तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत आने वाली पहलों सहित विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी पहलों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए सतत आधार पर परिवर्तन की दर का मानचित्रांकन किया जा सके। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपरिमार्जित जन्म दर, अपरिमार्जित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृत्व मृत्यु अनुपात, जन्म का लिंग अनुपात जैसे संकेतक तथा मातृत्व एवं बाल देखभाल, परिवार नियोजन प्रक्रियाओं आदि तथा कुल योगों के उचित स्तर पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उनमें हुए परिवर्तनों के बारे में संकेतकों का सृजन किया जाएगा। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अधिकार-प्राप्त कार्य दल राज्यों (ई ए जी) (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड) और असम (जिन्हें आगे वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए एच एस) राज्य कहा गया है) के सभी 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस योजना के अंतर्गत लगभग 18.2 मिलियन कुल जनसंख्या तथा 3.6 मिलियन परिवारों को शामिल किया जा रहा है। इस योजना के लिए निधियां नोडल मंत्रालय होने के नाते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में मुहैया कराई जा रही हैं।

<u>अन्य कार्य</u> :

1.83 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, नागरिकता, आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय (अर्थात बी आई एम एस टी ई सी, सार्क) स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट के कार्यान्वयन, शरणार्थियों का पुनर्वास और जनगणना संबंधी मामलों का निपटान करता है। यह मंत्रालय राजभाषा के संवर्धन और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

<u>मुख्य कार्यक्रम/ योजनाएं</u> :

1.84 गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(i) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाना, सड़कों, सीमा चौकियों का निर्माण एवं तेज रोशनी करना, भारत की ओर निर्धारित प्रवेश स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण। तटीय सुरक्षा योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम;

(ii) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति की योजनाएं;

(iii) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना;

(iv) पुलिस आवास की योजना;

(v) जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण;

(vi) भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं;

(vii) राजभाषा के प्रयोग के संवर्धन की योजनाएं;

(viii) पुनर्वास योजनाएं/ परियोजनाएं;

(ix) पुलिस नेटवर्क (पोलनेट);

(x) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन/प्रशमन कार्यक्रम/परियोजनाएं;

(xi) अग्निशमन और आपात सेवाओं का आधुनिकीकरण;

(xii) देश में नागरिक सुरक्षा के ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाना;

(xiii) आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना;

(xiv) स्वापक द्रव्यों तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने में राज्यों की प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना; और

(xv) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग का सुदृढ़ीकरण।

(xvi) इण्डिया रिजर्व बटालियनों तथा विशेषीकृत इण्डिया रिजर्व बटालियनों से संबंधित योजना।

(xvii) आप्रवासन, वीजा और विदेशी नागरिक पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आई वी एफ आर टी) संबंधी मिशन मोड परियोजना।

अध्याय-2

बजट अनुमानों का ब्यौरा

2.1 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दस अनुदानों में से केवल तीन अनुदानों का नियंत्रण एवं प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये हैं अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय, अनुदान सं. 55-पुलिस तथा अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय। इस अध्याय में दी गई सूचना का संबंध उपर्युक्त तीन अनुदानों के तहत शामिल विभिन्न कार्यकलापों/योजनाओं से संबंधित वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित भौतिक प्राप्तियों तथा प्रक्षेपित परिणामों के विवरण से है।

2.2 बजटीय परिव्ययों के एक बड़े घटक का प्रयोग स्थापना संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं। ऐसे व्ययों के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों को संलग्न प्रपत्र के उपयुक्त कॉलमों में नहीं बताया जा सकता है। तथापि, कुछ विशिष्ट योजनाओं तथा कार्यकलापों संबंधी गैर-स्थापना व्ययों के मामले में मात्रात्मक वास्तविक प्राप्तियों तथा प्रक्षेपी परिणामों को दर्शाया गया है।

2.3 संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा ऐसी योजनाओं/गतिविधियों पर व्यय निर्धारित ढंग से किया जाता है। समय-समय पर जारी हुए वित्त मंत्रालय के व्यय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण संबंधी आदेशों द्वारा भी इन कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। मंत्रालय की ओर से व्यय करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों, जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन से भी नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। गृह मंत्रालय की ओर से परियोजनाओं का निष्पादन करते समय ये एजेंसियां अपनी प्रक्रियाओं को अपनाती हैं।

2.4 मंत्रालय का यह प्रयास होता है कि अनुदानों की मांगों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो।

<u>अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय</u>

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
1.	**सचिवालय-सामान्य सेवाएं**	(i) गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का स्थापना व्यय। (ii) यह गृह मंत्रालय के उन प्रशासनिक प्रभागों के व्यय हेतु हैं जो सामान्य सेवाएं और राजभाषा की प्रगति का कार्य देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक के कार्यालय (मुम्बई एवं कोलकाता स्थित) का गृह मंत्रालय में विलय कर दिया गया है।	235.60	0.50	-	(i) स्थापना व्ययों के संबंध में डेलीवरेबल में वेतन, मजदूरी, चिकित्सा, घरेलू यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, किराया, दरें एवं कर, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन एवं प्रचार, लघु निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य प्रभार, आईटी-वेतन, आईटी-कार्यालय व्यय, आईटी-मशीन एवं उपकरण तथा मशीन एवं उपकरण (पूंजीगत) जैसे विभिन्न शीर्ष शामिल हैं। (ii) जहां तक राजभाषा विभाग का संबंध है, तो इस संबंध में राजभाषा विभाग का यह प्रयास है कि भारत सरकार के कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग में क्रमिक रूप से प्रगति लाई जाए। अध्याय IV में राजभाषा की प्रगति संबंधी विशिष्ट परिणामों का उल्लेख किया गया है। (iii) जहां तक मुम्बई एवं कोलकाता में स्थित भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक का संबंध है, आबंटन मुख्य रूप से वेतन तथा कार्यालय के अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।	(i से iii) यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सचिवालय व्यय के लिए है। इसमें भारत के लिए शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक, मुम्बई एवं कोलकाता हेतु प्रावधान भी शामिल है। इस व्यय में मुख्य रूप से वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी लागत शामिल हैं।	इस अनुदान के तहत होने वाली विशिष्ट गति-विधियों पर निर्णय लेने के लिए इन पर समय पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। यह संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने का प्रयास है।	-

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : () मानव अधिकार भवन का निर्माण	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कार्यालय भवन				मानवाधिकार भवन में लैन नेटवर्किंग सहित अंदरूनी कार्य।	मानवाधिकार भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों/ इकाइयों/अनुभागों के लिए स्थान आबंटन, फर्नीचर मदों को उपलब्ध कराया जाना तथा उनके प्रतिष्ठापन सहित सभी अंदरूनी कार्य पूर्ण होना। लैन नेटवर्किंग कार्य।	लगभग 3-4 माह	- परिणाम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार संसद में यथा समय प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा।
	() शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस)	सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) में सी एच एम एस स्थापित करके बिना किसी दोहरेपन के शिकायतों के त्वरित, सटीक निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्षमता-निर्माण तथा सभी राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नेटवर्क द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संपर्क स्थापित				योजना फिलहाल बंद कर दी गई है।		--	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	() योजनेतर	करना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कार्यों का निर्वहन करने संबंधी व्ययों को वहन करना।							
2.	**जनगणना सर्वेक्षण एवं आंकड़े**	राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों जनसंख्या 2011 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रवास और धर्म के अलग-अलग परिणाम मुहैया कराना।	279.07	1122.16	-	() धर्म संबंधी तालिका () डी-सीरीज, प्रवास तालिका (अंशतः), ()बी-सीरीजः आर्थिक तालिकाएं (अंशतः), () अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति, () सी- सीरीज : सामाजिक-सांस्कृतिक तालिकाएं (अंशत): () ए- सीरीजः सामान्य जनसंख्या तालिकाएं	प्रकाशित आंकड़ों से योजना आयोग और विभिन्न मंत्रालयों आदि को नीतिगत पहलें करने तथा योजनाओं आदि को तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।	-	-
	(क) जन सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रणाली में सुधार	**(i) <u>सिविल पंजीकरण प्रणालीः</u>** राज्यों में जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में सुधार लाने तथा उसे कायम रखने के लिए सिविल पंजीकरण प्रणाली।				(i) विशेष रूप से निम्न निष्पादनकर्ता राज्यों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण में सुधार। (ii) कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से जिला स्तर पर जन्म एवं मृत्यु से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता। () जन्म, मृत्यु संबंधी रिकार्डों का अंकीकरण। () राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए	राज्य सरकारों द्वारा जिला एवं राज्य स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों आदि की योजनाओं/कार्यक्रमों की बेहतर योजना।	(i) विभिन्न इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों से; स्कूलों में प्रवेश के समय प्रिंट मीडिया के माध्यम से; तथा प्रचार के अन्य माध्यमों	परिणाम काफी हद तक राज्यों की भागदारी पर निर्भर करता है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण कार्य में शामिल

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						आंकड़े उपलब्ध कराना।		से विज्ञापनों को जारी करके जागरूकता अभियान चलाना। (ii) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग स्तरों पर सिविल पंजीकरण कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित प्रशिक्षण मैनुअल उपलब्ध कराकर तथा प्रशिक्षण देकर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि।	संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जुड़ना, राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्यान्वयन पर निर्भर है।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		(ii) नमूना पंजीकरण प्रणाली: (i) राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रजनन क्षमता और मृत्यु संकेतकों अर्थात् जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, संस्थागत प्रसूति, मृत्यु के समय चिकित्सा व्यवस्था और जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा आदि के वार्षिक अनुमानित आंकड़े देना;				(i) राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रजनन क्षमता एवं मृत्यु संकेतकों अर्थात् जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, संस्थागत प्रसूति, मृत्यु के समय चिकित्सा व्यवस्था और जन्म होने पर जीवन की प्रत्याशा के वार्षिक आंकड़ों की उपलब्धता;	(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को विभिन्न प्रजनन एवं मृत्यु संकेतकों पर आंकड़ों तथा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए आयु एवं लिंग विशेष द्वारा विशिष्ट मृत्यु होने के आधार पर समुचित उपयुक्त मध्यस्थता रणनीतियां और स्कीमें बनाने में सक्षम बनाना;	(i) सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1.3 मिलियन परिवारों को शामिल करते हुए 7,597 सैम्पल यूनिटों में अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण के दौरान जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं और जोखिम घटकों सहित अन्य संबंधित सूचना की सतत एवं भूतलक्षी रिकार्डिंग;	-
		(ii) नमूना पंजीकरण प्रणाली सैम्पल के प्रतिस्थापन के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन; (iii) पार्ट टाइम इन्यूमेरेटर्स				(ii) अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण के अनुवर्ती दौर के दौरान अद्यतन किए जाने के लिए सैम्पल इकाइयों के सामान्य निवासी जनसंख्या के	(ii) पी टी ई/पर्यवेक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार;	(ii)सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बेसलाइन	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		(पी टी ई/पर्यवेक्षक) को प्रारंभिक एवं आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण; () नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आर जी आई पुरस्कार; () हैंड हेल्ड उपकरण की खरीद, हार्डवेयर सहित सॉफ्टवेयर की खरीद तथा सॉफ्टवेयर के विकास के माध्यम से एस आर एस के क्रियाकलापों का आटोमेशन, और () सैम्पल के आकार में वृद्धि करने के लिए मानवशक्ति को किराए पर लेना।				जनसांख्यिकीय विवरण संबंधी बेसलाइन सूचना की उपलब्धता; (iii) सभी पार्ट टाइम इन्यूमेरेटर्स/ पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने से फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य-निष्पादन तथा एस आर एस के अंतर्गत आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा।	(iii) आंकड़ों के संग्रहण तथा परिणामों को जारी करने के बीच समय-अन्तराल में कमी;	सर्वेक्षण आयोजित किए जाने के उद्देश्य से तकनीकी बैठकों के आयोजन, व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण आदि जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप पूरे किए जाने से है; (iii) सभी एस आर एस यूनिटों के लिए सभी पी टी ई/ पर्यवेक्षकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की योजना बनाने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डी सी	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						() एस आर एस तथा नकद पुरस्कारों द्वारा प्रेरित करके फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य-निष्पादन में सुधार;		ओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। () पहले तथा दूसरे अर्ध वार्षिक सर्वेक्षण, 2012 के दौरान पी टी ई/पर्यवेक्षकों के कार्य की निगरानी तथा उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फील्ड कार्यकर्ता का चयन तथा मार्च, 2014 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पी टी ई/पर्यवेक्षकों को आर जी आई पुरस्कारों का वितरण।	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						() हैंड हेल्ड उपकरण द्वारा आंकड़ों के संग्रहण तथा परिणामों को जारी करने के बीच समय-अंतराल को कम करना।		() बुनियादी सर्वेक्षण आदि शुरू करने से पूर्व सभी घटकों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास एवं परीक्षण। ()सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानवशक्ति की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करना तथा उनकी भर्ती।	
		(iii) **एम सी सी डी :** () आई सी डी-10 के अनुसार मृत्यु के कारण के उचित निर्धारण के लिए चिकित्सा अधिकारियों और कोडरों के प्रशिक्षण में राज्यों को सहायता करना,				(i) बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-10वें संशोधन के अनुसार मृत्यु के कारणों के वर्गीकरण के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा और सांख्यिकी व्यावसायिकों की उपलब्धता।	(i) मृत्यु के विशिष्ट-कारण के संबंध में नियमित आधार पर विश्वसनीय आंकड़ों का सृजन। (ii) केन्द्रीय तथा राज्य	(i) बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-10वें संशोधन के अनुसार मृत्यु के उचित वर्गीकरण के	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		() मृत्यु के कारणों से संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना, () चिकित्सकों और कोडरों के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करना, () मृत्यु के कारण संबंधी चिकित्सकीय प्रमाणन के दायरे, विषय-वस्तु और गुणवत्ता में सुधार करना।				(ii) मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और संकलन में शामिल एजेन्सियों के बीच उचित समन्वय के लिए मुख्य पंजीयकों (जन्म एवं मृत्यु) के कार्यालयों में नोसोलॉजिस्ट (चिकित्सा सांख्यिकीविद) की नियुक्ति। () चिकित्सकों तथा कोडरों के लिए मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणीकरण से संबंधित मानक अत्याधुनिक चिकित्सक मैनुअल। () एम सी सी डी स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श।	स्तरों पर बीमारी विशिष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रमों/ योजनाओं के लिए योजना बनाना। (iii) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधनों का उचित आबंटन।	लिए चिकित्सा-व्यावसायिकों और सांख्यिकी कर्मियों को प्रशिक्षण देना। (ii) कम्प्यूटर प्रणालियों की आवश्यकता संबंधी केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित करना तथा उन पर कार्रवाई। (iii) नोसो-लॉजिस्ट के पद के सृजन एवं उसे भरने के लिए राज्यों से अनुरोध करना।	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	(ख) नगरों के जी पी एस सैटेलाइट आधारित भू-स्थानिक डाटाबेस (जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के अंतर्गत)	**<u>घटक क :</u>** (i) 4,041 का सांविधिक नगर मानचित्रों का विस्तृत डिजीटल डाटाबेस तैयार करना। (ii) भू-संदर्भित स्थानिक डाटाबेस तैयार करना। (iii) 33 राजधानियों के भू-स्थानिक डाटा बेस को अद्यतन बनाना। **<u>घटक ख:</u>** देश के 6 महानगरों के विकास ध्रुवों के विस्तृत मानचित्र तैयार करना।				(i) मिलियन से अधिक 37 शहरों के मामले में सरकारी एजेंसियों से नगरों की सूचना एकत्र करना। (ii) नवीनतम क्षेत्राधिकार के अनुसार बाहरी सीमाओं को दर्शाते हुए मिलियन से अधिक 37 शहरों के मानचित्रों को अद्यतन बनाना।	(i) मानचित्रों में शहरी निर्मित क्षेत्र दर्शाना तथा वार्ड स्तर पर जनगणना आंकड़ों का प्रसार। (ii) भू-संदर्भित स्थानिक डाटाबेस से सी ई बी के उचित परिसीमन में सहायता मिलेगी।	(i) सूचना का संग्रहण दिसम्बर, 2013-14 तक पूरा कर लिया जाएगा। (ii) मिलियन से अधिक 37 शहरों के मामले में अद्यतन संबंधी कार्य मार्च, 2013 तक पूरा कर लिया	-
-	**(ग) जनगणना आंकड़ों के प्रसार संबंधी क्रियाकलापों का आधुनिकीकरण**	जनगणना 2011 के प्राथमिक आंकड़ों का ग्राम एवं वार्ड स्तर तक प्रसार।				(i) सीडी के रूप में तथा इंटरनेट पर 2011 की जनगणना के आंकड़ें जारी करना। (ii) जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आंकड़ा संवितरण कार्यशालाओं का आयोजन। (iii) जनगणना 2011 के प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तक मेलों में भाग लेना। () पुरानी जनगणना रिपोर्टों और तालिकाओं का डिजिटल अभिलेख तैयार करना।	आंकड़े प्रयोगकर्ताओं को यूजर फ्रेंडली तरीके से जनगणना 2011 के परिणाम टेबूलेशन प्लान के अनुसार उपलब्ध कराना।	निर्धारित तरीके से गतिविधियां चलाना।	-

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						() हिन्दी तथा अन्य प्रमुख भाषाओं में परिणामों तथा चुनिंदा रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए जनगणना 2011 के परिणामों के प्रसार हेतु प्रमुख पहल की जाएगी। () 20 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्क-स्टेशनों की स्थापना। () स्कूली छात्रों को सुविज्ञ बनाने का कार्य जनगणना 2011 के समय से ही आरंभ है। अब जनगणना 2011 के जारी होने पर इस कार्य को देश भर के सभी जिलों में चलाए जाने की आवश्यकता है।			
	(घ) प्रशिक्षण एकक की स्थापना	(i) आर जी आई के कार्यालय और निदेशालयों के मौजूदा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण तथा विश्लेषणात्मक दक्षताओं को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देना। (ii) नव-नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से				प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निदेशालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	(i) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा निदेशालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समझ तथा विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाना। (ii) जनगणना 2011 के आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा संगठन	-	_

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		आर जी आई कार्यालय के विभिन्न प्रभागों के कार्यों से परिचित कराना। (iii) जनगणना 2011 के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु इन कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण।					द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों एवं दायित्वों संबंधी अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में अधिकारियों की क्षमता का विकास करना।		
	(ङ) भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण	(i) जनगणना 2011 की अवर्गीकृत मातृभाषा विवरणियों का युक्तिकरण और भाषायी पहचान (ii) पहले से वर्गीकृत मातृभाषा विवरणियों का भाषायी सर्वेक्षण।				(i) पूर्ण विडियोग्राफी के साथ गैर-भाषाविद फील्ड वर्करों द्वारा 100 वर्गीकृत मातृभाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण। (ii) प्रशिक्षित लिप्यंतरकार (ट्रांसक्राइबर्स) द्वारा श्रव्य-दृश्य भाषा आंकड़ों का अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि वर्णमाला (इन्टरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट) (आई पी ए) में लिप्यंतरण। (iii) 110 एम टी एस के लिए प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण और पर्यवेक्षण (iv) 110 एम टी एस के लिए भाषाविदों/प्रोफेसरों द्वारा रिपोर्ट-लेखन (v) भविष्य के लिए 110 एम टी एस विडियो डाटा और लिप्यंतरित आंकड़ों का संरक्षण।	मातृभाषाओं से संबंधित तर्कसम्मत तथा वर्गीकृत सूचना से भाषायी अंतर्भावना, भाषायी आंदोलन और लोगों की आकांक्षाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी।	(i) सर्वेक्षण हेतु मातृभाषाओं को निर्धारित करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) की बैठक। () गैर-भाषाविद फील्ड वर्करों को भाषा संबंधी आंकड़ों के संग्रहण में प्रशिक्षण। () विडियो-ग्राफी के	चूंकि डाटा ट्रांसकिप्शन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन का कार्य बाहर के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना है तथा इनका पर्यवेक्षण विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रोफेसरों द्वारा किया जाना है, इसलिए पूरी की जानी

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
								इस्तेमाल से फील्ड डाटा को एकत्र करना। () श्रव्य-दृश्य आंकड़ों का आई पी ए में लिप्यंतरण। () प्रशिक्षित भाषाविदों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण, पर्यवेक्षण और रिपोर्ट-लेखन।	वाली संख्या वित्त वर्ष में उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
	(च) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	**(i) तटीय गांवों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण संबंधी योजना:** 3,331 तटीय गांवों में सामान्य निवासियों का डाटाबेस तैयार करना।				(1) तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 3,331 तटीय गांवों में आंकड़ों का संग्रहण तथा सामान्य निवासियों का स्थानीय रजिस्टर (एल आर यू आर) का मुद्रण-कार्य पूरा हो चुका है। (2) इन क्षेत्रों के लिए पहचान	3331 तटीय गांवों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना तथा इन गांवों के सामान्य निवासियों को पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) जारी करना।		

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		() देश के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण संबंधी योजना: देश के सभी सामान्य निवासियों के राष्ट्रीय डाटाबेस का निर्माण				(स्मार्ट) पत्रों का उत्पादन और वैयक्तिकरण आरंभ हो चुका है और अब तक 60 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। (1) 106.56 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के संबंध में डाटा इंट्री (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) पूरी कर ली गई है। (2) प्रचार (3) यू आई डी ए आई एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बॉयोमैट्रिक्स लेने का कार्य प्रगति पर है। अब तक 9.18 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के बायोमैट्रिक्स लिए जा चुके हैं। (4) एल आर यू आर का मुद्रण। (5) आंकड़ा संग्रहण कार्य के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान। (6) डी सी ओ में एन पी आर सेल की स्थापना। (7) प्रौद्योगिकी का विकास। देश में एन पी आर की योजना के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक की	देश के सभी सामान्य निवासियों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। देश में एन पी आर का		

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत देश में लोगों के लिए पहचान पत्र (प्रस्तावित) () एन पी आर केन्द्रों की स्थापना				उम्र के सभी सामान्य निवासियों को आर आई सी जारी किए जाने का प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को प्रस्तुत किया गया है। व्यय वित्त समिति ने 5552.55 करोड़ रु. की लागत की सिफारिश की है।	सृजन तथा देश में सभी सामान्य निवासियों को पहचान पत्र जारी करना। एन पी आर डाटाबेस को अद्यतन बनान तथा उसका रखरखाव।		
3.	**<u>राजभाषा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान</u>** **(क) राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय** (i) हिन्दी भाषा (ii) हिन्दी टंकण (iii) हिन्दी आशुलिपि सिखाने का	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि सीखने का प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें कार्यालयों में काम करने का हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।	38.67	8.31	-	(i) 25,757 कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया। (ii) 2,970 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण प्रदान किया। (iii) 310 कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्रदान किया।	(i) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (ii) हिन्दी टंककों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता (iii) हिन्दी आशुलिपिकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता	वर्ष	कोई नहीं।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	प्रशिक्षण देता है।								
	<u>केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो</u> **(ख) अधीनस्थ कार्यालय** (i) सरकारी दस्तावेज़ों का अनुवाद करना। (ii) अनुवाद में प्रशिक्षण प्रदान करना।	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग होने वाले कोडों, मैनुअलों, प्रपत्रों, प्रकार्यात्मक साहित्य आदि का हिन्दी अनुवाद प्रदान करना और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देना।				(i) हिन्दी अनुवाद-46,644 मानक पृष्ठ (ii) तिमाही अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम-12 (141 प्रशिक्षणार्थी) (iii) 21-दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम-02 (48 प्रशिक्षणार्थी) (iv)अल्पकालिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कार्यक्रम-13 प्रशिक्षणार्थी-370 (v) एडवांस/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कार्यक्रम-05 प्रशिक्षणार्थी-94 (vi) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम-02 प्रशिक्षणार्थी-22	(i) द्विभाषी रूप में संहिता तथा मैनुअल्स की उपलब्धता। (ii)–(vi) अनुवाद संबंधी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण/सुधार	वर्ष	कोई नहीं।
	राजभाषा हिन्दी के <u>तकनीकी पहलू</u> (i) हिन्दी में कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के	कर्मचारियों को हिन्दी में कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना।				(i) आयोजित किए गए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-31 शेष कार्यक्रमों पर कार्रवाई चल रही है। (ii) विभिन्न हिन्दी सॉफ्टवेयरों का	कम्प्यूटरों पर हिन्दी में प्रभावी रूप से कार्य करने की सुविधा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकियों के माध्यम	वर्ष	कोई नहीं।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत	परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
	लिए प्रशिक्षण देना। (ii) भाषा परिकलन प्रयोग उपकरणों का विकास। (iii)तकनीकी सम्मेलन/ सेमिनार।	कम्प्यूटरों पर हिन्दी के प्रयोग के लिए ऐसे उपकरणों को विकसित करना जो हिन्दी को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। द्विभाषी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा सॉफ्टवेयरों से संबंधित सूचना प्रदान करना ताकि हिन्दी में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किया जा सके।				विकास। (iii) मौजूदा हिन्दी सॉफ्टवेयरों में और सुधार	से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में तेजी आएगी।		
	<u>संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन</u> (i) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (राजभाषा विभाग) (1 कार्यालय योजनागत के	केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना। सरकारी कामकाज में				(i) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के 1403 कार्यालयों का निरीक्षण (दिसम्बर 2013 तक)। (ii) इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार 2011-12/क्षेत्रीय पुरस्कार (08 क्षेत्रों में)/राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार 2011-	(i) राजभाषा नीति का बेहतर एवं प्रभावी कार्यान्वयन। (ii) पूरे देश के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा को बढ़ावा देना।	वर्ष	कोई नहीं

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
	अंतर्गत तथा 7 कार्यालय योजनेतर के अंतर्गत) (ii) हिन्दी के सरकारी प्रयोग को प्रोन्नत करने के लिए पुरस्कार + 04 क्षेत्रीय सम्मेलन/सेमि-नार + नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों पर व्यय।	हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार देना।				12 का वितरण। (iii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टीओएलआईसी) की 361 बैठकें। (iv) राजभाषा अधिनियम, 1963 के नियम 10 (4) के अंतर्गत और कार्यालयों को अधिसूचित किया गया।	(iii) राजभाषा नीति का बेहतर कार्यान्वयन।		
	<u>राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार</u> **(राजभाषा विभाग)**	विभाग, कलैण्डरों, पोस्टरों, मानक हिन्दी पुस्तकों, गृह मंत्री के संदेश आदि के माध्यम से कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है तथा इसका प्रचार करता है।				राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने तथा इसका प्रचार करने के लिए पोस्टर, कलैण्डर, मानक हिन्दी पुस्तकों की सूची, गृह मंत्री का संदेश आदि तैयार किए जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों में इनका वितरण किया जाता है।	राजभाषा हिन्दी और इसकी नीति के बारे में सरकारी ढांचे में बेहतर जागरूकता।	वर्ष	कोई नहीं।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
4.	**केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान**	बजट प्रावधान में नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्य अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।	80.18	0.00	-	यह आवंटन राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों के प्रशासन में लगे कर्मचारियों पर उनके द्वारा वहन किए गए स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है।	इस आबंटन का परिणाम केन्द्रीय अधिनियमों तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों को प्रशासित करना है।	राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने पर उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।	-
5.	**नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति**	भारत सरकार, नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने में समन्वय तथा पर्यवेक्षण संबंधी उपायों के लिए उत्तरदायी है। गठन करने, प्रशिक्षित करने तथा सज्जित करने पर होने वाले व्यय को मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है।	19.42	9.50	-	राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्ति, 100 बहु-आपदा संवेदनशील जिलों सहित वर्गीकृत 259 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा के गठन, प्रशिक्षण और स्वयंसेवियों को सुसज्जित करने के लिए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपाय आरंभ किए जाने हेतु है। वर्ष 2012-13 के दौरान 12.00 करोड़ रु. के आबंटित बजट की तुलना में 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को 9.90 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।	(क) केन्द्रीय सहायता से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सुसज्जित करने में सहायता मिलेगी। इससे सरकार द्वारा किए गए नागरिक सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में और जागरूकता फैलाने में भी सहायता प्राप्त होगी। (ख) इस आबंटन से देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में तथा उसे चुस्त-दुरूस्त करने में सहायता मिलेगी।	प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए की गई मांगों से जुड़ी हुई हैं।	नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों की संख्या और परिणाम-स्वरूप भारी संख्या में नागरिक सुरक्षा स्वयं-सेवियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सुसज्जित करने में होने वाले कुल व्यय में वृद्धि होने की

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
									संभावना है।
	देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाना	इस योजना का समग्र उद्देश्य देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ एवं पुनः सक्रिय बनाना है ताकि वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस परियोजना के निम्नलिखित परिणाम होंगे:- 09 राज्यों में नागरिक सुरक्षा संस्थान स्थापित किए गए, 17 राज्यों में नवीकरण किया गया तथा राज्यों में तथा जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन चुस्त-दुरूस्त किए गए।				इस योजना में निम्नलिखित डेलीवरेबल्स होंगे:- (क) मौजूदा 17 राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का नवीकरण/उन्नयन। (ख) राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद तथा परिवहन की व्यवस्था। (ग) 9 नए राज्य प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण। (घ) वाहनों एवं उपकरणों की खरीद सहित 100 नागरिक सुरक्षा जिलों का उन्नयन। (ङ) 40 नगरों में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा	(क) अभिज्ञात मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों का नवीकरण/उन्नयन किया जा रहा है। (ख) नए प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अवसंरचना का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। (ग) विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों और परिवहन का प्रावधान किया जाएगा। (घ) नागरिक सुरक्षा ढांचे का उन्नयन तथा इसे कस्बा केन्द्रित से जिला केन्द्रित बनाने के प्रयास। (ङ) स्वयंसेवकों को रोजगार देने में नागरिक सुरक्षा की मार्गदर्शी	इस कार्य के लिए आबंटनों संबंधी कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा परिकल्पित मांगों से सम्बद्ध है। भारत सरकार ने राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन/नवी-कृत करने तथा 100 बहु-संकट संवेदनशील जिलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया है।	प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की लागत, उपकरणों की लागत तथा निर्माण एवं अवसंरचना की लागत में वृद्धि। 600 करोड़ रु. के परिव्यय से नागरिक सुरक्षा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण की मुख्य धारा में

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
						मशीनरी को शामिल करने हेतु पायलट परियोजना पूरी होगी। (च) प्रचार एवं जागरुकता - आम जनता के बीच नागरिक सुरक्षा/आपदा प्रबंधन संबंधी प्रचार एवं जागरूकता। (छ) कस्बा केन्द्रित से जिला केन्द्रित बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा का पुनर्विन्यास, निगरानी तथा प्रशिक्षण अभियान/शिविर आदि। (ज) दिनांक 8.2.2013 को 19.358 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।	परियोजना के अंतर्गत 214 मास्टर प्रशिक्षकों तथा 4,280 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण पूरा होगा। (च) पुनर्विन्यास कार्यक्रम, मॉनीटरिंग तथा प्रशिक्षण अभ्यास/शिविर पूरे किए गए। (छ) नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम पूरा किया गया।		लाने संबंधी नई योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है।
	देश में अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	इस योजना का समग्र उद्देश्य देश में अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण करना तथा इन्हें उत्तरोत्तर सभी प्रकार की आपातकालीन				अग्निशमन सेवाओं को आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा ताकि वे किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सकें।	(i) कार्रवाई का समय यथोचित रूप से कम होगा; (ii) विशेष रूप से जिला स्तर पर अग्निशमन सेवा की	वर्ष 2012-13 के दौरान 30.72 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।	2000 करोड़ रु. के परिव्यय से अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकी-करण संबंधी

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		स्थितियों में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु बहु-जोखिम कार्रवाई सेवा में सक्षम बनाना है।					पहुंच में वृद्धि होगी; (iii) अग्निशमन तथा बचाव कार्यों संबंधी कार्रवाई के लिए क्षमता का निर्माण होगा; (iv) अग्निशमन सेवाओं का मनोबल बढ़ेगा; (v) जान-माल की हानि कम होगी।		एक नई योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है।
	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर का उन्नयन	इस योजना का समग्र उद्देश्य सभी पहलुओं अर्थात् अग्नि निवारण, अग्नि संरक्षा एवं अग्निशमन, बचाव, आपदा की स्थिति में विशेष आपातकालीन कार्रवाई में विशेष पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने की कॉलेज की क्षमता बढ़ाना तथा अनुसंधान प्रलेखनों तथा इस क्षेत्र में परामर्शी आवश्यकताओं को पूरा				कॉलेज की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि । पेशेवर प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम को अद्यतन करना। नियमित चार वर्षीय पाठ्यक्रम आयोजित करना। प्रशिक्षण सामग्री एवं आधुनिक उपकरणों का प्रापण।	(i) अग्निशमन कार्रवाई एवं बचाव अभियानों की क्षमता बढ़ाई गई। (ii) अग्निशमन सेवाओं का मनोबल बढ़ाया गया। (iii) जान-माल के नुकसान को कम किया जाएगा।	निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रगति होगी।	योजना की प्रगति निधियों की समय पर उपलब्धता पर निर्भर करती है।

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		करना है।							
6.	**होम गार्ड्स संसदीय और राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान होम गार्डस की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति**	होम गार्डों का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने-अपने अधिनियमों के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय, होम गार्ड संगठन की भूमिका, मारक क्षमता, गठन, प्रशिक्षण, सज्जा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है। होम गार्डों पर होने वाले व्यय का भुगतान नियोक्ता विभाग/संगठन द्वारा किया जाता है। गठन, प्रशिक्षण एवं सज्जा पर होने वाले व्यय का वहन मौजूदा वित्तीय नीति के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है।	39.00	0.00	-	केन्द्रीय वित्तीय प्रतिपूर्तियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, होम गार्डों के गठन, प्रशिक्षण तथा सज्जा के लिए प्रोत्साहन के तौर पर है। मौजूदा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकारों को दावों की प्रतिपूर्ति के लिए 37.00 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया गया है।	कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों को सहायता देकर उनके प्रयासों में योगदान देना तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। इस आबंटन से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण में तथा इसके साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की प्रभावी रूप से रक्षा करने में सहायता मिलेगी।	कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए उठाई गई मांगों से जुडी है।	-
7.	**अन्य मदें**	बजट प्रावधान में क्षेत्रीय परिषदों, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज,	120.94	0.51	-	सुपुर्दगी योग्य का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवंटन मुख्यत: स्थापना संबंधी व्यय के लिए किए जाते हैं।	-	-	

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				
		विशेष जांच आयोग, आईसीपीओ, इंटरपोल तथा यू.एन. कन्वेशन ऑन क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड को अंशदान, क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फंड का उन्नयन, एनसीडीसी का उत्कृष्टता कालेज के रूप में उन्नयन कबीर पुरस्कार तथा एन आई सी बैठकों, अयोध्या में अधिग्रहित सम्पत्तियों के संरक्षण एवं रखरखाव, अधिकृत व्यक्ति एवं दावा आयुक्त, अयोध्या के कार्यालय के कार्यालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान शामिल हैं।							
8.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/ योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान ।**	यह आबंटन 'जनगणना' प्रयोजनों से भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में उपयोग किए जाने के लिए है।	0.00	220.00	-	निधियों का आबंटन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (राष्ट्रीय पहचान-पत्रों की सूची) तैयार करने के लिए है।	-	-	-
	कुल योग: अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय		**812.88**	**1360.98**	-	-		-	-

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12			परिमाण योग्य/सुपुर्दगी योग्य/ वास्तविक परिणाम	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			योजनेतर बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत				

अध्याय-3

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें

3.1 गृह मंत्रालय मुख्यतः देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सेवा प्रदान करने संबंधी तंत्र की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने कुछ सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहलें शुरू की हैं जिन्हें निम्नलिखित पैराओं में उजागर किया गया है। इसी तरह, जहां भी संभव है, अधिक विकेन्द्रीकरण पर भी विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पूंजीगत अवसंरचना:-

3.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए आवास सुविधा/बैरक के प्रावधान का इस बल के मनोबल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बल काफी लम्बे समय तक दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं, हाल ही के वर्षों में बल कार्मिकों के लिए परिवार आवास की मांग काफी बढ़ी है।

3.3 राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्री दल ने अन्य रैंकों के लिए संतुष्टि के स्तर को 14% से बढ़ाकर 25% करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों में आवास की कमी की समस्या को हल करने के लिए, एक अलग योजना अर्थात् रिहायशी आवास (योजनागत) है, जिसके अंतर्गत सरकार के अनुमोदन के अनुसार के लो नि वि/पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से मकान निर्मित किए जाते हैं।

3.4 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूंजीगत अवसंरचना के निर्माण के लिए योजना आयोग ने मद-शीर्षों कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) और सीमा चौकियों (योजनागत) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में 20260.01 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। रिहायशी आवास (योजनागत) की योजना के अन्तर्गत निधियों के आबंटन को वर्ष 2012-13 के दौरान 2011-12 (संशोधित अनुमान स्तर पर) के 719.29 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1185.00 करोड़ रु. (बजट अनुमान स्तर) कर दिया गया जिसे संशोधित करके, 909.83 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान स्तर) कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 6665 मकानों का निर्माण प्रस्तावित है जबकि 20259 कार्मिकों के रहने के लिए 149 बैरकों का निर्माण किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की तुलना में 2174 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा 3718 मकान निर्माणाधीन हैं। जहां तक बैरकों का संबंध है, 87 बैरकों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है तथा 111 बैरक निर्माणाधीन हैं।

3.5 गृह मंत्रालय ने ई पी सी के माध्यम से 57787 मकानों और 348 बैरकों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल संबंधी एक आवासीय परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। पहले इस परियोजना को पी पी पी मोड के माध्यम से कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव था। तथापि न ही शहरी विकास मंत्रालय और न ही योजना आयोग ने इस परियोजना को पी पी पी मोड के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने के विचार का समर्थन किया है। शहरी विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया कि इस परियोजना के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर विचार किया जा सकता है। इससे पूर्व जब सी एंड ए जी ने इस परियोजना की लेखापरीक्षा की थी, उन्होंने ने भी विचार दिया था कि इस परियोजना को पी पी पी मोड के माध्यम से कार्यान्वित कराना महंगा सिद्ध होगा। तदनुसार इस परियोजना को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/पी डब्ल्यू ओ से निष्पादित कराए जाने का निर्णय लिया गया। अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

3.6 वर्ष 2012-13 के दौरान बजट अनुमान स्तर पर प्रधान-कार्यालय भवन (योजनागत), आवासीय भवन (योजनागत) और सीमा चौकी (योजनागत) के लिए क्रमशः 3246.99 करोड़ रु., 1185.00 करोड़ रु. और 380.00 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके क्रमशः 2106.25 करोड़ रु., 909.83 करोड़ रु. तथा 267.76 करोड़ रु. कर दिया गया है। कार्यालय भवन और बैरकों की अवसंरचना से संबंधित कार्य कार्यालय भवन (योजनागत) शीर्ष के माध्यम से जबकि आवासीय भवनों का निर्माण आवासीय भवन (योजनागत) योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। सीमा चौकियों के संवर्धन तथा उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण सीमा चौकी (योजनागत) शीर्ष के तहत किया जाता है।

3.7 के लो नि वि/अन्य पी डब्ल्यू ओ के माध्यम से निष्पादित अवसंरचना संबंधी कार्यों की प्रगति की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा नियमित अन्तरालों पर की जाती है।

<u>स्वतंत्रता सेनानी पेंशन :</u>

3.8 स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नी की 02.10.2006 से मूल पेंशन रु.4,000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु.6,330/- प्रति माह कर दी गई थी ताकि मंहगाई राहत सहित कुल पेंशन रु.10,001/- प्रति माह हो जाए। स्वतंत्रता सेनानियों की सभी श्रेणियों के लिए 01.08.2012 से मूल पेंशन पर महंगाई राहत को 143% से बढ़ाकर 165% कर दिया गया है। इस वृद्धि के साथ ही, स्वतंत्रता सेनानियों की कुल पेंशन अब रु.16,775/- प्रति माह हो गई है। वर्ष 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के प्रारंभ से 31.12.2012 तक कुल 1,71,508 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान की गई है।

3.9 पब्लिक सेक्टर बैकों और कोषागारों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों का डाटाबेस वर्ष 2010 में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। बैंकों से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन के संवितरण संबंधी कुछ डाटा का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार, संबंधित बैंकों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने तथा स्वतंत्रता सेनानियों/ आश्रितों को पेंशन के संवितरण में उनके द्वारा देखी गई कमियों को सुधारने के लिए उपचारी उपाय करने एवं बैंकों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों का पुन: सत्यापित डाटा भेजने की सलाह दी गई। संबंधित बैंकों ने अब स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन के संवितरण में कमियों को दूर करने हेतु उपयुक्त उपाय किए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों से पेंशन आहरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों का पुन: सत्यापित डाटा पहले ही समेकित किया जा चुका है और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

<u>भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं:</u>

3.10 इस समय भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की प्राथमिकताओं में जनगणना 2011 अर्थात् जनसंख्या विवरण (चरण-II) के परिणामों को शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करना तथा देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की परियोजना को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है क्योंकि इनसे योजना आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य अनेक मंत्रालयों/विभागों को नई योजनाएं शुरू करने के लिए अनेक नीतिगत पहलें करने तथा उनके द्वारा पहले से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में सुधार संबंधी उपाय करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर संबंधी परियोजना का उसके तार्किक निष्कर्ष तक का कार्यान्वयन विशेष रूप से देश में सुरक्षा माहौल में सुधार लाने में तथा भारत सरकार की ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में काफी सहायक होगा।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम:</u>

3.11 देश में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ एवं संस्थागत बनाए जाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन 22 अक्तूबर, 2009 को प्राप्त हुआ। योजना आयोग के परामर्श से आपदा प्रबंधन से संबंधित एक अध्याय को भी 11वें योजना दस्तावेज में शामिल किया गया है। इस नीति में ''निवारण/उपशमन, तैयारी तथा कार्रवाई के संवर्धन के जरिए एक समग्रतावादी, पूर्वसक्रिय, बहु आपदा उन्मुखी तथा प्रौद्योगिकी संचालित कार्यनीति तैयार करके एक सुरक्षित एवं आपदा से निपटने के लिए तैयार भारत का निर्माण'' करने के लिए राष्ट्रीय विज़न पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, घटना कार्रवाई प्रणाली, पी टैंकरों के परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा का सुदृढ़ीकरण, नगरपालिका

जलापूर्ति और जलाशयों को खतरे, भारत में विकिरणीय खतरों का पता लगाने, निवारण और कार्रवाई संबंधी तंत्र, सुनामी, सूखा, आपदा के पश्चात् मृतक के संबंध में आपदा प्रबन्धन, शहरी बाढ़ प्रबन्धन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और राहत के न्यूनतम मानदंड-राहत शिविरों में खाना, आपदा राहत में सफाई और स्वच्छता, राहत शिविरों में जलापूर्ति, राहत शिविरों में मेडिकल कवर आदि से संबंधित अनेक दिशानिर्देश और अन्य रिपोर्टें जारी की गईं हैं।

<u>प्रशमन परियोजनाएं:</u>

3.12 परियोजना में शामिल क्षमता-निर्माण के संबंध में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण आयोजित करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अब परियोजना को दो चरणों नामतः प्राथमिक चरण और कार्यान्वयन चरण में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एन ई आर एम पी) की कुल अवधि 7 वर्ष प्रस्तावित है जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यथा परिकल्पित अवधारणा की प्रभावकारिता का पता लगाने तथा इसकी जांच के साथ-साथ पूरी परियोजना की प्रभावकारिता प्रदर्शित करने के लिए 2 वर्षों का प्राथमिक चरण शामिल है।

3.13 भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजनाओं में राज्यों द्वारा संस्तुत भूस्खलन प्रशमन परियोजनाओं में स्थल-विशिष्ट सहायता, अग्रणी संस्थानों से स्थल-विशिष्ट भूस्खलन संबंधी अध्ययन /जांच, जिसमें आपदा निवारण रणनीति, आपदा प्रशमन और महत्वपूर्ण भूस्खलनों की निगरानी में अनुसंधान और विकास को कवर किया गया है, जिसके फलतः पूर्व-चेतावनी प्रणाली और क्षमता-निर्माण संबंधी पहलें विकसित हुई हैं, की परिकल्पना की गई है।

3.14 बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजनाओं में विशेषकर पुनर्वास ढांचों की प्रभावकारिता एवं स्थायित्व, पूर्व-चेतावनी और अनुमान प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा स्पेशियल डाटा प्रबंधन औजारों, जिसमें जी आई एस प्लेटफार्म के एप्लीकेशन और संवेदनशीलता विश्लेषण और जोखिम प्रबन्धन के लिए वैज्ञानिक औजार शामिल हैं, के प्रयोग के माध्यम से बाढ़ प्रवण राज्यों के संबंध में मुख्यतः बाढ जलप्लावन माडल तैयार करने के लिए नदी क्षेत्र विशिष्ट बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों और डिजीटल एलीवेशन मैप तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार प्रस्तावों के साथ आई टी सी एप्लीकेशन आदि तैयार करना शामिल है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में एन डी एम ए को भेजे जाने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार प्रस्तावों की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान करेगी।

3.15 भारत के विभिन्न भागों में भवन के विभिन्न प्रकारों की सूची तैयार करने तथा भवन सूची में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के भवनों के संबंध में संवेदनशीलता से जुड़े कार्यों का

खाका तैयार करने का कार्य, समन्वय संस्थान के रूप में आई आई टी, मुम्बई के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत 126 लाख रूपये की कुल अनुमानित लागत से देश के विभिन्न भागों के स्थित पांच अलग अलग नोडल संस्थानों अर्थात् (1) आई आई टी रूड़की- उत्तरी क्षेत्र, (2) आई आई टी खड़गपुर-पूर्वी क्षेत्र, (3) आई आई टी गुवाहाटी-पूर्वोत्तर क्षेत्र, (4) आई आई टी मुम्बई-पश्चिमी क्षेत्र और (5) आई आई टी चैन्नई-दक्षिणी क्षेत्र को सौंपे गए हैं।

3.16 देश में भूकम्प आपदा मानचित्रों के स्तरोन्नयन का कार्य 76.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत से भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी एम टी पी सी) को सौंपा गया।

3.17 केरल में पर्वतीय प्रदेश और तराई में मृदा पाइपिंग संबधी अनुसंधान की परियोजना 49.79 लाख रुपये की लागत से पृथ्वी विज्ञान केन्द्र, केरल को सौंपी गई है।

3.18 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 40.95 लाख रुपये की लागत से आपदा प्रबंधन विभाग, केरल सरकार के लिए केरल में मीनांचल और मनीमाला नदियों में भारी बाढ़ों के बारे में पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिशन फार जियो स्पेशियल एप्लीकेशन (एम जी ए), विज्ञान एवं प्राद्योगिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव का वित्त पोषण कर रहा है।

3.19 विकिरणीय आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी से संबंधित अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने देश में 50 से अधिक राजधानी तथा महानगरों/अन्य प्रमुख नगरों में अभिहित पुलिस थानों में चौकसी वाहनों को आासान निगरानी उपकरणों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा कवच के साथ सुसज्जित किया है। मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम नामक परियोजना पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है।

3.20 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन योजना 1496.71 करोड़ रुपये की कुल लागत से परियोजना के पहले चरण में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित किए जाने के लिए 6.1.2011 को सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्तमान में परियोजना के पहले चरण का कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश ओर उड़ीसा राज्यों में हो रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मूल्यांकन दस्तावेज विश्व बैंक को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत कर दिए गए हैं कि इन राज्यों का मूल्यांकन शीघ्र किया जाये।

3.21 राष्ट्रीय आपदा सम्प्रेषण नेटवर्क (एन डी सी एन), विभिन्न आपातकालीन अभियान केन्द्रों (राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित होने वाले) को निकनेट, स्वान, पोलनेट,

डी एम एस नेट आदि सहित संचार संबंधी मौजूदा नैटवर्क को समुचित कनैक्टविटी उपलब्ध कराकर तैयार किया गया नैटवर्कों का नेटवर्क होगा। इन नेटवर्कों को निर्बाध कनैक्टविटी, मुक्त एवं उद्योग संबंधी मानक संचार प्रोटोकाल अपनाकर सुनिश्चित की जाएगी।

3.22 आपदा की स्थिति में भू-संबंधी संचार नेटवर्कों के विफल हो जाने की संभावना अधिक रहती है जिससे संचार और इसके फलतः कार्रवाई और राहत कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस कठिनाई से मुकाबला करने के लिए एन डी एम ए के पी सैट नेटवर्क के रूप में सैट लाइट संचार के उपयोग से एक अतिरिक्त ओवर ले नेटवर्क सिंगमेंट स्थापित किया जाएगा। इस री सैट नेटवर्क में एन सी आर का एक प्राथमिक हब और एन आर एस सी हैदराबाद में स्थित डी आर हब तथा पूरे देश में फैले लगभग एक हजार वी सैट होंगे।

3.23 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर स्थित आपातकालीन अभियान केन्द्रों के अतिरिक्त आपदा स्थलों पर वर्गीकृत संचार क्षमता स्थापित करने के लिए सचल/वहनीय संचार प्रणालियों से एन डी सी एन को सुसज्जित किया जाएगा। प्रत्येक जिले को विशेष रूप से तैयार मैन पैक्स, मैन पोर्टेबल संचार प्रणालियां उपलब्ध कराई जाएगी जिसे सड़क, हवाई या जल मार्ग के उपलब्ध किसी भी साधन द्वारा आपदा स्थलों पर ले जाया जा सकेगा। एन डी आर ए के प्रत्येक बटालियन को वी सैट, माइक्रोसेलूलर, वाई फाई और बाई मैक्स जैसी संचार प्रणालियों से युक्त निर्देश-निर्मित वाहन उपलब्ध कराए जाएगें। कम्युनिकेशन आन ब्हील्स नामक इन यूनिटों में कम्प्यूटर, कैमरा, स्कैनर्स, प्रिंटरों और विडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण होंगे ताकि आपदा-स्थल पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा सके।

3.24 एन डी सी एन को दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। चरण 1 में 312 बहु-आपदा प्रवण जिले शामिल होंगे और शेष जिले दूसरे चरण में कवर होंगे। परियोजना की समय-सीमा में कार्यान्वयन के लिए 20 माह तथा प्रचालन के लिए 5 वर्ष है।

<u>अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजनाओं के अन्तर्गत योजनाएं/कार्यक्रम</u>

3.25 अन्य आपदा प्रबन्धन परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित योजनाओं को लिया जाएगा।

() <u>इग्नू परियोजना</u>

सरकारी पदाधिकारियों तथा पी आर आई और यू एल बी के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबन्धन में क्षमता-निर्माण की एक पायलट परियोजना।

() **बहु-राज्य अभ्यास परियोजना**

प्रस्तावित कालका भूकंप आपदा परिदृश्य पर टेबल टाप अभ्यास सहित परिदृश्य वाले भवनों में बहु-राज्य अभ्यास आयोजित करना।

() **कार्यशाला/सम्मेलनों/अभ्यासों/प्रशिक्षण आदि का आयोजन**

गैर-सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थानों को मॉक अभ्यास, सम्मेलनों/कार्यशाला/सेमीनारों/सी बी टी योजनाओं के आयोजन के लिए सहायता तथा एशियान/ई ए एस देशों के लिए पारस्परिक बात-चीत से संबंधित कार्यशाला का आयोजन।

() **घटना कार्रवाई प्रणाली (आई आर एस)**

आई आर टी प्रशिक्षण योजना के अनुमोदन के अनुसार चिन्हित राज्यों में जिला/ब्लॉक स्तर पर आई आर एस टीमों के गठन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

() **लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा अन्य अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवा प्रशिक्षण संस्थान में क्षमता-निर्माण के लिए पायलट परियोजना**

अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों का क्षमता-निर्माण: वर्तमान में, एन डी एम ए केन्द्रीय प्रबन्धन केन्द्र, एन आई ए आर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, एल बी एस एन ए ए, मसूरी के साथ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों (समूह 'क') के क्षमता-निर्माण के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन कर रहा है। एल बी एस एन ए ए जैसे केन्द्रीय सरकार के समूह क सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने का दूरगामी लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के वे सभी अधिकारी, जो कार्यकारी और निर्णय लेने वाले पदों पर आसीन होने वाले हैं, आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित हों। एन डी एम ए का आशय एल बी एस एन ए ए के साथ मौजूदा परियोजना की वैधता को अगले 4 वर्षों के लिए बढ़ाना तथा वन, पुलिस आदि जैसी अन्य सेवाओं के साथ इसी प्रकार की पहलों की शुरूआत करना है।

() **मोबाइल रेडियशन डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से विकिरणीय आपदाओं से निपटने के संबंध में तैयारी**

इस योजना से संबंधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2013-14 में होगा।

() **पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बाढ़ प्रवण अन्य राज्य असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश आदि में बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास तथा ए आर जी/ए डब्ल्यू एस का प्रतिष्ठापन**

केन्द्रीय जल आयोग के दायरे में न आने वाली विभिन्न नदियों और कस्बों/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाढ़ चेतावनी अध्ययन/योजनाओं के लिए एक परियोजना।

() **संवेदनशीलता का विश्लेषण/जोखिम आकलन से संबंधित अनुसंधान/ अध्ययन/ परियोजनाएं**

भूंकप, चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए वैज्ञानिक आपदा सिम्यूलेशन मॉडल तैयार करने से संबंधित परियोजना। इन मॉडलों का विकास आई आई टी, आई आई एस सी आदि जैसे देश के अग्रणी संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

() **पूर्व चेतावनी प्रणाली सहित आपदा प्रबन्धन के लिए प्रौद्योगिकीय/वैज्ञानिक पहलें**

चक्रवात, मौसम आदि जैसी एक या दो आपदाओं के लिए कुछ पूर्व चेतावनी प्रणालियां विकसित की गई हैं। तथापि इन पूर्व चेतावनी प्रणालियों की सूचना राज्यों तथा जिलों तथ् समय पर पहुंचाया जाना अभी भी एक चुनौती है। देश के कुछ चयनित पायलटों में इस चुनौती से मुकाबला करने का प्रस्ताव है।

() **विभिन्न आपदाओं से संबंधित अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता**

विभिन्न संस्थानों में आपदाओं के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। शुरूआत में भूस्खलन से संबंधित अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे भारत के कमज़ोर पूर्वी क्षेत्र में गंभीर क्षति हो रही है। इस प्रकार के संस्थान की स्थापना हेतु जी आई एस में सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, जब कभी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे अन्य पायलटों पर विचार किया जाएगा। यह सहायता सभी मामलों में लागत के 25% तक ही सीमित होगी।

() **राज्य-विशिष्ट आपदा प्रबन्धन अध्ययन/विश्लेषण/प्रौद्योगिकी पहल के लिए सहायता**

भारत में आपदाओं की जटिलता तथा विभिन्नता को देखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट आपदा-विशिष्ट विश्लेषण और अनुसंधान की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन के लिए प्रौद्योगिकीय पहलें आवश्यक हैं जो वैज्ञानिक आकलन एवं अनुसंधान पर आधारित होने चाहिए। कई राज्य वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं के अभाव के कारण इसे कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तकनीकी और अनुसंधानपरक पहलों सहित राज्य विशिष्ट आपदा प्रबन्धन अध्ययनों में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों,

विश्वविद्यालयों आदि को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस पर निर्णय संस्थानों की क्षमता तथा राज्य सरकार की मांग के आधार पर किया जाएगा।

<u>राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम - एन डी एम ए की एक प्रदर्शन-परियोजना</u>

3.26 भारत सरकार ने जून, 2011 में 100% केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना के रूप में 48.47 करोड़ रु. की कुल लागत से राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम – एक प्रदर्शन परियोजना अनुमोदित की थी जो 24 माह की समय-सीमा के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कूलों में सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने की एक समग्र परियोजना है और इसमें सिसमिक जोन और में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 स्कूल शामिल हैं। इस परियोजना की डिजायन जांची तथा सत्यापित की जाएगी ताकि पूरे देश में इसे बढ़ाने तथा कार्यान्वयन के लिए इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जा सके।

<u>जागरूकता सृजन कार्यक्रम</u>

3.27 आपदाओं के विभिन्न विषयों पर जागरूकता सृजन अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभियान डी ए वी पी के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापनों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रसारणों जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पोस्टरों, वृत्तचित्र फिल्मों, स्थानीय भाषाओं में बुकलेटों/पर्चों, होर्डिंग्स वॉल पेंटिंग्स आदि को तैयार करने में वित्तीय सहायता पहुंचाकर जागरूकता संबंधी सामान्य गतिविधियों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3.28 एन डी एम ए ने श्रव्य-दृश्य स्पॉटों, प्रेस विज्ञापनों, प्रिंट सामग्री आदि जैसे संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न आपदाओं में जोखिम अनुमान, तैयारी और स्व-निर्भरता को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं।

() निजी टी वी चैनलों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफ एम रेडियो चैनलों तथा डिजीटल सिनेमा भूकंप, बाढ़, चक्रवात के बारे में श्रव्य-दृश्य स्पॉटों का प्रसारण।

() विभिन्न अग्रणी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन।

() भूंकप, बाढ़ और चक्रवात प्रवण राज्यों की ट्रेनों में रेलवे के डब्बों में पोस्टरों का प्रदर्शन।

3.29 नई पहलों के भाग के रूप में संस्थान ने राष्ट्रीय मानव संसाधन योजना, राष्ट्रीय कार्रवाई योजना और जागरूकता संबंधी क्रियाकलापों आदि को तैयार किया है।

<u>राष्ट्रीय मानव संसाधन और क्षमता-निर्माण योजना :</u>

3.30 एन आई डी एम को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

3.31 एन आई डी एम को राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। संस्थान ने योजना का मसौदा तैयार किया है तथा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है।

जागरूकता संबंधी गतिविधियां

3.32 एन आई डी एम ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न आपदाओं से संबंध में निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों से जुड़ी विभिन्न जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई हैं।

जेंडर बजटिंग:

3.33 गृह मंत्रालय ने योजनागत स्कीमों के माध्यम से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं जिन्हें निम्नलिखित संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है:-

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ):

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए विशेष रूप से रिज़र्व बटालियनों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में परिवार कल्याण केन्द्रों (एफ डब्ल्यू सी) के निर्माण के लिए पहल की है। आर टी सी अराक्कोनम और आर सी बेहरोर में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य में पहले ही पूरा कर लिया गया है और महिलाओं के लाभ हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है। आर टी सी, देवली में परिवार कल्याण केन्द्र का कार्य चल रहा है और वर्ष 2013-14 में पूरा हो जाएगा। ये परिवार कल्याण केन्द्र महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं ताकि वे सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य वस्तुओं के उत्पादन आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए नई दक्षताओं को सीख सकें तथा अपने परिवार की आय बढ़ा सकें।
- बजट अनुमान 2012-13 में 0.10 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान को आर टी सी देवली में परिवार कल्याण केन्द्र के निर्माण-कार्य को पूरा किए जाने के मद्देनज़र संशोधित अनुमान 2012-13 में बढ़ाकर 0.48 करोड़ रु. कर दिया गया है। तथापि आर टी सी

देवली में परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण-कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूरा हो जाएगा।

(ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी):

3.34 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो पुलिस संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा पुलिस प्रशिक्षण, आदि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करता है। बजट अनुमान 2012-13 में 125.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 52 महिला कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है और वर्ष 2012-13 के दौरान 367 महिलाओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। महिलाओं के लाभ हेतु निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गईं हैं:-

. पुलिस में महिला 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन (10.00 लाख रु.)-212 कार्मिकों ने भाग लिया।

. केन्द्रीय सशस्त्र बलों में महिला सशक्तीकरण और भविष्य की योजनाओं के बारे में अनुसंधान अध्ययन श्रीमती नीतू डी भट्टाचार्य को सौंपा गया और 1.60 लाख रु. की पहली किस्त जारी की गई।

. मानव-तस्करी रोधी तथा बचाए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में मल्टीस्टेक होल्डर सहभागिता से संबंधित अनुसंधान अध्ययन डॉ. रंजना कुमार को सौंपा गया और 1.65 लाख रु. की पहली किश्त जारी की गई।

. 5 महिलाओं को अपराध-शास्त्र संबंधी डॉक्टोरल फैलोशिप प्रदान की गई (2.75 लाख रु.)

. महिला विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन (01.00 लाख रु.)

. उप पुलिस अधीक्षक से सहायक उप निरीक्षक के रैंक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए आत्म–विकास एवं विवाद-प्रबंधन पर प्रशिक्षण का आयोजन (08.00 लाख रु.) (01 पाठ्यक्रम का आयोजन तथा 24 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया)

. सी डी टी एस चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद में महिलाओं के प्रति अपराध बनाम मानवाधिकारों, किशोर न्याय और मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूणहत्या के मामलों की जांच संबंधी पाठ्यक्रमों का आयोजन (5.00 लाख रु.)

.	राज्यों में मानव-तस्करी-पुलिस की भूमिका संबंधी कार्यशालाओं/सेमीनारों का आयोजन ताकि पुलिस अधिकारियों को इन मुद्दों पर सुविज्ञ बनाया जा सके। (20.00 लाख रु.)

.	3 सी डी टी एस में महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच तथा 3 सी डी टी एस में महिलाओं के लिए फिटनेस केन्द्र की स्थापना (5.00 लाख रु.)

.	प्रत्येक सी डी टी एस में महिला प्रशिक्षणार्थियों और महिला कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम की स्थापना (लघु निर्माण-कार्य) (5.00 लाख रु.)

(ग) **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ):**

3.35 वर्ष 1985 के दौरान सरकार ने आरंभ में के रि पु बल में एक महिला बटालियन के गठन का अनुमोदन किया था। थोड़ी सी समयावधि के भीतर, अन्य दो महिला बटालियनों का गठन किया गया है और इस समय, के रि पु बल में तीन महिला बटालियनें कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, बल ने के रि पु बल की तीन अनन्य महिला यूनिटों हेतु महिला कार्मिकों को सूचीबद्ध किया है और उन्हें देश के विभिन्न भागों में तैनात आर ए एफ यूनिटों/ग्रुप केन्द्रों सहित इन यूनिटों में तैनात किया है। बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण किया है। ये परिवार कल्याण केन्द्र अनन्य रूप से महिलाओं के लिए निर्मित किए गए हैं ताकि वे वहां नई दक्षताओं को सीख सकें और सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसे कार्यकलापों के जरिए अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें।

3.36 अनन्य रूप से महिलाओं के लिए के रि पु बल की निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

)	महिला होस्टल
)	मनोरंजन/कॉमन स्टाफ रूम में महिला उन्मुखी पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।
)	विशेष रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम संबंधी जिम्नेज़ियम और अन्य सुविधाएं।
)	महिला कक्षों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी तथा डी वी डी की व्यवस्था।
)	सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेन्टर/क्रेच।
)	महिलाओं के लिए विशेष रूप से कढ़ाई मशीनें उपलब्ध कराना ताकि वे अतिरिक्त दक्षताएं प्राप्त करने में सक्षम हों।

3.37 उपर्युक्त के अलावा तथा कार्य के स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए, के रि पु बल ने सेक्टर स्तर पर एक चार सदस्यीय शिकायत समिति का गठन किया है। समिति ने, शिकायत, यदि कोई है, के त्वरित निराकरण के लिए नियमित तिमाही बैठकें आयोजित करना आरंभ कर दिया है।

3.38 के रि पु बल में महिलाओं को पृथक विश्राम कक्षों, मनोरंजन कक्षों, मोबाइल शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तैनाती के दौरान, यूनिट वाहनों में भी महिलाओं को पृथक शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैन्ट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को हल करने के लिए समुचित स्तर पर सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जेंडर सैंसिटाइजेशन भी किया जा रहा है और साक्षात्कार, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित पारस्परिक बात-चीत के अतिरिक्त महिलाओं के अधिकारों की भी जानकारी दी जाती है। क्षेत्र अधिकारी उनके नियंत्रणाधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और मानसिक स्वास्थ्य पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं।

3.39 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन अनन्य महिला बटालियनें हैं, जिनमें एक दिल्ली में, दूसरी गांधीनगर (गुजरात) में तथा तीसरी अजमेर (राजस्थान) में है। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को विभिन्न कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप केन्द्रों और आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी देशभर में विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस ड्यूटी कर रही हैं।

प्रत्येक ग्रुप क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
204	5418	5622

महिला कर्मचारियों की वार्षिक वेतन लागत लगभग रु. 182.36 करोड़ है।

3.40 पहली बार भारत में महिला पुलिस कार्मिकों से गठित पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू), जिसमें 125 महिला पुलिस अधिकारी हैं, 30 जनवरी, 2007 को मोनोरोविया, लाइबेरिया पहुंची और 8 फरवरी, 2007 को यूनिटी कान्फ्रेंस सेन्टर में अपनी ड्यूटी शुरू की। एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में तदनन्तर बैचों को तैनात किया गया है। वर्तमान बैच अर्थात् एफ एफ पी यू का 5वां दल जिसमें 125 महिला अधिकारी/पुरूष शामिल हैं, 19 फरवरी, 2012 से यू एन एम आई एल के अंतर्गत

मोनरोविया, लिबेरिया में तैनात है। फरवरी, 2013 माह में रोटेशन आधार पर अगले बल को इसका स्थान लेने के लिए भेजा जाएगा।

3.41 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों के नाम और वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान इनमें से प्रत्येक के लिए किए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रु. में)

योजनाओं का ब्यौरा	**बजट अनुमान 2012-13**		**बजट अनुमान 2013-14**	
	योजना भिन्न	**योजना भिन्न**	**योजना भिन्न**	**कुल**
डे केयर सेंटर	8.00	8.00	**8.50**	**8.50**
महिलाओं को जागरूक बनाना	3.00	3.00	2.00	2.00
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	8.00	8.00	10.00	10.00
इम्प्रोवाइज्ड सर्विस	10.00	10.00	11.00	11.00
पोषाहार देखभाल केन्द्र	8.00	8.00	10.00	10.00
महिला होस्टल/परिवार आवास	40.00	40.00	100.00	100.00
कुल	**77.00**	**77.00**	**141.50**	**141.50**

(घ) <u>सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी):</u>

3.42 वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान अनन्य रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के नाम तथा प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**योजनाओं का ब्यौरा**	**आबंटन**	
		2012-2013	**2013-14**
1.	डे केयर सेंटर	0.56	00.60

2.	महिलाओं को जागरूक बनाना	0.10	00.23
3.	स्वास्थ्य एवं पोषाहार देखभाल केन्द्र	0.34	00.34
4.	महिला होस्टल	00.00	00.25
5.	महिला कार्मिकों के लिए पृथक आवास	00.00	00.10
कुल		**01.00**	**01.52**

(ड.) <u>सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ):</u>

3.43 विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ योजनाओं के नाम तथा वर्ष 2012-2013 और 2013-14 के दौरान इनमें से प्रत्येक के लिए किया गया प्रावधान निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

क्रम सं.	**योजनाओं का ब्यौरा**	वर्ष-वार आबंटन		
		2012-13	**2013-14**	टिप्पणी
1.	पंजाब फ्रन्टीयर, सी सु ब की 86 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	.00	.00	पूरा हो गया है
2.	दक्षिणी बंगाल फ्रन्टीयर, सी सु ब की 06 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	.00	.00	पूरा हो गया है
3.	उत्तरी बंगाल फ्रन्टीयर, सी सु ब की 04 सीमा चौकियों में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित अनन्य रूप से महिला आवास	.00	.00	पूरा हो गया है
4.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षुओं के लिए महिला होस्टल	.00	.00	पूरा हो गया है
5.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षुओं के लिए शौचालय ब्लॉक	.00	.00	पूरा हो गया है

6.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में लेक्चर पोस्ट्स	.00	.00	पूरा हो गया है
7.	एस टी सी, सी सु ब, खरकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में शौचालय ब्लॉक	.00	.00	पूरा हो गया है
8.	25वीं बटालियन सी सु ब, छावला कैम्प, नई दिल्ली में शौचालयों, कुक हाऊस सह डाइनिंग हाल सहित महिला आवास	.00	.00	पूरा हो गया है
9.	एस एच क्यू सी सु ब जे पी जी के अन्तर्गत 17वीं बटालियन सी सु ब की सीमा चौकी अर्जुन, एस एच क्यू बी एस एफ के एन जे के अंतर्गत 16वीं बटालियन सी सु ब की अम्बिकापुर सीमा चौकी तथा एस एच क्यू सी सु ब एस एल जी के अंतर्गत 48वीं बटालियन की सिंघपारा सीमा चौकी पर महिला कांस्टेबलों के लिए आवास का निर्माण	**.20**	.00	लगभग पूर्ण होने के स्तर पर
10.	पंजाब फ्रंटियर के अन्तर्गत सीमा चौकियों एवं एस टी सी के लिए 83 महिला आवासों का निर्माण	.86	**.00**	लगभग पूर्ण होने के स्तर पर
	कुल बजट/आबंटन	**1.06**	**.00**	

(च) **<u>भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी):</u>**

3.43 महिलाओं के लाभ के लिए बल ने परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लिए किया गया है ताकि वे नई दक्षताएं सीख कर सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से धन अर्जित करके अपने परिवार की आय को बढ़ा सकें।

2. अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:-

(क) महिला होस्टल।

(ख) मनोरंजन/कॉमन स्टाफ रूम में महिला उन्मुखी पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।

(ग) विशेष रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम संबंधी जिम्नेज़ियम और अन्य सुविधाएं।

(घ) महिला कक्षों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी तथा डी वी डी की व्यवस्था।

(ड.) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया के प्रावधान सहित डे केयर सेन्टर/क्रेच।

(च) महिलाओं के लिए विशेष रूप से कढ़ाई मशीनें उपलब्ध कराना ताकि वे अधिक आय प्राप्त कर सकें।

3. महिलाओं को पृथक विश्राम कक्षों, सचल शौचालयों की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तैनाती के दौरान यूनिट वाहनों में भी पृथक शौचालय महिलाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैन्ट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट दी गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित स्तर पर सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सुविज्ञ भी बनाया जा रहा है और साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित परस्पर बातचीत के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्षेत्र अधिकारी, अपने अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सूक्ष्म निगरानी रख रहे हैं।

4. प्रत्येक ग्रुप क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्न प्रकार है:-

समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
38	56	841	14	949

वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 07 महिलाएं कांगो/अफ़गानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

5. अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ की योजनाओं के नाम तथा वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान उनमें से प्रत्येक के सामने प्रस्तावित प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

योजना का ब्यौरा	शीर्ष	बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
		योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
राजस्व										
महिलाओं के लिए क्रेच, डे केयर सेंटर की शुरूआत, जेंडर सुविज्ञता, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, पोषाहार देखभाल केन्द्र, वूमन रेस्ट रूम, (फर्नीचर एवं वस्तुएं), 8 स्टेशन बहु-प्रयोजनीय जिम,	क्रेच सुविधाएं ओ सी (वी)	0	0.10	0.10	0	0.12	0.12	0	0.4	0.4

म्युजिक सिस्टम										
कुल राजस्व		0	0.10	0.10	0	0.12	0.12	0	0.4	0.4
पूंजीगत परिव्यय										
बैरकों, शौचा लय सह स्नानघर, महिला होस्टल, मनोरंजन एवं रिटायरिंग/रेस्ट रूम, महिलाओं के लिए शौचालय और स्नानघर सहित	ओबी (योजनागत)									
कुल			0.10	0.10	0	0.12	0.12	0.17	0.4	0.21

(छ) <u>**एस वी पी एन पी ए, हैदराबाद में अवसंरचना का संवर्धन**</u>

3.45 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, भारतीय पुलिस सेवा में आने वाले नए अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा आवधिक सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए सेवारत् अधिकारियों के कौशल का स्तरोन्नयन कर रही है जिससे अपनी ड्यूटियों के निर्वहन में उनकी कार्यकुशलता बेहतर हुई है और वे पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नवीनतम एवं अद्यतन प्रावधानों और प्रौद्योगिकीयों तथा तकनीकी उपकरणों से अवगत हो सकें हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुलिस संबंधी विषयों पर अनुसंधान भी कर रही है। व्यय में मुख्यत: भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) के वेतन और प्रशिक्षण से जुड़े स्थापना संबंधित अन्य मामले शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी अवसंरचना के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को 44.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

3.46 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने 64 आर आर की 18 महिलाओं सहित भारतीय पुलिस सेवा के 126 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण का आयोजन किया है। 2011 बैच तथा भूटान, नेपाल और मालदीव के 13 विदेशी अधिकारियों ने इस अकादमी में 46 सप्ताह का चरण-। प्रशिक्षण लिया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों सहित 221 महिला कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की विद्यमान योजना का लाभ उठाया है।

3.47 जहां तक महिलाओं के लिए लाभ हेतु बजट प्रावधान का संबंध है, इस उद्देश्य के लिए बजट अनुमान 2012-13 में अनन्य रूप से 9.02 करोड़ रु. रखे गए हैं जिसमें से 2.89 करोड़ रु. का उपयोग प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों सहित महिला कर्मचारियों के वेतन/दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिए तथा शेष धनराशि का उपयोग निम्नलिखित लाभों के लिए किया जाएगा:-

. अनन्य रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक व्यायाम हेतु जिम्नेशियम और अन्य सुविधाएं।

. आई पी एस मेस में अपने हॉस्टल के कमरों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्युजिक सिस्टम, टी वी और डी वी डी आदि का प्रावधान।

. आई पी एस मेस में मनोरंजन/कॉमन हॉलों में महिला उन्मुखी पत्र-पत्रिकांए, पुस्तकें और जर्नल।

. जिम्नेशियम में महिलाओं द्वारा प्रयोग लाए जाने हेतु विशिष्ट रूप से महिलाओं से संबंधित मदें और एब्डोमिनल एक्सरसाइज़ मशीनों जैसे उपकरणों का प्रावधान।

. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महिला आई पी एस अधिकारियों/प्रतिभागियों के प्रशिक्षण में सहायता के उद्देश्य से 7 उप निरीक्षकों और 5 कांस्टेबलों वाले महिलाओं के एक विशेष बैच की भर्ती के लिए विशेष पहल की है।

. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी घरेलू हिंसा विषय पर महिलाओं के लिए अनन्य रूप से विशेष जागरूकता अभियानों/कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है।

. महिला कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के परिवारों की स्वास्थ्य-जांच के लिए चार सहायक महिला स्टाफ नर्स के साथ एक विशेष महिला डॉक्टर नियुक्त की गई हैं।

3.48 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ संबंधी योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2013-14 में 13.62 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से 11.04 करोड़ रु. की धनराशि का उपयोग, अकादमी में कार्यरत/प्रशिक्षणाधीन भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों सहित महिला कर्मचारी के लिए वेतन/मजदूरी के भुगतान पर किया जाएगा।

(ज) **<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u>**

3.49 पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के अन्य पुलिस संगठन और केन्द्रीय पुलिस कार्यालयों के पुलिस अधिकारियों के लाभार्थ अकादमी बुनियादी और सेवाकालीन पाठ्यक्रम दोनों आयोजित कर रही है। आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों से लाभ उठाने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं।

3.50 नेपा (एन ई पी ए) के बजट अनुदानों का लाभ अनुपातिक आधार पर अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं को भी दिया गया है।

3.51 वर्तमान में अकादमी में नियमित आधार पर केवल 10 महिला कर्मचारी तैनात हैं जो कुल स्टाफ नफरी का मात्र 3.84% है। अत: महिलाओं के लाभ के लिए वास्तविक लक्ष्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों सहित वार्षिक आधार पर लगभग 15-20% है।

3.52 वर्तमान में पाठ्क्रम प्रतिभागियों सहित 26 महिला कर्मचारी नेपा की मौजूदा योजनाओं अर्थात महिला कैडैट मैस का निर्माण, शॉपिंग कम्पलैकस, स्वीमिंग पूल, अस्पताल

इनडोर स्पोर्टस कम्पलैक्स आदि का लाभ उठा रही हैं जिसके लिए इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 28.40 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है।

3.53 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ से संबंधित योजनाओं के लिए बजट अनुमान 2013-14 में 19.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 0.20 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग अकादमी में कार्यरत/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं महिला कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी के भुगतान पर किया जाएगा।

(झ) <u>वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी विद्यालयों की स्थापना :</u>

3.54 इस योजना का उद्देश्य उन राज्यों के राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है जो वामपंथी उग्रवाद और विद्रोह संबंधी अन्य समस्याओं से प्रभावित हैं। प्रशिक्षण मुख्यत: आउट डोर में दिया जाता है। वर्तमान में विभिनन राज्यों अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 21 सी आई ए टी स्कूल स्थापित किए गए हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान के रूप में 8.97 करोड़ रूपये नियत किए गए हैं। इन सी आई ए टी स्कूलों में अब तक लगभग 20,000 पुलिस कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। **यद्यपि महिलाओं के लिए कोई पृथक/नियत बजट नहीं है, महिला पुलिस कार्मिक इन पाठ्यक्रमों में भी भाग लेती हैं।**

<u>व्यय सूचना प्रणाली :</u>

3.55 व्यय सूचना प्रणाली, महानियंत्रक लेखा के कार्यालय की वेब आधारित इ-गवर्नेंस पहल ई-लेखा के माध्यम से गृह मंत्रालय के विभागीय लेखाकरण संगठन द्वारा प्रयोग की जा रही है। निर्णय लेने के लिए कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्टों की कवरेज और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। व्यय की रिपोर्टिंग लगभग वास्तविक समय आधारित है। असम राइफल्स में, डी डी ओ से पी ए ओ तक और मंत्रालय में प्रधान लेखा कार्यालय तक सूचना के सुचारू ट्रांसमिशन के लिए व्यापक डी डी ओ सॉफ्टवेयर लगाया गया है। अशंदान करने वाले सभी व्यक्तियों को सामान्य भविष्य निधि अंशदान सूचना का एक संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में इ-समर्थ नाम से एक वेब आधारित पहल की गई है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के लेखाकरण संगठनों ने भी इ-लेखा प्रणालियों में नियमित रूप से ट्रांजेक्शन विवरण अपलोड करना शुरू कर दिया है जिससे व्यय सूचना प्रणाली का ब्यौरा पूर्ण और अद्यतन बन जाता है। इसके अतिरिक्त, योजनागत निर्मुक्तियों के प्रवाह की निगरानी संबंधी एक वेब आधारित प्रणाली भी गृह मंत्रालय में लागू की गई है जिसमें विभिन्न

योजनागत स्कीमों के अंतर्गत की गईं सभी निर्मुक्तियों पर नजर रखी जाती है। बेहतर समन्वय के लिए व्यय लेखा सॉफ्टवेयर तथा सीमा सुरक्षा बल के इंटरनेट प्रहरी के वित्त मॉड्यूल के बीच एक कड़ी भी तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस में सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए दिल्ली पुलिस में एक नया भुगतान एवं लेखा कार्यालय क्रियाशील बनाया गया है।

3.56 ई-लेखा की कवरेज का विधानमंडल रहित चार संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इन संगठनों के लिए गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन द्वारा काम्पैक्ट और ई-लेखा के बारे में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनका सुगम एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

3.57 भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान गृह मंत्रालय के 34 एवं लेखा कार्यालयों में लाभार्थियों के खातों में सीधे ही इलैक्ट्रानिक रूप से भुगतानों की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान गृह मंत्रालय के शेष भुगतान एवं लेखा कार्यालय ई-पेमेंट प्लेटफार्म में होंगे।

3.58 इ-लेखा और सी पी एस एम पर तैयार की गई रिपोर्टों का उपयोग बजट के बेहतर प्रतिपादन, निष्पादन और रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए किया जाता है।

3.59 ये रिपोर्टें आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की भी सहायता करती हैं जिसे विभिन्न आश्वासन और परामर्शी कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकियाओं पर नजर रखने तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालयों के विभिन्न प्रभागों और क्षेत्र कार्यालयों (फील्ड फॉर्मेशन्स) द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक आंतरिक लेखा परीक्षा समिति, जिसमें मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मुख्य लेखा नियंत्रक शामिल हैं, कार्य कर रही है।

*****

अध्याय-4

पिछले निष्पादन की समीक्षा

I. सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना तथा सड़कों का निर्माण

4.1 घुसपैठ, विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं के सुभेद्य भागों पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी करने तथा सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रभावी सीमा प्रबंधन के संबंध में प्रमुख पहलें

बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना तथा सीमावर्ती सड़कें

बाड़ लगाना और सड़कें (चरण-। और चरण-।।)

4.2 सीमापार से अवैध आप्रवासन और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर दो चरणों में बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना का पहला चरण 1986-2000 की अवधि के दौरान चलाया गया था और यह पूरा हो चुका है। चरण-।। के कार्य 2000 में शुरू हुए थे।

4.3 सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा किए जाने को वरियता और अधिक ध्यान दिया है। बाड़ और सड़कों के निर्माण की स्थिति निम्नानुसार है:

<u>बाड़ लगाना</u>

(लंबाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण- II	
	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया
पश्चिम बंगाल	507.00	507.00	964.00	724.30
असम	152.31	149.29	76.72	73.38
मेघालय	198.06	198.06	264.17	129.07
त्रिपुरा	-	-	848.00	760.22
मिजोरम	-	-	349.33	220.79
कुल	**857.37**	**854.35**	**2,502.22**	**1,907.76**

<u>सीमावर्ती सड़कें</u>

(**लंबाई कि.मी. में**)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण- II	
	स्वीकृत	पूरा किया	स्वीकृत	पूरा किया
पश्चिम बंगाल	1,770.00	1,616.57	0.00	0.00
असम	186.33	176.50	102.42	80.50
मेघालय	211.29	211.29	320.00	147.54
त्रिपुरा	545.37	480.51	637.00	482.76
मिजोरम	153.40	153.06	481.30	231.10
कुल	**2,866.39**	**2,637.93**	**1,540.72**	**941.90**

4.4 चरण-II के कार्य वर्ष 2000 में शुरू हुए थे और इन्हें मार्च 2012 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। तथापि, विभिन्न समस्याओं (जैसे भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक विरोध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर बाड़ लगाए जाने, सांविधिक अनापत्तियां, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय मुद्दे आदि) के कारण कार्य पूरा नहीं हो

सका। तदनुसार इन कार्यों को पूरा करने की अवधि में दो और वर्ष का विस्तार दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल नोट लाया जा रहा है।

<u>बाड़ लगाना – चरण-।।। परियोजना (चरण-। के अंतर्गत निर्मित बाड़ को बदला जाना)</u>

4.5 चरण-। के दौरान लगाई गई बाड़ प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण खराब हो गई हैं और उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने 861 कि.मी. लंबी चरण-। की बाड़ बदले जाने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य मुकदमेबाजी, 150 गज के मुद्दे और अव्यवहार्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को मार्च 2012 के बाद चरण-।। परियोजना में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

(i) **<u>तेज रोशनी करने से संबंधित परियोजना</u>** :

4.6 भारत सरकार ने गहन चौकसी, विशेष रूप से रात्रि में भारत-बांगलादेश सीमा पर तेज रोशनी से संबंधित कार्य शुरू किए हैं। पश्चिम बंगाल में 277 कि.मी. के क्षेत्र में तेज रोशनी करने से संबंधित एक पायलट परियोजना पूरी कर ली गई है। सरकार ने 1327 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत-बंगलादेश सीमा पर लगभग 2840 कि.मी. में तेज रोशनी करने से संबंधित एक परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (आई) लिमिटेड को सौंपा गया है।

4.7 1054 कि.मी. की लम्बाई में नये सीमावर्ती क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल – 435.50 कि.मी., मेघालय – 17.50 कि.मी. और त्रिपुरा – 601.00 कि.मी.) में तेज रोशनी करने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है और 588.20 कि.मी. में कार्य चल रहा है।

4.8 इन कार्यों को मार्च 2012 तक पूरा कर लिया जाना था। तथापि कार्य पूरा नहीं हो सका है। तदनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए और दो वर्षों का समय विस्तार मांगे जाने से संबंधित एक सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल नोट पर कार्रवाई की जा रही है।

(ii) <u>भारत-पाकिस्तान सीमा</u>:

4.9 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 कि.मी. (जम्मू और कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) सहित) की भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा में विविध भू-भाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारूद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और जीवंत हिस्सा है।

4.10 नदीय क्षेत्रों में कुछेक अंतरालों को छोड़कर संपूर्ण पंजाब सेक्टर में 462.45 कि.मी. और 460.72 कि.मी. के कुल क्षेत्र में क्रमश: बाड़ लगाई गई है तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। राजस्थान क्षेत्र में भी, कतिपय परिवर्तनशील बालू के टीलों को छोड़कर 1,048.27 कि. मी. और 1,022.80 कि.मी. के क्षेत्र में क्रमश: बाड़ निर्माण का कार्य तथा तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। जम्मू सेक्टर में 186 कि.मी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 176.40 कि.मी. में तेज रोशनी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है और बाड़ का कार्य पुन: व्यवस्थित करने के बाद 9.60 कि.मी. में यह कार्य शुरू किया जाएगा।

4.11 सरकार ने भारत-पाक सीमा से लगे गुजरात क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के लिए बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने और सीमावर्ती/सम्पर्क सड़कों और सीमा चौकियों का निर्माण करने के लिए व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस क्षेत्र में स्वीकृत 340 कि.मी. में से 256.78 कि.मी. में बाड़ लगाने, 244 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने और 261.28 कि.मी. में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने का कार्य पूरा हो चुका है। 70 स्वीकृत सीमा चौकियों में से 41 सीमा चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

4.12 अनापेक्षित परिस्थितियों और 2001 के विनाशकारी भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं, 2003 एवं 2006 में अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लगा। मूल्य वृद्धि, कार्य में वृद्धि, सड़कों और बिजली के कार्यों इत्यादि के लिए विनिर्देशन के उन्नयन के कारण परियोजना की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 की बाढ़ के उपरांत केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई)

की सिफारिशों के अनुसार उन्नयन कार्यों के लिए 224.00 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

4.13 सरकार ने बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-विस्तार तथा 380.00 करोड़ रु. की मूल स्वीकृति की तुलना में 1,201.00 करोड़ रु. की राशि की बढ़ी लागत को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को मार्च, 2012 तक अथवा कार्य शुरू होने के बाद तीन कार्य सत्रों तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य था । तथापि, कार्य पूरे नहीं हो सकें हैं।

4.14 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की प्रगति की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

<u>बाड़ लगाना</u>

(लम्बाई कि. मी. में)

राज्य का नाम	**सीमा की कुल लंबाई**	**उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर बाड़ लगाई जानी है**	**सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है**	**बाड़ लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई**
पंजाब	553.00	461.00	462.45*	---
राजस्थान	1,037.00	1,056.63	1048.27*	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	186.00	---
गुजरात	508.00	340.00	256.78	83.22
कुल	**2,308.00**	**2,043.63**	**1,953.50**	**83.22**

* **लम्बाई में भिन्नता स्थलाकृति कारणों/बाड़ के संरेखण के कारण है।**

तेज रोशनी की व्यवस्था:

(लंबाई कि.मी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लंबाई	उस सीमा की कुल लंबाई जिस पर तेज रोशनी करनी है	सीमा की कुल लंबाई जिस पर अब तक तेज रोशनी की जा चुकी है,	तेज रोशनी किए जाने के लिए प्रस्तावित सीमा की शेष लंबाई
पंजाब	553.00	460.72	460.72	---
राजस्थान	1,037.00	1,022.80	1,022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210.00	186.00	176.40	9.60
गुजरात	508.00	340.00	241*.00	99.00
कुल	**2,308.00**	**2,009.52**	**1,900.92**	**108.60**

*इसमें 80.07 कि.मी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करना शामिल है जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ओ एच लाइनों/केबलों के साथ पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता है।

() भारत-म्यांमार सीमा :

4.15 भारत-म्यांमार सीमा पर 10 कि.मी. (सीमा चौकी सं. 79 से सीमा चौकी सं. 81 तक) क्षेत्र में बाड़ लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है, जिसके लिए बजट अनुमान 2011-12 में 4.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। इस भाग में बाड़ लगाने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किया गया है तथा यह प्रगति पर है।

(iv) भारत-नेपाल, भारत-भूटान तथा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर प्रचालनात्मक एवं सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण

4.16 भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाएं राष्ट्र विरोधी, विद्रोही एवं असामाजिक तत्वों के प्रति सुभेद्य हैं। अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के कारण इन सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सड़क बल (बी जी एफ) इन सीमाओं पर सीमित रूप में गतिशील होते हैं और इन सीमा चौकियों तक उनका सम्पर्क भी सीमित होता है। अतः इन सीमाओं पर सड़क अवसंरचना के

निर्माण की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार, सशस्त्र सीमा बल तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम सरकारों के मध्य गहन विचार विमर्श के उपरान्त इन दो सीमाओं पर सड़क निर्माण के लिए इन सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

4.17 सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखंड (173 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (640 कि.मी.) तथा बिहार (564 कि.मी.) में कुल 1377 कि.मी में और असम राज्य में भारत-भूटान सीमा पर 313 कि.मी. में सामरिक महत्व की सीमा सड़कों के निर्माण/स्तरोन्नयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

4.18 संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा पर कच्छ के रेगिस्तान में स्थित बहुत सी सीमा चौकियां एकांत, अगम्य एवं ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो अन्य स्थानों से जुड़े हुए नहीं हैं। अत:, गढ़ौली से संतालपुर तक कच्छ एवं पाटन जिलों को जोड़ने वाले एक मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए गुजरात राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल से परामर्श करके इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया है। तत्पश्चात गुजरात राज्य में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सामरिक महत्व की 255 कि.मी. सड़कों का अनुमोदन कर दिया है।

4.19 सरकार द्वारा नवम्बर, 2010 में योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। योजना को वर्ष 2011-12 से आगे पाँच वर्ष की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जाना निर्धारित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ सड़क-वार विस्तृत क्रियाविधियां तैयार की जा रही हैं।

II. <u>भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियों (बी ओ पी) का निर्माण:</u>

4.20 भारत-बंगलादेश सीमा पर पहले ही 802 बी ओ पी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 609 बी ओ पी पहले ही मौजूद हैं ताकि इन सीमाओं का प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अंतर-बी ओ पी के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16 फरवरी, 2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत-बंगलादेश सीमा के साथ 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए

जाने से भारत-बंगलादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत अवसंरचनाएं मिलेंगी। इस परियोजना को वर्ष 2013-14 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य बनाया गया है।

4.21 के लो नि वि, एन पी सी सी तथा ई पी आई एल को कार्य सौंपा गया है। 61 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 114 अन्य सीमा चौकियों में यह प्रगति पर है। 223 सीमा चौकियों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद कार्य शुरू हो जाएगा।

4.22 इसके अतिरिक्त, भारत-पाक सीमा के गुजरात सैक्टर के लिए संयुक्त योजना (कम्पोजिट स्कीम) के अंतर्गत 70 और सीमा चौकियां स्वीकृत की गईं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा एन बी सी सी को क्रमश: 46 और 24 सीमा चौकियों का निर्माण कार्य सौंपा गया है। 51 सीमा चौकियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। 6 अन्य सीमा चौकियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है, 13 स्थल जल-प्लावित हैं।

III. तटीय सुरक्षा का सुदृढीकरण:

भारत की तटरेखा:

4.23 मुख्य भूमि और द्वीपों से लगी भारत की तट रेखा 7444.90 कि.मी. लंबी है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। तट पर नौ राज्य अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबाई (कि.मी. में)
1.	गुजरात	1214.70
2.	महाराष्ट्र	652.60
3.	गोवा	101.00

4.	कर्नाटक	208.00
5.	केरल	569.70
6.	तमिलनाडु	906.90
7.	आंध्र प्रदेश	973.70
8.	ओडिशा	476.70
9.	पश्चिम बंगाल	157.50
10.	दमण एवं दीव	42.50
11.	लक्षद्वीप	132.00
12.	पुडुचेरी	47.60
13.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	**7444.90**

<u>तट की सुरक्षा संबंधी चिंताएं:</u>

4.24 भारत की लंबी तट रेखा को सुरक्षा संबंधी अनेक चिंताएं है जिनमें तट पर स्थित एकान्त स्थानों पर शस्त्र एवं विस्फोटकों का उतारा जाना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ/सीमा से बाहर जाना, आपराधिक गतिविधियों के लिए समुद्र तथा अप तटीय द्वीप समूहों का प्रयोग, समुद्री मार्गों से उपभोक्ता तथा माध्यम सामानों की तस्करी आदि शामिल है। तट पर भौतिक अवरोधकों के न होने तथा तट के निकट महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा प्रतिष्ठानों की मौजूदगी से भी तट पर सीमा पार से अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है।

<u>वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली:</u>

4.25 देश की समुद्री सुरक्षा के लिए बहु-स्तरीय व्यवस्था है जिसमें भारतीय नौ-सेना, तट रक्षक तथा तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस शामिल है। गहरे समुद्र में चौकसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) की सीमाओं पर नौसेना और तट रक्षक द्वारा की जाती है। प्रादेशिक समुद्र में तट रक्षक द्वारा भारतीय हितों की सुरक्षा तट रक्षक जलयानों से तथा हवाई चौकसी तट रक्षक हवाई जहाजों द्वारा की जाती है। राज्य समुद्री पुलिस द्वारा गहन तटीय गश्त की जाती है। राज्य का अधिकार क्षेत्र उथले प्रादेशिक समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है।

<u>तटीय सुरक्षा योजना का चरण-।</u>

4.26 अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों से तटों को होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा योजना का चरण-। तैयार किया गया था। यह योजना वर्ष 2005-06 से 5 वर्षों में कार्यान्वयन के लिए जनवरी, 2005 में अनुमोदित की गई थी। इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 31 मार्च, 2011 को तटीय सुरक्षा योजना का चरण-। पूरा हो गया था।

<u>योजना के उद्देश्य:</u>

4.27 तटीय सुरक्षा योजना के चरण-। का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के निकट उथले क्षेत्रों की गश्त और चौकसी के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना था ताकि तट अथवा समुद्र का प्रयोग करके सीमा पार से चलाई जाने वाली किन्हीं अवैध सीमापारीय गतिविधियों तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके तथा उनका मुकाबला किया जा सके।

<u>योजना की मुख्य विशेषताएं:</u>

4.28 इस योजना में सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान के रूप में सहायता का प्रावधान किया गया था:-

- तटीय पुलिस थानों, जांच चौकियों, आउट पोस्टों की स्थापना;
- तटीय पुलिस थानों को समुद्री गतिविधियों में प्रशिक्षित मानवशक्ति से सुसज्जित करना;
- तटों पर तथा तट के समीप समुद्र में आवागमन के लिए वाहनों और नौकाओं की व्यवस्था करना;
- उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणाली, फर्नीचर आदि के लिए 10.00 लाख रु. प्रति तटीय पुलिस थाने की दर से एकमुश्त सहायता प्रदान करना;
- गश्त नौकाओं के लिए ईंधन, मरम्मत और अनुरक्षण हेतु 6 वर्ष की अवधि तक आवर्ती व्यय को वहन करने की व्यवस्था करना;

- समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करना;
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जनशक्ति की व्यवस्था किया जाना;
- तट रक्षक और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान के लिए राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत प्रबंध करना।

<u>वित्तीय परिव्यय:</u>

4.29 इस योजना का परिव्यय 646.00 करोड़ रु. था जिसमें से 495.00 करोड़ रु. अनावर्ती व्यय को वहन करने के लिए तथा 151.00 करोड़ रु. की राशि नौकाओं के ईंधन, मरम्मत तथा अनुरक्षण और समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पर 6 वर्ष तक आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए थी।

<u>तटीय सुरक्षा योजना के चरण । के अंतर्गत उपबंधित घटक:</u>

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस थाने	जलयान	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	आउट पोस्ट	बैरक	रबड़ इनफ्लेटेड नौकाएं
1	गुजरात	10	30	20	101	25	46	-	-
2	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	-	24	-
3	गोवा	3	9	6	9	-	-	-	10
4	कर्नाटक	5	15	9	4	-	-	-	-
5	केरल	8	24	16	24	-	-	-	-
6	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	-	-
7	आन्ध्र प्रदेश	6	18	12	18	-	-	-	-
8	ओडिशा	5	15	10	15	-	-	-	-
9	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	-	-	6	-

10	पुडुचेरी	1	3	2	3	-	-	-	-
11	लक्षद्वीप	4	6	8	8	-	-	-	-
12	दमण एवं दीव	1	4	3	5	-	-	-	-
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	10	18	20	-	-	-	-
	कुल	**73**	**204**	**153**	**312**	**97**	**58**	**30**	**10**

4.30 कम्प्यूटर तथा उपकरण आदि के लिए प्रति पुलिस थाने के हिसाब से 10.00 लाख रु. की एकमुश्त सहायता भी अनुमोदित की गई है।

4.31 नौकाओं/जलयानों का प्रापण केन्द्रीय तौर पर रक्षा मंत्रालय, पी एस ओ के उपक्रमों अर्थात् गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल), गोवा और मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जी आर एस ई) लिमिटेड, कोलकाता से नामांकन आधार पर किया गया है। इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 12 टन वाली 110 नौकाओं तथा 5 टन वाली 84 नौकाओं की आपूर्ति के लिए सरकार के साथ मार्च, 2008 में एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

4.32 तटीय सुरक्षा योजना की नौकाओं की ईंधन की खपत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईंधन की प्रतिपूर्ति 12 टन की नौकाओं को अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति माह तथा 5 टन की नौकाओं को 4.00 लाख रुपये प्रति माह की दर से की जाती है।

4.33 योजना के अंतर्गत, नौकाओं के लिए तकनीकी कार्मिकों सहित समुद्री पुलिस कार्मिकों की जनशक्ति राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुहैया कराई जाती है। पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। तट रक्षक जिला मुख्यालायों में समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तट रक्षक द्वारा की जा रही है। अब तक, तट रक्षक द्वारा 2,346 से भी अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

4.34 तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के अंतर्गत आपूर्ति की गई नौकाओं के रख-रखाव के लिए, भारत सरकार के उपक्रम शिपबिल्डर्स, जी एस एल तथा जी आर एस ई के साथ, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से, गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ में चार वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (ए एम सी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नौकाओं के रख-रखाव के लिए स्थानीय कार्मिकों की तैनाती करके जी एस एल तथा जी आर एस ई द्वारा क्षेत्रीय रख-रखाव यूनिटों की स्थापना की गई है।

4.35 धानु, मुरूद जंजीरा एवं वेरावल में तटरक्षक स्टेशनों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है मुरूद जंजीरा स्टेशन के लिए अपेक्षित भूमि के कुछ हिस्से को छोड़कर वेरावल तथा मुरूद जंजीरा स्टेशनों में किराए के भवनों से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

4.36 रक्षा मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत इंटरसेप्टर नौकाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में कार्रवाई कर रहा है। रक्षा अधिप्रापण प्रक्रियाओं के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने मै. भारती शिपयार्ड लिमिटेड से <u>15 इंटरसेप्टर नौकाओं</u> के अधिप्रापण के लिए कुल 28,123.20 लाख रुपये व्यय करने हेतु सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 15 इंटरसेप्टर नौकाओं की सप्लाई मार्च, 2014 में पूरी हो जाएगी।

4.37 सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है। आगे कार्यान्वयन हेतु इस योजना को मार्च, 2011 में पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

<u>26/11 को मुम्बई की घटनाओं के बाद की गई पहलें:</u>

4.38 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश के समस्त तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की गई है। देश के तटीय सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने तथा इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए मंत्रिमंण्डल सचिवालय, गृह, रक्षा, नौवहन तथा मत्स्यपालन आदि मंत्रालयों में अनेक उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो नीचे दिए गए हैं:-

<u>तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) का प्रतिपादन:</u>

4.39 तटीय सुरक्षा संबंधी चरण-।। की योजना के प्रतिपादन के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु तट रक्षक के परामर्श से सुभेद्यता/अंतर विश्लेषण करने को कहा गया। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तटीय सुरक्षा योजना (चरण ।।) को अनुमोदित कर दिया गया है।

4.40 यह योजना 9 तटीय राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कुल 1,579.91 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय (अनावर्ती व्यय के लिए 1,154.91 करोड़ रुपये तथा आवर्ती व्यय के लिए 425.00 करोड़ रुपये) के साथ 1 अप्रैल, 2011 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**तटीय पुलिस थाने**	**नौकाएं/जलयान**		**घाटों की संख्या**	**चार पहियों वाले वाहन**	**मोटर साइकिलें**
			12 टन	**अन्य**			
1	गुजरात	12	21	-	5	12	24
2	महाराष्ट्र	7	14	-	3	7	14
3	गोवा	4	4	-	2	4	8
4	कर्नाटक	4	12	-	2	4	8
5	केरल	10	20	-	4	10	20
6	तमिलनाडु	30	0	20(19एम टी)	12	30	60
7	आन्ध्र प्रदेश	15	30	-	7	15	30
8	ओडिशा	13	26	-	5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7	-	4	8	16
10	दमण एवं दीव	2	4	-	2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12 **	2	3	6
12	पुड्डुचेरी	3	6	-	2	3	6
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20# ***10 एम ओ सी	-	10* 23**	10	20	20
	कुल	**131**	**150**	**75**	**60**	**131**	**242**

* एलवी-बड़े जलयान ** आर आई बी-रिजिड इन्फ्लेटेबल नौकाएं *** समुद्री परिचालनात्मक केन्द्र मौजूदा 20 तटीय थानों को उन्नत किया जाएगा।

4.41 निगरानी उपकरण, कम्प्यूटर प्रणालियों तथा फर्नीचर के लिए प्रत्येक तटीय पुलिस थाने को 15.00 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता भी दी गई है।

तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के कार्यान्वयन की स्थिति:

4.42 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय पुलिस थानों तथा घाटों को परिचालनात्मक बनाने और इनके निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने तथा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तटीय पुलिस थाने

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तटीय पुलिस थानों की स्वीकृत संख्या	वर्तमान वर्ष 2011-12 में परिचालनात्मक बनाए गए तटीय पुलिस थानों की संख्या	भूमि/स्थल की पहचान	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई	क्या भूमि अधिग्रहीत कर ली गई
गुजरात	12	12	11	3	8
महाराष्ट्र	7	-	5	1	4
गोवा	4	-	4	-	1
कर्नाटक	4	4	4	1	3
केरल	10	-	10	9	-
तमिलनाडु	30	-	30	9	21
आन्ध्र प्रदेश	15	15	15	5	10
ओडिशा	13	-	4	2	2
पश्चिम बंगाल	8	-	8	7	1
दमण एवं दीव	2	-	2	-	-
पुड्डुचेरी	3	3	3	-	3
लक्षद्वीप	3	-	-	-	-
अंडमान एवं	20*	20	20	-	20

निकोबार द्वीप समूह					
कुल	**131**	**54**	**116**	**37**	**73**

***मौजूदा पुलिस थाने जिन्हें तटीय पुलिस थानों में अपग्रेड किया जाएगा। .**

घाट (जेट्टीज):

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घाटों की स्वीकृत संख्या	भूमि/स्थल की पहचान	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई	क्या भूमि अधिग्रहीत कर ली गई
गुजरात	5	5	-	-
महाराष्ट्र	3	-	-	-
गोवा	2	2	-	-
कर्नाटक	2	2	1	1
केरल	4	4	4	-
तमिलनाडु	12	10	-	-
आन्ध्र प्रदेश	7	7	-	-
ओडिसा	5	-	-	-
पश्चिम बंगाल	4	2	2	-
दमण एवं दीव	2	2	-	-
पुड्डुचेरी	2	2	2	-
लक्षद्वीप	2	-	-	-
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	-	-	-
कुल	**60**	**36**	**9**	1

4.43 निर्माण कार्य शुरू करने, वाहनों की खरीद आदि के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 94.97 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए व्यापक सुरक्षा योजना

4.44 अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन ने तट रक्षक, नेवी तथा अन्य पणधारियों से परामर्श करके, 8 वर्ष की अवधि के लिए, 2012-2015, 2015-2017 तथा 2017 2020 तीन चरणों में कार्यान्वयन हेतु अण्डमान ओर निकोबार द्वीपसमूह की व्यापक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की है। अण्डमान और निकोबार ने इस व्यापक सुरक्षा योजना को दो हिस्सों में विभाजित किया है। भाग क में उन्होंने उन मदों को रखा है जो तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के अंतर्गत पहले ही अनुमोदित हैं। भाग ख में उन्होंने उन मदों को शामिल किया है जिन्हें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की राज्य योजना में अन्य संबंधित मंत्रालयों अथवा गृह मंत्रालय के यू टी प्रभाग के साथ अलग से उठाया जाएगा। अंडमान और निकोबार के लिए व्यापक सुरक्षा योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय:

4.45 जहां तक समुद्री सुरक्षा में समन्वित दृष्टिकोण का संबंध है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने, 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में, देश की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया, जिसे गृह मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श करने के बाद प्रतिपादित किया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नौसेना को समग्र समुद्री सुरक्षा, जिसमें तटीय सुरक्षा तथा तट से दूर सुरक्षा शामिल है, के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। राष्ट्र की तटीय रक्षा के लिए तट रक्षक, राज्य समुद्री पुलिस तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियां नौसेना की सहायता करती हैं। भारतीय तट रक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी के रूप में अतिरिक्त रूप से नामित किया गया है। महानिदेशक, तट रक्षक को तटीय कमान के कमांडर के रूप में नामित किया गया है तथा तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन निर्णयों का कार्यान्वयन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

IV. भारत-चीन सीमा पर परिचालनात्मक महत्व की संपर्क सड़कों का निर्माण :

4.46 खराब सड़क संपर्क के कारण पैदा हुई स्थिति को सुधारने के लिए, जिसके कारण भारत-चीन सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बलों की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, सरकार ने 1,937.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा के साथ के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 804 कि.मी. के 27 सड़क संपर्कों का चरण-वार निर्माण करने का निर्णय लिया है।

<u>विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना</u> :

4.47 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की 27 सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एच पी पी डब्ल्यू डी) (2 सड़कें) को सौंपा गया है।

<u>आई टी बी पी सड़कों के निर्माण की स्थिति</u>

निर्माण कार्य चल रहा है	24
निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ	2
सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है	1

. **<u>एकीकृत जांच चौकियों का विकास:</u>**

4.48 स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों पर सीमा शुल्क आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास उपलब्ध मौजूदा संरचना सामान्य रूप से अपर्याप्त है। सहायक सुविधाएं जैसे, वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक होटल, ईंधन विक्रेता केन्द्र अपर्याप्त हैं। विनियामक और सहायक कार्य समग्र रूप से एक ही परिसर में उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/सेवा प्रदाताओं के कार्यकरण को समन्वित करने के लिए कोई भी एक एजेंसी उत्तरदायी नहीं है।

4.49 इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 635.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 11 वीं योजना में एक योजनागत स्कीम के माध्यम से देश की अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमाओं पर ज्ञात प्रवेश बिन्दुओं पर 13 एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। एकीकृत जांच चौकियां प्रतिबंधित क्षेत्र में होंगी जिसमें केवल यात्री एवं कारगो टर्मिनल होगा

जिसमें पर्याप्त सीमा शुल्क और आप्रवासन कांउटर, एक्स-रे-स्कैनर, यात्री सुविधाएं और अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे सर्विस स्टेशन, ईंधन स्टेशन इत्यादि के लिए उत्कृष्ट सुविधाओं वाला एकल आधुनिक परिसर होगा। एक संस्थागत ढांचे अर्थात् भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की स्थापना की जा रही है जो आई सी पी के निर्माण, प्रबंधन और रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। स्थापित की जाने वाली 13 प्रस्तावित आई सी पी की सूची नीचे दी गई है:

<u>चरण-I</u>

(करोड़ रु. में)

क्रमांक	स्थान	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
1.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	172	172
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	136	-
3.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	120	120
4.	अटारी	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	150	150
5.	डावकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	50	-
6.	अखौरा	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	60	73
7.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	34	82.49

<u>चरण-II</u>

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	स्थान	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
8	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	78	-
9	चंद्रभंगा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	64	-
10	सूतारखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	16	-
11	कावरपुचिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	27	-
12	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	34	-
13	रुपैदीहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	29	-

<u>एकीकृत जांच चौकियों के विकास की प्रगति</u>

चरण-I

4.50 अटारी में एकीकृत जांच चौकी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 13 अप्रैल, 2012 से यह कार्य कर रही है।

4.51 अगरतला, जोगबनी तथा पेट्रापोल में एकीकृत जांच चौकियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार अगरतला में 45% जोगबनी में 40% तथा पेट्रापोल में 7.6% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

4.52 मोरेह में एकीकृत जांच चौकी के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। तीन तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं की निविदाओं को 13 दिसम्बर, 2012 को खोला गया। इन पर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई)

4.53 भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) को एक सांविधिक निकाय के रूप में माना गया है तथा यह सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक निकाय निगम के रूप में कार्य करेगा। एल पी ए आई, सीमा पर प्रवेश केन्द्रों/भू-पत्तनों का बेहतर प्रशासन और सशक्त प्रबंधन प्रदान करेगा और इसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जैसे निकायों के समान शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

4.54 भारतीय भू-पतन प्राधिकारण अधिनियम, 2010 को दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के तहत नियम तैयार कर लिए गए हैं तथा इन्हें भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2011 को अधिसूचित किया गया है।

4.55 भारतीय भू-पतन प्राधिकरण, अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 1 मार्च, 2012 को भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

VI. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

4.56 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, अन्तरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा

केन्द्रीय/राज्य/बी ए डी पी/स्थानीय योजनाओं की समाभिरुपता तथा भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को अधिकतम रूप से जुटाने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में, राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 360 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। आधारभूत संरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के दिशानिर्देश :

4.57 बी ए डी पी का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं, जिन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (कि.मी.); (ii) सीमावर्ती ब्लॉक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लॉक के क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुनः आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन का लगभग 15% अतिरिक्त अधिमान (वेटेज) दिया जाएगा जिनके पास पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का 90% होती है और दूसरी किस्त बाकी 10% होती है।

4.58 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इनका निष्पादन किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को बी ए डी पी के तहत लिया जा सकता है लेकिन ऐसी योजनाओं का व्यय, किसी वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ए डी पी की निधियों का उपयोग केवल पता लगाए गए सीमावर्ती ब्लॉकों की योजनाओं में ही किया जाना चाहिए।

<u>अधिकार प्राप्त समिति:</u>

4.59 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामले, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के वे क्षेत्र जिनमें योजनाओं को शुरू किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित निष्पादन की कार्यविधि सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

<u>बी ए डी पी के दिशानिर्देशों में संशोधन:</u>

4.60 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सुधार करने के लिए श्री बी.एन. युगांधर, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पूर्व में एक कार्य बल का गठन किया गया था। कार्य बल की सिफारिशों के अनुसरण में बी ए डी पी के दिशानिर्देशों में फरवरी, 2009 में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विधिवत रूप से परामर्श करने के पश्चात संशोधन किया गया था तथा राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देशों में भागीदारी योजना, केन्द्रीय आधारभूत प्रायोजित सभी योजनाओं को बी ए डी पी निधि में मिलाने, आधारभूत संरचना में चिंताजनक खाली स्थानों को भरने, आजीविका के अवसर प्रदान करने की जरूरत पर जोर दिया गया था। नए दिशानिर्देशों में कार्य के संगठित चयन, कारगर मॉनीटरिंग और कार्यक्रम की समीक्षा किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है।

4.61 बी ए डी पी का और अधिक गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और उन गांवों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, जो सीमावर्ती क्षेत्र के निकट स्थित हैं, संशोधित दिशानिर्देशों में अब सीमावर्ती क्षेत्र से ''0 से 10 कि.मी.'' के बीच पड़ने वाले गांवों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। गांवों को शून्य से 10 कि.मी. के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक गांव का गांव विकास प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। पक्की सड़क से जुड़ाव, बिजली, सुरक्षित पीने का पानी, टेलीफोन सुविधा, प्राथमिक विद्यालय का भवन, पी डी एस की दुकान और सामुदायिक केन्द्र जैसी सभी मुख्य विकासात्मक आधारभूत संरचनाओं का विकास योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। प्रत्येक गांव की गांव योजना और खंड योजना तैयार की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र से शून्य से 10

कि.मी. के बीच पड़ने वाले गांवों में पर्याप्त रुप से मूलभूत सुविधाएं जुटाने के बाद बी ए डी पी की योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए 10-15 कि.मी. और 15-20 कि.मी. के बीच पड़ने वाले गांवों के अगले समूह को लिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे तदर्थ योजनाओं को बिल्कुल भी शुरू न करें। दूरदराज के गांवों के उचित और दीर्घकालिक विकास के लिए ग्राम योजना को जिला योजना के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसलिए यह आशा की जाती है कि क्षेत्र की जरूरत के अनुसार परियोजनाओं का चयन अधिक योजनाबद्ध और जवाबदेह होगा।

4.62 12वीं योजना में केन्द्र से और अधिक संसाधनों के आबंटन और चल रही योजनाओं को समन्वय करने और निचले क्षेत्रों का विकास करने संबंधी योजना दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि संसाधनों को बढ़ाया जा सके तथा आधारभूत संरचना और सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का उन्नयन किया जा सके। बी ए डी पी की समीक्षा और मॉनीटरिंग, जिला स्तर, राज्य स्तर और गृह मंत्रालय में की जा रही है। राज्य स्तर और भारत सरकार के अधिकारी आवधिक अंतरालों पर दौरा कर रहे हैं।

<u>सिन्धु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों के पानी का इष्टतम उपयोग</u>

4.63 सिन्धु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों के जल के इष्टतम उपयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए पंजाब (03 परियोजनाएं) तथा जम्मू एवं कश्मीर (06 परियोजनाएं) राज्यों में एक विशेष पहल के रूप में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इसके लिए एक परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान 5023.50 लाख रु. [पंजाब (1994.00 लाख रु.) तथा जम्मू एवं कश्मीर (3029.50 लाख रु.)] की राशि जारी की गई है। पंजाब में दो परियोजनाओं (माधोपुर एवं हुसैनीवाला हैडवर्क) का कार्य पूरा कर लिया गया है। तीसरी परियोजना (हरिके हैडवर्क) तथा जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

<u>निधियों का प्रवाह</u> :

4.64 वर्ष 2010-11 के दौरान 691.00 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1003.22 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसे पूरा का पूरा निर्मुक्त कर दिया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान, बी ए डी पी के लिए 990.00 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का बजट आबंटन किया गया है और इसे राज्यों को जारी किया जा चुका है। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बी ए डी पी के तहत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

राज्यों का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
अरुणाचल प्रदेश	6690.50	6690.50	15433.00	15433.00	9277.00	9069.96
असम	4800.00	4800.00	1980.01	1980.01	3480.00	598.09
बिहार	3196.28	3196.28	5577.00	5577.00	6084.00	4779.42
गुजरात	2840.00	2840.00	3616.82	3616.82	4505.00	3687.57
हिमाचल प्रदेश	1280.00	1280.00	2000.00	2000.00	2100.00	2100.00
जम्मू और कश्मीर	10700.00	10700.00	12462.40	12462.40	12800.00	10744.42
मणिपुर	1843.00	1843.00	2000.00	2000.00	2200.00	1578.37
मेघालय	2202.00	2202.00	3140.00	3140.00	2100.00	2090.24
मिजोरम	2930.00	2930.00	3839.73	3839.73	4017.00	3615.30
नागालैंड	2500.00	2500.00	2015.00	2015.00	2000.00	1800.00
पंजाब	2225.00	2225.00	3292.00	3292.00	3526.00	3428.65
राजस्थान	8696.00	8696.00	11509.00	11509.00	13773.00	11043.97
सिक्किम	2000.00	2000.00	2085.00	2085.00	2000.00	1711.89
त्रिपुरा	3579.00	3579.00	9635.00	9635.00	4825.00	4662.79
उत्तर प्रदेश	3365.57	3365.57	4876.00	4876.00	4982.00	4833.40
उत्तराखंड	2461.00	2461.00	3298.00	3298.00	3565.00	3230.52
पश्चिम बंगाल	7791.65	7791.65	13563.04	13563.04	15835.00	13918.55
कुल	**69100.00**	**69100.00**	**100322.00**	**100322.00**	**97069.00**	**82893.14**
आपात आदि स्थितियों के लिए आरक्षित किया गया					**1931.00**	
कुल योग					**99000.00**	

<u>सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की योजना</u> :

<u>पूर्वोत्तर राज्य</u> :

4.65 गृह मंत्रालय, विद्रोह/उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना कार्यान्वित करता रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी विद्रोह-रोधी कार्रवाई करने तथा आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने के पात्र राज्य सरकारों की सहायता करना है। यह योजना असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मदों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं – (क) आतंकवादी हिंसा में मारे गए राज्य पुलिस बल कार्मिकों और नागरिकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को संभार तंत्र सहायता प्रदान करना, (ग) आतंकवादी संगठनों, जिनके साथ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार ने अभियानों को स्थगित करने का करार किया है, के नामित शिविरों का रख-रखाव, (घ) अनुमोदित योजना के अनुसार आतंकवादियों का आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास (ङ) विद्रोह-रोधी कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों का विशेष प्रशिक्षण, (च) इंडिया रिजर्व बटालियनों आदि का गठन। विगत वित्तीय वर्ष तथा 2012-13 (22.2.2013 तक) के दौरान इस योजना के अंतर्गत छह पूर्वोत्तर राज्यों को क्रमश: 350.00 करोड़ रु. एवं 228.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम :</u>

4.66 पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का मुकाबला करने हेतु स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और आम जनता के अभिरक्षक के रूप में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल सिविल एक्शन कार्यक्रम चलाते रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न कल्याण/विकास संबंधी गतिविधियां जैसे चिकित्सा शिविर, सफाई अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण, स्कूली इमारतों, सड़कों, पुलों आदि की छुटपुट मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि चलाई जाती हैं। सिविक एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बलों द्वारा की गईं अन्य पहलों में चिकित्सा शिविर चलाना, औषधियों, चिकित्सीय उपकरणों, अस्पतालों में साफ-सफाई का प्रावधान करना, कलपुर्जों सहित कम्प्यूटर का प्रावधान करना, खेलकूद का सामान, सिलाई मशीन, सीटीवी, डीवीडी तथा गांवों में जैनरेटर सैटों का वितरण शामिल है। इस कार्यक्रम को अब युवा-अभिमुखी बना दिया गया है। चालू वित्त

वर्ष 2012-13 के दौरान (22.2.2013 तक) 7.00 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से 9.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>असम में विदेशियों विषयक अधिकरणों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति</u>

4.67 विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबंधों के अंतर्गत असम राज्य में छत्तीस विदेशी अधिकरण (एफटी) संस्थापित किए गए हैं जो उन मामलों पर निर्णय देते हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह राय लेने के लिए अधिकरण को भेजे जाते हैं कि अमुक व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं। असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008, 2009 तथा 2010, 2011 में क्रमश: 6883,9825 तथा 8331, 10989 मामले विदेशी अधिकरणों द्वारा निपटाए गए। चालू वर्ष में (सितम्बर, 2012 तक) अधिकरण ने 8595 मामले निपटाए। वर्ष 2007-08 और 2008-09 एवं 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान विदेशियों विषयक अधिकरणों पर हुए व्यय को वहन करने के लिए असम सरकार को क्रमश: 6.13 करोड़ रु. और 4.00 करोड़ रु. 4.00 करोड़ रु. 3.41 करोड़ रु. 5.50 करोड़ रु. तथा 5.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

<u>त्रिपुरा-प्रवासियों को राहत</u> :
<u>एन एल एफ टी के साथ समझौता-ज्ञापन</u>

4.68 नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ दिनांक 17.12.2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में त्रिपुरा में क्षमता निर्माण तथा जनजातीय विकास के लिए 55.00 करोड़ रु. के एक विशेष पैकेज की व्यवस्था है। कम्पोजिट मार्केट स्टॉल के निर्माण, क्षमता निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, पशुपालन, रबड़ बागान तथा बागवानी क्षेत्रों में परिवार उन्मुखी कार्यक्रमों शिक्षा के संवर्धन, जनजातीय भाषा संवर्धन तथा जनजातीय क्षेत्रों में खेलों के संवर्धन के लिए सहायता अनुदान शामिल है। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में विशेष पैकेज के कार्यान्वयन के लिए त्रिपुरा सरकार को 2006-07 से 2011-12 के बीच 55.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। उपर्युक्त पैकेज में 5.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत (प्रत्येक 2.5 करोड़ रु.) से दो आई टी आई का निर्माण किया जाना शामिल है। लागत में वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार ने पैकेज में शामिल इन दो आई टी आई सहित अन्य परियोजना घटकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगी की थी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पैकेज की राशि को

बढ़ाकर 64.63 करोड़ रु. कर दिया गया तथा इसमें से 63.37 करोड़ रु. की राशि (वर्ष 2012-13 के दौरान 8.37 करोड़ रु) जारी की जा चुकी है।

<u>ब्रू-प्रवासियों का त्रिपुरा से मिजोरम के लिए प्रत्यावर्तन की स्थिति संबंधी नोट</u>

4.69 मिजो ग्रामीणों द्वारा अल्पसंख्यक रेयांग जनजाति के लोगों पर किए गए हमले के कारण अक्तूबर 1997 में अनेक ब्रू (रेयांग) परिवार पश्चिमी मिजोरम से पूर्वोत्तर त्रिपुरा चले गए। त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थित छः राहत शिविरों में आश्रय प्राप्त ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 (5000 परिवार) है।

4.70 ब्रू लोगों के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय मिजोरम सरकार को तथा विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे ब्रू लोगों के रखरखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है। ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 9.96 करोड़ रु. तथा 7.86 करोड़ रु. का सहायता अनुदान जारी किया गया था। इसके अलावा, त्रिपुरा के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे ब्रू लोगों के रखरखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 29.35 करोड़ रु. तथा 6 करोड़ रु. (22 फरवरी 2013 की स्थिति के अनुसार) का सहायता अनुदान जारी किया गया।

4.71 गृह मंत्रालय द्वारा मिजोरम एवं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर की गई नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप ब्रू (रेयांग) शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नवम्बर, 2010 में प्रारम्भ हुई तथा यह प्रक्रिया मई/जून, 2011 (तीन बैचों में) तक चली। परिणामस्वरूप जून, 2011 की स्थिति के अनुसार तब से लगभग 800 परिवार (400 सदस्य) मिजोरम प्रत्यावर्तित हो चुके हैं। यह नवम्बर, 2009 में हुई हिंसा की ताजा घटनाओ के कारण मिजोरम तथा त्रिपुरा से विस्थापित लगभग 459 ब्रू परिवारों के अतिरिक्त है। इसके पश्चात् प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन मिजो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध की वजह से रूक गई जो त्रिपुरा में रह रहे मिजोरम के कुछ ब्रू लोगों द्वारा उत्तरी त्रिपुरा की साखान पहाड़ी (जहां वे मूल रूप से रह रहे थे) से विस्थापित 83 मिजो परिवारों के पुनर्वास की मांग कर रहे थे। उत्तरी त्रिपुरा की साखान पहाड़ियों से विस्थापित मिजो लोग वैसे ही पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे थे जैसे की मिजोरम से विस्थापित ब्रू लोगों को प्रदान किया गया है।

4.72 उत्तरी त्रिपुरा की साखान पहाड़ियों से विस्थापित सभी 83 मिजो परिवारों में से प्रत्येक को जुलाई, 2012 में 1.50 लाख रु. का पुनर्वास पैकेज वितरित करके साखान मिज़ो लोगों के मामले को सौहार्द पूर्ण ढंग से निपटा दिया है।

4.73 मिजोरम राज्य सरकार ने अप्रैल, मई 2012 में चौथे बैच में 669 ब्रू (रेयांग) परिवारों के प्रत्यावर्तन के लिए एक रवानगी योजना तैयार की। ब्रू लोगों के प्रत्यावर्तन के चौथे चरण को शुरू करने के लिए जून, 2012 को 7.87 करोड़ रु. की राशि अग्रिम के रूप में जारी की गई थी। किंतु कुछ ब्रू नेताओं द्वारा किए गए विरोध तथा दुष्प्रचार अभियान के कारण प्रत्यावर्तन यथा परिकल्पित ढंग से नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप, केवल 7 ब्रू परिवारों को ही मिजोरम प्रत्यावर्तित किया गया।

4.74 प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एम समय सीमा निर्धारित करने हेतु, दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को संयुक्त सचिव (पूर्वोतर) की अध्यक्षता में, नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई जिसमें मिजोरम/त्रिपुरा राज्य सरकारें शामिल थी।

<u>**पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा:**</u>

4.75 दूरस्थ क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के साथ-साथ शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से छूट सहित योजनेतर स्कीम के तहत छः राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मिजोरम में हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया जा रहा है। यह आर्थिक सहायता यात्रियों से की गई वसूली को घटाकर प्रचालन लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है। उस आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हेलीकाप्टर के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

4.76 सक्षम प्राधिकारी ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पांच राज्यों में हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है:

राज्य सरकारों द्वारा वेट-लीज पर हेलीकाप्टर	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डाफिन दो-इंजन	480

अरूणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई-172	960
	द्वितीय एम आई-172	1200
	बेल-412 दो-इंजन	1300
सिक्किम	बेल-406 एकल इंजन/दो-इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन-दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो-इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960 घंटे

4.77 आर्थिक सहायता (सब्सिडी) को सीमित करने के उद्देश्य से ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में हैलीकॉप्टर सेवा प्रचालन के लिए वार्षिक उड़ान घंटों की सीमा तय कर दी गई है। तथापि, राज्य सरकारों को उड़ान घंटों की सीमा से अधिक हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता को घटाने के उपरांत हैलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की शेष लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है।

4.78 उपर्युक्त हैलीकॉप्टर सेवाओं के अलावा गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए गुवाहाटी में स्थित दो ईंजन वाले हैलीकॉप्टर का प्रचालन करता है। इस सेवा की लागत गृह मंत्रालय वहन करता है।

<u>नक्सल प्रबंधन:</u>

<u>वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू.ई.):</u>

4.79 इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति मुहैया कराई जाती हैं – (i) मारे गए आम नागरिकों और सुरक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह अदायगी (ii) नक्सल रोधी अभियानों के लिए तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए परिवहन, संचार एवं अन्य संभार तंत्र संबंधी सहायता, (iii) नक्सल-रोधी अभियानों के लिए गोला-बारूद, (iv) राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण, (v)

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, (vi) ग्राम रक्षा समितियों/नागरिक सुरक्षा समितियों द्वारा की जाने वाली सुरक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाएं, (vii) विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को मानदेय, (viii) आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास, (ix) पुलिस कार्मिकों के लिए बीमा प्रीमियम, (x) आपात स्थितियों में हथियारों/वाहनों और संचार उपकरणों को आवश्यकता के आधार पर किराए पर लेना, (xi) थानों/जांच चौकियों/बाहरी चौकियों को सुदृढ़ करने के लिए आवर्ती व्यय और (xii) प्रचार सामग्री।

4.80 नक्सली हिंसा की तीव्रता और अवधि, विभिन्न नक्सली गुटों द्वारा हासिल किए गए संगठनात्मक एकीकरण, हथियारबंद दलामों की मौजूदगी और नफरी, सशस्त्र संवर्गों को संभार तंत्र और सुरक्षित आश्रय के रूप में और नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस/प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सक्रिय उपाय लागू करने के लिए निरंतर एवं प्रभावी सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख सक्रिय सामूहिक संगठनों के प्रसार को ध्यान में रखते हुए विधिवत रूप से विचार एवं अनुमोदन किए जाने के बाद सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत जिलों को शामिल किया जाता है। अतः इस सहायता का उचित एवं पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। इसके लाभ सुरक्षा के क्षेत्र में हैं। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा से विकास का वातावरण तैयार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है।

4.81 चालू वषर्ध् 2012-13 में (30.11.2012 की स्थिति के अनुसार) एस आर ई योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 171.56 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

<u>जम्मू एवं कश्मीर – जम्मू एवं कश्मीर के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना:</u>

4.82 जम्मू एवं कश्मीर की गंभीर उग्रवाद/विद्रोह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को शांति एवं सद्भाव कायम रखने के लिए बहुत अधिक व्यय करना पडा जिसके परिणामस्वरुप राज्य के राजस्व/बजट पर बुरा प्रभाव पडा। इस समस्या के प्रभाव को कम करने तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के दृष्टिगत जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक प्रथक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस आर ई) चालू की गई जिसमें पुलिस (एस आर ई-पुलिस) तथा राहत एवं पुनर्वास (एस आर ई-आर एंड आर) पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

4.83 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत पुलिस, सामग्री एवं आपूर्ति के परिवहन/ढुलाई सुरक्षा बलों के लिए किराए पर लिए गए आवास के किराए, सीमा चौकियों, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, इंडिया निजर्व बटालियनों के गठन, वैकल्पिक आवास का निर्माण हवाई सेवा प्रभार, पुलिस विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा निर्माण कार्य और परिजनों आदि पर किया गया/से संबंधित व्यय अनुमत्य है।

4.84 जहां तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (आर एंड आर) का संबंध है, इसके अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों को राहत, अनुग्रह भुगतान, उग्रवाद संबद्ध हिंसा में मारे गए नागरिकों की विधवाओं को पेंशन, उग्रवाद से प्रभावित अनाथों हेतु वजीफा, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज पर हुए व्यय आदि की प्रतिपूर्ति जम्मू एवं कश्मीर सरकार को की जाती है।

4.85 वर्ष 2010-11 में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (पुलिस) के लिए 460.00 करोड़ रुपये तथा प्रवासियों राहत एवं पुनर्वास आदि के लिए 60.00 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (पुलिस) के अंतर्गत 200.00 करोड़ रुपए तथा राहत और पुनर्वास के लिए 81.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एस आर ई (पुलिस) के अंतर्गत 145.68 करोड़ रु. तथा एस आर ई (आर एवं आर) के अंतर्गत 33.45 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि संशोधित अनुमान में उपलब्घ कराई गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान 290 करोड़ रु. तथा राहत एवं पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रु. है जिसमे से 31.1.2013 तक सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) के तहत 251.16 करोड़ रु. तथा एस आर ई (आर एंड आर) के लिए 92.32 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है।

<u>राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना:</u>

4.86 कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और अपराध परिदृश्य ने राज्य पुलिस बलों का शीघ्र आधुनिकीकरण करना आवश्यक बना दिया है। चूंकि राज्य पुलिस सीधे तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित है, अत:, उनके कार्य को बेहतर बनाने और आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित करने की आवश्यकता है ताकि वे आने वाली चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट सकें।

राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण, विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम, गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप में उपकरण उपलब्ध करवाकर आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों की सेना और केन्द्रीय पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करना है। स्कीम का लक्ष्य राज्य पुलिस बलों का संतुलित विकास करना भी है। पर्यवैक्षण तंत्र के रूप में एस आर ई के अंतर्गत राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रत्येक राज्य की आतंरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की जाती है।

4.87 स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली कुछ मुख्य मदों में सुरक्षित पुलिस स्टेशनों, सीमा चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, गतिशीलता, सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सुरक्षा निगरानी, संचार, विधि विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण ढांचे का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण इत्यादि शामिल है। यह मदें केवल उन व्यापक क्षेत्रों को दर्शाती हैं जिनके लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता स्वीकृत की गई है। इन व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाली वार्षिक कार्रवाई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और विचार एवं अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। स्वीकृत वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के आधार पर स्कीम के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं। स्कीम ने सारे राज्यों में प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है और पुलिस आधुनिकीकरण को आवश्यक सहायता और गति प्रदान की है। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा-परीक्षा संगठन द्वारा स्कीम की मार्च, 2009 से तिमाही समवर्ती लेखा-परीक्षा भी शुरू की गई है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 की चारों तिमाहियों की समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य सभी राज्यों में पूरा कर लिया गया है। समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं तथा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में राज्यों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी गई है ताकि राज्य सरकारें लेखा परीक्षा टिप्णियों पर उचित कार्रवाई कर सकें। राज्यों को निधियां जारी करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

<u>महानगरीय पुलिस व्यवस्था</u>

4.88 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के तहत वर्ष 2005-06 में महानगरीय पुलिस व्यवस्था की एक नई अवधारणा की शुरूआत की गई थी जिसमें छः शहरों नामतः मुम्बई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया था। संबंधित राज्यों ने अपनी वार्षिक कार्य योजना में एम सी पी प्रस्तावों को शामिल किया। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों की एम पी एफ योजना के एक अभिन्न घटक के रूप में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया तथा इसका अनुमोदन कर दिया गया। महानगरीय पुलिस व्यवस्था योजना का उद्देश्य महानगरीय पुलिस व्यवस्था के कुछ विशिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों का समाधान करना था जिसमें बड़े शहरी इलाकों की पुलिस व्यवस्था, अपराध की जांच, यातायात प्रबंधन, आधुनिक नियंत्रण कक्षों के लिए उपलब्ध अवसंरचना, डिजीटल रेडियों ट्रंकिंग, संचार प्रणाली, पी सी आर वैन नेटवर्क इत्यादि के समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना था। एम पी एफ योजना के तहत किए गए सम्पूर्ण आबंटन के भीतर ही आधुनिक एवं नवीन उपकरणों के प्रापण के लिए महानगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। (दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक पृथक आधुनिकीकरण योजना के तहत कवर किया गया था)

महानगर पुलिस व्यवस्था 2012-13 से एम पी एफ की योजनेत्तर योजना का सब-सैट बनी रहेगी तथा इसे 60:40 के लागत बटवारे के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। अहमदाबाद, मुम्बई, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बंगलौर चार महानगरों के लिए राज्य पुलिस की आवश्यकताओं को दो वर्ष तक महानगर पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा।

मरूस्थलीय पुलिस व्यवस्था

4.89 मरूस्थलीय पुलिस व्यवस्था भी एक ऐसी अवधारणा थी जो वर्ष 2005-06 से पुलिस आधुनिकीकरण योजना का एक भाग बन गई। प्रारम्भ में मरूस्थलीय पुलिस व्यवस्था वृहद् एवं छितरे मरू प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के लिए बनाई गई थी। जनसंख्या के वितरण को ध्यान में रखते हुए जांच, सचलता तथा संचार में आने वाली समस्याओं पर मरूस्थलीय पुलिस व्यवस्था के तहत

काफी बल दिया गया। इस घटक संबंधी व्यय की पूर्ति भी संबंधित राज्यों के लिए एम पी एफ योजना के तहत आबंटित निधियों से ही की गई।

वर्ष 2012-13 के बाद से मरूस्थलीय पुलिस व्यवस्था को एम पी एफ योजना से हटा दिया गया है।

<u>अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सी सी टी एन एस)</u> :

4.90 अपराध एवं अपराधी का पता लगाने के लिए नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना (सीसीटीएनएस) को राष्ट्रीय ई-गर्वनेन्स कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया गया था। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का कार्यान्वयन इस प्रकार से किया जाना है कि इसमें राज्यों की भूमिका प्रमुख हो, ताकि अपेक्षित पण, स्वामित्व और प्रतिबद्धता पूरी हो सके और परियोजना के कार्यान्वयन की सतत् पुनरीक्षा एवं मॉनीटरिंग के अतिरिक्त कतिपय प्रमुख घटकों का नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास होगा।

4.91 सी.सी.टी.एन.एस. की शुरुआत के साथ ही, पूर्ववर्ती कॉमन इंटिग्रेटिड पुलिस एप्लीकेशन (सीआईपीए) कार्यक्रम, जिसे राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनेत्तर स्कीम के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था, इस परियोजना में इस प्रकार आमेलित हो जाएगा कि उसके अंतर्गत पहले से किए गए कार्यों पर कोई प्रभाव न पड़े। सी.आई.पी.ए. की शुरूआत, पुलिस थानों के स्तर पर की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता लाने और नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, पुलिस थानों को कम्प्यूटरीकृत करने और उनके कार्यकरण को आटोमेटिड करने के लिए की गई थी। देश भर के कुल 14,000 पुलिस थानों में से अब तक 2,760 पुलिस थानों को सी.आई.पी.ए. स्कीम के तहत कवर किया जा चुका है।

4.92 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का उद्देश्य, ई-गर्वनेन्स के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए, पुलिस थानों के स्तर पर पुलिस की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए एक

व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली का सृजन करना, और निर्धारित समय में "अपराध की जांच एवं अपराधियों का पता लगाने", जो आज के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्कयुक्त अवसंरचना का सृजन करना है।

4.93 सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में – जांच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना; आसूचना एकत्र करने वाले तंत्र को सुदृढ़ बनाना; बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रणाली एवं नागरिक-अनुकूल समन्वय; अपराध एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी में राष्ट्रव्यापी भागीदारी और पुलिस के कार्यकरण की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता में सुधार करना- शामिल हैं।

4.94 यह परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी। इस अनुमोदित परियोजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में, गृह मंत्रालय के लिए योजनागत पक्ष में 2,000.00 करोड़ रु. का व्यय बजट शामिल है। गृह मंत्रालय के लिए सी.सी.टी.एन.एस. के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का स्वामित्व और प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और गृह मंत्रालय के मार्ग निर्देशन में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा किया जाना है।

4.95 मिशन मोड परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:

(i) परियोजना निगरानी एवं समीक्षा समिति जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष होंगे।
(ii) अधिकार प्राप्त समिति जिसमें अपर सचिव (सी एस) अध्यक्ष होंगे।
(iii) मिशन टीम जिसमें संयुक्त सचिव (सी एस) मिशन लीडर होंगे।

4.96 ये समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना निर्माण एवं समीक्षा संबंधी समस्त मार्गदर्शन, परियोजना के सफल निष्पादन हेतु नीति निर्देशों तथा मार्गदर्शन, परियोजना की प्रगति की समीक्षा तथा निधियां जारी करने एवं उनके उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगी। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय समितियों (राज्य शीर्षस्थ समिति तथा राज्य अधिकार प्राप्त समिति) एवं दलों (राज्य मिशन दल तथा जिला मिशन दल) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन का राज्य स्तरीय अनुवीक्षण किया जाएगा।

4.97 वर्ष 2009-10 हेतु बजट अनुमानों के अनुसार सी सी टी एन एस परियोजना के लिए 164.43 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित अनुमान 104.00 करोड़ रु. था तथा अंतिम आबंटन 117.00 करोड़ रु. था। वर्ष 2009-10 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 115.7 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए 135.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। कुल जारी किए गए 123.30 करोड़ रु. में से वर्ष 2010-11 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 119.42 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

4.98 वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान 384.5 करोड़ रु. था। अनुमोदित संशोधित अनुमान 200.00 करोड़ रु. था। दिनांक 12.03.2012 तक कुल 92.67 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिस्टम इंटीग्रेटरों एवं नेटवर्किंग हेतु 82.6 करोड़ रु., एन सी आर बी के लिए 3.45 करोड़ रु., सी पी एम सी हेतु 4.55 करोड़ रु. तथा सी पी एम यू के लिए 2.07 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। वर्ष 2011-12 के लिए परियोजना को क्रियान्वयन संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित है :-

() एस आई के चयन हेतु 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आर एफ पी जारी कर दिए हैं जिनमें से 16 राज्यों ने एस आई निविदाओं तथा संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं/एल ओ एल जारी कर दिए हैं।

() कनेक्टिविटी तथा नेटवर्किंग सोल्यूशन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 11 राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच एस एल ए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

() भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कनेक्टिविटी सोल्यूशन के क्रियान्वयन हेतु कुल 18554 पुलिस स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है। राज्यों द्वारा स्थानीय बी एस एन एल सर्कल के साथ एस एल ए पर हस्ताक्षर कर लिए जाने के पश्चात क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा।

() कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित कर लिया गया है तथा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एवं इंटेंसिव फील्ड टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। जांच तथा प्रमाणन हेतु ए सटी क्यू सी को सी ए एस जारी कर दिए गए हैं।

() केन्द्र (सी सी आई एस, एम बी सी एस, तलाश) तथा राज्यों (सी आई पी ए, सी सी आई एस तथा मैनुअली डिजोटाइज्ड डाटा) के लिए डाटा माइग्रेशन यूटिलिटी (डी एम यू) के विकास संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है। ए सटी क्यू सी प्रमाणन के लिए डी एम यू प्रस्तुत कर दिए गए है।

() शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में एन आई सी के माध्यम से एन डी सी तथा पुणे में डी आर सी की स्थापना की गई है। स्टेजिंग क्षेत्रों में एस टी क्यू सी प्रमाणित सी ए एस एप्लीकेशन को चालू करने के लिए प्रोडक्शन सर्वर का प्रारंभिक ढांचा तैयार है।

() तीन पायलट राज्यों में सभी 15 स्थलों को सी ए एस पायलट क्रियान्वयन के लिए एन सी आर बी के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है।

पुलिस आवास योजना:

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के लिए आवास :

4.99 शुरू में, केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए आवास को योजनेतर शीर्ष से बटालियनों तथा अन्य अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में लिया जा रहा था। तथापि, केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए अतिरिक्त पारिवारिक आवास की जरूरत को महसूस करते हुए सी.पी.एफ. के लिए आवास को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993-94 से योजनागत स्कीम के रूप में शामिल कर लिया गया।

4.100 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'योजना' के अंतर्गत 'पुलिस आवास' के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2000.00 करोड़ रु. की राशि प्रॉजेक्ट की गई थी। योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1037.50 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की थी तथापि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "पुलिस आवास" के लिए 'योजना' के अंतर्गत वास्तविक आबंटन 689.29 करोड़ रुपए रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 683.02 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

4.101 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पर्याप्त आवास बैरक मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने रिहायशी भवन (योजनागत) के तहत पुलिस आवास के लिए 2500 करोड़ रु. के आबंटन का अनुमोदन किया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटन 1590.61 करोड़ रु. था जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यालय भवन (योजनागत), रिहायशी भवन (योजनागत) तथा सीमा चौकियां (योजनागत) इत्यादि जैसे बड़े कार्यों से संबंधित योजनागत स्कीमों के लिए 20260.01 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। पहले कार्यालय भवन (योजनागत) तथा सीमा चौकी (योजनागत) संबंधी स्कीमों पर योजनेत्तर शीर्षों के तहत कार्रवाई की जाती थी जिसे 2011-12 से योजनागत शीर्ष के तहत अन्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान 2812 घरों के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में के.स.पु. बलों द्वारा 2397 घरों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 1185.00 करोड़ रु. (बजट अनुमान स्तर)/909.83 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान स्तर) की राशि आबंटित की गई है तथा रिहायशी भवन (योजनागत) के तहत उपलब्ध निधियों से 6665 घरों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य की तुलना में 31.1.2013 की स्थिति के अनुसार 2420 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 3496 घर निर्माणाधीन हैं।

4.102 गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ईपीएफ के माध्यम से 57787 घरों तथा 348 बैरकों के निर्माण के लिए एक आवास परियोजना प्रारंभ करने की योजना बनाई है। पहले इस योजना को पी पी पी मोड के जरिए क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव था। तथापि शहरी विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग दोनो ने ही इस परियोजना को पी पी पी मोड से शुरू किए जाने संबंधी विचार का समर्थन नहीं किया। शहरी विकास मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि इस परियोजना को प्रारम्भ किए जाने के लिए के.लो.नि.वि. के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहले भी जब नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा परियोजना की स्तर (स्टेज) लेखापरीक्षा की गई थी तब उन्होंने भी पी पी पी मोड के माध्यम से इस परियोजना को प्रारम्भ किये जाने के विचार को काफी मंहगा पाया। तदनुसार, इस परियोजना के के.लो.नि.वि./पी डब्ल्यू ओ के द्वारा निष्पादित करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

<u>दिल्ली पुलिस</u> :

<u>अवसंरचना-विकास</u> :

4.103 दिल्ली पुलिस चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासीय सुविधा को पूरा करने के वर्तमान स्तर को सुधार कर 18.60% से 40% तक लाना चाहती है। जहां तक, कार्यालयी भवनों, विशेषकर पुलिस स्टेशनों का संबंध है, कुल 180 पुलिस स्टेशनों में से केवल 109 पुलिस स्टेशनों के अपने स्थायी भवन हैं। शेष पुलिस स्टेशन या तो पुलिस चौकी भवनों या अस्थायी संरचना या किराये के आवासीय भवनों में चल रहे हैं। ऐसे 30 पुलिस स्टेशनों के लिए भूमि का आबंटन कर दिया गया है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान इन पुलिस थानों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.104 दिल्ली पुलिस ने 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम में 49 परियोजनाएं दर्शाई हैं। 49 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाएं 11वीं योजना से 12वीं योजना तक चल रही परियोजनाएं हैं तथा शेष 39 परियोजनाएं नई स्कीमें हैं। 10 मौजूदा परियोजनाओं में से पुलिस थाना मुखर्जी नगर तथा पुलिस थाना सुखदेव विहार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 05 परियोजनाओं (अर्थात् पी पी सै.2 रोहिणी, पी पी सैक्टर 15 रोहिणी, पी पी मौर्य एन्क्लेव, पी पी यमुना विहार तथा पी पी कोंडली घरोली का निर्माण कार्य चल रहा है और 03 परियोजनाओं अर्थात पुलिस थाना पंजाबी बाग़, पी पी सी-ब्लॉक जनकपुरी तथा पी पी पॉकेट- सन सिटी द्वारका बिंदापुर का कार्य निविदा स्तर पर है और इसके शीघ्र ही प्रारम्भ होने की आशा है।

4.105 दिसम्बर, 2012 तक दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी 83,452 थी तथा वर्तमान में दिल्ली पुलिस के पास केवल 15584 स्टाफ क्वार्टर हैं, जो कुल आवश्यकता का लगभग 18.60% है।

4.106 धीरपुर में 5202 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण और संसद मार्ग स्थित नए पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। स्वतंत्र अभियंता के लिए दिनांक 27.11.2012 को मैसर्ज नेल्सन प्लानिंग एंड डिजाईन को कार्य प्रदायगी पत्र जारी किया जा चुका है। धीरपुर में रिहायशी परिसर के समतलीकरण तथा उस क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य मैसर्ज पुंज लॉयड को सौंपा गया है। संसद भवन, नई दिल्ली स्थित नए पुलिस मुख्यालय के संबंध में मैसर्ज युनिटि इन्फ्रा प्रोजैक्टस लि. को कार्य प्रदायगी आदेश दिनांक 15.11.2012 को जारी कर दिया गया है।

लोक निजी भागीदारी शीर्ष के तहत वर्ष 2012-13 के लिए 2.00 करोड़ रु. का सांकेतिक प्रावधान रखा गया है।

4.107 मौजूदा भवन परिसर के पुन: विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राजपुर रोड, पुलिस स्टेशन पंजाबी बाग़, शाहदरा तथा दिल्ली कैंट स्थित मौजूदा कार्यालयी और रिहायशी इमारतें जर्जर हो गई हैं ओर इन सभी कार्य स्थलों पर नए भवनों की योजना/निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में सैन्य कार्मिकों के आवास संतुष्टि स्तर में कमी निम्नलिखित कारणों से है :

(i) <u>**दिल्ली पुलिस की मानव-शक्ति क्षमता में वृद्धि:**</u> 10वीं योजना के प्रारंभ में अर्थात् 01.04.2002 को दिल्ली पुलिस की स्वीकृत नफरी 58,877 थी जो अब बढ़कर 83,762 हो गई है यानी इनकी नफरी में 24,885 (42.46%) की वृद्धि हुई है और किसी न किसी कारणवश आवासों के निर्माण की गति, नफरी में हुई वृद्धि के समरूप नहीं रही है।

(ii) भूमि स्वामित्व एजेंसियों द्वारा भूमि आबंटन न किया जाना;

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली अग्निशमन सेवा एवं डी यू ए सी आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा भवन योजनाओं पर अपनी अनापत्ति देने में विलम्ब करना;

(iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा समय से निर्माण-कार्यों को पूरा न किया जाना;

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार निर्मित भवनों का आबंटन न किया जाना।

4.108 दिल्ली पुलिस के रक्षीदल की आवास संख्या में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड के तहत धीरपुर में 5202 क्वार्टरों के निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस की अन्य आवासीय परियोजनाओं में अधिक से अधिक टाइप-।। क्वार्टरों की योजना तैयार की जा रही है।

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास</u>

4.109 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई एक नई योजनागत योजना अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/बड़े शहरों में यातायात एवं संचार तंत्र का विकास एवं आदर्श यातायात प्रणाली को 200.00 करोड़ रु. के आबंटन से कार्यान्वित करने का दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव है। इस स्कीम

के दो घटक हैं यानि (i) सूचनाप्रद यातायात प्रणाली (आई टी एस) शुरू करना जिसके लिए मैसर्स राइट्स, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है और (ii) एम टी एन एल के माध्यम से एक एकीकृत डाटा संचार तंत्र (साइबर हाइवे) की स्थापना करना।

4.110 निवेश-पूर्व कार्यकलाप के लिए 6.73 करोड़ रु. की राशि का भुगतान तथा साइबर हाइवे घटक पर मैसर्स एम टी एन एल को 7.66 करोड़ रु., 9.06 करोड़ रु. तथा 6.20 करोड़ रु. का अतिरिक्त भुगतान पहले ही किया जा चुका है अतः इस परियोजना पर आज तक किया गया कुल व्यय 29.65 करोड़ रु. है। निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात मामले को अंतिम निर्णय के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है।

4.111 इस मामले की गृह मंत्रालय में जांच कर ली गई है। यह देखा गया कि दिल्ली पुलिस ने ''इंटेलिजैंट ट्रैफिक सिस्टम'' (आई टी एस) के लिए तीन बोलियां प्राप्त की। बोलियों की जांच परियेाजना के परामर्शी अर्थात् राइट्स द्वारा की गई। इन बोलीकर्ताओं में से एक को पात्र नहीं पाया गया तथा दिल्ली पुलिस की खरीद समिति ने दो बोलीकर्ताओं के संबंध में राइट्स की मूल्यांकन रिपोर्ट की भी जांच की। खरीद समिति ने एल-1 फर्म को निर्धारित किया तथापि कुछ कमियों के कारण एल-1 फर्म को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

4.112 गृह मंत्रालय के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस तथा परामर्शदाता को एल-1 फर्म की बोलियों में पाई गई असंगतियों को समाधान करने के लिए अनुरोध किया गया। पूरी वित्तीय बोलियों की पुनः जांच के पश्चात भी खरीद समिति ने यह पाया कि कुछ कमियों के कारण एल-1 नामित फर्म की बोलियां स्वीकार्य नहीं हैं।

4.113 दिल्ली पुलिस ने उपर्युक्त उल्लिखित कारणों को कोट करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान निविदा को निरस्त किया जाए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि वर्तमान निविदा को निरस्त किया जाए।

4.114 मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस की खरीद समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए निविदा को निरस्त कर दिया तथा नई निविदाएं आमंत्रित की। दिल्ली पुलिस अब निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

4.115 इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है () मारे गए आम नागरिकों तथा सुरक्षा कार्मिकों को अनुग्रह भुगतान () नक्सलरोधी अभियानों के लिए तैनात केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों हेतु परिवहन, संचार एवं अन्य संभार तंत्र संबंधी सहायता () नक्सलरोधी अभियानों के लिए गोला बारूद () राज्य पुलिस बलों का प्रशिक्षण () सामुदायिक पुलिस व्यवस्था () ग्राम रक्षा समितियों/नागरिक सुरक्षा समितियों द्वारा सुरक्षा संबंधी अवस्थापना () विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय () आत्मसर्मपण करने वाले नक्सलवादियों का पुनर्वास () पुलिस कार्मिकों के बीमा हेतु प्रीमियम () आपातकालीन स्थितियों में आवश्यकता के आधार पर हथियारों/वाहनों तथा संचार उपकरणों को किराए पर लेना () पुलिस स्टेशनों/जांच चौकियों/आऊटपोस्टों के सुद्दढ़ीकरण पर होने वाला आवर्ती व्यय () प्रचार सामग्री

4.116 नक्सली हिंसा की तीव्रता एवं अवधि, विभिन्न नक्सलवादी संगठनों द्वारा प्राप्त संगठनात्मक मजबूती, सशस्त्र बलों की उपस्थिति एवं नफरी, सशस्त्र काडरों को निरंतर संभार तंत्र संबंधी प्रभावी सहायता एवं सुरक्षित आश्रय प्रदान करने वाले सक्रिय वृहद प्रमुख संगठनों का विस्तार तथा नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने में पुलिस/प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सक्रिय उपायों की सीमा को ध्यान में रखते हुए विचार तथा अनुमोदन किए जाने की उचित प्रक्रिया के बाद जिलों को एस आर ई योजना में शामिल किया जाता है। अतः इस सहायता का अनुकूलतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इससे सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में लाभ होंगे। सुरक्षा से विकास के लिए सहायक वातावरण मिलता है।

4.117 चालू वर्ष 2012-13 (30.11.2012 तक) एस आर ई योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों को 171.56 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए योजना :

4.118 यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है जो पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। XIवीं योजना अवधि में इस योजना के लिए 500.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया तथा

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए अब तक राज्यों को 445.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(क) दुर्गम इलाकों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का स्तरोन्नयन करके पुलिस को महत्वपूर्ण सचलता प्रदान करना;

(ख) दूरस्थ एवं बीहड़ इलाकों में सामरिक स्थलों पर सुरक्षित शिविर स्थल और हैलीपैड मुहैया कराना;

(ग) जर्जर स्थिति वाले पुलिस थानों/बाहरी चौकियों, जिन पर हमला किए जाने का खतरा है, को सुदृढ़ बनाकर उन्हें सुरक्षित थाने/बाहरी चौकियों का रूप देना;

(घ) जिन पुलिस थानों/बाहरी चौकियों पर आधुनिक विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी) और बारूदी सुरंगों द्वारा हमला होने का खतरा है, उनकी संपर्क सड़कों का स्तरोन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ करना; और

(ङ) विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों/जिलों की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करना जहां विशेष तरीके से व्यापक रूप से नक्सल-रोधी उपाय किए जा रहे हैं।

4.119 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में तैनात विशेष बलों के उन्नयन तथा उनकी अवसंरचना संबंधी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अवसंरचना, प्रशिक्षण, हथियार, उपकरणों और वाहनों के उद्देश्य से भी इस योजना को 12वीं योजना अवधि में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है। 12वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना पर 348.93 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता आबंटित की गई है।

4.120इस स्कीम के लाभ सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में होंगे। सुरक्षा के परिणामस्वरूप विकास तथा आर्थिक विकास का वातावरण भी तैयार हो सकेगा।

<u>चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना:</u>

4.121 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 2.00 करोड़ रुपये प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

() केन्द्र, राज्य सरकार को 80:20 के अनुपात में सहायता मुहैया कराएगी (लागत का 80 प्रतिशत, जो कि 1.6 करोड़ से अधिक न होगा, केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा तथा लागत का 20 प्रतिशत एवं अधिक किया गया व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)।

() एक पुलिस स्टेशन की अनुमानित लागत 2.00 करोड़ रुपये है।

() राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में कम से केम 40 पुलिस कार्मिकों की नफरी सुनिश्चित करेगी।

(iv) उन नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जहां राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध होगी।

4.122 यह योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन मुहैया कराएगी जिसके परिणाम स्वरुप विकास का वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। सभी 400 पुलिस स्टेशनों को औपचारिक रुप से स्वीकृत किया जा चुका है और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 365.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

<u>जेलों के आधुनिकीकरण की योजना</u>

4.123 केन्द्र सरकार ने जेलों में बढ़ती भीड-भाड़ को कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण तथा मौजूदा जेलों में बैरकों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, स्वच्छता एवं जलापूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के निवास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर योजना शुरू की थी। जेलों के आधुनिकीकरण के नाम से जानी जाने वाली यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर 1800.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों में पांच वर्ष की अवधि (2002-07) से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना, जिसे राज्य सरकारों को अपनी गतिविधियां पूरी करने के

लिए, बिना किसी अतिरिक्त निधियों के, 2 वर्ष की अवधि के लिए और विस्तार प्रदान किया गया है तथा यह 31.03.2009 को समाप्त हो गई।

4.124 इस योजना की प्रगति की गहन निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को जारी की गई निधियों का समुचित उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इन्हें जारी किया गया है। जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 30.4.2012 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है:-

()	नई जेलों का निर्माण	:	125
()	अतिरिक्त बैरकों का निर्माण	:	1579
()	स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	:	8658

<u>क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान</u> :

4.125 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार ने 1989 में केन्द्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से चण्डीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ सम्पूर्ण भारत के जेल कार्मिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ इत्यादि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

4.126 इसके अलावा, बेल्लौर, तमिलनाडु में जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (ए पी सी ए) नामक एक क्षेत्रीय संस्थान भी कार्यरत है। इस अकादमी का वित्त पोषण संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। संस्थान की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक बारगी अनुदान प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से हाल ही में कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक

प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु. का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003

4.127 भारत सरकार द्वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया गया ताकि उनकी सज़ा की शेष अवधि को उनके मूल देशों में पूरा किया जा सके। इस अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए आपसी अभिरूचि रखने वाले देशों के साथ संधि/समझौता किया जाना अपेक्षित है।

4.128भारत सरकार ने अभी तक 16 देशों, अर्थात् यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिश्र, फ्रांस, बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सउदी अरब, यू ए ई, मालदीव इजराइल, थाइलैंड और इटली की सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, ब्राजील, इटली, तुर्की, बोस्निया एवं हर्जेगोविना तथा कतार की सरकारों के साथ भी बातचीत को अंतिम रूप दिया गया है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो :

प्रवर्तन:

4.129 वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जब्त मादक द्रव्यों की प्रमात्रा निम्नवत है :

(कि.ग्रा. में)

I. स्वापक ड्रग्स, मन:प्रभावी पदार्थों एवं वस्तुओं की जब्ती

नशीली दवा का नाम	2008	2009	2010	2011	2012 दिसम्बर, 2012 तक
हेरोइन	212	190	145	69	268
अफीम	105	133	52	74	95
मॉरफिन	2	1	0	1	68
गांजा	1,406	4,483	5,642	3,021	3585
हशीश	202	217	451	791	238
कोकीन	0	1	2	1	30
मेथाक्वालोन	1,724	5	0	0	28
इफेड्रिन	139	218	2,041	132	3923
अम्फेटामाइन	12	41	36	4	2
एसिटिक एनहाइड्राइड (लीटर)	87	340	0	0	360
मामलों की संख्या	148	133	115	174	206
II. जब्तियों की संख्या					
मामले	148	133	115	174	206
III. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति					
भारतीय	114	88	107	145	186
विदेशी	21	26	34	24	25

<u>महत्वपूर्ण अभियान:</u>

() वर्ष 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत में कोकीन की तस्करी में लगे एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिकिंग नेटवर्क को विफल किया जिसमें 29.080 कोकीन जब्त की गई तथा तीन विदेशी राष्ट्रिकों सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ।

() वर्ष 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने गुप्त रूप से केटामाइन का निर्माण करने वाले लैब को ध्वस्त किया। 109.6 कि.ग्रा. कैटामाइन जब्त की गई तथा इस मामले में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(iii) वर्ष 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इम्फाल ने हैरोइन का निर्माण करने वाली दो अवैध गुप्त लेबोरेट्रीज को ध्वस्त किया तथा ऐसे दो मामलों में 68 कि.ग्रा. मोरफाइन, 9 कि.ग्रा. अफीम तथा 1 कि.ग्रा. अफीम जब्त की गई। इस मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(iv) वर्ष 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ ने सीमा सुरक्षा बल के समन्वय से पंजाब सीमा पर 241 कि.ग्रा. दक्षिण पश्चिम एशियाई हेरोइन जब्त की।

(v) वर्ष 2012 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता ने 360 कि.ग्रा. एसेटिक एनहाइड्राइड जब्त की तथा इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

(vi) वर्ष 2012 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना ने 392 कि.ग्रा. इक्वेड्राइन/पिसुडो-एफराइन तथा गेहूं के आटे और एफेड्राइन/पिसुडो-एफेड्राइन का 3520.9 कि.ग्रा. संदिग्ध मिश्रण जब्त किया।

<u>विनिष्टीकरण</u>

4.130 वर्ष 2011-12 के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने राज्य एजेंसियों की मदद से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंढ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में 3028.55 एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम पोस्ता की खेती का पता लगाया तथा इसे नष्ट किया। सभी स्टेकहोल्डरो के साथ विनिष्टीकरण अभियानों को समय पर समन्वित करने में स्वापक

नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई अग्र सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2011-12 के दौरान सभी मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में 3098.55 एकड़ भूमि पर पोस्त की अवैध खेती का पता लगाया गया तथा इसे नष्ट किया गया।

<u>दोषसिद्धि</u>

4.131 वर्ष 2012 के दौरान राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अभिहित न्यायालयों के समक्ष दायर शिकायतों के आधार पर 62 मामलों में से 34 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

<u>मादक द्रव्यों का निष्तारण:</u>

4.132 वर्ष 2012 के दौरान 143.284 कि.ग्रा. हेरोइन, 1251.980 कि.ग्रा. हशीश, 4888.05 किग्ता पॉपी स्ट्रॉ, 81.5 कि.ग्रा. गांजा, 0.090 कि.ग्रा. कोकीन तथा 26.5 कि.ग्रा. पिसुडो-एफेड्राइन का निस्तारण किया गया।

<u>पंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे के लिए योजना</u> :

4.123 यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है जो पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। XIवीं योजना अवधि में इस योजना के लिए 500.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए अब तक राज्यों को 362.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 750.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस स्कीम को 12 वीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(क) दुर्गम इलाकों में मौजूदा सड़कों/मार्गों का स्तरोन्नयन करके पुलिस को महत्वपूर्ण सचलता प्रदान करना;

(ख) दूरस्थ एवं बीहड़ इलाकों में सामरिक स्थलों पर सुरक्षित शिविर स्थल और हैलीपैड मुहैया कराना;

(ग) जर्जर स्थिति वाले पुलिस थानों/बाहरी चौकियों, जिन पर हमला किए जाने का खतरा है, को सुदृढ़ बनाकर उन्हें सुरक्षित थाने/बाहरी चौकियों का रूप देना;

(घ) जिन पुलिस थानों/बाहरी चौकियों पर आधुनिक विस्फोटक उपकरणों (आई ई डी) और बारूदी सुरंगों द्वारा हमला होने का खतरा है, उनकी संपर्क सड़कों का स्तरोन्नयन करना और उन्हें सुदृढ़ करना; और

(ङ) विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों/जिलों की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी करना जहां विशेष तरीके से व्यापक रूप से नक्सल-रोधी उपाय किए जा रहे हैं।

4.124 इस स्कीम के लाभ सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में होंगे। सुरक्षा के परिणामस्वरूप विकास तथा आर्थिक विकास का वातावरण भी तैयार हो सकेगा।

<u>चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजनाः</u>

4.125 सरकार ने आंध्र प्रदेश बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के 83 सुरक्षा संबंधी व्यय योजना वाले जिलों में 2.00 करोड़ रुपये प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 चारदीवारी युक्त पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

() केन्द्र, राज्य सरकार को 80:20 के अनुपात में सहायता मुहैया कराएगी (लागत का 80 प्रतिशत, जो कि 1.6 करोड़ से अधिक न होगा, केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा तथा लागत का 20 प्रतिशत एवं अधिक किया गया व्यय, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा)।

() एक पुलिस स्टेशन की अनुमानित लागत 2.00 करोड़ रुपये है।

() राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में कम से केम 40 पुलिस कार्मिकों की नफरी सुनिश्चित करेगी।

(vii) उन नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जहां राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध होगी।

4.126 यह योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन मुहैया कराएगी जिसके परिणाम स्वरुप विकास का वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। सभी 400 पुलिस स्टेशनों को औपचारिक रुप से स्वीकृत किया जा चुका है और राज्य सरकारें को 120.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

<u>जेलों के आधुनिकीकरण की योजना</u>

4.127 केन्द्र सरकार ने जेलों में बढ़ती भीड-भाड़ को कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण तथा मौजूदा जेलों में बैरकों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, स्वच्छता एवं जलापूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के निवास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 में एक योजनेतर योजना शुरू की थी। जेलों के आधुनिकीकरण के नाम से जानी जाने वाली यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी पर 1800.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों में पांच वर्ष की अवधि (2002-07) से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना, जिसे राज्य सरकारों को अपनी गतिविधियां पूरी करने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त निधियों के, 2 वर्ष की अवधि के लिए और विस्तार प्रदान किया गया है।

4.128 केन्द्र के कुल 1350.00 करोड़ रुपये के हिस्से के मुकाबले, 3.05 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर, 1346.95 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को जारी की गई है। इस धनराशि में से 1.50 करोड़ रुपए जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए हैं, जिसे राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण जारी नहीं किया जा सका था। शेष 1.55 करोड़ रुपए की राशि अप्रतिबद्ध राशि थी। इस योजना की प्रगति की गहन निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों को जारी की गई निधियों का समुचित उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इन्हें जारी किया गया है। अंतिम पुनरीक्षा बैठक 16.9.2011 को आयोजित की गई थी। जेलों के आधुनिकीकरण की योजना अब 31.3.2009 से समाप्त कर दी गई है। जेलों के आधुनिकीकरण की योजना के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों

द्वारा दिनांक 30.12.2011 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है:-

()	नई जेलों का निर्माण	:	120
()	अतिरिक्त बैरकों का निर्माण	:	1572
()	स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	:	8572

क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान :

4.129 जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार ने 1989 में केन्द्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से चण्डीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चण्डीगढ़ सम्पूर्ण भारत के जेल कार्मिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ इत्यादि जैसे पड़ोसी राज्यों के जेल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

4.130 इसके अलावा, बेल्लौर, तमिलनाडु में जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (ए पी सी ए) नामक एक क्षेत्रीय संस्थान भी कार्यरत है। इस अकादमी का वित्त पोषण संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। संस्थान की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक बारगी अनुदान प्रदान किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से हाल ही में कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने संस्थान को 1.55 करोड़ रु. का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003

4.131 भारत सरकार द्वारा भारतीय जेलों में कैद विदेशी राष्ट्रिकों तथा विदेशी जेलों में कैद भारतीय राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्तन के लिए कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया गया ताकि उनकी सज़ा की शेष अवधि को उनके मूल देशों में पूरा किया जा सके। इस

अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए आपसी अभिरूचि रखने वाले देशों के साथ संधि/समझौता किया जाना अपेक्षित है।

4.132भारत सरकार ने अभी तक यू.के., मारीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिश्र, फ्रांस, बंगलादेश, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सउदी अरब तथा यू ए ई की सरकारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, इजराइल, ब्राजील, इटली, तुर्की तथा बोस्निया एवं हर्जेगोविना की सरकारों के साथ भी बातचीत हो चुकी है।

राजभाषा विभाग :

1. भूमिका :

4.133 संघ सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राष्ट्रपति के समय समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग एक नोडल विभाग है। इसकी स्थापना जून, 1975 में की गई थी। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां चला रहा है । इनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी आशुलिपि, हिन्दी टंकण व अनुवाद का प्रशिक्षण देना, कार्यालयों का निरीक्षण

करना, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रगति पर निगरानी रखना, राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन आदि करना और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों की बैठकों आदि से संबंधित कार्यों का समन्वय करना आदि शामिल है । यह विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए सहायक साहित्य का प्रकाशन तथा वितरण का कार्य भी करता है । कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले विभिन्न इलैक्ट्रानिक उपकरणों में देवनागरी लिपि के माध्यम से काम करने की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे उपकरणों के विकास तथा उपलब्धता संबंधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने की भूमिका भी राजभाषा विभाग निभा रहा है ।

4.134 राजभाषा विभाग मूलत: राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और प्रयोग से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है । यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देता है । राजभाषा विभाग सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा एंव हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण, सरकारी सामग्री के अनुवाद कार्य, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है । विभाग का यह भरसक प्रयास होता है कि बजट में आवंटित राशि का सदुपयोग कर लिया जाये ।

<u>राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय</u>

<u>केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान</u>

4.135 राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी :-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण

और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ख) कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप-संस्थान

4.136 संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नै में 5 उप-संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में पांच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 129 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केन्द्र व 18 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

4.137 केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14
	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2012 तक)	लक्ष्य (वार्षिक)
(1) हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ)					
(क) हिंदी शिक्षण योजना	28,940	21,315	28,720	**21154**	28,720
(ख) गहन प्रशिक्षण	4,590	1,238	4,590	**729**	3,780
(ग) भाषा पत्राचार	4,000	3,251	4,000	**3874**	4,000

हिंदी शिक्षण/प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14
	लक्ष्य (वार्षिक) (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या)	लक्ष्य (वार्षिक)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थियों की संख्या) (31.12.2012 तक)	लक्ष्य (वार्षिक)
योग	**37,530**	**25,804**	**37,310**	**25,757**	**36,500**
(2) हिंदी टंकण प्रशिक्षण					
(क) हिंदी शिक्षण योजना (ख) गहन टंकण (ग) टंकण पत्राचार	2,860 750 1,000	1,846 357 752	3,010 660 1,000	**1885** **215** **870**	3200 660 1000
योग	**4,610**	**2,955**	**4,670**	**2970**	**4860**
(3) हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण					
(क) दीर्घकालीन प्रशिक्षण	1230	300	1280	**285**	1290
(ख) गहन प्रशिक्षण	210	45	180	**25**	180
योग	**1440**	**345**	**1460**	**310**	**1470**
(4) गहन हिंदी कार्यशालाएँ	39 कार्यक्रम	60 कार्यक्रम	39 कार्यक्रम	**36 कार्यक्रम**	51 कार्यक्रम
(05 दिवसीय)	1170 प्रतिभागी	1094 प्रतिभागी	1170 प्रतिभागी	**940 प्रतिभागी**	1530 प्रतिभागी
(5)अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (05 दिवसीय) (क) कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	08 कार्यक्रम	07 कार्यक्रम	**04 कार्यक्रम**	07 कार्यक्रम
(ख) प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	190 प्रशिक्षार्थी	नामन पर आधारित	**108 प्रशिक्षार्थी**	नामन पर आधारित

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (अनुवाद कार्य) :

4.138 01 मार्च, 1971 को स्थापित राजभाषा विभाग का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांवाधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य करता है और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है । ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त बैगलूरू, मुबंई व कोलकाता में अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्थाएं है।

4.139 ब्यूरो द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 50,200 मानक पृष्ठों (नियमित स्थापना द्वारा 38,200 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 12,000 पृष्ठों का) के अनुवाद के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2012 तक कुल 55,562 मानक पृष्ठों का (नियमित स्थापना द्वारा 38,410 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 17,152 पृष्ठों का) अनुवाद किया गया । वर्ष 2012-13 में 55,000 (नियमित स्थापना द्वारा 35,000 पृष्ठ तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 20,000 पृष्ठ) मानक पृष्ठों के अनुवाद के सापेक्ष **दिसम्बर, 2012 तक 46,644 (नियमित स्थापना द्वारा 27,185 पृष्ठों का तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना द्वारा 19,459 पृष्ठों का) मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।**

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमः

4.140 केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	उपलब्धियां (31.12.2012 तक)	**लक्ष्य**
(1) त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 189 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी	**12 कार्यक्रम 141 प्रशिक्षणार्थी**	16 कार्यक्रम 250 प्रशिक्षणार्थी

अनुवाद प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां	वर्ष 2011-2012		वर्ष 2012-2013		वर्ष 2013-2014
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (31.12.2012 तक)	लक्ष्य
(2) 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 53 प्रशिक्षणार्थी	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी	**02 कार्यक्रम 48 प्रशिक्षणार्थी**	02 कार्यक्रम 30 प्रशिक्षणार्थी
(3) अल्पावधिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 412 प्रशिक्षणार्थी	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी	**13 कार्यक्रम 370 प्रशिक्षणार्थी**	16 कार्यक्रम 400 प्रशिक्षणार्थी
(4) उच्चस्तरीय/ पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 129 प्रशिक्षणार्थी	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी	**05 कार्यक्रम 94 प्रशिक्षणार्थी**	06 कार्यक्रम 90 प्रशिक्षणार्थी
(5) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अधीन प्रशिक्षण	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम 46 प्रशिक्षणार्थी	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी	**02 कार्यक्रम 22 प्रशिक्षणार्थी**	04 कार्यक्रम 40 प्रशिक्षणार्थी

4.141 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्धियों में कमी निम्नलिखित विभिन्न कारणों से हुईः-

1. नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध
2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पदों की 10% कटौती
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित कर्मचारी अनेक बार बुलाए जाने पर अपने संबंधित विभागों द्वारा कार्यमुक्त नहीकिए जाते हैं ।
4. हिंदी और अनुवाद से संबंधित वर्तमान कर्मचारियों की अधिकांश संख्या पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है ।

राजभाषा हिंदी का तकनीकी पहलू

4.142 राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग हिंदी प्रयोग के लिए साफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी सम्मेलनों/संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से सम्पर्क स्थापित करता है तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों

व साफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

4.143 तकनीकी प्रभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, सी-डेक, नोएडा, तथा एन.पी.टी.आई.,फरीदाबाद के माध्यम से करवाता है । इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों के अधिकारी/कर्मचारी नि:शुल्क भाग ले सकते हैं । वर्ष 2010-11 में भी उपलब्ध बजट को देखते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के कुल 54 कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया । कंप्यूटर प्रशिक्षण के महत्व एवं मांग के मद्देनजर वर्ष 2011-12 में प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्थाओं में राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को भी शामिल करते हुए हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण के 125 कार्यक्रमों आयोजित किए गए । वर्ष 2012-13 में 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षणों के लक्ष्य के सापेक्ष **दिसम्बर, 2012 माह तक केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 31 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं ।** शेष कार्यक्रमों के लिए आयोजन के लिए प्रयास जारी है | वर्ष 2013-14 में भी 100 हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित है।

4.144 तकनीकी प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चार तकनीकी संगोष्ठियों और कंप्यूटर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंम्प्यूटरों में द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी दी जाती है । वर्ष 2011-12 में इस प्रकार की पांच संगोष्ठियां आयोजित करवायी गयी । वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है। वर्ष 2013-14 में भी 04 तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य है जिसमें से दो संगोष्ठियां अहमदाबाद और बंगलौर में पहले ही आयोजित कर ली गई हैं। शेष दो संगोष्ठियां मार्च 2013 में रांची और चंडीगढ़ में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2013-14 में 4 संगोष्ठियां आयोजित किए जाने का लक्ष्य है।

<u>प्रशासनिक/वितीय तथा निष्पादन रिपोर्टें ऑन लाइन मुहैया कराने के लिए नए सॉफ्टवेयर का विकास</u>

4.145 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग दस हजार केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के अनुश्रवण तथा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है । उक्त कार्यालय देश भर में स्थित 329 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्य है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) में अनुश्रवण की प्रक्रिया तीन स्तरीय हैः

(क) देश में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों, ब्यूरो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से सूचना प्राप्त की जाती है।

(ख) राजभाषा विभाग को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षण की वित्तीय एवं भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं।

(ग) राजभाषा विभाग को समस्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रशिक्षण की वित्तीय एवं भौतिक आख्याएं प्राप्त होती हैं ।

4.146 इतनी बड़ी संख्या में क्षेत्र कार्यालयों से इन रिपोर्टों का संकलन केवल ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर से ही संभव है।

4.147 वैब पर आधारित एक आन-लाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है। इस सिस्टम द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों, अधीनस्थ/संबंद्ध कार्यालध्यों, उपक्रमों, व बैंकों से आन-लाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट आदि विभाग व अधीनस्थ कार्यालयों को भेज सकेगें । इस सिस्टम का विकास, स्थापना एवं परीक्षण कर लिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ।

4.148 इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों के क्षेत्रीय केन्द्रों की प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति की सूचना प्रबंधन प्रणाली द्वारा निगरानी हेतु विभिन्न रिपोर्टें/सूचना ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रणाली विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

4.149 यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण शीर्षतम स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिंदी समिति, समस्त मंत्रालयों/विभागों में संबंधित माननीय मंत्रीगण की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समितियों तथा सचिव, राजभाषा की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाता है । इन सबके अतिरिक्त राजभाषा समिति भी राजभाषा के प्रयोग का सतत् अनुश्रवण करती है । अतः उल्लिखित प्रयोजनार्थ साफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स का विकास नितांत आवश्यक है ।

4.150 तिमाही प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली का विकास तथा वर्ष 2012-13 में राजभाषा विभाग में प्रशासक सहित प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण 31-3-2013 तक कार्यान्वित होने की संभवना है।

<u>अनुसंधान एकक की गतिविधियां :</u>

<u>पत्र-पत्रिकाओं तथा राजभाषा साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार :</u>

4.151 राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के पहलू को सरकारी तंत्र में सशक्त रूप से पेश करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में अनुसंधान प्रभाग की स्थापना की गई है। अनुसंधान प्रभाग के पत्रिका एकक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका **राजभाषा भारती** का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण

किया जाता है । इसमें विभिन्न विषयों से संबंधित लेखों के साथ, मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों व अन्य संस्थाओं की राजभाषा संबंधी गतिविधियों को स्थान दिया जाता है । **दिसम्बर, 2012 तक इस पत्रिका के 134 अंक प्रकाशित हो चुके है तथा इसका 135वां तथा 136वां अंक प्रकाशाधीन है ।**

4.152 राजभाषा विभाग द्वारा किए गए सरकारी कार्यों के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी कार्यकलापों से संबंधित प्रकाशन है । विभाग की दूसरी रिपोर्ट वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर उनसे प्राप्त समेकित मूल्यांकन रिपोर्ट का संकलन है। उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण का कार्य किया जाता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है । वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट को संसद के दोनो सदनों के पटल पर रखा जाता है ।

4.153 विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित की जा रही हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से **"हिंदी पत्रिका पुरस्कार योजना"** शुरू की गई है । इस योजना के तहत मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्कृष्ट पत्रिका के लिए क्रमश: 02-02 पुरस्कार दिए जाते हैं ।

4.154 दिसम्बर, 2012 में 18वीं स्तरीय हिंदी पुस्तक सूची जारी की गई जिसमें लगभग 41,549 पुस्तकें शामिल की गई हैं ।

<u>संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व अनुश्रवण पक्ष :</u>

<u>समितियां :</u>

4.155 केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्न समितियां गठित हैं :

<u>केन्द्रीय हिंदी समिति :</u>

4.156 **माननीय प्रधानमंत्री जी** की अध्यक्षता में **केन्द्रीय हिंदी समिति** का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिंदी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था । यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति में प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त 08 माननीय केन्द्रीय मंत्री (गृह मंत्री जी उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्य मंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के 22 विद्वान, कुल मिलाकर 40 (चालीस) सदस्य हैं । इस समिति की अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की पिछली (30वीं) बैठक दिनांक 28.07.2011 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी । इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है । **केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन/उसके कार्यकाल बढ़ाने का मामला राजभाषा विभाग के विचाराधीन है ।**

संसदीय राजभाषा समिति :

4.157 इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं । संसदीय राजभाषा समिति के नौंवे खण्ड़ में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रतिवेदन के नौंवे खण्ड को संसद के पटल पर मानसून सत्र-2011 में पटल पर रख गया । इसमें की गयी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही है । इनके अध्ययन के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

4.158 राजभाषा हिंदी के प्रभावी तथा सुचारू कार्यान्वयन की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपनी स्थापना से **दिसम्बर, 2012 तक 10,940 सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि का निरीक्षण किया गया है तथा 882 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्ष्य लिया गया है ।**

<u>**हिंदी सलाहकार समिति**</u> **:**

4.159 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान में 54 मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित है । इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना वांछित है ।

<u>**केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**</u> **:**

4.160 केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं। इस समिति की अब तक 36 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी पिछली (36वीं बैठक) 30 दिसंबर, 2011 को आयोजित हुई । **इस वर्ष के लिए केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन अंतिम तिमाही में प्रस्तावित है ।**

<u>**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :**</u>

4.161 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा

करना, इसे बढावा देना तथा इसके मार्ग में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना है । वर्तमान में देश के विभिन्न नगरों में 329 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से 42 समितियां राष्ट्रीयकृत बैंको के लिए तथा 13 समितियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गठित है । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं |

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :

4.162 सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है | इसकी बैठकें तीन माह में एक बार आयोजित होती हैं| बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं |

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :

4.163 सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं जो क्षेत्रीय आधार पर संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के लिए प्रति अधिकारी प्रति माह 12 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में बनाए गए राजभाषा नियमों की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2011-12 में 3,024 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के लक्ष्य के मुकाबले 1,722 निरीक्षण किये गए। वर्ष 2012-13 में भी 3024 कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष में दिसम्बर, **2012 तक 1403 निरीक्षण किए गए है ।**

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकें :

4.164 वर्ष 2011-12 में 554 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष 327 बैठकें आयोजित हुई। वर्ष 2012-13 में 634 बैठकों के आयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष **दिसम्बर, 2012 तक 361 बैठकें आयोजित हुईं ।**

<u>**क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन :**</u>

4.165 राजभाषा हिंदी के प्रति एक आदर्श वातावरण बनाने, इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं । **जनवरी-फरवरी 2013 में दो सम्मेलन अहमदाबाद एवं जम्मू में आयोजित किए गए हैं । शेष दो सम्मेलन मार्च 2013 में रांची और चंडीगढ़ में आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।** संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा संबंधी सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन विधिवत रूप से करने के लिए इन राजभाषा सम्मेलनों में संघ की राजभाषा नीति संबंधी विषयों पर विचार मंथन भी किया गया। वर्ष 2013-14 में भी 04 सम्मेलनों के आयोजन का प्रस्ताव है ।

<u>**राजभाषा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार :**</u>

4.166 दिनांक 14.09.2012 को नई दिल्ली में वर्ष 2010-11 के लिए मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को शील्डें तथा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** प्रदान किए गए । इस अवसर पर हिंदी में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** 2010-11 के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए। ये पुरस्कार हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए गए ।

<u>**केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा :**</u>

4.167 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबंद्ध कार्यालयों में फैले हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्त, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर दिलाने हेतु वर्ष **1981** में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन केन्द्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष **1976** में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया है । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग यथा सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि को छोड़कर, शामिल हैं । छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में इस सेवा में शामिल 977 विभिन्न पदों का वर्गीकरण वर्तमान में निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**कुल पद**
1.	निदेशक	18
2.	संयुक्त निदेशक	36
3.	उप निदेशक	85
4.	सहायक निदेशक	200
5.	वरिष्ठ अनुवादक	318
6.	कनिष्ठ अनुवादक	320
	कुल =	**977**

4.168 **वित्तीय प्रावधान** - राजभाषा विभाग को विभाग की विभिन्न राजभाषायी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना **(2012-13 से 2016-17)** में **42.0675** करोड़

रूपए की राशि आंवटित की है । वर्ष 2012-13 में 8.2265 करोड़ रूपए (प्रस्तावित संशोधित अनुमान), वर्ष 2013-14 में .83120 करोड़ रूपए, वर्ष 2014-15 में 8.4150 करोड़ रूपये, वर्ष 2015-16 में 8.4930 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2016-17 में 8.6160 करोड़ रूपये की राशि आवंटित है । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग के लिए नान-प्लान में भी प्रति वर्ष राशि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 में नान-प्लान के अंतर्गत 40.61 करोड़ रूपए की राशि आवंटित है ।

*****

<u>पुनर्वास योजनाएं/परियोजनाएं</u>

<u>श्रीलंकाई शरणार्थी</u>

4.169 श्रीलंका में नृजातीय हिंसा और लगातार अशांत स्थितियों के कारण जुलाई, 1983 से श्रीलंकाई शरणार्थियों ने भारी संख्या में भारत में प्रवेश किया है। जुलाई, 1983 से सितम्बर, 2012 के बीच भारत में 3,04,269 श्री लंकाई शरणार्थी श्रीलंका पहुंचे।

4.170 हालांकि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका में प्रत्यावर्तित किए गए तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि, कुछ शरणार्थी वापिस श्रीलंका चले गए या स्वयं अन्य देशों में चले गये। **01 अक्तूबर, 2012 तक** तमिलनाडु के 112 शरणार्थी शिविरों और उड़ीसा के एक शिविर में **लगभग 67,298** श्रीलंकाई शरणार्थी ठहरे हुए थे।

इसके अतिरिक्त, लगभग 34,457 शरणार्थी निकटतम पुलिस थानों में अपना पंजीकरण कराकर, अपनी मर्जी से इन शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

4.171 पहली बार आने पर, शरणार्थियों का संगरोध किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात, उन्हें शरणार्थी शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें मानवता के आधार पर कुछ जरूरी राहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं में, शिविरों में आश्रय, नकद भत्ता (कैश डोल्स), कम दरों पर राशन, वस्त्र, बर्तन और चिकित्सा सुविधा एवं शैक्षणिक सहायता शामिल है। श्रीलंकाई शरणार्थियों को दी जाने वाली राहत पर समग्र व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और तदनंतर इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इन शरणार्थियों को राहत और आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जुलाई, **1983 से दिसम्बर, 2012 तक** की अवधि में 596.13 (लगभग) करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

तिब्बती शरणार्थी :

4.172 भारत में तिब्बती शरणार्थियों की वर्तमान आबादी लगभग 1,09,015 है ('संत दलाई लामा ब्यूरो' द्वारा आयोजित जनसांख्यकीय सर्वेक्षण पर आधारित, उनके दिनांक 27.02.2008 के पत्र द्वारा सूचित) इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्वरोजगार द्वारा या कृषि और हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त करके देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थी मुख्य रुप से कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545) पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में हैं। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2008 तक तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर लगभग 18.72 करोड़ रु. खर्च किए थे। वर्ष 2008 के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों पर कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि उत्तराखंड राज्य में एक शेष आवास परियोजना कार्यान्वयन चरण पर है। उत्तराखंड सरकार ने अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि की मांग नहीं की है।

<u>भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित अवशिष्ट कार्य :</u>

4.173 वर्ष 1946 से 1971 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 52.31 लाख लोग विस्थापित होकर भारत आए। इन 52.31 लाख व्यक्तियों में से 37.32 लाख विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल में पुन:स्थापित किया गया। उन्हें पुन:स्थापित करने के लिए विभिन्न राहत एवं पुनर्वास कदम उठाए गए। तथापि जैसे कि इन उपायों को अपर्याप्त पाया गया, 1976 में यह निर्णय किया गया कि विस्थापित व्यक्तियों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। विस्थापित व्यक्तियों की शहरी कॉलोनियों में मूलभूत संरचनाओं का विकास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1976 से 2000 के बीच तीन चरणों में पूरा किया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने ग्रामीण कालोनियों में मूल्भूत संरचना विकास संबंधित कार्य करने के लिए मना कर दिया तथा यह सुझाव दिया कि इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

4.174 ग्रामीण क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों में मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास संबंधी मामले को सचिवों की समिति के समक्ष रखा गया। सचिवों की समिति ने सिफारिश की कि इस मामले को गृह मंत्रालय द्वारा प्रोसेस करने की आवश्यकता है। जब यह मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की ग्रामीण कालोनियों में मूलभूत अवसंरचना विकसित करने हेतु अनुदान सहायता का अपना अनुरोध जारी रखा। इस मामले की जांच की गई तथा यह देखा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की 88 ग्रामीण कॉलोनियों में पहले ही मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित कर ली है। अत: जनवरी, 2011 में यह निर्णय किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की 258 कॉलोनियों में अवस्थित 44,000 भूमि खंडों में मूलभूत संरचना सुविधाएं विकसित करने हेतु 79.10 करोड़ रु. उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को बजट अनुमान वर्ष 2012-13 में मुहैया कराए गए 14.99 करोड़ रुपए सहित कुल 31.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। संशोधित अनुमान-2012-13 में 11.00 करोड़ रु.

तथा बजट अनुमान 2013-14 में 37.10 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधियों का प्रस्ताव किया गया है।

<u>1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और 1971 में छम्ब-नियाबात क्षेत्र से कैम्प विहीन विस्थापित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान आदिः</u>

4.175 भारत सरकार ने छम्ब नियाबात क्षेत्र से विस्थापित कैंप-विहीन व्यक्तियों तथा पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल तथा अगस्त, 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के जायज़ दावों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अनुमेय लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(क) छम्ब नियाबात क्षेत्र से 1971 में कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ख) पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों (1947) के लिए प्रति परिवार 25,000/- रु. की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ग) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार अधिकतम 25,000/- रु. की दर के अध्यधीन 5000 रु. प्रति कनाल की दर से भू-भाग की क्षति के लिए नकद प्रतिपूर्ति का भुगतान।

(घ) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले से बस चुके उन विस्थापितों को, जिन्हें विगत में भूखंड आबंटित नहीं किए गए, उन्हें भू-खण्डों के आबंटन के लिए 2.00 करोड़ रु. का भुगतान।

(ङ) राज्य सरकार को 46 नियमित कॉलोनियों में जन सुविधाओं में सुधार के लिए 25.00 लाख रु. का भुगतान।

4.176 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान हेतु जायज दावेदारों का सत्यापन करने के लिए संभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में गठित समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभग्राहियों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया है। सत्यापित एवं पात्र परिवारों को संवितरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 2002-04 के दौरान 6.17 करोड रु. की कुल राशि जारी की गई थी। जम्मू एवं कश्मीर सरकार को जारी 6.17 करोड़ रुपए की सहायता में से जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 1873 पात्र परिवारों को 423.71 लाख रु. की राशि वितरित की है। 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के बदले अनुग्रह राशि के भुगतान के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.12.2008 को जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पुनः 49.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2012 तक 1.5 लाख रु. प्रति कनाल की अधिकतम दर के अध्यधीन 25,000 रु. प्रति कनाल की दर से 2463 पात्र लाभार्थियों को 25.79 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति कर दी है।

4.177 जहां तक छम्ब नियाबत क्षेत्र से कैंप-विहीन विस्थापित व्यक्तियों (1971) का संबंध है, समिति ने 25,000/- रु. प्रति पात्र परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए कुल 1965 मामलों में से 1502 मामलों का सत्यापन कर लिया है। भारत सरकार ने मार्च, 2004 में पात्र लाभग्राहियों को वितरित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 83.00 लाख रु.की राशि जारी की है। राज्य सरकार ने अब तक 1,230 पात्र लाभग्राहियों को 25000/- रु. प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह भुगतान का वितरण कर दिया है।

वर्ष 1965 की लड़ाई के दौरान और उसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई सम्पत्तियों के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान :

4.178 भारत-पाक युद्ध 1965 और 1971 के पश्चात्, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1971 को एक संकल्प सं. 12/1/1971-ई आई एण्ड ई पी पारित किया गया जिसमें उन भारतीय राष्ट्रिकों एवं कम्पनियों, जो पश्चिमी व पूर्वी पाकिस्तान में थी, को खोई सम्पत्तियों के 25% तक के अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई और जिसकी अधिकतम

सीमा 25.00 लाख रु. थी। दावेदारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के जरिए अब तक 71.04 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के तहत बजट में 4.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

<u>पुलिस नेटवर्क (पोलनेट)</u>

4.179 पुलिस वायरलैस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू) देश भर में समय पर सहायता के लिए कानून एवं व्यवस्था, अर्ध-कानून एवं व्यवस्था, वी आई पी/वी वी आई पी सुरक्षा, न्यायालय, अपराध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण संदेश एवं विभिन्न स्थानों की स्थिति रिपोर्टें भेजने के संबंध में दो राष्ट्रीय स्तर के कैप्टिव नेटवर्क; सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) और हाई फ्रीक्वेंसी (एच एफ) रेडियो नेटवर्क का रखरखाव कर रहा है। जब सूचना के अन्य साधन विफल हो जाते हैं तो जरूरत के समय राज्य की राजधानियों में केन्द्रीय प्राधिकारियों के लिए केन्द्र और राज्य के बीच अत्यावश्यक सम्पर्क के लिए पुलिस संचार हेतु ये दो कैप्टिव नेटवर्क उपलब्ध हैं।

4.180 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्तर राज्य पुलिस वायरलैस स्टेशनों (आई एस पी डब्ल्यू) के बीच सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क में रिमोट टर्मिनल के रूप में बी एस ए टी का प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी (एच एफ) ट्रान्सरिसीवर्स का प्रयोग किया जाता है जिनकी नोड्स सभी राजयों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में आई एस पी डब्ल्यू स्टेशनों में होते हैं।

4.181 पोलनेट, वार्षिक किराया आधार पर इसरों से लीज पर लिए गए इनसेट-3 ई सैटेलाइट ट्रान्सपोन्डर पर कार्य कर रहा है। इस समय पूरे देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी, राज्य पुलिस संगठनों में डी सी पी डब्ल्यू मुख्यालयों/ अन्तर राज्य पुलिस वायरलैस स्टेशनों पर 970 वी एस ए टी लगाए गए हैं जो दिल्ली में स्थित एक एच यू बी स्टेशन से नियंत्रित होते हैं।

4.182 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान समन्वय सदन, श्री फोर्ट, नई दिल्ली में संस्थापित पोलनेट हब के लिए ट्रांसपोंडर के किराए, लायसेंस शुल्क, एन ओ सी सी प्रभार, स्पेक्ट्रम प्रभार तथा एम ए सी के लिए ''डी सी पी डब्ल्यू के पी एस एस उप शीर्ष'' के अंतर्गत 9.9 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि,

(i) ट्रांसपोंडर किराए, वार्षिक एन ओ सी सी प्रभारों तथा लायसेंस शुल्क के लिए 5.4 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं तथा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ट्रांस्पोंडर के वार्षिक एन ओ सी सी और लायसेंस शुल्क के संबंध में 3.3 करोड़ रु. का राशि की भुगतान किए जाने की संभावना है।

(ii) पोलनेट हब के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के संबंध में 0.62 करोड़ रु. का भुगतान किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 0.62 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम:</u>

4.183 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदाओं के प्रति समय से और प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों के निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपनी स्थापना की शुरूआत से ही अधिदेश के कार्यान्वयन तथा एक आपदा-प्रत्यास्थी भारत के सपने को साकार करने हेतु एक कार्रवाई मूलक कार्यक्रम पर जोर दिया है। एन डी एम ए द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य तथा चालू गतिविधियां इस रिपोर्ट के उत्तरवर्ती भाग में दी गई हैं। उक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नवत है:

(i) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति।
(ii) आपदा विशिष्ट एवं प्रासंगिक विषयों पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश।
(iii) प्रशमन परियोजनाएं।
(iv) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय पहलें।

(v) चिकित्सा संबंधी तैयारी।

(vi) सी बी आर एन तैयारी।

(vii) राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ।

(viii) नकली अभ्यास।

(ix) जागरूकता अभियान।

(x) शिक्षा।

(xi) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

<u>आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति:</u>

4.184 आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन, एन डी एम ए द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिमान परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में राहत केन्द्रीय दृष्टिकोण से इतर रोकथाम, तैयारी एवं प्रशमन सहित आपदाओं के व्यापक प्रबंधन की परिकल्पना के साथ किया गया था। यह नीति ''रोकथाम, प्रशमन, तैयारी तथा कार्रवाई की संस्कृति के माध्यम से एक व्यापक, अग्र सक्रिय, बहु आपदा मूलक एवं प्रौद्योगिकी समृद्धित रणनीति के विकास द्वारा एक सुरक्षित एवं आपदा प्रत्यास्थी भारत के निर्माण हेतु'' राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की रूपरेखा तथा पर्याप्त निवारक/प्रशमक उपाय अपनाकर क्षतियों को न्यूनतम करने हेतु रणनीति मुहैया कराती है।

<u>आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश:</u>

4.185 उद्देश्यों को योजनाओं में तब्दील करने के लिए एन डी एम ए ने, राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न संस्थानों (प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी) की मदद से कई एक पहलों को शामिल करते हुए मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया है।

<u>प्रशमन परियोजनाएं:</u>

निम्नलिखित प्रशमन योजनाएं प्रतिपादन-अधीन हैं;

(क) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना

(ख) राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना

(घ) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं।

(क) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन ई आर एम पी) - इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक भूकंप प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ करना और देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर भूकंपों के प्रति उच्च जोखिम बहुल क्षेत्रों में भूकंप जोखिम तथा सुभेद्यता को कम करना है। इस परियोजना में एन डी एम ए द्वारा तैयार किए गए भूकंप दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों/गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा नामत: तैयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरण।

(ख) राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रशमन योजना (एन एल आर एम एस)

(i) भू-स्खलनों के जोखिम को देखते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

(ii) भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एल आर एम एस) में आपदा निवारण रणनीति, आपदा प्रशमन एवं संकटपूर्ण भू-स्खलनों की मॉनिटरिंग में अनुसंधान एवं विकास, जिससे शीघ्र चेतावनी प्रणाली एवं क्षमता निर्माण पहलों को विकसित किया जा सके, को शामिल करते हुए राज्यों, अग्रणी संस्थानों के स्थल विशिष्ट भूस्खलन अध्ययनों/अन्वेषणों द्वारा संस्तुत स्थल विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना (एन एफ आर एम एस)

(i) राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित की गई थी। परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना परिकल्पित था जिसमें अब तक बहुत अधिक प्रगति नहीं हो पाई है। यह अनुभव किया गया है कि बाढ़ नदी/जल क्षेत्र के अनुसार विशिष्ट होती है। यह भी कि सुभेद्यता कई कारणों से विभिन्न नदियां/नदी जल क्षेत्रों में भिन्न होती है। इस प्रकार एक बड़ी राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना संभव नहीं हो पाई

है। अतः कार्य में पुनरावृत्ति रोकने तथा उपलब्ध संसाधनों का उत्पादक प्रयोग करने के लिए यह आभास किया गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना को पुनः नामित कर बाढ़ जोखित प्रशमन योजना नामित किया जाए जिसमें आपदा निवारण नीति आपदा प्रशमन तथा बाढ़ के कारण वाले कारकों के कारणों का अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित हो जिससे पूर्व सतर्कता व्यवस्था तथा क्षमता निर्माण उपाय विकसित किए जा सकें।

(ii) एन डी एम ए का प्रस्ताव एक अनोखी कार्यक्रम आधारित योजना है जो बाढ़ पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए अवधारित की गई थी, जो समर्पित निरुपण/पायलट योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जिसके लिए योजना आयोग ने , इस योजना को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में लेने के लिए कतिपय टिप्पणियों के अध्यधीन 'सैद्वांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। एन डी एम ए पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन द्वारा क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा ऐसे संकट ग्रस्त क्षेत्रों, जहां पिछले 10 वर्षों में कम से कम 4 बार बाढ़ आई हो, में आदर्श बाढ़ आश्रय स्थलों के निर्माण के विकास पर पायलट परियोजनाओं/बाढ़ बहुल राज्यों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा ताकि महत्वपूर्ण अंतरालों को भरा जा सके अथवा जहां बाढ़ जोखिम को प्रशमित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है अथवा जहां कुछ कार्य किया गया है परन्तु और सहायता/सुदृढ़ीकरण के प्रयासों की जरूरत है।इस योजना को जब और जैसे ही जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हस्तगत किया जाएगा और अंततोगत्वा देश में बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपनाया जाएगा, इसे जल संसाधन मंत्रालय के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रासंगिक घटक के साथ समायोजित करने का प्रस्ताव है। इन प्रायोगिक योजनाओं से देश में बाढ़ पूर्वानुमान क्षमताओं को मुख्यधारा में लाने तथा केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के सुदृढ़ किए जाने की उम्मीद की जाती है।

(iii) बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना (एफ आर एम एस) में व्यापक रूप से नदी जल क्षेत्र विशिष्ट बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली (एफ एल ई डब्ल्यू एस) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्थानिक डाटा प्रबंधन उपकरणों, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा प्रतिपादित प्रस्तावों के साथ, जी आई एसे प्लेटफार्मों, सुभेद्यता विश्लेषण के लिए वैसानिक उपकरणों तथा जोखिम प्रबंधन का प्रयोग विशेषरूप से पुनर्वास संरचनाओं की क्षमता एवं स्थायित्व में सुधार लाने और पूर्व चेतावनी तथा पूर्व सूचना प्रणालियों तथा आई टी सी अनुप्रयोगों आदि में सुधार करना शामिल है, के

अनुप्रयोग द्वारा बाढ़ बहुल राज्यों के बारे में बाढ़ आप्लावन मॉडलों का आविष्कार करने के लिए 0.5 मीटर ऊंचाइयों सहित (डिजिटल उन्नांश मानचित्रों (डी ई एम एस) का विकास शामिल है। इस योजना के तहत 'पूर्व चेतावनी प्रणाली' के विकास एवं प्रौद्योगिकी के स्तरोन्नयन द्वारा क्षमता संवर्धन एवं ''माडल बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण'' के विकास के लिए पॉयलट स्कीम हस्तगत करने हेतु बाढ़ बहुल राज्यों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाएगी। लागत को 75:25 के आनुपातिक आधार पर केन्द्र और राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।

(iv) मसौदा स्कीम जल संसाधन, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र, योजना आयोग, व्यय विभाग तथा गृह मंत्रालय आदि को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई थी। योजना आयोग ने इस परियोजना को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हस्तगत करने के लिए कतिपय टिप्पणियों के साथ 'सैद्वांतिक' अनुमोदन संसूचित किया है। अब तक प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर स्कीम को आशोधित किया गया है और अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय को भेजा गया है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त जानकारियों/सूचनाओं की मांग की है जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

<u>राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)</u>

4.186 भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) की परिकल्पना की है, जिसे विश्व बैंक की सहायता से देश के 13 चक्रवात बहुल तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना के मुख्य उद्देश्य संरचानात्मक एवं गैर-संरचनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना और तटीय जिलों, जो कि चक्रवात-बहुल होते हैं, में रह रहे लोगों के जाखिम एवं सुभेद्यता को कम करना है। एन सी आर एम पी सुभेद्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए क्षमताओं के निर्माण में सहायक होगी। परियोजना का पहला चरण विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। इसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना की लागत 1497 करोड़ रु. है व्यय वित्त समिति ने दिनांक 7.4.2010 को गृह मंत्रालय के ई एफ सी ज्ञापन पर विचार किया और परियोजना को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ भेजने की सिफारिश की। सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन का दिनांक 06.1.2011 को अनुमोदन कर दिया। अन्तर

राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल ने भी दिनांक 22 जून 2010 को 255 मिलियन यू एस डालर की धनराशि के लिए ऋण मुहैया कराने हेतु परियोजना का अनुमोदन कर दिया है।

उपर्युक्त परियोजना का चरण-। वर्तमान में कार्यान्वयन अधीन है।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ डी एम पी)

4.187 अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/अध्ययनों में राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं: जिन्हें उत्तरवर्ती पैराओं में दिया गया है।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा परियोजना (एन एस एस पी)

4.188 भारत सरकार ने जून, 2011 में राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एन एस एस पी) अनुमोदित किया था। शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कुल 48.47 करोड़ रु. की लागत से एक प्रदर्शन परियोजना को 24 माह की समय-सीमा के अन्दर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहभागिता से कार्यान्वित किया जा रहा है। विद्यालयों में सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक सर्वव्यापी परियोजना है और इसमें भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आने वाले देश के 22राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 विद्यालय शामिल किए गए हैं। इस कार्यक्रम के डिजाइन को सर्व शिक्षा अभियान, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, की मुख्य धारा में लाने के लिए परीक्षित एवं वैधीकृत किया जाएगा ताकि इसका स्तर उन्नत किया जा सके और पूरे देश में कार्यान्वित किया जा सके।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत है:-

(1) 22 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में प्रत्येक के 43 जिले के 200 विद्यालयों की पहचान की गई है।

(2) एन एस एस पी के तहत जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों के लिए वित्तीय दिर्शानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य परिचालित किए गए हैं।

(3) दिशानिर्देश टिप्पणी सहित विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना सांचा (टेम्पलेट) तैयार कर लिया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित किया गया है, साथ ही इसे एन डी एम ए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(4) सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई सी सी) का सार तैयार कर लिया गया है और इसे एन डी एम ए की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(5) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, अंडमान एवं निकोबार तथा चंडीगढ़ को छोड़कर शेष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा आई ई सी सामग्रियों के पहले लॉट का रूपांतरण, मुद्रण तथा परिचालन करने के लिए 4.55 करोड़ रु. की अनुदान सहायता राशि जारी की गई थी।

(6) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अक्तूबर, 2012 तक विभिन्न राज्य स्तरीय गतिविधियां चलाने के लिए 19.97 करोड़ रु. की अनुदान सहायता राशि जारी की गई है।

(7) एन एस एस पी के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) द्वारा मास्टर प्रशिक्षकों के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं में वैज्ञानिक अध्ययन एवं स्कीमें भी शामिल हैं, जैसे:-

(i) <u>मानचित्रण</u>

4.189 भारत के मानचित्रण आधार के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन (एन ए टी एम ओ), कोलकाता को सौंपा गया है, जो कि अपेक्षित पैमाने पर विशिष्ट उभार अंतरालों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद नैटमो (एन ए टी एम ओ) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट एन डी एम ए को भेज दी है।

(ii) <u>ब्रह्मपुत्र नदी अपर्दन अध्ययन</u>

4.190 एन डी एम ए ने आई आई टी, रुडकी को परामर्श परियोजना ''ब्रह्मपुत्र नदी का अपर्दन तथा इसका नियंत्रण'' का अध्ययन कार्य सौंपा था। सिफारिशों सहित अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें एन डी एम ए में प्राप्त हो चुकी हैं। अध्ययन में उपग्रह डाटा संसाधन एवं विश्लेषण; हाइड्रोलोजिकल डाटा प्रापण, संसाधन एवं विश्लेषण; एवं डिजाइन विश्लेषण और सिफारिशें शामिल थीं। अध्ययन में ब्रह्मपुत्र नदी के अपर्दन सुभेद्य खण्डों की पहचान की गई है। अध्ययन की प्रतियां जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड तथा असम सरकार को भेजी जा चुकी हैं। रिपोर्ट को एन डी एम ए की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

(iii) <u>भवनों का वर्गीकरण</u>

4.191 भारत के विभिन्न हिस्सों में भवनों के भिन्न –भिन्न प्रकारों की सूची तैयार करने का कार्य तथा भवन सूची में सम्मिलित बड़ी संख्या में भिन्न-भिन्न भवनों के प्रकारों के सुभेद्यता कार्यों के विकास अध्ययन का कार्य कुल 126 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आई आई टी, मुम्बई को सौंपा गया है जिसे चार भिन्न-भिन्न नोडल संस्थानों के सहयोग से देश के हिस्सों अर्थात् (1) आई आई टी रुड़की-उत्तरी क्षेत्र (2) आई आई टी खड़गपुर-पूर्वी क्षेत्र (3) आई आई टी-गुवाहाटी-पूर्वोत्तर क्षेत्र (4) आई आई टी, मुम्बई-पश्चिम क्षेत्र तथा (5) आई आई टी, मद्रास-दक्षिण क्षेत्र शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना के वर्ष 2012-13 में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

(iv) <u>उन्नत भूकंप खतरा मानचित्र तैयार करना:-</u>

4.192 विशेषज्ञों (भू-भौतिकी खतरे) की कार्यकारी समिति द्वारा यथा-संस्तुत 76.83 लाख रु. की अनुमानित लागत पर बी एम पी टी सी द्वारा हस्तगत की जाने वाली देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप खतरा मानचित्रों को स्तरोन्नत करने संबंधी परियोजना वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित की गई है।

(v) <u>मृदा नल-तंत्र (पाइपिंग) परियोजना</u>

4.193 मृदा नल-तंत्र (पाइपिंग) केरल में, हाल में नोटिस की गई एक अनौखी घटना है। यह भीतरी सतह पर होने वाली मृदा अपर्दन प्रक्रिया है जो खतरनाक आपदा है क्योंकि इसमें मृदा अपर्दन की प्रक्रिया मिट्टी के नीचे होती है। एन डी एम ए से वित्तीय सहायता लेकर केरल सरकार ने पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र के माध्यम से इस विशेष अपर्दन घटना के अध्ययन तथा इस आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए मृदा नल-तंत्र (पाइपिंग) परियोजना को हस्तगत किया है।

(vi) <u>केरल स्थित मीनाचल एवं मणिमाला नदियों में फ्लैश बाढ़ के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली</u>

4.194 एन डी एम ए 40.95 लाख रु. की लागत से आपदा प्रबंधन विभाग, केरल सरकार के लिए केरल स्थित मीनाचल एवं मणिमाला नदी-घाटियों में फ्लैश बाढ़ आपदा जोखिम प्रशमन हेतु रिवर मॉनिटरिंग, मॉडेलिंग एवं शीघ्र चेतावनी प्रणाली के लिए मिशन फॉर जी ओस्पशियल एप्लीकेशंस (एम जी ए), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रस्ताव का वित्त पोषण कर रहा है, यही रकम एन डी एम ए द्वारा एम जी ए को उपलब्ध करायी जाएगी। इस परियोजना के लिए एन डी एम ए तथा एम जी ए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं तथा एम जी ए को 16.38 लाख रु. की पहली किस्त जारी कर दी गई है।

(vii) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) प्लेटफार्म आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन डी एम आई एस)

4.195 एन डी एम ए का एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन डी एम आई एस) विकसित करने का प्रस्ताव है, जहां राष्ट्र के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी समुदाय से अपने प्रभाव क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करके विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों के लिए बहुत ही परिष्कृत कार्रवाई योग्य सूचना सृजित करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डी एस एस) सहित विस्तृत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) केसाथ विभिन्न नोडल एजेंसियों से संग्रहीत आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। जी आई एस प्लेटफार्म डी एस एस के साथ सुभेद्यता विश्लेषण एवं जोखिम विश्लेषण (वी ए एवं आर ए), जो कार्रवाई केन्द्रित दृष्टिकोण के विपरीत आपदाओ के व्यापक एवं अति सक्रिय प्रबंधन के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हैं, का आकलन करने के लिए मुख्य डाटाबेस के साथ-साथ आपदा विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण करेगा। एन डी एम आई एस में तीन प्रमुख तत्व शामिल होंगे, अर्थात् जानकारी आधारित सूचना, आंकड़ों के वर्तमान स्रोतों का एकीकरण तथा सही समय पर और सही जगह पर पणधारियों को इन आंकड़ों/सूचना स्रोतों के प्रचार के लिए सूचना की अन्त: संयोजकता (इंटरकनेक्टिविटी)।

4.196 प्रस्तावित एन डी एम आई एस राष्ट्रीय आपात प्रबंधन डाटोबेस पर आधारित होगी, जिसे राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र के सहयोग से गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है और जिसे वास्तविक/निकट वासतविक समय में, देश में आपदा/आपात प्रबंधन के सहायतार्थ आंकड़ों के एक जी आई एस आधारित गोदाम के रूप में संकल्पित किया गया है। इस परियोजना को नेशनल रिमोट संन्सिंग सेंटर (एन आर एस सी) हैदराबाद के सहयोग से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(viii) अतिरिक्त आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना

4.197 आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के साथ, संभावित विकिरण आधारित प्रकीर्णन डिवाइसेस(आर डी डी एस) विस्फोट गंभीर चिंता का रूप धारण कर रही है। यद्यपि, आर डी डी एस से जन-विनाश नहीं होता है, यह भय का वातावरण और मनोवैज्ञानिक विक्षोभ पैदा करने वाले उच्च शक्ति के जन-विघटन हथियार हैं। इसके अलावा ये बड़ी संख्या में लोगों और आस-पास के क्षेत्र को संदूषित कर सकते हैं। एन डी एम ए द्वारा परमाणु एवं विकिरण आपात प्रबंधन के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों में यह अनुबंध है कि बी ए आर सी द्वारा स्थापित 18 विशेषीकृत आपात कार्रवाई केन्द्रों के अलावा देश के सभी बड़े शहरों में अतिरिक्त आपात कार्रवाई केन्द्रों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। आपात केन्द्रों को समुचित विकिरण जांच उपकरणों से लैस किया जाएगा और इन्हें प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा संचालित किया जाएगा। वे किसी परिवहन दुर्घटनाओं अथवा चिकित्सा के विकिरण के असंरक्षित स्रोतों से जुड़ी घटनाओं के कारण पैदा हुई आपात स्थितियों का भी मुकाबला करेंगें।

4.198 प्राय: किसी विस्फोट के घटना स्थल पर पहले पुलिस पहुंचती है। उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में मॉनिटरिंग और चौकसी का कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि पुलिस वाहनों को साधारण विकिरण जांच की मॉनिटरिंग करने वाले उपकरणों जैसे-जाएं/नहीं जाएं (गो/नो-गो) किस्म के सर्वेक्षण यन्त्रों से लैस करना होगा। इन मूलभूत उपकरणों से उन्हें आस-पास की आबादी पर आर डी डी का प्रभाव जांचने में मदद मिलेगी। इसे संबंधित क्षेत्र की घेराबंदी करके तथा पड़ोसी विशेषीकृत इ आर सी/परमाणु ऊर्जा विभाग की सुविधाओं एवं/अथवा एन डी आर एफ स्टेशनों के विशेषज्ञों से संपर्क करके प्रभावित क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के प्रबंध से अंजाम दिया जा सकता है।

4.199 चरण-। में 20 लाख या इससे अधिक आबादी वाले बीस शहरों में प्राथमिकता के आधार पर ए ई आर सी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया जाता है । इसके बाद 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 15 और बड़े शहरों में भी ए ई आर सी केन्द्रों का सृजन किया जाएगा। इस परियोजना को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ix) <u>उन्नत पूर्व सूचना-प्लेटफार्म</u>

4.200 अति सक्रिय एवं सर्वव्यापी प्रबंधन के लिए सबसे पहले प्राथमिक जरूरतों में प्रभावी पूर्व-सूचना प्रणाली का होना है, जो अग्रता समय, दृढ़ निश्चय और परिशुद्धता आदि के न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता हो। तथापि, प्राकृतिक विपत्तियों जैसे-बाढ़, चक्रवात एवं अन्य तीव्र मौसमी घटनाओं की प्रचालनात्मक पूर्वानुमान प्रणाली में, विशेषकर भारत में, व्याप्ति और कौशल का स्तर अतिसक्रिय एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए अभी भी वांछित स्तर से नीचे है। पूर्वानुमान में कौशल के सुधार के लिए उच्चतम स्तर की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सूचनाओं की अपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के विकासात्मक प्रयास किसी एजेंसी द्वारा तभी कार्यान्वित किए जा सकेंगे जब वह दिन-प्रतिदिन के मौसम की पूर्व सूचना के कार्य में लगी हो। इस तरह वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिकी समूह के लिए यह एक तात्कालिक जरूरत है कि वह विभिन्न संस्थानों एवं अनुसंधान और विकास समुदायों के पास उपलब्ध जानकारी, जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों की नेटवर्किंग के द्वारा जल-मौसमी आपदाओं के लिए पर्याप्त प्रचालनात्मक पूर्वानुमान कौशल की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण प्रयास करे।

4.201 मूलभूत उद्देश्य, अग्रता (अत्याधिक वर्षा की घटनाओं के लिए 48 घंटे तक तथा तीव्र चक्रवातों के लिए 72 घंटे तक) तथा उन्नत पूर्वानुमान कौशल (स्किल) (100 कि.मी. से कम 24 घंटे भू-दर्श त्रुटि) के संदर्भ में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) की पूर्वानुमान क्षमताओं को मजबूत बनाना तथा इसमें अभिवृद्धि करना है। इस परियोजना को दो चरणों अर्थात् चरण-। और चरण-।। में निष्पादित करने का प्रस्ताव है।

4.202 इन प्रस्तावों पर योजना आयोग का 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त तीन परियोजनाओं के लिए अवधारणा टिप्पणियां (कांसेप्ट नोटिस) गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं।

<u>चिकित्सा संबंधी तैयारी</u>

4.203 एन डी एम ए ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करके इस संपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र में तैयारी के संवर्धन हेतु संयुक्त कदम उठाए हैं। कुछेक परियोजनाओं जैसे-राज्यों में एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार, ट्रॉमा-सेंटर का सृजन तथा जैव-

सुरक्षा प्रयोगशालाओं आदि के स्तरोन्नयन पर कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं तथा अन्य पहलों का ब्यौरा निम्नवत है।

<u>एम्बुलेंस सेवाएं</u>

4.204 बारह राज्यों में एम्बुलेंस सेवाओं का प्रबंध तथा इनमें से आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त दस राज्यों नामतः असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तराखंड में ये सेवाएं पहले ही शुरू हो गई हैं।

<u>आघात केन्द्र (ट्रॉमा सेंटर)</u>

4.205 ट्रॉमा केन्द्रों का सृजन ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिस पर समुचित ध्यान देना जरूरी था। कई एक राज्यों ने क्षेत्रीय ट्रॉमा केन्द्रों के सृजन हेतु कार्रवाई की है। इस संबंध में दिल्ली और चंडीगढ़ ने सबसे पहले शुरूआत की है। आंध्र प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे राज्य भी इस प्रकार के केन्द्रों के सृजन की प्रक्रिया में हैं।

<u>जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाएं</u>

4.206 वर्ष 2005 तक पशुपालन के लिए भोपाल में एक मात्र जैव-सुरक्षा प्रशेगशाला लेवल-IV थी। एक और प्रयोगशाला, जो कि लेवल-IV के स्तरोन्नयन अधीन है, के सहित पांच और जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाए, दिल्ली, कोलकाता, डिब्रूगढ़ बेंगलुरू, गया, पुणे (प्रत्येक में एक) में स्थापित की गई हैं। 14 प्रयोगशालाओं को जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं के लेवल-III तक स्तरोन्नयन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त 13 सशस्त्र बल अस्पताल की बी एस एल-III प्रयोगशालाओं का सृजन कर रहे हैं। एच 1 एन 1 परीक्षण करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों की 44 प्रयोगशालाओं को स्तर-II तक स्तरोन्नत किया गया है।

<u>सचल क्षेत्र अस्पताल</u>

4.207 देश में पांच सचल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 3 गृह मंत्रालय द्वारा और 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इनमें वे सचल अस्पताल शामिल नहीं हैं जो कार्रवाई प्रयोजनों के लिए सेना और वायु सेना के पास पहले ही मौजूद हैं।

रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय (सी बी आर एन) हताहत प्रबंधन सुविधाएं

4.208 सी बी आर एन हताहत प्रबंधन सुविधाओं के सृजन हेतु एन डी एम ए ने जे पी एन स्पेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में आदर्श सी बी आर एन हताहत प्रबंधन केन्द्रों को विकसित करने की सिफारिश की है। तदुपरान्त इस प्रकार के केन्द्रों को देश के अन्य अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा।

ट्रॉमा-प्रबंधन

4.209 एन डी एम ए ने जे पी एन एपेक्स ट्रामा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से डाक्टरों को एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (ए टी एल एस) पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। पाठ्यक्रमों को मानकीकृत तथा अमेरिकन सर्जन एसोसिएशन प्रशिक्षण माड्यूल के साथ सहयोजित किया जाता है। जिसे 13 अन्य देशों में कार्यान्वित किया जाता है। अब तक देश भर में 810 डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए 27 पाठ्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं। निकट भविष्य में देश के अन्य भागों में ऐसे ही कई पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना तैयार की जा रही है।

विकिरण हताहत

4.210 विकिरण अभिकर्मकों के तीव्र स्वास्थ्य जोखिमों को परिभाषित किया जाना चाहिए तथा मेडिकल डाक्टरों तथा परा-चिकित्सीय कार्मिकों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए। इससे पहले कि चिकित्सा हताहतों को विशेषीकृत दल को सौंपा जाए, प्रत्येक डाक्टर को ऐसे हताहतों को आपात चिकित्सीय देखभाल मुहैया करानें में समर्थ होना चाहिए। एन डी एम ए ने डी आर डी ओ, बी ए आर सी तथा जे पी एन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली के सहयोग से पहले ही दिल्ली के 200 से भी अधिक डॉक्टरों को सी बी आर एन हताहत प्रबंधन प्रशिक्षण दे चुका है। एन डी एम ए ने सी बी आर एन हताहतों को आपात चिकित्सा कार्रवाई पर प्रशिक्षण के लिए डी आर डी ई, ग्वालियर, सी एम ई, पुणे तथा बी ए आर सी, मुम्बई के साथ सहयोग भी किया है।

इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए चिकित्सा अधिकारियों को 19 वें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए तैनात किया गया था।

सी बी आर एन संकटों के लिए तैयारी

4.211 एन डी एम ए ने सी बी आर एन संकटों के लिए तैयारी हेतु निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की हैं:

(i) एन डी एम ए द्वारा सी बी आर एवं संकट के विरुद्ध संसद भवन परिसर की संरक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार की गई योजना को संयुक्त संसदीय समिति ने अनुमोदित कर दिया है। यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।

(ii) सी बी आर एन संकट के विरुद्ध राष्ट्रमंडल खेलों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार की गई योजना सरकार को सौंप दी गई थी। (प्रथम संक्रियाओं के प्रशिक्षण सहित)

(iii) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सी बी आर एन हताहतों की संभाल (हैंडलिंग) के लिए डॉक्टरों और परा-चिकित्सीय स्टाफ का प्रशिक्षण।

(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आर एम एल अस्पताल में सी बी आर एन उपचार केन्द्र का सृजन प्रगति पर है।

(v) सी बी आर एन प्रशमन एवं प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना अनुमोदनाधीन है।

(vi) **'डोजीमीटर'** मुहैया करके समाज तथा एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों के पुलिस स्टेशनों (35 शहरों मं कुल 775 पुलिस स्टेशन) में निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करना। यह परियोजना वर्तमान में गृह मंत्रालय में अनुमोदनाधीन है।

4.212 मौजूदा प्रक्रिया में खामियों के उन क्षेत्रों, जिन्हें सुधारा जाना है/सुदृढ़ किया जाना है, को सूचित करने के साथ-साथ सुधारात्मक उपायों के अमल के लिए उत्तरदायी एजेंसियों की पहचान करने हेतु श्री बी. भट्टाचार जी, सदस्य, एन डी एम ए की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया था, जिसमें ले.जन. (डॉ.) जे. आर. भरद्वाज (सेवानिवृत्त) को भी सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया था। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट 12 अगस्त, 2010 को सरकार को सौंप दी गई थी।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

4.213 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एन डी आर एफ का गठन किसी प्रकार की आपदा अथवा संकटपूर्ण आपदा स्थिति के लिए एक विशेषज्ञ बल के रूप में किया गया था। इस बहु प्रशिक्षण एवं बहु-कौशल युक्त बल को अंतर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किए जाने के कारण देश के विभिन्न अवस्थलों पर अवस्थित किया गया है और इस बल ने देश भर में विभिन्न आपदा घटनाओं में भाग लिया है।

<u>एन डी एम ए वेबसाइट</u>

4.214 एन डी एम ए अपनी वेबसाइट का इंटरनेट प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर रहा है। इसके संगठनात्मक ढांचे, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से संबंधित सभी सूचनाओं को इस साइट पर डाला गया है।

<u>प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक मेले</u>

4.215 एन डी एम ए ऐसी विभिन्न प्रदर्शनियों एवं व्यापारिक मेलों में हिस्सा लेता रहा है जहां प्रचार सामग्रियों जैसे-चैनेलो, ब्रोशस, इश्तहारों तथा दिशानिर्देशों को दर्शाते स्टाल लगाए जाते हैं। एन डी एम ए ने 14 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2012 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चलने वाले भारतीय अन्तर राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में हिस्सा लिया था।

<u>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण</u>

4.216 राज्य एवं जिला स्तरों पर विभिन्न पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने हेतु एन डी एम ए ने सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के साथ एक संयुक्त पहल की शुरूआत की थी। इन कार्यक्रमों में इन संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से, राज्य तथा जिला स्तर पर फील्ड लेवल के अधिकारियों के लिए आरंभिक बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विशेष रूप से आयोजित कार्यशालाएं संचालित की जाती हैं।

<u>राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम</u>

<u>प्रशमन परियोजनाएं</u> :

4.217 आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट को 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किया है। 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने परियोजनाएं/योजनाएं निम्नानुसार हैं:

(क) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी) - परियोजना के मुख्य उद्देश्य संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना और तटीय जिलों, जो कि चक्रवात-बहुल होते हैं, में रह रहे लोगों के जोखिम एवं सुभेद्यता को कम करना है। एन सी आर एम पी सुभेद्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए क्षमताओं के निर्माण में सहायक होगी।

(ख) राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना (एन ई आर एम पी) - इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक भूकंप प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ करना और देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेषकर भूकंपों के प्रति उच्च जोखिम बहुल क्षेत्रों में भूकंप जोखिम तथा सुभेद्यता को कम करना है। इस परियोजना में एन डी एम ए द्वारा तैयार किए गए भूकंप दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों/गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना को दो चरणों नामतः तैयारी चरण तथा कार्यान्वयन चरण में पूरा किया जाएगा

(ग) राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन एल आर एम पी) – भू-स्खलनों के जोखिम को देखते हुए राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना को भूस्खलन प्रशमन पर एक योजना तैयार करने का कार्य सौंपा है जिसमें कई स्थल विशिष्ट प्रशमन परियोजनाएं निहित हो।

(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (एन डी एम सी एन) - देश को शीघ्र चेतावनी तथा पूर्व सूचना देने सहित अति सक्रिय आपदा सहायता कार्यों के लिए एक समर्पित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता है। उक्त सहायता (वॉयस, वीडियो एवं डाटा) अभिमुख, पर्याप्त और प्रत्युत्तरकारी भी होनी चाहिए।

(ड.) राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन एफ आर एम पी): राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित की गई थी। केन्द्रीय जल

आयोग द्वारा निष्पादित किए जा रहे 'बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम' पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) को एक योजना तैयार करने का निदेश दिया गया है।

(च) अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ डी एम पी) – अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/अध्ययनों में विद्यालय सुरक्षा परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। विद्यालय सुरक्षा परियोजना में जागरूकता को प्रोत्साहित करना, आपदा जोखिम उपायों का प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। स्कूल सुरक्षा संबंधी परियोजना 48.47 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से कार्यान्वयन अधीन है जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन एवं योजनाएं भी शामिल हैं।

- राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मैपिंग संगठन (एन ए टी एम ओ) द्वारा भारत के लिए मानचित्रक आधार का विकास।
- स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर (एस ई आर सी), चेन्नै द्वारा भारत के लिए संभावित भूकंपी खतरा मानचित्र (पी एस एच ए) का विकास।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर द्वारा भारतीय भू-द्रव्यमान के भूकंपी सूक्ष्मवर्गीकरण के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण।
- आई.आई.टी. रूड़की द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी अपर्दन अध्ययन।
- आई एम डी द्वारा पूर्व-सूचना की परिशुद्धता सुधारने हेतु उन्नत पूर्व-सूचना प्रतिरूपण।
- परमाणु/विकिरण संबंधी आकस्मिकताओं से मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त आकस्मिक कार्रवाई केन्द्र की स्थापना।

4.218 वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 78 परस्पर सम्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 13 वेब-आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें क्रमश: 2083 तथा 886 भागीदारों की उपस्थिति दर्ज की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान संस्थान ने 84 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 2,142 भागीदारों ने भाग लिया तथा 15 वेब-आधारित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 781 भागीदारों ने भाग लिया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान ने 4 कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

<u>अफ्रीकी देशों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम</u>

4.219 इनमें से एन आई डी एम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम अफ्रीकी देशों के कर्मचारियों के लिए था। यह कार्यक्रम भारतीय-अफ्रीका सम्मेलन-।। के अंतर्गत आयोजित किया गया। 14 विभिन्न देशों से 20 वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जो जनवरी 10-21, 2011 के दौरान आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल

4.220 राष्ट्र ने अतीत में कई बार तथा बड़ी भारी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं जिसके कारण जोखिम के अंतर्गत आए लोगों के बीच बड़े स्तर पर विनाश, मृत्यु, असक्षमता, बीमारियां तथा जोखिम मे फंसे लोगो को भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। आपदाओं से निपटने के लिए नागरिक व्यवस्था पर विश्वास न होना तथा आधिक्य सुनिश्चितता की बड़ती प्रवृति के कारण सशस्त्र बलों की अक्सर तैनाती की जाती है। तदनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल को जोखिम भरी आपदा स्थितियों अथवा आपदाओं से निपटने की कार्रवाई के प्रयोजन से गठित किया गया है।

4.221 एन डी आर एफ एक अति प्रशिक्षित, विशिष्ट तत्काल कार्रवाई वाला बल है जो विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस है। इस बल का मुख्य उद्देश्य आपदा अथवा आपदा स्थितियों से एक अतिसक्रिय पद्धति से तत्काल निपटना है। एन डी आर एफ सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं अथवा मानव निर्मित आपदाएं, जिसमें रासायनिक, आणविक तथा जैविक आपदाएं सम्मिलत हैं, से निपटने के लिए उच्च प्रशिक्षण, उपकरण, संचार तथा गतिशीलता वाला प्रेरित दल है।

4.222 ऐसी किसी स्थिति के लिए बल के कर्मिकों को खोज एवं बचाव प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। तैराकी, पैरा-ड्रॉपिंग, डीप-डाइविंग तथा हेलीस्लाइदिरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एन डी आर एफ बटालियनों को ऐसी स्थितियों में प्रथम चिकित्सा उपचारक के रूप में तथा ध्वस्त भवनों के लिए सक्षमता से कार्रवाई करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। बाढ़ से संबंधित गतिविधियों के लिए मोटरीकृत नावें त्वरित कार्रवाई में सहायता प्रदान करेंगी। आपदा स्थितियों के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई दलों का निष्पादन बेहतर रहा है। हमारी राहत कार्रवाई को सभी लोगों द्वारा सराहा गया है। वर्ष के दौरान एन डी आर एफ ने

वर्ष में हुई बस दुर्घटनाओं, ट्रेन दुर्घटनाओं, ध्वस्त ढ़ांचों, बम विस्फोट, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर कार्रवाई की है।

4.223 उपर्युक्त तैनाती के अतिरिक्त, आवश्यक उपकरणों सहित एन डी आर एफ टीमें निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं में भी तैनात की गईं ताकि तलाशी और बचाव अभियानों को चलाया जा सके:-

- पवना बाँध, लोनावाला, जिला पुणे (महाराष्ट्र) में तलाशी एवं बचाव अभियान:- (डूबने का मामला-14.1.2012)
- ईसापुर नज़फगढ़, दिल्ली में तलाशी एवं बचाव अभियान – (डूबने का मामला-26.1.2012)
- मिर्जा रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना (3.2.2012)- 40 व्यक्तियों को बचाया गया।
- अग्नि दुर्घटना: असम में आर.बी. कर्मिशियल कॉटन प्रोडक्शन इंडस्ट्री, मिर्जा में – 15.2.2012 – फैक्ट्री के 06 घायल कामगारों को बचाया गया।
- डकला बोरियापुर, जिला कामरूप (असम):- (डूबने का मामला – 18.2.2012)
- ग्राम इंदुरिगांव, जिला-पुणे (महाराष्ट्र): (डूबने का मामला – 21.2.2012)
- धारापुर शमशानघाट, पुलिस थाना अजारा जिला, कामरूप (असम): (डूबने का मामला – 8.3.2012)
- पदामारी, गोटानगर, पुलिस थाना झालुकबारी (असम) – भारी ट्रक के नाले में गिरने से संबंधित दुर्घटना – फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला गया (12.3.2012)
- संसद भवन तैनाती: एन डी आर एफ की एक टीम संसद भवन में चलने वाले बजट सत्र के लिए 12.3.2012 से संसद भवन, दिल्ली में तैनात है।

भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं

जनगणना 2011:

4.224 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनसंख्या जनगणनाएं कराने की लम्बी परम्परा रही है । जनगणना 2011 देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह 7वीं जनगणना है । जनसंख्या की गणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के संबंध में जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराती है । जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों अर्थात् मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना के रूप में किया जाता है । जनगणना 2011 का पहला चरण अप्रैल-सितम्बर, 2010 में तथा दूसरा चरण फरवरी-मार्च, 2011 में किया गया था । जनगणना 2011 के दो चरणों के दौरान परिवारों और प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में मकान, उपलब्ध सुख-सुविधाओं की मात्रा और गुणवत्ता, स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियों, आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, नि:शक्तता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भाषाओं/मातृभाषा, आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति और प्रवास जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय लैंगिक संरचना तथा साक्षरता की स्थिति मानदण्डों संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए हैं ।

4.225 भारत और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में जनसंख्या के आकार, वृद्धि और वितरण, संबंधी ब्यौरा देने वाले जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों (पी.पी.टी.-1) संबंधी रिपोर्ट को जनगणना के पूरा होने के तीन सप्ताह के भीतर 31 मार्च, 2011 को जारी कर दिया गया था । एक लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों/नगरीय समूहों के ग्रामीण-नगरीय वितरण और जनसंख्या संबंधी आंकड़े देते हुए जनसंख्या के कुल अनन्तिम आंकड़ों (पी.पी.टी.-2, भाग 1) को भी जारी किया जा चुका है । पूरे देश में सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जनगणना संबंधी मकानों, उपलब्ध सुख-सुविधाओं तथा परिवारों के स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियों के गुणात्मक तथा मात्रात्मक आंकड़े देने वाले मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, 2011 के परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं । तहसील तथा नगर के स्तरों पर भी ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं ।

4.226 मकान सूचीकरण ओर मकानों की गणना संबंधी गणना उपरान्त सर्वेक्षण (पी.ई.एस.) कार्य पूरा कर लिया गया है । जनगणना 2011 की जनसंख्या गणना संबंधी गणना उपरान्त

सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कवरेज ओर अंतर्वस्तु में भूल-चूक तथा पुनरावृत्ति से संबंधित आंकड़े संसाधित किए जा रहे हैं ।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय के अधीन प्लान स्कीमें:

जीवनांक प्रणाली में सुधार

(क) सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली

4.227 देश में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का कार्य, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार सम्पूर्ण देश में रजिस्ट्रीकरण के कार्यकलापों का समन्वय और एकीकरण करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं । इस स्कीम के विभिन्न संघटकों में हुई प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

4.228 जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में सुधार : वर्ष 2010-11 में, मध्य प्रदेश में गत वर्षों की तुलना में जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में 7.0% का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है इसके बाद आन्ध्र प्रदेश (2.0%), सिक्किम (2.0%), तमिलनाडु (2.0%) और हरियाणा (0.4%) का स्थान रहा । गत वर्ष की तुलना में जन्म रजिस्ट्रीकरण में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (3.1%), दमन एवं दीव (7.0%), तथा लक्षद्वीप (4.9%) में सुधार हुआ है ।

4.229 वर्ष 2011-12 में, उततर प्रदेश में जन्म रजिस्ट्रीकरण के स्तर में गत वर्ष की तुलना में 15.5% का महत्वपूर्ण सुधार हुआ है इसके बाद बिहार (13.4%) और राजस्थान (6.5%) का स्थान रहा तथा गत वर्ष की तुलना में जन्म रजिस्ट्रीकरण में क्रमश: उत्तराखण्ड (3.7%), असम (3.5%) और छत्तीसगढ़ (2.6%) में सुधार हुआ है ।

4.230 सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं क लिए प्रशिक्षण पुस्तिका :- जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व और आर.बी.डी. अधिनियम, 1969 के विभिन्न प्रावधानों पर एक प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है और हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित करवाई गई है ।

4.231 प्रशिक्षण : प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों के रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों, जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं, सांख्यिकीय सूचना के संकलन आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

4.232 वर्ष 2011-2012 के दौरान कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, दमन और दीव, उत्तराखण्ड, मेघालय, असम, गुजरात, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर को सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और सिविल रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों के संरक्षण के लिए साधनों को प्राप्त करने के लिए 80.13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है ।

4.233 दिसम्बर 2012-13 तक सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, और हिमाचल प्रदेश को 57.44 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

प्रचार :

4.234 आर.बी.डी. अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार किसी आवासीय घटना (जन्म/मृत्यु) के रजिस्ट्रीकरण की सूचना देने का उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का है । अतः रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता और इस अधिनियम/नियमों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है । जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता पर विडियो/ओडियो स्पाट दूरदर्शन और निजी टीवी/आकाशवाणी/डिजीटल सिनेमा के माध्यम से प्रसारित करवाए गए प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में जन्म रजिस्ट्रीकरण पर विज्ञापन अल्प निष्पादन वाले राज्यों में रजिस्ट्रीकरण का स्तर सुधारने के लिए दिया जाना एक और गतिविधि थी जिसे जारी रखा गया । राज्य में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबंधी संदेश को पोस्टरों/वाल हैंगर्स, स्टिकर्स और प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित करवाया गया । जनता की रुचि को बनाए रखने के लिए नई विडियो स्पॉट और रेडियो जिंगलों का प्रसारण के लिए निर्माण भी दृष्य/श्रव्य किया गया । 2011-12 के दौरान 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान प्रचार पर क्रमशः 1386.59 लाख रुपये एवं 1181.63 लाख रुपये की धनराशि का व्यय हुआ ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली

4.235 1970 में अपने आविर्भाव से ही सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और स्त्री मृत्यु दर के साथ-साथ प्रजननता दर और मृत्यु दर संबंधी आंकड़ों का मुख्य स्रोत रही है । नवीनतम जनगणना परिणामों के आधार पर एस.आर.एस. सैम्पल प्रत्येक दस वर्षों में बदला जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य सैम्पल को सम्पूर्ण जनसंख्या की अधिक से अधिक जानकारी का प्रदर्शक बनाया जाना है । वर्तमान सैम्पल को 2001 की जनगणना फ्रेम के आधार पर बदला गया है और सैम्पल आकार को 6671 इकाइयों से 7597 इकाइयों तक बढ़ाया गया है तथा जनवरी, 2004 से प्रभावी किया गया है ।

4.236 वर्ष 2008-09 के दौरान, वर्ष 2007 के लिए लिंग और आवास के अनुसार जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर संबंधी एस.आर.एस. बुलेटिन-2008, वर्ष 2007 के लिए प्रजननता दर और मृत्यु दर पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ जन्म मृत्यु दर समाहित करने वाली एस.आर.एस. सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2008 और एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त सारणियां 2002-06 प्रकाशित की गई । वर्ष 2009-10 के दौरान, 2004-06 में भारत में मातृ मृत्यु दर के स्तरों पर विशेष बुलेटिन 2008 की जन्म-मृत्यु दरों से संबंधित सै.र.प्र. बुलेटिन 2009 और भारत की प्रजननता दर और मृत्यु दर के संकेतकों पर कम्पेंडियम, 1971-2007 प्रकाशित किए गए । 2012-13 के दौरान, 2011 के जन्म-मृत्यु दरों को रखने वाला एस.आर.एस. बुलेटिन 2012 और 2003-07 से 2006-10, वर्ष के लिए सै.र.प्र. आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां प्रकाशित की गई ।

4.237 पूर्णत: एकीकृत आनलाइन प्रणाली विकसित करने की समग्र योजना के हिस्से के रूप में सै.र.प्र. के अन्तर्गत फील्ड से हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष आंकड़ा संग्रहण शुरू करने की एक योजना है । इलेक्ट्रानिक डाटाबेस सृजित करने के अतिरिक्त इससे आंकड़ा संग्रहण और रिपोर्टों को जारी करने के बीच के समय के अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी । प्रत्यक्ष आंकड़ा प्राप्ति के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर को एन.आई.सी.एस.आई. के माध्यम से विकसित किया गया है और दिल्ली तथा राजस्थान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग

किया गया है । प्राप्त जानकारियों के आधार पर इसमें और भी सुधार किया गया है । तथापि, एस.आर.एस. के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लंबित प्रतिस्थापन और बेसलाइन सर्वेक्षण के कारण साफ्टवेयर को सीमलेस इंटीग्रेशन और डिप्लायमेंट के लिए और सुधारा जाएगा । प्रारम्भ मं हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों को नगरीय सैम्पल यूनिटों और बाद में ग्रामीण यूनिटों में प्रयोग किए जाने की योजना थी । तथापि हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों की खरीदमें एन.आई.सी.एस.आई. की ओर से हुए विलम्ब के कारण इस उपकरण को तय योजना के अनुसार 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रयोग नहीं किया जा सका । इससे अलावा, हाथ में पकड़े जाने वाले उपकारणों को चाजू करने के लिए, एच.वाई.एस. में इसे प्रवर्तित किया जाना है से पहलेके एच.वाई.एस.एस. के आंकड़े की उपलब्धता, एक आवश्यक अपेक्षा है । एस.आर.एस. सर्वेक्षण का संपूर्ण डाटा एन्ट्री कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित डाटा सेन्टरों द्वारा किया गया । डाटा केन्द्र का संपूर्ण आंकड़ा एन्ट्री स्टॉफ जनगणना, 2011 के लिए गणना उपरांत सर्वेक्षण कार्य, मकानसूचीकरण, परिवार से संबंधित आंकड़ा एन्ट्री कार्य में लगा हुआ था । उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, 2011-12 के दौरान आंकड़ा संग्रहण के लिए हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों को प्रवर्तित किया जाना संभव नहीं था । अब यह निर्णय लिया गया कि 12वीं योजना अवधि के दौरान एस.आर.एस. सैम्पल के प्रतिस्थापन पर बेसलाइन सर्वेक्षण के दौरान आंकड़ा संग्रहण के लिए हाथ से पकड़ने वाले उपकरणों को प्रयोग में लाया जाए । ओ.आर.जी.आई. ने हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है । समिति हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है ।

4.238 वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 और 2011-12 में फील्ड कार्यकर्ताओं अर्थात् पर्यवेक्षकों और अंशकालिक प्रगणकों (अ.प्र.) द्वारा किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की अभिस्वीकृति के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के अवार्ड वितरित किए गए । वर्ष 2012-13 के लिए भारत के महारजिस्ट्रार के पुरस्कार प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है । फील्ड कार्यकर्ताओं के कार्य निष्पादन तथा उनके द्वारा संग्रहीत किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंशकालिक प्रगणकों के लिए 11वीं योजनावधि के दौरान, दो चरणों में द्विवार्षिक पुनःश्चर्या

कार्यक्रम आयोजित किए गए । वर्ष 2012-13 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एस.आर.एस. कार्यकलापों पर डी.सी.ओ. कार्मिकों का पुन:श्चर्या प्रशिक्षण प्रगति पर है ।

(ग) <u>मृत्यु के कारणों का चिकिसीय प्रमाणीकरण (एम.सी.सी.डी.):</u>

<u>वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कार्य निष्पादन :</u>

4.239 एम.सी.सी.डी. की योजना के अंतर्गत 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों और सांख्यिकीय कोडकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई । इस योजना के सुदृढ़ीकरण और मृत्यु के कारणों के आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए गुजरात, सिक्किम, केरल और हरियाणा राज्यों में नोसोलोजिस्ट (चिकित्सा सांख्यिकीविद) का पद सृजित किया गया है और जन्म-मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के संबंधित कार्यालयों में इन पदों को भर लिया गया है ।

<u>वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान कार्य निष्पादन (31 दिसम्बर, 2011 तक)</u>:

4.240 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों और सांख्यिकीय कोड कर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति संसूचित की गई है ।

4.241 वर्ष 2005 और 2006 के लिए एम.सी.सी.डी. की वार्षिक रिपोर्टें मुद्रणाधीन हैं । वर्ष 2007 के लिए एम.सी.सी.डी. की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

<u>जीपीएस आधारित भू-स्थानिक नगर मानचित्रण (जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के अन्तर्गत)</u>

4.242 जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के उद्देश्य हैं (i) वार्ड सीमा रेखाओं और भू-चिह्न संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाते हुए देश के सभी सांविधिक नगरों (4041) का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना, अन्य प्रमुख वास्तविक लैण्डस्केप, अवसंरचना, प्रमुख सांस्कृतिक/ऐतिहासिक, पर्यटन महत्व के स्थानों इत्यादि के साथ वार्ड स्तर पर नगरों का स्थानिक भौगोलिक डाटाबेस तैयार करना (ii) जनगणना आंकड़ों को जोड़ना और उनकी

त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें चुम्बकीय मीडिया में भंडारित करना (iii) भवनों, मकानों, लेनों, बाइलेनों और महत्वपूर्ण भू-चिह्नों को दर्शाते हुए वार्ड स्तर पर राजधानी शहरों के स्थानिक आंकड़ों की पूर्ण कवरेज मुहैया कराना । भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने गांव की सीमाओं तथा देश के सभी सांविधिक नगरों को दर्शाते हुए सभी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिलों, उपजिलों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है । अब समग्र डाटाबेस को एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए ग्रेटीक्यूल्स(अक्षांश और देशान्तर) को ऐसे सांविधिक नगरों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है जोकि भू-संदर्भित नहीं है । इसलिए इस प्लान परियोजना को विस्तारित किए जाने और समग्र डिजिटल डाटाबेस को एक डोमेन में लाने का प्रस्ताव है । इससे संबंधित कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण का वर्णन आगे के पैराग्राफों में किया गया है ।

4.243 इसी प्रकार से मकानसूचीकरण कार्य और जनसंख्या की गणना 2011 के दौरान राजधानी शहरों के इन मानचित्रों को ध्यान में रखते हुए देश के बड़े शहरों और दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य शहरों के विकास ध्रुवों पर जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण के कार्य का विस्तार किए जाने का भी प्रस्ताव है । सेटेलाइट नगरों के समग्र विकास को राजधानी शहर के एनसीटी दिल्ली से लेकर समग्र एनसीआर तक नगरीय विकास के समान कवर करने के लिए बड़े शहरों के मौजूदा कार्य का विस्तार करना अधिक सुविधाजनक होगा जिसमें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ इत्यादि शामिल हैं । इसी प्रकार से आस-पड़ोस के नगरीय कारीडोरों जैसे कि थाणे, कल्याण, वाशी इत्यादि को शामिल करते हुए मुख्य शहर मुम्बई की कवरेज का भी विस्तार किया गया है । जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद का भी कई गुणा विस्तार किया गया है और अब इसे ग्रेटर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है । प्रशासनिक तौर पर यह हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के क्षेत्र को कवर करता है । बंगलुरु नगरीय शहर का भी कई गुणा विस्तार हो चुका है और अब ये बृहत बंगलुरु के रूप में जाना जाता है । चैन्नई शहर में भी अन्य बड़े शहरों की भांति विगत दशक के दौरान इसी प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित हुई है । कोलकाता शहर भी अनेक विकास केन्द्रों से घिरा हुआ है । अतः इन छः बड़े शहरों को उनके विकास ध्रुव केन्द्रों के लिए विस्तृत मानचित्रण हेतु कवर किया जाना प्रस्तावित है ।

4.244 इस दृष्टिकोण के साथ सांविधिक नगरों की महत्वपूर्ण अवस्थितियों, इण्टरसेक्शनों तथा भूचिह्न विशेषताओं के सूत्रजाल के चयन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली (जीपीएस) प्रौद्योगिकी (हाथ से पकड़ा जाने वाला उपकरण) का उपयोग किए जाने और इन्हें डिजिटल फाइलों में रूपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है । इससे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में मौजूद सभी डिजिटल फाइलें नगरों में वार्ड और ग्राम स्तर तक **जनगणना के आंकड़ों के प्रसार** हेतु एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगी । मानक प्रपत्र में होने की वजह से यह डाटा किसी अन्य विकासात्मक गतिविधि के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु तैयार मिलेगा । जीआईएस मानचित्रण को इन बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में भी चरणबद्ध रूप से तदनंतर अन्य 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में विस्तारित किया जाएगा ।

पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम)

4.245 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यालय ने 33 राजधानी शहरों का वार्ड मानचित्रण डिजिटल फार्मेट में पूरा कर लिया था जोकि जनगणना 2011 की तैयारी के एक हिस्से के रूप में मकानों, भवनों, लेनो, बाई-लेनों, रोड नेटवर्क तथा अन्य बड़े भूचिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाता है । जनगणना गणना ब्लाक मानचित्रों के अभाव में अक्सर हो जाने वाली चूक तथा दोहराव को कम करते हुए इससे ऐसे व्यापक मानचित्रों की उपलब्धता की बेहतर कवरेज सुनिश्चित होगी । ये वार्ड/ईबी स्तरीय मानचित्र मकानसूचीकरण कार्य के दौरान और एक बड़े स्तर पर जनसंख्या की गणना 2011 में भी उपयोग में लाए गए । जनगणना संगठन हेतु इन मानचित्रों की उपयोगिता के अतिरिक्त ये मानचित्र अन्य विकासात्मक गतिविधियों में भी काफी उपयोगी हैं । परियोजना नियत तिथि पर पूरी हुई है और इस परियोजना के अंतर्गत तैयार किए गए विस्तृत मानिचत्रों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है ।

4.246 उपर्युक्त के अलावा 4041 सांविधिक शहरों सें संबंधित डिजिटल डाटाबेस का सृजन, जिसमें वार्डों की सीमाएं और अन्य महत्वपूर्ण भूचिह्न संबंधी विशेषताएं प्रदर्शित होती है को भी पूरा कर लिया गया । ये सांविधिक शहर मानचित्र विभिन्न नगरीय प्राधिकरणों से अधिप्राप्त किए गए थे और इन्हें वार्ड स्तर तक जनगणना के आंकड़ो के प्रसार हेतु उपयोग में लाया जा रहा है ।

<u>उपलब्धियां (दिसम्बर, 2012 तक)</u>

4.247 37 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के संबंध में उनके वाह्य विस्तार, प्रशासनिक इकाइयों की संख्या के संबंध में जानकारी सरकारी एजेंसियां से एकत्र की गई है ।

4.248 नवीनतम क्षेत्राधिकार के अनुसार 37 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के मानचित्रों को अद्यतन किया गया है जिनमें बाहरी सीमाएं तथा वार्ड सीमाएं दर्शाई गई हैं ।

4.249 37 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए जी.ई.ओ. डेटाबेस सृजित करने हेतु एन.आर.एस.सी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद को सेटलाइट डेटा देने हेतु ठेका दे दिया गया है ।

<u>जनगणना में आंकड़ा प्रसार कार्यकलापों का आधुनिकीकरण</u>

4.250 इस प्लान स्कीम का मुख्य उद्देश्य जनगणना आंकड़ों के प्रसार की प्रणाली को आधुनिक और उन्नत बनाना है । पहले की जनगणनाओं में आंकड़ा प्रसार के प्रमुख माध्यम प्रिंट रिपोर्टों का प्रकाशन था । सूचना प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता और उपलब्धता से जनगणना आंकड़ों की मांग और उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है । अब इस योजना का उद्देश्य जनगणना परिणामों का प्रसार सभी सुलभ साधनों यथा सीडी, वेब, अध्ययनवेत्ताओं और योजनाकारों से लेकर उद्योगपतियों, व्यापार घरानों, विद्यार्थियों आदि विशिष्ट लक्षित समूहों के प्रयोग हेतु नए डेटा प्रोडक्ट विकसित करना है ।

4.251 फरवरी 2011 में जनगणना 2011 की समाप्ति के पश्चात और अगले 3 से 4 वर्षों में पूर्ण सारणीकृत आंकडों के सृजन की प्रत्याशा में, आंकड़ा प्रसार गतिविधि को तत्काल आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी संबंद्धितों द्वारा इस मूल्यवान प्रक्रिया के परिणामों का उपयोग किया जा सके ।

4.252 जनगणना 2011 के मकानसूचीकरण और मकानों की गणना एवं जनसंख्या की गणना के चरणों पर आधारित अंतिम जनसंख्या सारणियां न केवल वर्ष 2012-13 में प्रसारित की जानी है अपितु ये अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में भी जारी होती रहेंगी । संपूर्ण आंकड़ा प्रसार कार्य-नीति एवं उसकी गति को यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित किया गया है कि नवीनतम परिणामों की पहुंच उपयोग के इच्छुक सभी प्रयोक्ताओं तक सुनिश्चित हो सकें । उल्लेखनीय है कि

जनगणना तब तक पूरी नहीं होती जब तक फील्ड से एकत्र किए गए आंकड़े एक यथोचित समय के भीतर पूर्णरूपेण प्रसारित न कर दिए जाएं ।

<u>प्रशिक्षण एकक की स्थापना</u>

4.253 वर्षों से चल रहे प्रशिक्षण कार्यकलाप, संगठन की तैयारी और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के कार्मिकों की सक्षमता और सामर्थ्य का स्तर सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों को कवर करेंगे ताकि पश्च/पूर्व जनगणना की चुनौतियों से निपटा जा सके । वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और जनगणना कार्य निदेशालयों के अधिकारियों की विशेषज्ञता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से 100 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना है और फीडर ग्रेड अधिकारियों के सां. अ.-I और अन्वेषक (एसएस) के लिए कार्यक्रम प्रगति पर हैं । अधिकारियों को मुख्य रूप से जनगणना कार्य निदेशालयों से लिए जाते हैं ।

<u>भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एम.टी.एस.आई):</u>

पृष्ठभूमि:

4.254 मानव जाति के पास एक सबसे मूल्यवान वस्तु है – भाषा । विभिन्न जातियों की 121 करोड़ जनसंख्या और 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर वाले भारत में कई भाषाएं विद्यमान हैं । जनगणना के दौरान परिवार में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मातृभाषा के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर से भाषा संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं । नृजातीय उदगम के संबंध में जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण करने के लिए मातृभाषा के आंकड़े एक सबसे उपयोगी माध्यम है ।

4.255 भारत में जनगणना एक ऐसा मूल स्रोत है जिससे देश की भाषाओं/बोली जाने वाली मातृभाषाओं के आंकड़ों का पता चलता है । प्रत्येक जनगणना में बहुत बड़ी संख्या में मातृभाषाएं बताई जाती हैं । इनकी वास्तविक भाषाओं और देश की सार्थक भाषायी तस्वीर प्रस्तुत करने के संदर्भ में पहचान और वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है । मातृभाषा का पेटर्न बदलता रहता है । अत: प्रत्येक जनगणना देश की भाषाई अवस्था का परिवर्तनात्मक प्रोफाइल प्रदान

करती है । युक्तिसंगत और वर्गीकृत मातृभाषाओं के बारे में जानकारी द्वारा भाषाई हलचलों, भाषा आंदोलन और लोगों की भाषा संबंधित अभिलाषाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है ।

4.256 आठवीं पंचवर्षीय योजना की एक ऐसी ही सर्वेक्षण परियोजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कार्य प्रक्रिया में कुछ संशोधनों के साथ एक नया सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस की गई । तदनुसार, भाषाओं के संबंध में 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक नई परियोजना के रूप में "भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण" नामक एक नई परियोजना शुरू की गई थी । **योजना अवधि 2007-2012 के दौरान कार्य प्रक्रिया के अनुसार सटीक रूप में कुल 541 मातृभाषाओं पर सर्वेक्षण शुरू किया गया है । इन सभी का उपयोग जनगणना, 2011 में रिपोर्ट की गई मातृभाषा नामों की वास्तविकता के वर्गीकरण के लिए किया जाएगा ।**

4.257 11वीं पंचवर्षीय योजना में एम.टी.एस.आई परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) भी गठित की है जिसमें देश के प्रमुख भाषाविद्, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को शामिल किया गया जिसमें एम.टी.एस.आई सर्वेक्षण की कार्य प्रक्रिया प्रस्तुत की गई । फील्ड कार्य करने में फील्ड भाषाविदों की कमी चिंता का एक प्रमुख मुद्दा था । विस्तृत रूप में जांच कर लेने के बाद टी.ए.सी.(एल) ने एक प्रक्रिया का टेस्ट चेक करने का प्रस्ताव दिया जिसके अन्तर्गत फील्ड आंकड़ों का एकत्रीकरण प्रशिक्षित गैर-भाषाविदों द्वारा पूरे साक्षात्कार की व्यावसायिक विडियोग्राफी कराया जाए और बाद में जिसे व्यावसायिक लिप्यंतरको द्वारा लिप्यंत्रित किया जाएगा लिप्यंत्रित आंकड़े और आडियों-वीडियोंका उपयोग भाषाविदों द्वारा रिपोर्ट लेखन और विश्लेषण के लिए किया जाएगा । प्रक्रिया की फील्ड जांच के बाद प्रश्नावली और रिपोर्ट टेम्पलेटों को 12वीं योजना की एम.टी.एस.आई. परियोजनाके अनुकूल बनाया गया है ।

4.258 तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चुनिंदा मातृभाषाओं की भी जांच की और पहले से वर्गीकृत कुछ मातृभाषाओं खासतौर पर बोलने वालों

की कम संख्या वाली को शामिल करने की सिफारिश की और उन्हें जो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में जॉन अब्राह्म ग्रियेसन द्वारा किए गए उनके भारत के भाषायी सर्वेक्षण के फील्ड सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था । 11वीं योजना की एम.टी.एस.आई परियोजना की मूल्यांकन समिति द्वारा भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई है ।

4.259 टी.ए.सी.(एल) द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और 11वीं योजना की एम.टी.एस.आई से संबंधित मूल्यांकन समिति रिपोर्ट, वर्गीकृत मातृभाषा के नामों में से टी.ए.सी(एल) द्वारा प्रस्तावित मॉडल को विस्तृत अध्ययन का प्रयोग करके अस्थायी रूप में वर्गीकृत मातृभाषाओंमें से 12वीं योजना के दौरान एम.टी.एस.आई के लिए लगभग 300 मातृभाषाओं का चयन किया गया । इसके अतिरिक्त, मातृभाषा और जनगणना 2011 के अन्य भाषाओं के आंकड़े 2013 तक तैयार होने की आशा है । पूर्ववर्ती जनगणनाओं के अनुसार नए नामों के उभरने की आशा है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनायी गई एम.टी.एस.आई परियोजना के समान प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत किए जाने की जरूरत है । अस्थायी तौर पर इस अध्ययन के लिए लगभग 300 अवर्गीकृत एम.टी. नामों को प्रस्तावित किया गया है । इस प्रकार 12वीं योजना अवधि में कुल 600 मातृभाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण किया जाना शामिल है ।

4.260 टी.ए.सी.(एल) की सिफारिशों के आधार पर सर्वेक्षण की कार्य प्रक्रिया, प्रश्नावली आदि संशोधित किए गए हैं । संक्षेप में, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत की मातृभाषा सर्वेक्षण की संवर्धित विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) पुरानी प्रश्नावली की 250 शब्द और 500 वाक्य की तुलना में उन्नत और विस्तृत प्रश्नावली जिसमें 1000 शब्द, 500 वाक्य और 1 नि:शुल्क प्रवचन शामिल होंगे ।

(ii) युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और ग्रामीण/शहरी विभिन्न्ता वाली कम से कम आठ लोगों द्वारा बोली जाने वाली किसी मातृभाषा से डाटा संग्रहण ।

(iii) गैर-भाषाविद् कार्मिक जोकि खासतौर पर इस प्रयोजन के लिए पहले से प्रशिक्षित किए गए ओ.आर.जी.आई के फील्ड कार्मिक हैं, द्वारा डाटा संग्रहण ।

(iv) प्रशिक्षित कार्मिकों संपूर्ण द्वारा डाटा की पूर्ण विडियोग्राफी और उसके बाद सम्पूर्ण डाटा का लिप्यंतरण । इसके भविष्य में उपयोग के लिए डाटा नमूने के संरक्षण में सहायता मिलेगी ।

(v) किसी वरिष्ठ भाषाविदों सामन्य तौर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रोफसरों द्वारा पर्यवेक्षित भाषाविदों द्वारा तदन्तर विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन ।

(vi) गैर भाषाविदों द्वारा संग्रहीत फील्ड डाटा के आधार पर लिप्यंतरण का एक हिस्सा, विश्लेषण; रिपोर्ट लेखन और पर्यवेक्षण, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा भी किया जाएगा ।

<u>पूर्ववर्ती प्लान परियोजना की उपलब्धियां (परिणाम)</u>

4.261 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यालय ने सभी 542 मातृभाषाओं का फील्ड सर्वेक्षण और वर्गीकरण पूरा किया है । अब तक ‘ अवर्गीकृत’ बताई गई इन भाषाओं का वर्गीकरण जनगणना 2011 में स्थूल तौर पर बताई गई भाषाओं के कोडिंग के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा और भावी जनगणना डाटा में भाषाओं की संख्या में अवर्गीकृत बताना कम होने की संभावना है ।

<u>वर्ष 2012-13 की उपलब्धियां</u>

4.262 प्रथमत: फील्ड कार्य हेतु 165 से अधिक गैर भाषाविद् कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया । इसके बाद से अब तक पूरी विडियोग्राफी सहित 39 मातृभाषाओं का फील्ड सर्वेक्षण पूरा किया गया । वर्तमान में श्रव्य दृश्य डाटा व्यवस्थित किए जा रहे हैं । भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों, नामत: केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय और अन्नामलै विश्वविद्यालय में लगभग 122 भाषायी स्कालरों का प्रशिक्षण जारी है । निकटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भाषायी स्कालर पदनामित केन्द्रों में भाग ले रहे हैं । तदन्तर लिप्यांतरण हेतु उनहें फील्ड डाटा वितरित किए जाएंगे । डाटा लिप्यांतरण, की जांच के बाद विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन शुरू किया जाएगा ।

<u>2013-14 के लिए प्रस्ताव</u>

4.263 वर्ष 2013-14 के दौरान लिप्यंकन, विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन के साथ 100 अन्य मातृभाषाओं का फील्ड सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

(क) देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की योजना

4.264 नागरिकता अधिनियम, 1955 को 2003 में संशोधित किया गया था और धारा 14क जोड़ी गई जिसमें प्रावधान है कि *"केन्द्रीय सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी"* । अधिनियम के तहत भारत के महारजिस्ट्रार को राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/नागरिक रजिस्ट्रीकरण के महारजिस्ट्रार के रूप में पदनामित किया गया है । इसके साथ-साथ इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हुए नागरिकता (रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 को लागू किया गया है ।

4.265 जनंसख्या रजिस्टर तैयार करने में शामिल जटिलताओं को समझने और बाद में भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने, देश में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने और इन प्रक्रियाओं की व्यावहारिकता की जांच करने, प्रौद्योगिकी का चयन करने और कार्यपद्धति निर्धारित करने के लिए 30.96 लाख जनसंख्या को शामिल करते हुए 12 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र के चयनित क्षेत्रों में एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई । परियोजना की कुल लागत 44.36 करोड़ थी । प्रायोगिक क्षेत्रों में नागरिकों को 12.50 लाख से अधिक कार्ड दिए गए थे । एक वर्ष के रखरखाव चरण के दौरान स्थानीय स्तर पर नागरिक डाटाबेस को अद्यतन करने और इसके रखरखाव के लिए तालुक स्तर पर एमएनआईसी केन्द्रों ने सेवाएं उपलब्ध कराईं । प्रायोगिक परियोजना 31.3.2009 को बंद कर दी गई । प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप पर डाटाबेस तैयार करने/आंकड़ो के वैधीकरण/आंकड़ों के भंडारण और पारेषण तथा कार्ड का वैयक्तीकरण करने की प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी भलीभांति स्थापित हो गई हैं और

देश में ही इनकी जांच हुई है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

4.266 एमएनआईसी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने संबंधी प्रस्ताव अक्तूबर, 2006 में सचिवों की समिति को प्रस्तुत किया गया था । सचिवों की समिति ने इस पर विचार किया और टिप्पणी दी कि नागरिकता का निर्धारण अन्तर्ग्रस्त और जटिल मामला है । इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए 2011 की जनगणना की जनसंख्या को कवर किया जा सकता है ।

4.267 दिसम्बर, 2006 में गठित मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने दो योजनाओं नामतः गृह मंत्रालय की एमएनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की यूआईडी को मिलाने की अनुशंसा की और भारत की जनगणना 2011 के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए देश में बायोमेट्रिक के साथ व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इस प्रकार तैयार हुआ एनपीआर मूल डाटाबेस होगा ।

4.268 सरकार ने मार्च, 2010 में देश में एनपीआर तैयार करने का निर्णय लिया । अनुमोदित योजना के अनुसार एनपीआर में देश के सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट जनसांख्यिकीय जानकारी होगी । इसमें 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के फोटो, 10 अंगुलियों की छाप और दो आइरिस की छाप होगी । एनपीआर तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल ने 6649.05 करोड़ रुपए के आबंटन का अनुमोदन किया है ।

4.269 एनपीआर तैयार करने के लिए अपेक्षित आंकड़े 2011 की जनगणना के प्रथम चरण के दौरान एकत्रित किए गए हैं । सभी भरे हुए फार्मों (लगभग 27 करोड़) को स्कैन किया गया है । इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के लिए 2.5 मिलियन से अधिक पदनामित सरकारी कार्मिकों

को कार्य सौंपा गया ।

4.270 एनपीआर तैयार करने के लिए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों के आंकड़े प्रविष्टि कार्य और तीन बायोमेट्रिक अर्थात् फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस लेने संबंधी कार्य दो ऐजेन्सियों अर्थात सीपीएसयू और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार को सौंपा गया है । आंकड़े प्रविष्टि कार्य के पश्चात स्थानीय क्षेत्रों में दो दौर में कैम्प लगाकर तीन बायोमेट्रिक अर्थात फोटो, दस अंगुलियों की छाप और आइरिस एकत्रित की जाएंगी । पहले दौर में छूट गए निवासियों को दूसरे दौर में कैम्प में आने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे । दोनों दौर में छूट गए निवासियों को नियत अवधि के लिए लगाए गए तहसील स्तर के कैम्प के बारे में सूचित किया जाएगा ।

4.271 दोहराव समाप्त करने और यूआईडी संख्यांक देने के लिए एनपीआर डाटाबेस को यूआईडीएआई भेजा जाएगा । प्रत्येक व्यक्ति को यूआईडी संख्यांक का आबंटन करने के पश्चात् एनपीआर डाटाबेस अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा ।

4.272 इन रिकार्ड के आंकड़ों के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है और आज की तिथि के अनुसार **106.56 करोड़ से अधिक रिकार्ड को डिजिटाइज्ड किया गया है । बायोमेट्रिक एकत्रित करने का कार्य जारी है । 9.18 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के बायोमेट्रिक एकत्रित करने का कार्य किया जा चुका है ।**

(ख) तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

4.273 नवम्बर, 2008 में मुम्बई में हमले के पश्चात तटीय सुरक्षा के उपाय के तौर पर तटीय क्षेत्रों में एनपीआर तैयार करने और पहचान(स्मार्ट) कार्ड जारी करने का कार्य पहले शुरू किया गया । इस योजना को 13 तटीय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में स्थित 3331 गांवों में लागू किया गया ।

4.274 तटीय क्षेत्रों में 3331 चयनित गांवों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सभी नगरों में एनपीआर तैयार करने और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी सामान्य निवासियों को पहचान(स्मार्ट) कार्ड जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 10.12.2009 को 216.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था ।

4.275 तटीय गांवों में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और पहचान (स्मार्ट) कार्ड तैयार करने और इसके वैयक्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और **अब तक 60 लाख से अधिक कार्ड तैयार किए जा चुके हैं तथा 30 लाख से अधिक कार्डों का प्रेषण किया जा चुका है ।**

<u>केन्द्रीय क्षेत्र की योजना</u>

<u>केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थान</u>

4.276 इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सी ए पी एफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सम्पूरित करता है। इस योजना का मूल उद्देश्य सी ए पी एफ की प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। यह योजना सी ए जी एफ द्वारा अपनी प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचनाओं को उन्नत करने के प्रयत्नों को सम्पूरित करती है। धनराशियां मुख्यतः संस्थानों में कम्प्यूटरों, पुस्तकों, प्रशिक्षण तकनीकों तथा उपकरणों, कक्षा उपकरणों, एल सी डी कलर फोटो प्रिंटरों, इन्टरेक्टिव बोर्ड, जी पी एस, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डीजिटल कैमरे इत्यादि के लिए होती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु धनराशियां छः केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा सशस्त्र सीमा बल) को जारी की जानी होती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 22.60 करोड़ रु. था जिसमें से 13.05 करोड़ रु. का उपयोग किया गया।

4.277 इस स्कीम के परिव्यय में से सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने बल के कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु कम्प्यूटर, पुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री तथा उपकरण, कक्षा उपकरण, हैड हेल्ड मेटल डिटेक्टर इत्यादि खरीदे गए हैं। परिणामस्वरूप छः सी ए पी एफ में लगभग 20,000 सी ए पी एफ कर्मी उनके संबंधित प्रशिक्षण

संस्थानों/अकादमियों से प्रशिक्षित किए गए है जिससे वह अपनी ड्यूटी के दौरान तथा प्रचालन क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन में प्रभावी हो सकें। तदनुसार इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 110.30 करोड़ करु. की लागत से जारी रखने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 15.00 करोड़ रु. 2012-13 की वार्षिक योजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। योजना आयोग द्वारा निधियों में कमी किए जाने के कारण, इस मंत्रालय ने इस योजना के परिव्यय को संशोधित करके 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 34.32 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 5.00 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबादः

4.278 एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1948 में माउंट आबू में की गई थी तथा 1975 में हैदराबाद में स्थानांतरित होने के बाद अब यह 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में कार्य कर रहा है। अकादमी नियमित भर्ती वाले आई पी एस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए मूल पाठयक्रम आयोजित करने तथा पदोन्नति द्वारा आई पी एस पद पर नियुक्त राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रवेश के समय दिए जाने वाले प्रशिक्षण का आयोजन करने संबंधी कार्य करती है।

4.279 वर्ष 2009 से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद द्वारा आई पी एस अधिकारियों के लिए कॅरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (एम सी टी पी), आई पी एस अधिकारियों के बड़े बैचों के लिए प्रशिक्षण, रणनीतिक पाठयक्रमों का आयोजन इत्यादि जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।

4.280 प्रशिक्षण गतिविधियों में हुई वृद्धि के कारण अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने 23 अप्रैल, 2011 को 200.67 करोड़ रु. की लागत की एन पी ए की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु एक व्यापक योजना का अनुमोदन कर दिया है।

4.281 प्रमुख कार्यों में शामिल है:

- 140 कमरों का निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों का भोजनालय चरण-।।
- 100 कमरों वाले नए आई पी एस भोजनालय का निर्माण
- नए–इन्डोर प्रशिक्षण परिसर का निर्माण
- एक इन्डोर खेल परिसर का निर्माण

- 3 भू-खंडों का अधिग्रहण

4.282 वर्तमान में सी एन ई द्वारा संस्वीकृत 29 परियोजनाएं कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् सी पी डब्ल्यू डी तथा एन बी सी सी द्वारा मार्च, 2013 तक 190.00 करोड़ रु. की लागत से पूरी होने वाली है। इन परियोजनाओं को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने इन स्कीमों को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में जारी रखा है जिसके लिए वार्षिक योजना 2012-13 में 44.00 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है तथा पूरी धनराशि आगे निष्पादन एजेंसियों को जारी किए जाने के लिए नेपा को सौंपी गई है।

4.283 देश के भारतीय पुलिस अधिकारियों को बुनियादी पाठयक्रमों तथा सेवाकालीन पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए एन पी ए, हैदराबाद ने विभिन्न प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम अर्थात् मिड-कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष टैक्टीज पाठयक्रम, विस्फोटक तथा डिमोलिशन संबंधी पाठ्यक्रम, आपदा प्रबंधन, वी आई पी सुरक्षा आदि से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए हैं। तदनुसार चालू वर्ष के दौरान 64 आर आर (2011 बैच) तथा पड़ोसी राज्यों के 13 विदेशी अधिकारियों सहित 235 आई पी एस अधिकारियों, 13 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में 642 पुलिस अधिकारियों, मिड-कॅरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 280 वरिष्ठ आई पी एस अधिकारियों, विशेष टैक्अीज आदि में राज्य/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 147 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया है। योजनागत शीर्ष की निधियों के आवंटन के अंतर्गत नेपा को वर्ष 2012-13 में वेतन, मजदूरी और अन्य मद शीर्ष की अंतर्गत उनकी आवश्यकता को वहन करने के लिए एन पी ओ को योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत 100.30 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। जिसमें से एन पी ए ने अब तक आबंटित बजट की 80प्रतिशत राशि का उपयोग कर लिया है।

पुलिस शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत विद्रोह- रोधी एवं आतंकवाद-रोधी विद्यालयों की स्थापना

4.284 इस योजना का उद्देश्य उन राज्यों के राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना है जो वामपंथी उग्रवाद तथा अन्य विद्रोहों से प्रभावित हैं। प्रशिक्षण मुख्यतः आउटडोर होता है।

4.285 11वीं योजना अवधि के दौरान, 52.40 करोड़ रु. की लागत से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में से प्रत्येक के लिए 4 अर्थात विद्रोह एवं आतंकवाद रोधी कुल 20 स्कूलों की स्थापना हेतु एक योजनागत योजना अनुमोदित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य आतंकवाद/नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना है। गृह मंत्रालय ने प्रत्येक सी आई ए टी स्कूल के लिए 1.5 करोड़ रु. की राशि मुहैया करवाई है। मंत्रालय प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय शुल्क पर होने वाले आवर्ती व्यय को भी वहन करता है। इन स्कूलों के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुहैया करवाई गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकारें सी आई ए टी स्कूलों को चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता तथा आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण जैसे हथियार, गोलाबारूद, सहायक मानव शक्ति इत्यादि भी मुहैया करवाएगी; वी पी आर एंड डी ने पहले से ही इस आशय के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर इन सी आई ए टी स्कूलों का जुलाई, 2010 में निम्नानुसार पुनर्वितरण किया गया है:

(i)	असम -	03
(ii)	बिहार -	03
(iii)	उड़ीसा -	03
()	छत्तीसगढ़ -	04
()	झारखंड -	04
()	पश्चिम बंगाल -	01
()	त्रिपुरा -	01
()	मणिपुर -	01
()	नागालैंड -	01
	कुल -	**21**

4.286 इस योजना के सुगम कार्य संचालन के लिए इस मंत्रालय ने इन स्कूलों की स्थापना/ उन्नयन के लिए तथा राज्य पुलिस कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक शुल्क के भुगतान हेतु उक्त राज्यों को 39.52 करोड़ रु. की राशि जारी की है। तदनुसार, 1

दिसम्बर, 2009 से 31 मार्च, 2012 तक 21000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

4.287 इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में जारी रखने के लिए इस मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 96.60 करोड़ रु. तथा वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 8.97 करोड़ रु. की राशि के परिव्यय पर विचार किया है।

<u>पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग की मूलभूत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u>

4.288 पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से गोरे समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1978 में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी। यह मेघालय में उमसा, उमियाम में स्थित है तथा 210 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इस अकादमी को, पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों (ए.एस.आई. एवं इससे ऊपर की श्रेणी) हेतु प्रशिक्षण के सभी प्रयोजनों हेतु एक नोडल एजेंसी का कार्य सौंपा गया है।

4.289 वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि 'नेपा' को 'डोनर' से हटाकर गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया जाए। तदनन्तर 'नेपा' को दिनांक 01.04.2007 से गृह मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया था। नेपा को सुदृढ़ करने के लिए जनवरी, 2011 में सरकार ने 82.13 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से एक योजना शुरू की। इसका मूल उद्देश्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के समान बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

4.290 प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु नेपा ने अकादमी में निम्नलिखित मुख्य कार्य किए हैं :

- तरण ताल का निर्माण
- कांस्टेबल भोजनालय (मैस) का निर्माण
- इनडोर खेलकूद कम्प्लैक्स का निर्माण

- प्रशिक्षण ब्लॉक/कक्षा का निर्माण
- सड़क निर्माण
- क्वार्टरमास्टर तथा इलैक्ट्रिक स्टोर का निर्माण
- ट्रेड्समैन शॉप का निर्माण
- सभागार का निर्माण
- क) 401.90 लाख रु. की दर से 22 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (टाइप-II 20, टाइप -1, -1)
- ख) 277.08 लाख रु. की दर से सामुदायिक भवन का निर्माण
- (ग) 277.04 लाख रु. की दर से 12 आवासीय क्वार्टरों (टाइप-III 8 तथा टाइप 4) का निर्माण
- एम.टी. गैराज का विस्तार
- नेपा के लिए चारदिवारी का निर्माण
- शॉपिंग परिसर का निर्माण
- अस्पताल का निर्माण
- अतिरिक्त वाहन की खरीद

निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए गए हैं :

- संपूर्ण पुस्तकालय
- परेड मैदान
- ड्रिल हॉल
- विविध जिम सुविधाएं
- इनडोर एवं आउटडोर फायरिंग रेंज
- मॉडल पुलिस स्टेशन
- युद्ध बाधा पाठ्यक्रम
- लघु विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- इनटरनेट सुविधाओं से युक्त कम्प्यूटर लैब
- घुड़सवारी सुविधाएं
- ड्राइविंग सिमुलेशन

4.291 इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात् मार्च, 2013 तक पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलांग ने 27 कार्यों को पूरा करने के लिए अब तक 30.68

करोड़ रु. की राशि का उपयोग कर लिया है। 51.19 करोड़ रु. की लागत से चल रही शेष 14 परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है जिसके लिए मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लए 28.40 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है। इसके अतिरिक्त, वेतन और व्यय के अन्तर्गत आवश्यकता को वहन करने के लिए नेपा को राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 19.32 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

4.292 पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नेपा ने मूलतः दो पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं अर्थात् () डी वाई एस पी (पी) एवं सी/एस आई एस के बुनियादी पाठ्यक्रम (2007-281 प्रशिक्षु, 2008-132 प्रशिक्षु, 2009-414 प्रशिक्षु, 2010-179 प्रशिक्षु, 2011-98 प्रशिक्षु) () सेवाकालीन पाठ्यक्रम (2007-138 प्रशिक्षु, 2008-105 प्रशिक्षु, 2009-68 प्रशिक्षु, 2010-724 प्रशिक्षु और 2011-667 प्रशिक्षु)। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्क्रमों के अतिरिक्त वर्तमान संदर्भ में पुलिस-मीडिया संबंध, विद्रोह की शुरुआत तथा उपचार, आपदा प्रबंधन, कानून एवं व्यवस्था की जटिलताएं, विद्रोह-रोधी कार्रवाई तथा जंगल युद्ध, मानवाधिकार तथा शरणार्थी कानून, एच आई वी एड्स, बम निपटान, सीमा प्रबंधन, प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, रणनीतियां, विभागीय जांच, कम्प्यूटर जागरूकता, साइबर अपराध, अवैध मानव व्यापार, आतंकवादी घटनाओं तथा जांच का प्रबंधन, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ विधि प्रवर्त्तन इत्यादि पर विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। तदनुसार वर्ष 2009 में 1246 पुलिस कर्मी 2010 में 312, 2011 में 402 तथा 2012 में (नवम्बर, 2012 तक) 532 को विभिन्न प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

4.293 नेपा में एक वर्ष का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक परिवीक्षार्थी तथा उप निरीक्षक कैडेट पुलिस सब डिवीजनलों और पुलिस थानों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तरों पर सक्रिय पुलिस व्यवस्था का कार्य करते हैं। ये वे अधिकारी होते हैं जो आम लोगों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं और इस प्रकार वे एक ऐसे दर्पण के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से समूचे पुलिस प्रशासन को जनता द्वारा देखा जाएगा। अपेक्षित पेशेगत कौशल, सक्षमता और दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता का विशेष उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। ''प्रशिक्षण मानवजाति को मानव संसाधनों में तथा मानव को मानवशक्ति में परिवर्तित करता है।'' प्रशिक्षण से किसी व्यक्ति को निष्पादन के उच्च स्तर तक लाने में मदद मिलती है। बुनियादी प्रशिक्षण के अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, नेपा में प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को जंगल शिविर, चट्टान पर चढ़ने, पुलिस-जनता संबंध, जेंडर संबंधी जानकारी आदि जैसे मुद्दों पर

अतिरिक्त जानकारी दी गई है। यह अकादमी परिवीक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने में नवीनतम प्रशिक्षण सामग्रियों को भी अपना रही है।

<u>पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो की योजनागत स्कीम :</u>

4.294 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को दिनांक 28 अगस्त, 1970 के संकल्प संख्या 8/136/68/पी-I (कार्मिक I) के तहत अगस्त, 1971 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया :

(क) पुलिस समस्याओं पर अध्ययन करना

(ख) पुलिस कार्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग

(ग) पुलिस प्रशिक्षण संबंधी प्रबंधों की समीक्षा करना तथा प्रशिक्षण नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करना तथा उनका समन्वय करना

(घ) पुलिस कार्य तथा प्रचालनात्मक मामलों के तकनीकी पहलओं पर गृह मंत्रालय को सलाह देना

(ङ) देश में विधिविज्ञान के विकास को बढ़ावा देना, वर्ष 1973 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रभाग जोड़ा गया

(i) पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना एवं उन्हें सलाह देना तथा देश में पुलिस कर्मियों की भावी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना

(ii) देश में पुलिस बलों को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक एवं संगठनात्मक संसाधनों से सुसज्जित करके उन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा भावी चुनौतियों से निपटने के प्रभावी साधनों के रूप में परिवर्तित करना

(iii) पुलिस के लिए एक विजन तैयार करना।

4.295 वर्ष 2007 में योजना आयोग ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में अवसंरचना के संवर्धन संबंधी योजनाओं के लिए 130.14 करोड़ रु. का प्रस्ताव अनुमोदित किया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय का निर्माण
(ii) दो नए खुफिया प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण
(iii) भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना
(iv) अनुसंधान एवं विकास
(v) प्रशिक्षण पहल
(vi) सी डी टी एस, हैदराबाद के लिए नए प्रशिक्षण ब्लॉक, हॉस्टल और व्यायामशाला भवन की अवसंरचना के उन्नयन संबंधी नई योजनाएं।

<u>योजना सं. 1: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय तथा एन सी आर बी मुख्यालय का निर्माण तथा दो केन्द्रीय खुफिया प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना</u>

4.296 फिलहाल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय सी जी ओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय की स्थापना के कारण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में गतिविधियां कई गुणा बढ़ गई हैं। अतिरिक्त गतिविधियों के लिए सी जी ओ कॉम्पलैक्स में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है। प्रारंभ में सरकार ने 19.20 करोड़ रु. की लागत से पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय के निर्माण के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2009 को अनुमोदन प्रदान कर दिया था तथा मंत्रालय ने स्थल के समतलीकरण तथा महिपालपुर में भूमि पर सीमा दीवार के निर्माण के लिए 2.82 करोड़ रु. की राशि जारी की थी।

4.297 बाद में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन सी आर बी) का मुख्यालय यहीं बनाया जाएगा। तदनुसार, ई एफ सी ने बी पी आर एवं डी एवं एन सी आर बी मुख्यालयों की 11 जुलाई, 2012 को 117.34 करोड़ रु. की लागत से निर्माण की परियोजना के लिए संशोधित अनुमान अनुमोदित कर दिए हैं। एन बी सी सी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए एन बी सी सी को 23.19 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। दिनांक 11.07.2012 के ई एफ सी आदेश के अनुसार पूरी परियोजना को मार्च, 2017 तक पूरा किया जाना है। तदनुसार, वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 25.60 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ख) योजना सं. 02: दो नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना

4.298 फिलहाल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा मित्र देशों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय (सी डी टी एस) कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है अत: 1 अप्रैल, 2009 को नए केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

4.299 शहरी विकास मंत्रालय ने कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद में 2.18 करोड रु. की लागत से 8.37 एकड़ भूमि आबंटित की है। इस संस्थान को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

4.300 राजस्थान सरकार ने 23.10.2012 को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप 10 एकड़ भूमि आबंटित कर दी है। भूमि को सौंपने/लेने का कार्य प्रगति पर है।

4.301 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के लिए 14.61 करोड़ रु. (पूंजीगत 11.55 करोड़ रु. तथा राजस्व भाग में 3.06 करोड़ रु.) तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 148.00 करोड़ रु. की निधियां आबंटित की हैं ताकि सी डी टी एस, गाजियाबाद और जयपुर के लिए उपर्युक्त निर्माण और अन्य मद शीर्ष वेतन/मजदूरी आदि की आवश्यकता को वहन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में योजनेतर के अंतर्गत स्थित मौजूदा सी डी टी एस को वर्ष 2012-13 में वेतन, मजदूरी तथा अन्य मद शीर्ष के अंतर्गत अपनी आवश्यकता को वहन करने के लिए राजस्व शीर्ष में 11.33 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है।

योजना सं. 02: केन्द्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना करना

4.302 राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाने के लिए 4 मार्च, 2009 को 47.14 करोड़ रु. के परिव्यय से भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय

अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि राज्य पुलिस बलों के पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे प्रशिक्षक नहीं है जो आन्तरिक सुरक्षा के लिए निरंतर उभरती नई चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य पुलिस कार्मिको को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित कर सकें।

4.303 यह अकादमी सीधी भर्ती वाले उप-पुलिस-अधीक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा राज्यों के ऐसे उप-पुलिस-अधीक्षकों/अपर-पुलिस-अधीक्षकों, जिनके पास उपयुक्त मानदंडों वाली प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं है को सेवाकालीन एवं विशिष्ट प्रशिक्षण भी मुहैया करवाएगा।

4.304 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल (म.प्र.) के निकट कनसुइया गांव में 400 एकड़ भूमि मुहैया करवाई गई है। मंत्रालय ने इस भूमि पर आर सी सी पोस्ट तथा एम एस गेट पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए 82.06 लाख रु. की राशि जारी की है। मंत्रालय ने भोपाल में बने बनाए ढांचों के निर्माण के लिए 7.60 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं तथा कार्य अभी चल रहा है। कनसुइया गांव, भोपाल में आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में हुए विलंब के मद्देनजर मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी को मुहैया करवाए गए अस्थायी स्थल से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यहां चार पाठ्यक्रम पहले से चल रहे हैं। भोपाल में पहले से निर्मित ढांचों का निर्माण कार्य मार्च, 2012 तक पूरा होने की संभावना है। पूर्व निर्मित ढांचों के निर्माण कार्य के पूरा होने पर वहां प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सी ए पी टी, भोपाल के लिए 243 पद अनुमोदित किए गए हैं।

4.305 कई बैठकों के पश्चात ई एफ सी ने 14.09.2012 को भोपाल में 281.00 करोड़ रु. की लागत वाली पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रीय अकादमी के निर्माण का अनुमोदन किया है। तथापि, कुछ पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, सागर की सहायता से आयोजित किए गए थे। तदनुसार, वर्ष 2012-13 में राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 9.25 करोड़ रु. और पूंजीगत राजस्व व्यय को वहन करने के लिए 2.35 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

योजना सं. 03 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

4.306 6 जून, 2008 को 10.00 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक योजना अनुमोदित की गई। इस योजना के माध्यम से पुलिस व्यवस्था एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं

विकास संबंधी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में एक-एक मॉडल पुलिस थाने के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान करने से संबंधित एक घटक मौजूद है। अक्तूबर, 2010 में प्रथम किस्त के रूप में 1.5 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। पुलिस व्यवस्था संबंधी ग्यारह अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन संबंधी निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं:

(i) जेल कार्मिकों के लिए परफोरमेंस इंडाइसिस के विकास संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(ii) परिवीक्षा, पैरोल, अवकाश की स्थिति तथा भारतीय जेलों में भीड़भाड़ पर उनके प्रभाव संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(iii) कैदियों के सुधार तथा पुनर्वास पर जेल अध्ययनों सहित सुधारात्मक कार्यक्रमों की स्थिति संबंधी अनुसंधान परियोजनाए।

(iv) उग्रवादी एवं गैर-उग्रवादी क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(v) उग्रवादियों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति संबंधी अनुसंधान परियोजना।

(vii) महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति संबंधी परियोजना।

(viii) पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति।

(ix) पुलिस में 8 घंटे की शिफ्ट के लिए मानवशक्ति संबंधी राष्ट्रीय मांग

(x) ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पुलिस विकास।

4.307 इस योजना को पूरा करने के लिए वार्षिक योजना 2012-13 में 2.00 करोड़ रु. तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 10.12 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

<u>योजना सं. 4 : प्रशिक्षण पहलों संबंधी परियोजनाएं:</u>

4.308 योजना का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता एवं संभावना के बीच के अन्तर का पता लगाना तथा इन कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त 'प्रशिक्षण पहलें' करना है ताकि पुलिस कार्मिक अपने कर्तव्य का निर्वहन और अधिक प्रभावकारी ढंग से कर सकें। इस योजना के तहत राज्यों के एस एच ओ तथा जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 78 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 2600 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है इनमें से कुछ पाठ्यक्रम हत्या/मानव हत्या मामलों की जांच, आर्थिक अपराध मामलों की जांच, यातायात दुर्घटना मामलों की जांच, बम एवं विस्फोटकों, हथियारों एवं रणकौशलों, जांच तकनीकों, साइबर अपराध की जांच, अवैध मानव व्यापार रोधी जांचकर्ताओं के पाठ्यक्रमों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच से संबंधित हैं। कांस्टेबलों के लिए एक मैनुअल तैयार करके इस सभी राज्यों को परिचालित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में इस योजना को लागू करने के लिए 36.96 करोड़ रु. की राशि (वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 0.3 करोड़ रु. की राशि) निर्धारित की गई है।

<u>योजना सं. 5: सी डी टी एस के लिए नए प्रशिक्षण ब्लॉक, छात्रावास तथा व्यायामशाला भवन संबंधी बुनियादी ढांचे का स्तरोन्नयन</u>

4.309 इस योजना का आधारभूत लक्ष्य सी डी टी एस को इस योग्य बनाना है कि वे एक साथ ऐसे पाठ्यक्रमों को चला सकें जिसमें 40 प्रतिभागियों की मौजूदा क्षमता की तुलना में 100 व्यक्ति एक साथ भाग ले सकें। इस योजना के तहत सी डी टी एस, हैदराबाद के लिए 15.39 करोड़ रु. की लागत से एक नवीन प्रशिक्षण ब्लॉक, हॉस्टल तथा जिमनेजियम भवन के निर्माण हेतु 24 अक्तूबर, 2011 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.00 करोड़ रु. का व्यय होने की संभावना है तथा शेष कार्य को आगामी वित्त वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ तथा कोलकाता में सी डी टी एस के स्तरोन्नयन संबंधी प्रस्ताव को बी पी आर एंड डी द्वारा तैयार किया जा रहा है।

4.310 बी पी आर एवं डी के प्रशिक्षण प्रभाग ने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए, 9 ''वर्टिकल इंटरेक्शन''

पाठ्यक्रम, 5 प्रबंधन पाठ्यक्रम, 2 दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम (पी जी डी एवं पी पी एम) सी ए पी एफ प्रशिक्षण संस्थानों में 39 पाठ्यक्रम, सेना प्रशिक्षण संस्थानों में 49 पाठ्यक्रम, 3 पाठ्यक्रम अनन्य रूप से अपर पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों के लिए, महिला ए एस आई से पुलिस उपाधीक्षक तक पदों के लिए आत्म विकास तथा संघर्ष प्रबंधन पर अमरीका के स्टेट विभाग के आतंकवाद-रोधी सहायता कार्यक्रम पर तथा इन्टरनेट जांच, सेल्युलर कम्युनिकेशन फॉरेंसिक कांसोलेशन, आतंकवादी गतिविधियां रोकना, विस्फोट उपरांत जांच, प्रमुख मामला प्रबंधन, संदिग्ध आतंकवादी से पूछताछ, उन्नत विस्फोटक घटना रोकने के उपाय, आतंकवादी घटनाओं की जांच तथा संकट कार्रवाई दल पर विभिन्न प्रकार के ए टी ए पाठ्यक्रम। लगभग 1550 पुलिसकर्मी (विभिन्न पदों पर), जिनमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी सम्मिलित हैं, को प्रशिक्षित किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त जेल अधिकरियों के लिए 27 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात् वर्टिकल इन्टरेक्शन पाठ्यक्रम, जेल प्रबंधन में मानव अधिकार व्यक्तित्व विकास, अध्ययन में दृष्टि (एस आई एल) तथा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी जिसमें 178 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है)। योजना की उपयोगिता देखते हुए इस मंत्रालय ने उपर किए गए उल्लेख के अनुसार बी पी आर एवं डी की योजनाओं की चालू योजनाओं के परिव्यय पर विचार किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बी पी आर एवं डी विदेशी नागरिकों के सी डी टी एस तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण का भी समन्वय करता है। वर्तमान में नेपाल, भूटान तथा मालदीव का प्रशिक्षण चल रहा है। अफगानिस्तान तथा मोजाम्बीक से प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

4.311 वर्तमान में अपराधी अधिक दुस्साहसी एवं चालाक हैं। इन विविध चुनौतियों का पुरातन तकनीकियों तथा प्रशिक्षण से सामना करना संभव नहीं है। संगठित अपराध के क्षेत्र में बढ़ती हुई बारीकियां पुलिस के लिए विशेष चुनौती हैं। पुलिस बल को देश के विभिन्न भागों में संगठित अपराध की बेहतर समझ एवं विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है। पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधी से हमेशा दो कमद आगे रहे। उनसे किसी प्रकार की असफलता का जोखिम उठाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राष्ट्र को ऐसी अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उनके पास भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने तथा बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक सुप्रशिक्षित, नागरिकों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने वाला परंतु मजबूत पुलिस बल किसी भी सुप्रशासन

का महत्वपूर्ण घटक है। पुलिस तथा पुलिस प्रशिक्षण शीघ्रता से बदलते हुए समाज, सामाजिक मानदंड एवं आवश्यकयताओं के साथ एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

4.312 उपर्युक्त चालू योजनाओं के अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तीन योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सहायता एवं सुझाव तथा देश में पुलिस की भावी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान के लिए शुरू की गई हैं। ये योजनाएं पुलिस बल को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक तथा संगठनात्मक संसाधन से उपस्कृत आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस को एक प्रभावी बल में परिवर्तित करने हेतु सहायक होंगी। इन योजनाओं के लिए आरंभिक व्यय 597.00 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था। योजना आयोग द्वारा धनराशि घटा दिए जाने के कारण इन योजनाओं का परिव्यय संशोधित कर दिया गया है तथा इन नई योजनाओं का 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 213.77 करोड़ रु. की लागत से समावेश करने हेतु कार्यान्वयन विचाराधीन है। ये योजनाएं हैं :-

1. <u>तीन नए विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना (95.37 करोड़ रु. की लागत से)</u>

4.313 देश में पुलिस अधिकारियों के लिए विशेषीकृत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अति आवश्यकता है।

(क) शिलांग, मेघालय में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं व्यवहार विज्ञान संबंधी पुलिस संस्थान।

(ख) अलवर, राजस्थान में यातायात प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान।

(ग) पश्चिम भारत में राष्ट्रीय तटीय पुलिस संस्थान (महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा)

2. <u>आधुनिक परियोजना (15.06 करोड़ रु. की लागत से)</u>

4.314 वर्ष के दौरान बी पी आर एंड डी को राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की निगरानी, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्यों की सहायता करने तथा सुधारात्मक प्रशासन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस योजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) राज्यों में आदर्श पुलिस स्टेशनों का निर्माण।

(ख) महानगरों में तकनीकी अपराध इकाईयां/साइबर अपराध जांच सेल स्थापित करना।

(ग) राष्ट्रीय पुलिस प्रौद्योगिकी तथा विकास केन्द्र स्थापित करना।

3. <u>राष्ट्रीय पुलिस मिशन परियोजनाएं (93.22 करोड़ रु. की लागत से)</u>

4.315 बी पी आर एंड डी में 2009 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन निदेशालय स्थापित किया गया है। राज्यों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से लगभग 100 पुलिस अधिकारियों की भागीदारी से 6 माइक्रो मिशन कार्य कर रहे हैं।

- ✓ मानव संसाधन विकास
- ✓ सामुदायिक पुलिस व्यवस्था
- ✓ संचार एवं प्रौद्योगिकी
- ✓ अवसंरचना
- ✓ नई प्रक्रियाएं (प्रोसेस इंजीनियरिंग)
- ✓ अग्र सक्रिय पुलिस व्यवस्था तथा भविष्य की संकल्पना तैयार करना

4.316 इस मंत्रालय ने पारदर्शी भर्ती प्रकिया पर राष्ट्रीय पुलिस मिशन प्रभाग, बी पी आर एंड डी की माइक्रो मिशन की परियोजना (एम एम : 01) को अनुमोदित कर दिया है। निम्नलिखित

राष्ट्रीय पुलिस मिशन संगठन आयोजित किए गए हैं:

(क) दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए अक्तूबर, 2012 से सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(ख) राष्ट्रीय पुलिस सूचना तथा कनवर्जेन्स नेटवर्क परियोजना पर चर्चा के लिए 18.07.2012 को एम एम : 03 की बैठक

(ग) एम एम : 05 की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा के लिए 23.08.2012 को एम एम : 06 की बैठक

एम एम : 05 के साथ संलग्न लोकोपयोगी पुलिस स्टेशन परियोजना पर 22.08.2012 को बैठक

<u>अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम</u>

4.317 केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त एक पृथक योजना ''अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण योजना'' इस प्रभाग में देखी जा रही है। क्षमता निर्माण के लिए एक पृथक शीर्ष गृह मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में नामत: अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण योजना'' के अंतर्गत सृजित किया गया। अब तक भंगोल, नेपाल, वियतनाम, मालदीव, सार्क इत्यादि के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2012-13 में अनुदान सं. 54 पुलिस राजस्व खण्ड, 2055-पुलिस (मुख्य शीर्ष) , 00;003 शिक्षा एवं प्रशिक्षण (गौण शीर्ष), 08 अन्तराष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (उप शीर्ष), 08,00,20 अन्य प्रशासनिक व्यय (मद शीर्ष्) के तहत 45 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

4,318 वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं । सीआरपीएफ अकादमी, गुडगॉव में आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (50 प्रशिक्षु और 13 प्रशिक्षक) और बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर में आयोजित सीमा संरक्षण के सामान्य प्राधिकारी के अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम (10 मंगोलियन अधिकारी) में संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों पर

45,00,000 रुपए के आबंटन में से 43,40,695 रुपए का व्यय किया गया । उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा , विदेश मंत्रालय और अन्य देशों के सहयोग से विभिन्न अन्य प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं । ये पाठ्यक्रम निम्नलिखित है:-

वर्ष 2012-13 के दौरान विदेशी पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्राप्त नामांकन

क्रम सं.	विदेश मंत्रालय संदर्भ एवं दिनांक	पाठ्यक्रम और संस्थान का नाम	समयावधि	प्राप्त नामांकनों की संख्या	देश	जितने अधिकारियों ने भाग लिया
1.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 14.05.2012	सीबीआई अकादमी में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच पड़ताल और विधि विज्ञान लेखा परीक्षा/लेखा जोखा पाठ्यक्रम	04.06.2012 से 08.06.2012	08	नेपाल	08
2.	ई. IV/237/1/2012 18.05.2012	आई एस ए, सी आर पी एफ, माउन्ट आबू में वरिष्ठ स्तर आंतरिक सुरक्षा	26.6.2012 से 03.07.2012	02	भूटान	
3.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 18.05.2012	सी बाई आई अकादमी में साइबर क्राइम (दुर्घटना कार्रवाई पाठ्यक्रम) लेवल-। पाठ्यक्रम	9-11 जुलाई , 2012	08	नेपाल	08
4.	सं केएटी/एसईसी/	एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर में पुलिस	02 जुलाई 22 सितम्बर , 2012	08	नेपाल	08

	237/2/2012 दिनांक 28 मई, 2012	कमाण्डों का अनुदेशक पाठ्क्रम (पी सी आई सी)				
5.	बी एस एफ ने दिनांक 29.05.2012 के पृष्ठांकन के तहत बी पी आर एंड डी को संबोधित करते हुए सूचित किया कि भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल ने फैक्स पत्रों के माध्यम से इन पाँच बी एस एफ पाठ्यक्रमों में रिक्तियां उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षुओं के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि की है। हालांकि, फैक्स संदेश की प्रतियां नहीं भेजी गईं हैं।	एन टी सी डी टेकनपुर में गार्ड प्रशिक्षण क्रमांक 17	02.07.2012 से 15.12.2012	05	नेपाल	04
6.		एन टी सी डी टेकनपुर में इन्फैन्ट्री पेट्रोल डॉग प्रशिक्षण क्रमांक 17	02.07.2012 से 15.12.2012	05	नेपाल	05
7.		एन टी सी डी टेकनपुर में खोजी एवं बचाव डॉग प्रशिक्षण क्रमांक 23	02.07.2012 से 15.12.2012	05	नेपाल	05
8.		टी सी एंड एस, हजारीबाग में पी सी (टी ए सी)क्रमांक 132	16.07.2012 से 08.09.2012	05	नेपाल	05
9.		एस टी सी, बी एस एफ, बंगलौर में ड्रिल कोर्स क्रमांक 108	02.07.2012 से 08.09.2012	05	नेपाल	05
10.	ई-IV/237/1/2011 (खंड.II)	एस वी पी, एन पी ए, हैराबाद में प्रशिक्षकों का	25.06.2012 से 21.07.2012	02	भूटान	02

	19.06.2012	प्रशिक्षण				
11.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 28.06.2012	सी बी आई अकादमी में आर्थिक अपराध की जांच-पड़ताल का पाठ्यक्रम	23.07.2012 से 27.07.2012	08	नेपाल	08
12.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 22.05.2012	एस टी एस, बी एस एफ, बंगलौर में ऑपरेटर रेडियो लाइन (ओ आर एल)-।।। पाठ्यक्रम	02.07.2012 से 23.03.2013	05	नेपाल	05
13.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 06.06.2012	एस टी एस, बी एस एफ, नई दिल्ली में रेडियो मैकेनिक पाठ्यक्रम	02.07.2012 से 01.06.2013	05	नेपाल	04
14.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 22.05.2012	सी एस डब्ल्यू टी, बी एस एफ इंदौर में आर्मर लेवल-।। पाठ्यक्रम	23.07.2012 से 13.10.2012	05	नेपाल	05
15.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 28.06.2012	सी बी आई अकादमी में बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच-पड़ताल	30.07.2012 से 03.08.2012	08	नेपाल	08
16.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक	सी एस डब्ल्यू टी, बी एस एफ में हथियार संचालन पाठ्यक्रम	20.08.2012 से 03.11.2012	10	नेपाल	10

	13.07.2012					
17.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 13.07.2012	सी एस एम टी, बी एस एफ, टेकनपुर में एम टी ओ पाठ्यक्रम	27.08.2012 से 03.11.2012	02	नेपाल	02
18.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 17.07.2012	बी एस एफ, टी सी एंड, एस, हजारीबाग में पी टी एंड यू ए सी	27.08.2012 से 10.11.2012	05	नेपाल	04
19.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 17.07.2012	एफ टी सी एंड एस, हजारीबाग में एफ ई/बम निष्क्रियकरण पाठ्यक्रम	27.08.2012 से 10.11.2012	05	नेपाल	05
20.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 25.07.2012	सी बी आई, अकादमी में साइबर अपराध जांच-पड़ताल और साइबर विधि-विज्ञान में उन्नत संकल्पना	27.08.2012 से 31.08.2012	08	भूटान	08
21.	सं.ई-IV/237/1/2012 दिनांक 17.07.2012	एन एस जी में पी सी आई सी क्रमांक 45	04.02.2013 से 27.04.2013	05	(रॉयल भूटान भूटान सेना/ रॉयल (अंगर	
22.		एन एस जी के वी आई पी सुरक्षा पाठ्यक्रम (क्रमांक 53)	25.02.2013 से 06.04.2013	05		

23.		एन एस जी में बी डी(डी डी/सी पी ओ)	04.04.2013 से 13.04.2013	04	क्षक)	
24.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 21.08.2012	सी बी आई अकादमी में पी एम एल ए के तहत जांच और विधि-विज्ञान लेखा परीक्षा/लेखा-जोखा कार्यक्रम	17.09.2012 से 21.09.2012	08	नेपाल	08
25.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 21.08.2012	सी बी आई अकादमी में आसूचना संग्रह और डिस्क्रीट पाठ्यक्रम	03.09.2012 से 07.09.2012	08	नेपाल	08
26.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 21.08.2012	सी बी आई अकादमी में प्रापण एवं संविदा धोखाधड़ी पाठ्यक्रम	10.09.2012 से 14.09.2012	08	नेपाल	08
27.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2011 दिनांक 21.08.2012	सी डी टी एस, कोलकाता में आर्थिक अपराध जांच-पड़ताल	03.09.2012 से 07.09.2012	10	नेपाल	10
28.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 22.08.2012	एस टी सी, बी एस एफ टेकनपुर में मैप रीडिंग मानक-I	24.09.2012 से 03.11.2012	05	नेपाल	05
29.	केएटी/एसईसी/	यातायात प्रबंधन कॉलेज में आउट	10.09.2012 से	05	नेपाल	

	237/1/2012 दिनांक 22.08.2012	राइडर पाठ्यक्रम	09.10.2012			
30.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 04.09.2012	सी डी टी एस, चंडीगढ़ में कम्प्यूटर विज्ञान जांच	08.10.2012 से 19.10.2012	10	नेपाल	
31.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 04.09.2012	एन टी सी डी, बी एस एफ, टेकनपुर में विस्फोटक खोजी डॉग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.10.2012 से 16.03.2013	02	नेपाल	
32.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 04.09.2012	एन टी सी डी- बी एस एफ, टेकनपुर में स्वापक खोजी डॉग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.10.2012 से 16.03.2012	02	नेपाल	
33.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 04.09.2012	एन टी सी डी-बी एस एफ, टेकनपुर में डॉग हैंडलिंग पाठ्यक्रम	01.10.2012 से 22.12.2012	05	नेपाल	05
34.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 07.09.2012	एस टी एस, बी एस एफ, बंगलौर में उन्नत बैंड पाठ्यक्रम	15.10.2012 से 16.03.2013	04	नेपाल	04
35.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक	सी बी आई अकादमी, गाजियाबाद में बैंक	08.10.2012 से 12.10.2013	08	नेपाल	08

	11.09.2012	धोखाधड़ी मामलों की जांच				
36.	No.केएटी/एस ईसी/237/1/2012 दिनांक 25.09.2012	एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र में पुलिस कमांडो अनुदेशक पाठ्यक्रम (पी सी आई सी)	15.10.2012 से 05.01.2013	07	नेपाल	07
37.	विदेश मंत्रालय का दिनांक 26.09.2012 के मंजूरी आदेश की प्रति	यातायात प्रबंधन का आई आर टी ई कॉलेज में यातायात प्रबंधन पाठ्यक्रम	04.06.2012 से 22.06.2012	19	नेपाल	19
38.	-	एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर में विशिष्ट वी आई पी सुरक्षा कैप्प्यूल पाठ्यक्रम	27.08.2012 से 16.09.2012	07	बांगला देश	07
39.	-	एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर में वी आई पी सुरक्षा पाठ्यक्रम	06.08.2012 से 15.09.2012	05	नेपाल	05
40.	केएटी/एसईसी/237/1/2012 दिनांक 03.10.2012	एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र मानेसर में वी आई पी सुरक्षा पाठ्यक्रम	29.10.2012 से 08.12.2012	05	नेपाल	05
41.	केएटी/एसईसी/237/2/2012 दिनांक	टी सी एंड एस, बी एस एफ, हजारबाग में कंपनी कमाण्डर	05.11.2012 से 29.12.2012	05	नेपाल	05

	04.10.2012	(टी ए सी) पाठ्यक्रम				
42.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 04.10.2012	सी डी टी एस कोलकाता में वैज्ञानिक पूछताछ	05.11.2012 से 09.11.2012 जो 11.03.2013 से 15.03.2013 के स्थान पर पुनः निर्धारित हुई	10	नेपाल	
43.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 08.10.2012	टी सी एंड एस, बी एस एफ, हजारीबाग में प्लाटून कमांडर (टी ए सी) पाठ्यक्रम	05.11.2012 से 29.12.2012	05	नेपाल	05
44.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 08.10.2012	सी एस डब्ल्यू टी, बी एस एफ, इंदौर में आर्मर लेबल-। पाठ्यक्रम	12.11.2012 से 24.08.2013	05	नेपाल	
45.	विदेश मंत्रालय के दिनांक 11.10.2012 के मंजूरी ओदश की प्रति	यातायात प्रबंधन का आई आर टी ई महाविद्यालय में सड़क यातायात सुरक्षा पाठ्यक्रम	09.07.2012 से 07.08.2012	20	नेपाल	20
46.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 15.10.2012	सी बी आई, अकादमी में साइबर अपराध की जांच-पड़ताल स्तर-।।	10.12.2012 से 14.12.2012	08	नेपाल	
47.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012	सी डी टी एस, कोलकाता में	24.12.2012 से	05	नेपाल	

	दिनांक 29.10.2012	उननत वैज्ञानिक पूछताछ	23.02.2012			
48.	केएटी/एसईसी/ 237/1/2012 दिनांक 05.11.2012	सी बी आई, अकादमी, गाजियाबाद में वैज्ञानिक पूछताछ तकनीक पाठ्यक्रम	26.12.2012 से 28.12.2012	08	नेपाल	
49.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 08.11.2012	एन टी सी डी, बी एस एफ, टेकनपुर में खोजी एवं बचाव डॉग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.01.2013 से 15.06.2013	02	नेपाल	
50.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 07.11.2012	एन टी सी डी, बी एस एफ, टेकनपुर में ट्रैकर डॉग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	01.01.2013 से 07.09.2013	02	नेपाल	
51.	दिनांक 19.11.2012 को बी पी आर एंड डी से बिल प्राप्त हुआ	सी डी टी एस, चंडीगढ़ में आतंकवादी अपराध और विस्फोट उपरान्त, मामलों की जांच संबंधी पाठ्यक्रम	27.08.2012 से 07.09.2012	10	नेपाल	10
52.	-	सी डी टी एस, चंडीगढ़ में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध पर पाठ्यक्रम	10.09.2012 से 14.09.2012	10	नेपाल	10

53.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 14.11.2012	सी एस एम टी, बी एस एफ, टेकनपुर में फ्लीट प्रबंधन पाठ्यक्रम	21.01.2013 से 30.03.2013	03	नेपाल	
54.	केएटी/एसईसी/ 237/2/2012 दिनांक 14.11.2012	टी सी एंड एस, बी एस एफ, हजारीबाग में फील्ड इंजीनियरिंग/बम निष्क्रियकरण पाठ्यक्रम	11.02.2013 से 30.03.2013	05	नेपाल	
55.	बी एस एफ का दिनांक 21.11.2012 का पत्र	एन टी सी डी, बी एस एफ, टेकनपुर में वेटरिनरी नर्सिंग सहायता पाठ्यक्रम	01.01.2013 से 09.02.2013	05	नेपाल	
56.		एन टी सी डी, बी एस एफ, टेकनपुर में पम्प रियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम	01.01.2013 से 26.01.2013	05	नेपाल	
57.	जे आई आई /237/02/2011 -पार्ट.II दिनांक 3.12.2012	एन एस जी, मानेसर में विस्फोट उपरांत अध्ययन पाठ्यक्रम	24.12.2012 से 12.01.2013	04	अफगान	
58.		एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर में विशिष्ट वी आई पी सुरक्षा कैप्स्यूल पाठ्यक्रम	10.12.2012 से 30.12.2012	08	बांगलादेश	08
			कुल	366		266

पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण (सी एस डी एम)

4.319 इस योजनागत स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय सी ए पी एफ के प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकताओं को सम्पूरित करता है। प्रमुख आवश्यकताएं नियमित बजट से पूरी की जाती हैं तथा नक्सलवाद/विद्रोह से प्रभावित राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है।

आप्रवासन सेवा :

क्र.सं.	परियोजना	प्रगति
1.	चरण 2 में विदेश में 40 मिशनों में एकीकृत ऑन-लाइन वीजा आवेदन शुरू करना।	51 भारतीय मिशनों में आई वी एफ आर टी के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
2.	35 विदेशी पंजीकरण कार्यालयों में विदेशियों के ऑनलाइन पंजीकरण के मॉड्यूल का कार्यान्वयन।	7 एफ आर आर ओ अर्थात् दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता, मुम्बई, अमृतसर तथा हैदराबाद में ऑन लाइन एफ आर आर ओ पंजीकरण आवेदन प्रपत्र (सामने का और पीछे का अर्थात् दोनों भाग) क्रियान्वित कर दिए गए हैं। केन्द्रीयकृत एफ आर ओ मॉड्यूल 13 एफ आर ओ अर्थात गुड़गांव, फरीदाबाद, हरिद्वार, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, कारवार, रामनगर, ईटानगर, मोहाली, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी तथा एफ आर आर ओ दिल्ली में कार्यान्वित

		कर दिए गए हैं।
3.	विदेशों में 5 भारतीय मिशनों में दो बायोमैट्रिक निशानों (फिंगर प्रिंट तथा फेशियल) के साथ बायोमैट्रिक्स शुरू करना।	(i) बायोमैट्रिक इनरॉलमेंट साफ्टवेयर संस्थापित कर दिया गया है तथा एच सी एल लंदन, आर ओ आई आल्माटी, एच सी एल इस्लामाबाद, ई ओ आई रेकजाविक तथा एच सी आई क्वालालामपुर में जांचाधीन है। (ii) एन आई सी ने 1:1 सत्यापन सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। (iii) 1:एन सत्यापन सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एन आई सी द्वारा ई सी आई एल को नियुक्त किया गया है।
4.	40 नए भारतीय मिशनों/पोस्टों के लिए वी पी एन कनेक्टिविटी	कार्य पूर्ण हो गया है।
5.	417 पी आर एम का प्रापण एवं संस्थापन अर्थात् 6 वर्ष पुराने पी आर एम (352) को प्रतिस्थापन तथा नए/अतिरिक्त काउंटरों (65) के लिए नए पी आर एम	विक्रेताओं के पैनल को एन आई सी द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसके लिए खरीद आर्डर जनवरी, 2013 के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया गया है। इसकी डिलीवरी 28.2.2013 तक पूरी की जानी है।
6.	16 आई सी पी में स्कैनिंग प्रणाली संस्थापित करना	कार्य को आउटसोर्स कर दिया गया है। अतः इस कार्य को छोड़ा जा सकता है।
7.	बैकलॉग डी/ई कार्डों के डाटा एंट्री की निकासी	दिल्ली में बैकलांग डी/ई कार्डों के डाटा एंट्री की निकासी का कार्य एन आई सी द्वारा नियुक्त एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। 1.63 करोड़ डी/ई कार्ड स्कैन कर दिए गए हैं तथा 90 लाख कार्डों की डाटा एंट्री पूरी कर ली गई है।

8.	6 हवाई अड्डों पर सी सी टी वी संस्थापन तथा 6 एफ आर आर ओ में पंजीकरण।	एस एफ सी प्रस्ताव को बी ओ आई के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इन सभी उपयों से सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, भारत में विदेशी यात्रियों के वैधीकरण में सहायता मिलने की संभावना है।

अध्याय - 5

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियां

5.1 अनुदान मांग-खण्ड I में गृह मंत्रालय संबंधी 5 अनुदान और खण्ड II में पाँच संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी 5 अनुदान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के नियंत्रण वाली 10 अनुदानों के संबंध में बजट अनुमान 2012-13; संशोधित अनुमान 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 का सार निम्नानुसार है:-

राजस्व (करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-2013			बजट अनुमान 2013-2014		
	योजनागत	योजना भिन्न	कुल	योजनागत	योजना भिन्न	कुल	योजनागत	योजना भिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	2135.66	789.70	2925.36	1470.36	715.28	2185.64	1358.31	750.20	2108.51
54- मंत्रिमंडल	0.00	602.79	602.79	0.00	640.65	640.65	0.00	403.00	403.00
55- पुलिस	1199.85	36090.97	37290.82	312.03	36989.62	37301.65	1746.30	41410.63	43156.63
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	315.00	1410.56	1725.56	150.00	1414.68	1564.68	467.00	1502.14	1969.14
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	1640.89	514.00	2154.89	1399.63	517.50	1917.13	1747.79	515.00	2262.79
कुल राजस्व (अनुदान सं. 53-57)	**5291.40**	**39408.02**	**44699.42**	**3332.02**	**40277.73**	**43609.75**	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	981.03	1263.26	2244.29	1045.67	1227.99	2273.66	1211.99	1311.88	2523.87
97 – चंडीगढ़	377.18	1993.24	2370.42	323.16	2248.99	2572.15	407.70	2349.50	2757.20
98 – दादरा और नागर हवेली	359.10	102.98	462.08	335.10	105.08	440.18	428.38	119.47	547.85
99 – दमण एवं दीव	218.48	112.53	331.01	200.86	115.33	316.19	263.92	126.24	390.16
100 – लक्षद्वीप	145.32	402.50	547.82	135.69	449.44	585.13	196.08	487.61	683.69
कुल राजस्व (अनुदान सं. 96-100)	**2081.11**	**3874.51**	**5955.62**	**2040.48**	**4146.83**	**6187.31**	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**
कुल अनुदान -10 (राजस्व)	**7372.51**	**43282.53**	**50655.04**	**5372.50**	**44424.56**	**49797.06**	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**

<u>पूंजीगत</u>

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-2013			बजट अनुमान 2013-2014		
	योजनागत	योजना भिन्न	कुल	योजनागत	योजना भिन्न	कुल	योजनागत	योजना भिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	3.35	45.99	49.34	7.64	45.95	53.59	2.67	62.68	65.35
54- मंत्रिमंडल	0.00	139.08	139.08	0.00	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00
55- पुलिस	6846.14	2495.29	9341.43	4887.97	1549.56	6437.53	6914.72	2193.16	9107.88
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	0.00	147.72	147.72	0.00	93.64	93.64	11.00	85.03	96.03
57-संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 53-57)	**6849.49**	**2900.08**	**9749.57**	**4895.61**	**1917.63**	**6813.24**	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	720.40	13.35	733.75	457.39	13.35	470.74	650.50	13.72	664.22
97 – चंडीगढ़	360.05	-188.46	171.59	296.84	-177.10	119.74	468.35	-156.18	312.17
98 – दादरा और नगर हवेली	248.58	3.58	252.16	229.60	3.58	233.18	244.00	2.81	246.81
99 – दमण एवं दीव	349.77	0.67	350.44	224.14	0.67	224.81	366.13	0.67	366.80
100 – लक्षद्वीप	255.29	3.27	258.56	114.31	3.27	117.58	246.25	-2.50	243.75
कुल पूंजीगत (अनुदान सं. 96-100)	**1934.09**	**-167.59**	**1766.50**	**1322.28**	**-156.23**	**1166.05**	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**
कुल – 10 अनुदान (पूंजीगत)	**8783.58**	**2732.49**	**11516.07**	**6217.89**	**1761.40**	**7979.29**	**8903.62**	**2271.39**	**11175.01**
कुल योग 10 अनुदान (राजस्व + पूंजीगत)	**16156.09**	**46015.02**	**62171.11**	**11590.39**	**46185.96**	**57776.35**	**16731.09**	**51247.06**	**67978.15**

नोट:- उपरोक्त आकलन निवल वसूलियाँ हैं।

5.2 अनुदान संख्या 53-मंत्रिमंडल, हालांकि गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल है परन्तु यह उनके मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है। इसी प्रकार, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के खण्ड ।। में शामिल विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी पाँच अनुदानों तथा अनुदान सं. 57- संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण के संबंध में योजनाओं की जांच एवं स्वीकृति देने का कार्य उन मंत्रालयों द्वारा किया जाता है जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह योजना आती है। केवल तीन अनुदान ही ऐसे हैं जिन पर गृह मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण और प्रशासन है। ये निम्नलिखित हैं :-

1. **अनुदान सं. 53 –गृह मंत्रालय**
2. **अनुदान सं. 55 – पुलिस**
3. **अनुदान सं. 56– गृह मंत्रालय का अन्य व्यय**

5.3 विगत दो वर्षों का वास्तविक व्यय, बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 2011-2012, 2012-13 और बजट अनुमान 2013-14 तथा इन तीनों अनुदानों में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रतिशतता का अन्तर निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

अनुदान	वास्तविक 2010-2011	बजट अनुमान 2011-2012	संशोधित अनुमान 2011-2012	वास्तविक 2011-2012	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता अंतर (वास्तविक)	बजट अनुमान 2012-2013	संशोधित अनुमान 2012-2013	बजट अनुमान 2013-2014	विगत वर्ष (बजट अनुमान) की तुलना में प्रतिशतता अंतर
53-गृह मंत्रालय	4202.19	4950.39	3284.10	3119.46	(-) 25.77%	2974.70	2239.23	812.88	(-) 72.67%
55-पुलिस	33525.65	39659.99	40131.77	12688.53	(-) 62.15%	46632.25	43739.18	43604.77	(-) 6.49%
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1386.68	1744.86	1658.19	1929.57	39.15%	1873.28	1658.32	1587.43	(-) 15.26%

5.4 आगामी पृष्ठों में जो ग्राफ दिए गए हैं, वे गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रमुख योजनाओं के संबंध में विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31.12.2012 तक) के बजटीय आबंटन और उसके उपयोग को दर्शाते हैं।

बजट एक नजर में

(करोड़ रु. में)

मांग संख्या		बजट अनुमान 2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			बजट अनुमान 2013-14		
		योजनागत	योजनाभिन्न	कुल	योजनागत	योजनाभिन्न	कुल	योजनागत	योजनाभिन्न	कुल
53- गृह मंत्रालय	राजस्व	2135.66	789.70	2925.36	1470.36	715.28	2185.64	1358.31	750.20	2108.51
	पूंजीगत	3.35	45.99	49.34	7.64	45.95	53.59	2.67	62.68	65.35
	कुल	**2139.01**	**835.69**	**2974.70**	**1478.00**	**761.23**	**2239.23**	**1360.98**	**812.88**	**2173.86**
54-मंत्रिमंडल	राजस्व	0.00	602.79	602.79	0.00	640.65	640.65	0.00	403.00	403.00
	पूंजीगत	0.00	139.08	139.08	0.00	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**741.87**	**741.87**	**0.00**	**797.13**	**797.13**	**0.00**	**403.00**	**403.00**
55-पुलिस	राजस्व	1199.85	36090.97	37290.82	312.03	36989.62	37301.65	1746.30	41410.63	43156.93
	पूंजीगत	6846.14	2495.29	9341.43	4887.97	1549.56	6437.53	6914.72	2193.16	9107.88
	कुल	**8045.99**	**38586.26**	**46632.25**	**5200.00**	**38539.18**	**43739.18**	**8661.02**	**43603.79**	**52264.81**
56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	315.00	1410.56	1725.56	150.00	1414.68	1564.68	467.00	1502.14	1969.14
	पूंजीगत	0.00	147.72	147.72	0.00	93.64	93.64	11.00	85.03	96.03
	कुल	**315.00**	**1558.28**	**1873.28**	**150.00**	**1508.32**	**1658.32**	**478.00**	**1587.17**	**2065.17**
57- संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	राजस्व	1640.89	514.00	2154.89	1399.63	517.50	1917.13	1747.79	515.00	2262.79
	पूंजीगत	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00
	कुल	**1640.89**	**586.00**	**2226.89**	**1399.63**	**589.05**	**1989.13**	**1747.79**	**587.00**	**2334.79**
कुल अनुदान सं.53-57	राजस्व	**5291.40**	**39408.02**	**44699.42**	**3332.02**	**40277.73**	**43609.75**	**5319.40**	**44580.97**	**49900.37**
	पूंजीगत	**6849.49**	**2900.08**	**9749.57**	**4895.61**	**1917.63**	**6813.24**	**6928.39**	**2412.87**	**9341.26**
	कुल	**12140.89**	**42308.10**	**54448.99**	**8227.63**	**42195.36**	**50422.99**	**12247.79**	**46993.84**	**59241.63**
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	राजस्व	981.03	1263.26	2244.29	1045.67	1227.99	2273.66	1211.99	1311.88	2523.87
	पूंजीगत	720.40	13.35	733.75	487.39	13.35	470.74	650.50	13.72	664.22
	कुल	**1701.43**	**1276.61**	**2978.04**	**1503.06**	**1241.34**	**2744.40**	**1862.49**	**1325.60**	**3188.09**
97 – चंडीगढ़	राजस्व	377.18	1993.24	2370.42	323.16	2248.99	2572.15	407.70	2349.50	2757.20
	पूंजीगत	360.05	-188.46	171.59	296.84	-177.10	119.74	468.35	-156.18	312.17
	कुल	**737.23**	**1804.78**	**2542.01**	**620.00**	**2071.89**	**2691.89**	**876.05**	**2193.32**	**3069.37**
98 – दादरा और नगर हवेली	राजस्व	359.10	102.98	462.08	335.10	105.08	440.18	428.38	119.47	547.85
	पूंजीगत	248.58	3.58	252.16	229.60	3.58	233.18	244.00	2.81	246.81
	कुल	**607.68**	**106.56**	**714.24**	**564.70**	**108.66**	**673.36**	**672.38**	**122.28**	**794.66**
99 – दमण एवं दीव	राजस्व	218.48	112.53	331.01	200.86	115.33	316.19	263.92	126.24	390.16
	पूंजीगत	349.77	0.67	350.44	224.14	0.67	224.81	366.13	0.67	366.80
	कुल	**568.25**	**113.20**	**681.45**	**425.00**	**116.00**	**541.00**	**630.05**	**126.91**	**756.96**
100 – लक्षद्वीप	राजस्व	145.32	402.50	547.82	135.69	449.44	585.13	196.08	487.61	683.69
	पूंजीगत	255.29	3.27	258.56	114.31	3.27	117.58	246.25	-2.50	243.75
	कुल	**400.61**	**405.77**	**806.38**	**250.00**	**452.71**	**702.71**	**442.33**	**485.11**	**927.44**
कुल अनुदान सं. 96-100	राजस्व	**2081.11**	**3874.51**	**5955.62**	**2040.48**	**4146.83**	**6187.31**	**2508.07**	**4394.70**	**6902.77**
	पूंजीगत	**1934.09**	**-167.59**	**1766.50**	**1322.24**	**-156.23**	**1166.05**	**1975.23**	**-141.48**	**1833.75**
	कुल	**4015.20**	**3706.92**	**7722.12**	**3362.72**	**3990.60**	**7353.36**	**4483.30**	**4253.22**	**8736.52**
10 अनुदानों	राजस्व	**7372.51**	**43282.53**	**50655.04**	**5372.50**	**44424.56**	**49797.06**	**7827.47**	**48975.67**	**56803.14**

का कुल योग	पूंजीगत	8783.58	2732.49	11516.07	6217.85	1761.40	7979.29	8903.62	2271.39	11175.01
	कुल	16156.09	46015.02	62171.11	11590.35	46185.96	57776.35	16731.09	51247.06	67978.15

अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 53)

राजभाषा विभाग

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

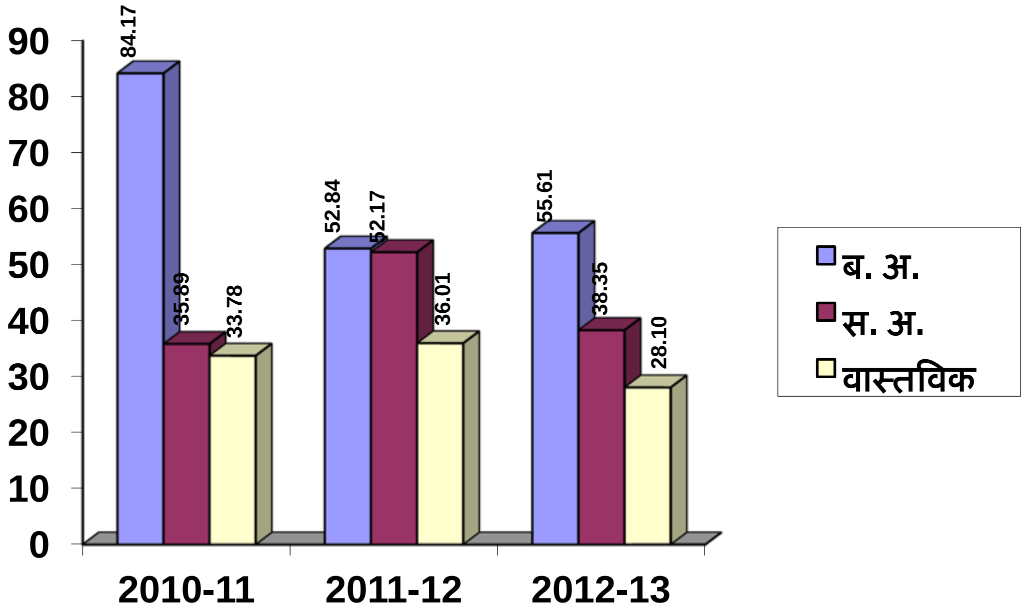

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 52-गृह मंत्रालय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 53)

भारत के महारजिस्ट्रार के अधीन योजनाएं

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

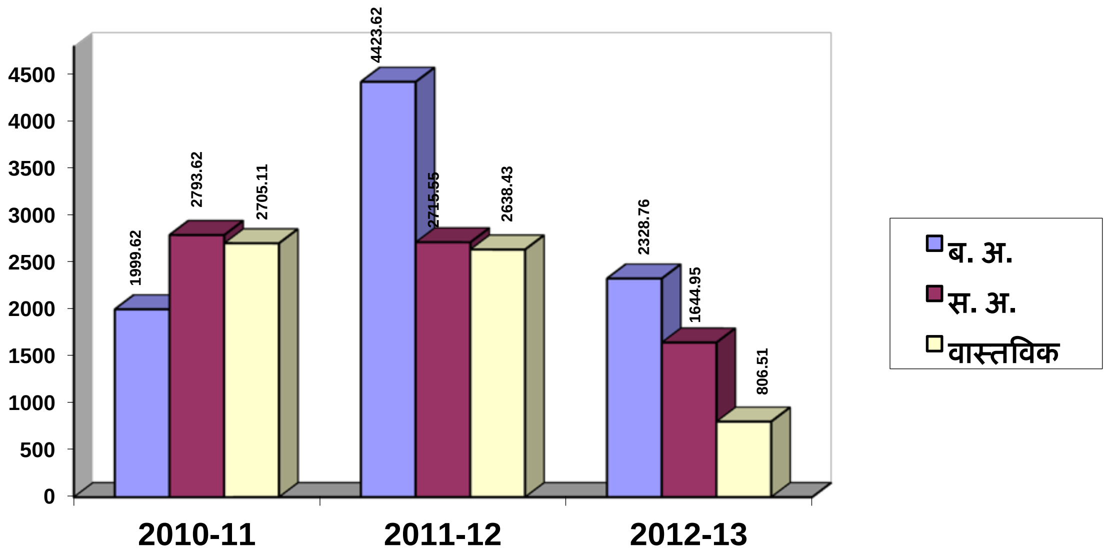

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

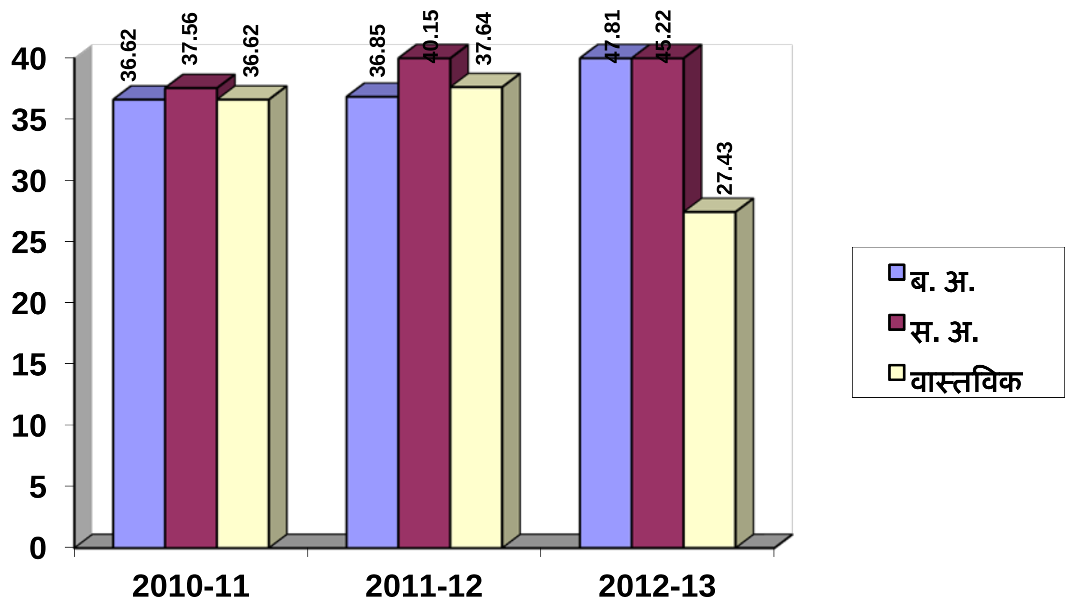

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
भारत-पाकिसतान सीमा कार्य
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

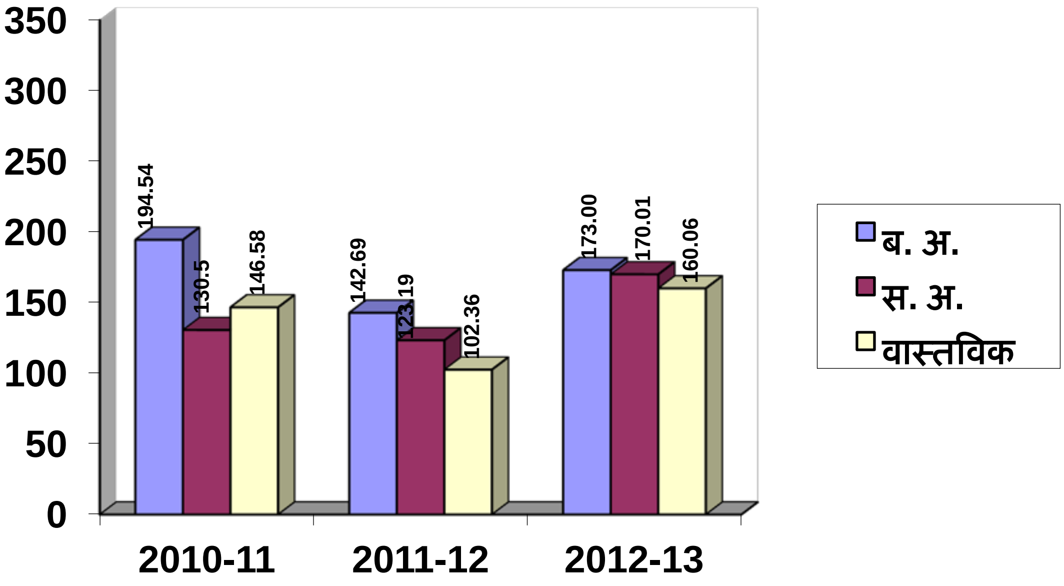

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
भारत-बांगलादेश सीमा (सड़के एवं बाड़ लगाना)
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

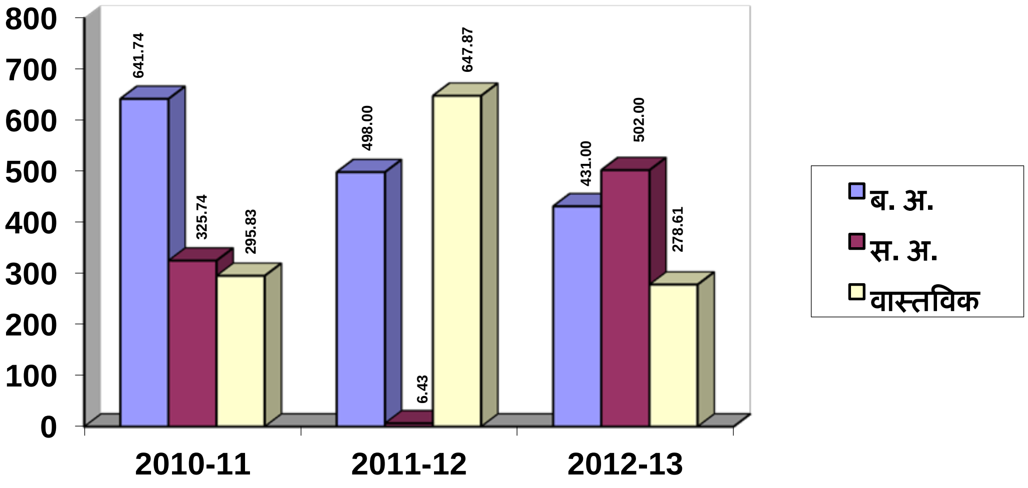

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

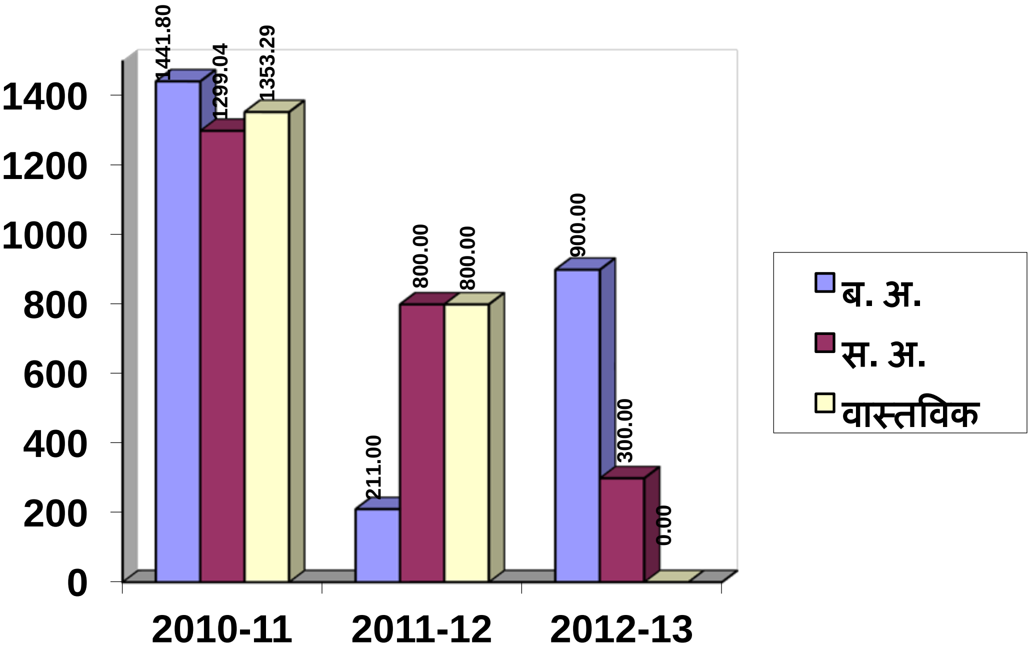

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
राज्यों को विशेष सहायता
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

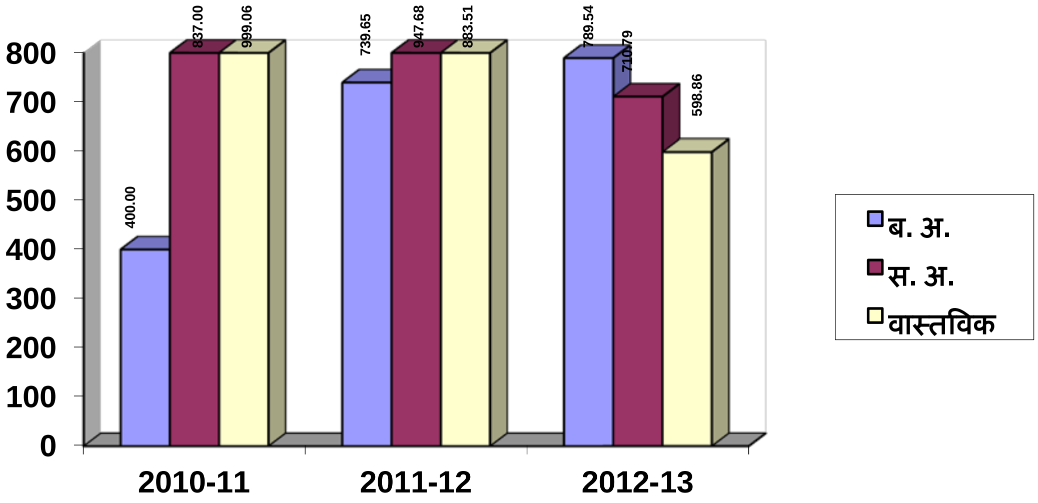

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय
विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

कार्यालय भवन

(करोड़ रु. में)

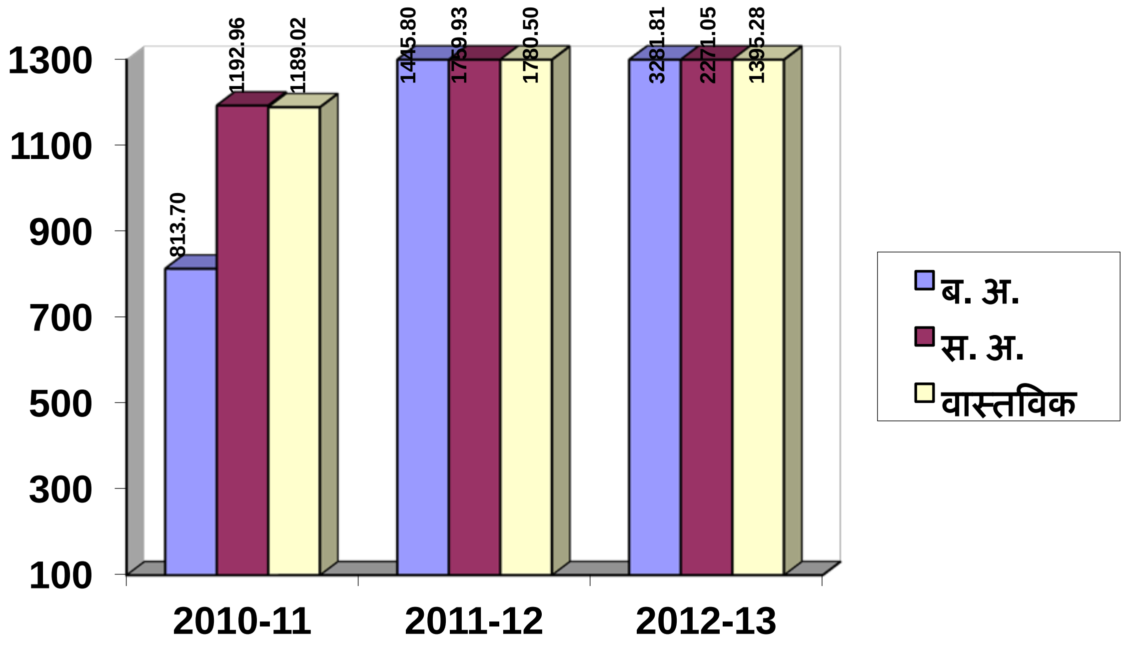

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

आवासीय भवन

(करोड़ रु. में)

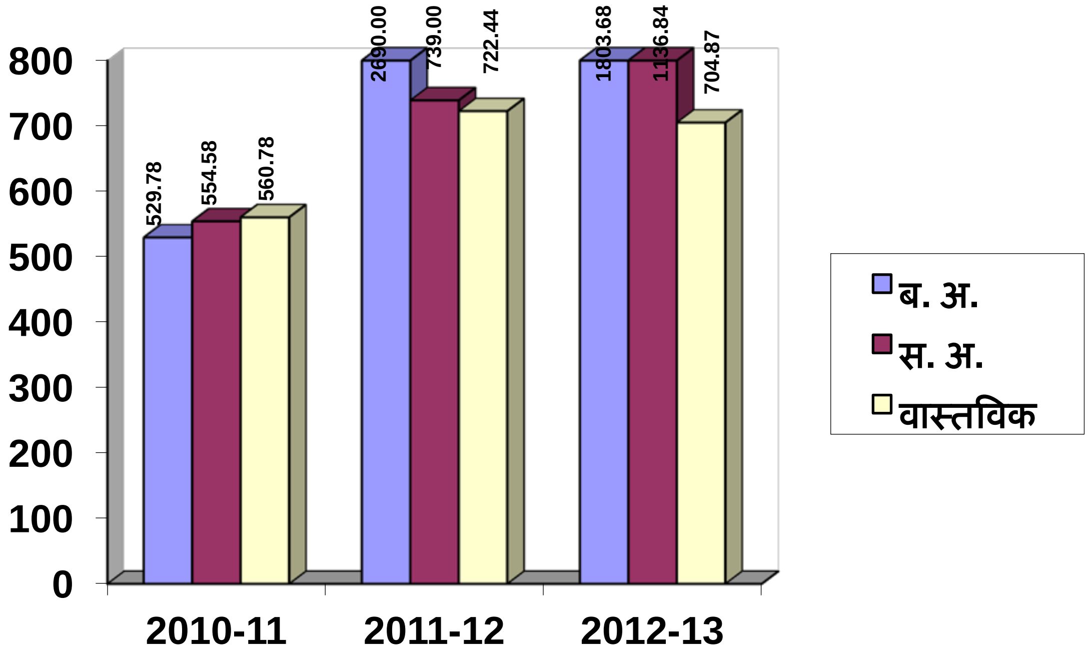

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 54-पुलिस (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 55)
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यों संबंधी व्यय
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

सीमा चौकी

(करोड़ रु. में)

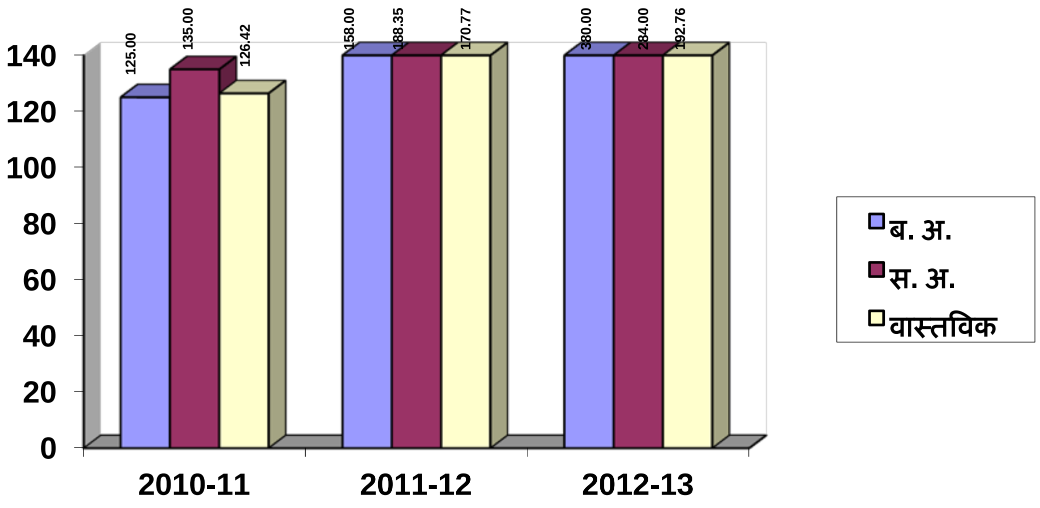

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 56)
जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण
विगत तीन वर्षो 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

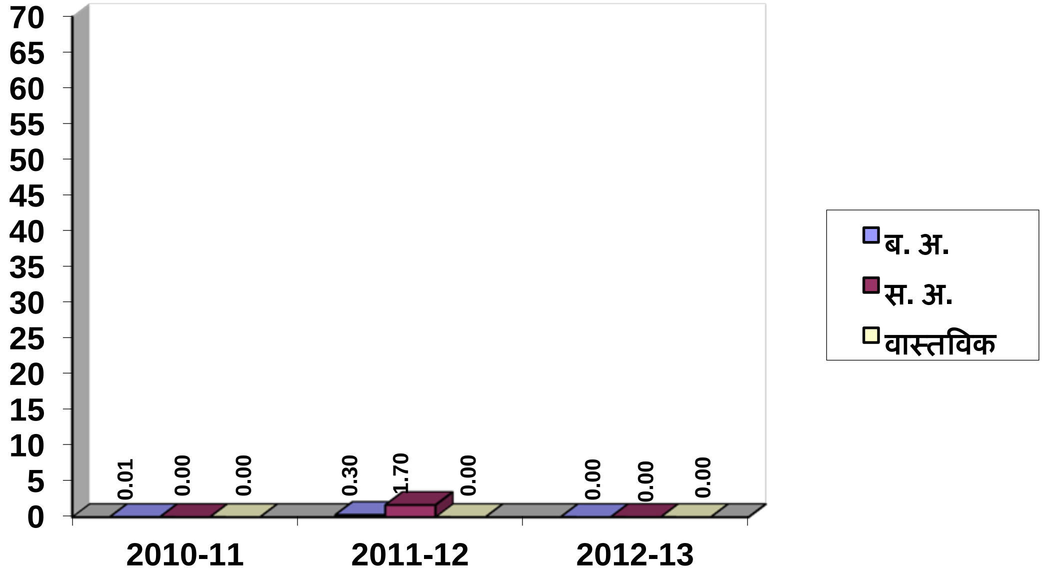

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 56)
विस्थापित एवं प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजनाएं
विगत तीन वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

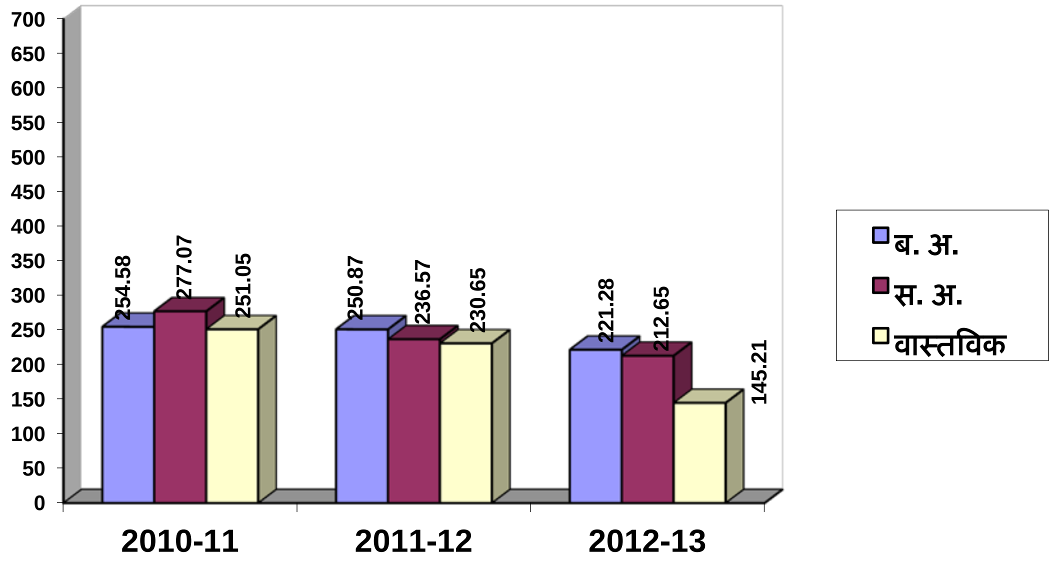

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

अनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 56)
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन
विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13
आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

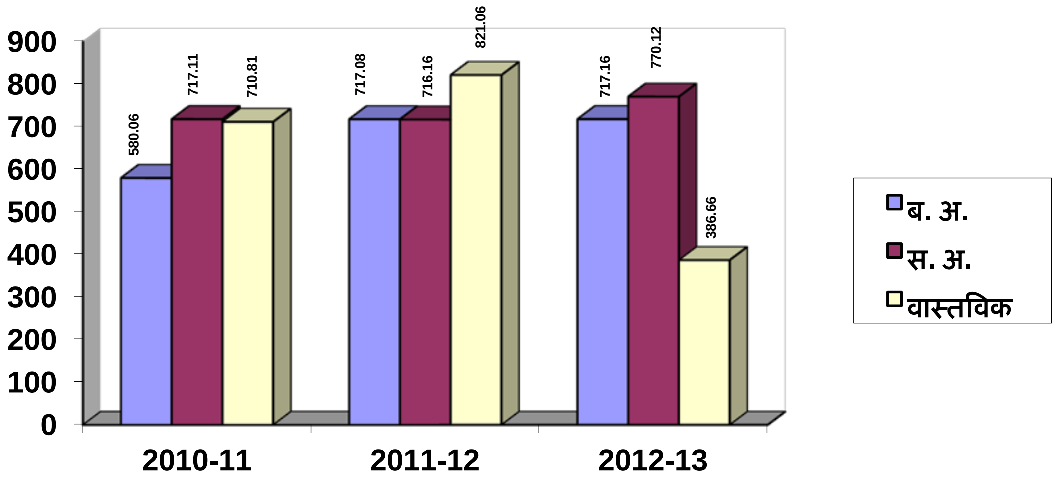

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

ेअनुदान सं. 55-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय (वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदान सं. 56)

स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास

विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13

आबंटन और व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

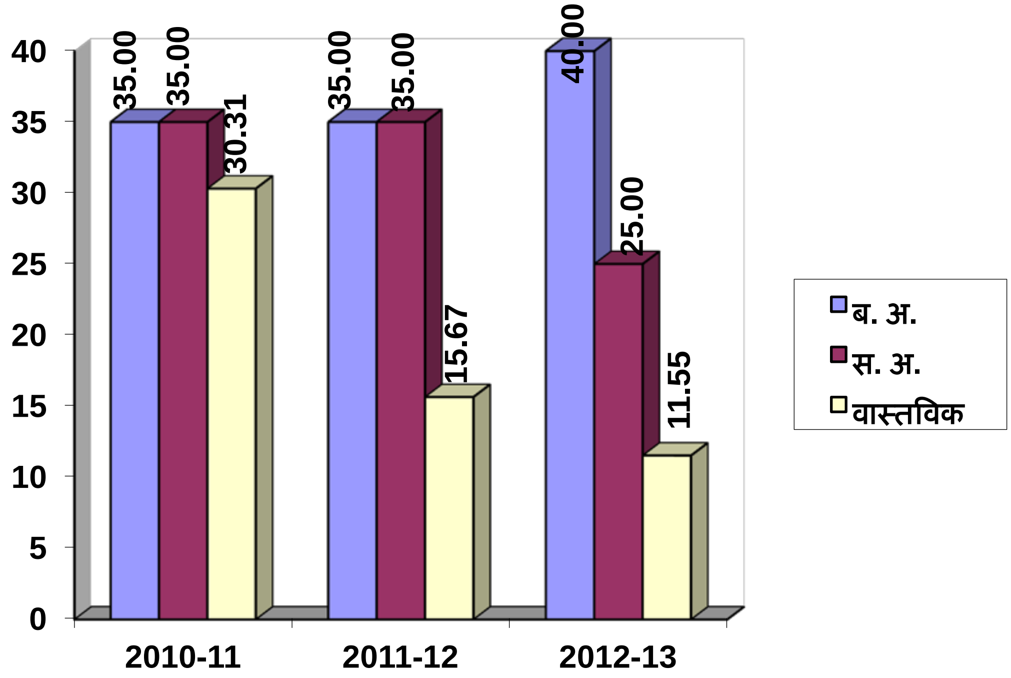

31-12-2012 तक वास्तविक (अनंतिम)

गृह मंत्रालय

पुलिस

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

2009-2010 से 2011-2012 तक बजटीय प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की तुलना

(करोड़ रु. में)

विभाग	वर्ष 2009-2010 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2010-2011 की प्रवृत्तियां				वर्ष 2011-2012 की प्रवृत्तियां			
	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर	बजट अनुमान	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय	अंतिम अनुदान और वास्तविक में अन्तर
राजस्व												
के.रि.पु.बल	6765.39	6909.00	6901.32	-7.68	5561.11	7135.91	7136.70	0.79	7624.93	8597.30	8587.31	-9.99
सी.सु.बल	6292.18	6431.10	6429.97	-1.13	5273.33	6768.03	6698.46	-69.57	7368.79	7914.71	7896.52	-18.19
के.औ.सु.बल	2637.79	2829.86	2829.53	-0.33	2232.18	3056.27	3052.79	-3.48	2909.77	3168.03	3204.89	36.86
भा.ति.सी.पु.	1481.18	1633.61	1632.78	-0.83	1430.11	1624.74	1617.88	-6.86	1797.89	1970.17	1937.02	-33.15
दिल्ली पुलिस	2812.49	2806.16	2604.60	-201.56	2663.03	2930.25	2921.23	-9.02	3245.75	3328.02	3318.41	-9.61
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	276.80	308.45	305.02	-3.43	312.18	366.43	362.69	-3.74	422.96	472.30	465.24	-7.06
असम राइफल्स	2209.11	2326.97	2320.46	-6.51	1903.53	2387.89	2383.30	-4.59	2451.88	2683.20	2724.24	41.04
आसूचना ब्यूरो	657.10	779.63	757.60	-22.03	633.07	849.11	835.60	-13.51	909.92	914.53	857.14	-57.39
सशस्त्र सीमा बल	1416.01	1359.29	1338.94	-20.35	1166.75	1419.44	1390.57	-28.87	1547.74	1708.09	1694.36	-13.73
कुल	**24548.05**	**25384.07**	**25120.22**	**-263.85**	**21175.29**	**26538.07**	**26399.22**	**-138.85**	**28279.63**	**30756.35**	**30685.13**	**-71.22**
पूंजीगत												
के.रि.पु.बल	566.47	686.36	682.71	-3.65	551.76	724.31	729.40	5.09	1017.39	1083.59	1075.58	-8.01
सी.सु.बल	819.36	924.17	937.62	13.45	510.10	799.28	663.20	-136.08	1332.31	905.37	845.16	-60.21
के.औ.सु.बल	49.69	65.94	66.02	0.08	115.00	154.17	149.68	-4.49	288.00	192.50	177.84	-14.66
भा.ति.सी.पु.	227.35	224.82	253.46	28.64	273.99	260.08	246.00	-14.08	419.00	305.35	271.07	-34.28
दिल्ली पुलिस	151.04	163.70	157.13	-6.57	175.50	119.74	108.96	-10.78	95.00	99.15	98.76	-0.39
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	132.60	135.80	120.31	-15.49	141.00	125.47	128.82	3.35	156.20	117.69	113.35	-4.34
असम राइफल्स	330.00	379.05	378.70	-0.35	329.00	344.86	347.64	2.78	881.00	475.60	483.77	8.17
आसूचना ब्यूरो	60.96	64.48	53.47	-11.01	45.00	57.09	55.68	-1.41	89.28	146.47	80.65	-65.82
सशस्त्र सीमा बल	297.09	224.15	195.91	-28.24	290.79	270.69	247.76	-22.93	678.00	380.09	378.72	-1.37
कुल	**2634.56**	**2868.47**	**2845.33**	**-23.14**	**2432.14**	**2855.69**	**2677.14**	**-178.55**	**4956.18**	**3705.81**	**3524.90**	**-180.91**
कुल योग	**27182.61**	**28252.54**	**27965.55**	**-286.99**	**23607.43**	**29393.76**	**29076.36**	**-317.40**	**33235.81**	**34462.16**	**34210.03**	**-252.13**

2011-12 के लिए बजट और का सारांश

(करोड़ रु. में)

अनुदान संख्या	बजट अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान	31 मार्च 2012 तक व्यय	+ आधिक्य - बचत	कुल अनुदान के संदर्भ में बचत/आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
53 –गृह मंत्रालय	4950.39	24.67	4975.06	3125.07	(-) 1849.99	(-) 37.19
55– पुलिस	40019.99	3262.86	43282.85	39922.25	(-) 3360.60	(-) 7.76
56- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	1744.83	0.08	1744.91	1631.00	(-) 113.91	(-) 6.53
कुल	46715.21	3287.61	50002.82	44678.32	(-) 5324.50	(-)10.65

(`करोड़ रु. में)

	लेखा शीर्ष	गृह मंत्रालय			पुलिस			गृह मंत्रालय का अन्य व्यय			सभी अनुदानों का वर्षवार योग		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	वेतन	2391.37	1419.72	265.52	20339.99	24364.82	22907.25	141.44	209.39	187.82	22872.80	25993.93	23360.59
2	पारिश्रमिक	9.57	0.63	0.26	10.83	22.92	18.18	0.01	0.00	0.00	20.41	23.55	18.44
3	समयोपरि	0.64	0.27	0.14	0.23	0.61	0.31	0.00	0.00	0.00	0.87	0.88	0.45
4	पेंशन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.83	821.04	386.67	710.83	821.04	386.67
5	पारितोषिक	1.22	0.00	0.00	7.47	11.95	7.56	0.10	0.14	0.12	8.79	12.09	7.68
6	चिकित्सा उपचार	11.47	4.92	3.31	131.04	158.09	127.12	1.97	2.04	1.64	144.48	165.05	132.07
7	घरेलू यात्रा व्यय	77.17	14.93	8.21	922.59	975.97	706.70	7.67	8.59	7.19	1007.43	999.49	722.10
8	विदेश यात्रा व्यय	3.36	1.10	1.03	8.72	10.58	7.40	0.53	0.81	0.43	12.61	12.49	8.86
9	कार्यालय व्यय	795.56	999.42	613.03	417.79	587.44	407.77	6.82	8.29	6.47	1220.17	1595.15	1027.27
10	किराया, दरें एवं कर	19.60	24.64	22.35	18.83	37.88	25.80	0.00	0.05	0.27	38.43	62.57	48.42
11	प्रकाशन	77.49	12.65	2.81	8.40	8.97	6.49	0.65	0.17	0.35	86.54	21.79	9.65
12	बी सी टी टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	अन्य प्रशासनिक व्यय	6.07	5.01	2.93	15.71	24.19	12.54	1.45	2.08	1.24	23.23	31.28	16.71
14	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	0.00	13.05	14.06	7.26	0.00	0.00	0.00	13.05	14.06	7.26
15	शस्त्र एवं गोलाबारूद	0.20	0.00	0.00	981.77	1571.31	807.62	0.00	0.00	0.00	981.97	1571.31	807.62
16	राशन की लागत	0.06	0.00	0.00	1378.00	1677.29	1614.38	8.66	14.41	13.05	1386.72	1691.70	1627.43
17	पेट्रोल तेल एवं स्नेहक	1.39	3.27	1.86	301.87	435.99	280.07	1.63	2.49	2.16	304.89	441.75	284.09
18	वस्त्र एवं तम्बू	0.00	0.00	0.00	339.15	441.26	255.65	0.93	3.97	7.56	340.08	445.23	263.21
19	विज्ञापन एवं	66.95	90.90	26.54	39.08	37.75	28.48	17.12	22.99	8.03	123.15	151.64	63.05

	प्रचार												
20	लघु कार्य	34.87	6.74	2.70	255.61	329.74	185.88	0.74	0.78	0.33	291.22	337.26	188.91
21	व्यावसायिक सेवाएं	214.86	219.90	4.52	223.85	259.70	201.68	2.80	4.75	6.07	441.51	484.35	212.27
22	सहायता अनदान	140.02	226.18	251.89	2765.85	2373.90	757.57	295.70	282.69	194.12	3201.57	2882.77	1203.58
23	पूंजी के सृजन के लिए सहायता अनुदान		0.00	0.00	0.00	210.00	91.88	69.85	69.85	78.00	69.85	279.85	169.88
24	अंशदान	1.67	1.93	1.68	0.00	0.00	0.00	0.13	0.14	0.15	1.80	2.07	1.83
25	आर्थिक सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99	59.18	16.51	44.99	59.18	16.51
26	छात्रवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.80	0.43	0.22	0.01	0.02	0.01	0.81	0.45	0.23
27	गुप्त सेवाएं	56.21	0.00	0.00	38.05	106.15	77.10	0.00	0.00	0.00	94.26	106.15	77.10
28	एकमुश्त प्रावधान	1.59	1.76	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.76	1.42
29	अन्य प्रभार	186.75	52.83	20.08	1536.01	1338.29	539.01	56.75	50.45	27.62	1779.51	1441.57	586.71
30	मोटर वाहन	9.32	0.06	0.97	308.48	337.40	238.11	3.36	1.51	0.75	321.16	338.97	239.83
31	मशीनें एवं उपस्कर	50.67	16.45	16.46	786.08	789.73	398.72	43.59	26.83	9.99	880.34	833.01	425.17
32	मुख्य कार्य	44.15	21.77	22.21	2990.80	3795.82	2998.28	26.69	25.14	30.98	3061.64	3842.73	3051.47
33	निवेश	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	13.18	0.00
34	ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
35	विविध	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**4202.23**	**3125.08**	**1269.92**	**33845.05**	**39922.24**	**32709.03**	**1387.75**	**1630.98**	**987.53**	**39504.88**	**44678.30**	**34966.48**

अनुदान संख्या 53-गृह मंत्रालय; अनुदान संख्या 55-पुलिस, अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय का अन्य व्यय के संबंध में प्रस्तावित/सहमत बजट अनुमान 2013-14 का मद शीर्ष वार विवरण						
योजनेत्तर						(हजार रु. में)
	गृह मंत्रालय		पुलिस		गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	
मद शीर्ष	ब.अ. 2013-14 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2013-14 (सहमत)	ब.अ. 2013-14 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2013-14 (सहमत)	ब.अ. 2013-14 (प्रस्तावित)	ब.अ. 2013-14 (सहमत)
वेतन	4023210	3698700	335285000	312249800	3400000	2556900
वेतन (प्रभार)	0	0	5100	5100	0	0
मजदूरी	4215	4215	385600	349800	110	110
समयोपरि भत्ता	4345	4130	9300	9140	10	10
पुरस्कार	0	0	151400	142200	2500	1500
चिकित्सा उपचार	63290	62942	2622700	2189700	30000	20000
पेंशन संबंधी प्रभार	0	0	0	0	8000150	7170750
घरेलू यात्रा व्यय	135583	131778	11255400	10055800	127000	113500
विदेश यात्रा व्यय	33405	33405	270400	310160	18000	18000
कार्यालय व्यय	378395	366785	7115800	5963700	160000	150000
किराया, दर एवं कर	610940	420940	614900	612900	28000	10010
प्रकाशन	58545	58520	136500	135500	6600	6100
अन्य प्रशासनिक व्यय	83264	67860	366500	348200	33100	23100
आपूर्तियां एवं सामग्री	0	0	167000	159500	10	10
शस्त्र एवं गोलाबारूद	0	0	17642600	12862200	200	200
शस्त्र एवं गोलाबारूद (एम)	0	0	1544000	153600	0	0
राशन की लागत	0	0	25227700	20276900	250000	250000
पेट्रोल, तेल, स्नेहक	4500	4500	6077100	4863500	39070	35000
वस्त्र एवं तम्बू	0	0	9224500	4806700	0	0
वस्त्र एवं तम्बू (एम)	0	0	100000	50000	200100	200100
विज्ञापन एवं प्रचार	90600	90570	381100	360900	104500	93050
लघु कार्य	155450	154079	6515900	4514900	30000	30000
पेशेवर सेवाएं	430200	401440	8357000	2709600	42600	39600

सामान्य सहायता अनुदान	1842725	1714225	32355500	18435010	3184200	2869600
पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	0	0	4100000	2600000	0	0
अंशदान	23200	20000	0	0	1500	11500
आर्थिक सहायता	0	0	0	50000	860000	764500
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	0	0	11900	10400	150	150
गुप्त सेवा व्यय	0	0	1188000	1173500	0	0
एकमुश्त प्रावधान	21200	20100	0	0	0	0
अन्य प्रभार (स्वीकृत)	213748	205698	23735500	1715700	643700	627210
अन्य प्रभार (प्रभारित)	0	0	92300	93300		
सूचना प्रौद्योगिकी	79545	88213	6313800	18398900	22500	15500
भर्ती (कार्यालय व्यय)	0	0	450000	448700	0	0
भर्ती (विज्ञापन एवं प्रकाशन)	0	0	69600		0	0
क्रेच अन्य खुल्क			22000			
मोटर वाहन (स्वीकृत)	13600	13600	8632200	5254200	150000	100000
मोटर वाहन (प्रभारित)	0	0	20000	20000	0	0
मोटर वाहन (एम.ओ.डी.)	0	0	858400	188400	100	100
मशीनरी एवं उपकरण (एम)	0	0	3721300	502500	100	100
मशीनरी एवं उपकरण	67100	67100	11159000	7269200	500000	450000
कार्यालय भवन (स्वीकृत)	0	0	0	238300	150000	150000
कार्यालय भवन (प्रभारित)	0	0	0		0	0
रिहायशी भवन	0	0	0	29000	150100	150100
सीमा चौकियां	0	0	0		0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	50000	0	0	0
मुख्य कार्य (आईबीबी/आईपीबी आदि)	0	0	0	0	0	0
मुख्य कार्य	1250000	500000	0	0	0	0
निवेश	0	0	0	0	0	
कुल जोड़	**9587060**	**8128800**	**526235000**	**438437900**	**18134300**	**15856700**

31 मार्च, 2011 तक निर्मुक्त ऋणों/अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

मार्च, 2010 तक जारी अनुदानों के संबंध में देय उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रु. में)	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में शामिल राशि (करोड़ रु. में)	31.12.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की संख्या	बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों में शामिल राशि (करोड़ रु.में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
812	**14123.68**	**480**	**12247.57**	**332**	**1876.17**

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष

क. राज्य सरकारों के अव्ययित शेष

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना	राशि
1.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	529.04
2.	जेलों के आधुनिकीकरण की योजना	15.38
3.	बोडो भू भागीय परिषद	0.36
4.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना	203.81
5.	किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए योजना	264.23
6.	पाक अधिकृत कश्मीर से 1947 में विस्थापितों को भूमि की कमी के एवज में अनुग्रहराशि/नकद राशि	23.21
7.	सी सी टी एन एस योजना के तहत क्षमता निर्माण, सिस्टम इंटीग्रेटर तथा प्रोजैक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंसी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	272.22
8.	ए टी आई को सहायता अनुदान	0.20
9.	एन पी सी बी ए ई आर एम/एन पी सी बी ई ई आर एम	3.54
10.	देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए योजना	9.65
11.	अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी योजना	3.83
12.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन सी आर एम पी)	1.69
13.	राज्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (एस डी एम पी)	2.86
14.	विद्रोहरोधी एवं आतंकवाद रोधी विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता	5.45
15.	2002 में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास	1.79
16.	भागलपुर दंगा पीड़ितों को अतिरिक्त राहत	0.51
17.	निबंध प्रतियोगिता	0.03
18.	जनगणना 2011	285.86
19.	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर	721.67
20.	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण भूखंडों में बुनियादी सुविधाओं का विकास	31.00

ख. 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित बकाया

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना	अभिकरण	राशि
1.	क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैक्रिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सी सी टी एन एस)	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), आर के पुरम, नई दिल्ली	1.00
	कुल		1.00

अध्याय - 6

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) :

6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा दिनांक 30 मई, 2005 को किया गया था। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को 27 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एवं दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिससे आपदा आने पर समयोचित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से, विशेष रूप से रोकथाम, तैयारी और प्रशमन का कार्य, निपुणता और बेहतर समन्वित तरीके से करने में गहन रूप से लगा हुआ है।

आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन पी डी एम)

6.2 आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति को दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस नीति में ''रोकथम, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी बातों को अपना कर समग्र, पहले से तैयारी, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति तैयार कर सुरक्षित और आपदा मुक्त भारत बनाने'' का राष्ट्रीय विजन परिलक्षित होता है।

पहले जारी किए गए तथा प्रक्रियाधीन दिशानिर्देश

6.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थान कार्पोरेट क्षेत्र तथा समुदाय सहित सभी पणधारियों को शामिल किया गया है। जारी किए गए

दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों का वितरण अध्याय I में 'नीतिगत पहलें' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।

जागरूकता अभियान

6.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दृश्य-श्रृव्य स्पॉट्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, मुद्रित सामग्री, आदि जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में जोखिम, आकलन तैयारी और आत्म-निर्भरता में सुधार लाने के लिए अभियान चलाए हैं। इस वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- चक्रवात, बाढ़ अपदा प्रबंधन और प्रतिमान परिवर्तन के लिए श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स तैयार करना;
- भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और शहरी बाढ़ के बारे में श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स को निजी टेलीविजन चैनलों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोक सभा टी वी, एफ एम रेडियो चैनलों पर प्रसारित करना;
- विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन;
- रेलवे आरक्षण टिकटों पर संदेशों का मुद्रण;
- बाढ़ एवं चक्रवात आपदा प्रबंधन जागरूकता पर पोस्टरों तथा पर्चों का मुद्रण

नकली अभ्यास

6.5 विभिन्न प्रकार के अनेक नकली अभ्यास किए गए हैं।

प्रशमन परियोजनाएं

6.6 चक्रवात, भूकंप, संचार नेटवर्क, भू-स्खलन, स्कूल-सुरक्षा और बाढ़ों आदि से संबंधित राष्ट्रीय प्रशमन परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है/अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहु-विषयक दलों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाई जा रही हैं जिनमें वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय स्रोतों और तकनीकी विधिक क्षेत्रों जैसी सभी सहायक पद्धतियों को विवरण होगा।

विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

<u>राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल :</u>

6.7 भारत में भोपाल रासायनिक दुर्घटना, 1984 (जिसमें 38,000 लोग मारे गए), लातूर भूकम्प 1993 (जिसमें 22,000 लोग मारे गए), ओडिशा सुपर साइक्लोन, 1999 (जिसमें 7600 लोग मारे गए), गुजरात भूकंप, 2001 (जिसमें 20,000 लोग मारे गए), सुनामी, 2004 (जिसमें 10,700 लोग मारे गए), मुंबई मानसून, 2005 (जिसमें 1000 लोग मारे गए) जैसी कुछ प्रमुख आपदाओं तथा इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र के न होने से भारत सरकार को सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र/ढांचे के बारे में सोचना पड़ा। विगत में मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन की हानि के अतिरिक्त करोड़ों रु. की सम्पत्तियां भी नष्ट हुईं/उनकी हानि हुई। मानवजाति तथा सामग्री के इतने भारी नुकसान के फलस्वरूप भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया जिसे प्राधिकार सं. 64, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित किया गया।

6.8 इस अधिनियम में आपदाओं तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान है। परिणामस्वरूप भारत में आपदाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने/उनका प्रशमन करने के लए गृह मंत्रालय के दिनांक 19.1.2006 के आदेश के अनुसार 08 बटालियनों (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रत्येक की 02 बटालियनें) को शामिल करके एक बहु-दक्षता युक्त उच्च पेशेवर ''राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल'' का गठन किया गया। आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल में 10 बटालियनें हैं जिनमें से प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सीमा बल से 02 बटालियनों के परिवर्तन/स्तरोन्नयन को भी अनुमोदित कर दिया है।

<u>राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्य</u>

- आसन्न आपदा की स्थिति में तैनाती
- आपदाओं की स्थिति में विशिष्ट कार्रवाई करना
- परमाणु, जैविक एवं रासायनिक आपदा (क्षेत्र तथा कार्मिकों को दूषण रहित करना)

- मलबे को हटाना
- पीड़ितों-जीवित अथवा मृतकों को बाहर निकालना
- पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना
- पीड़ितों को नैतिक सहायता प्रदान करना
- राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्राधिकारियों की सहायता
- सिस्टर एजेंसियों के साथ समन्वय
- अनुरोध प्राप्त होने पर विदेशों को सहायता मुहैया कराना
- क्षमता निर्माण
- एस डी आर एफ को प्रशिक्षण प्रदान करना
- सामुदायिक जागरूकता-लक्षित समूह-गांववासी, स्कूली बच्चे, गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी तथा राज्य प्रशासन।

<u>प्रशिक्षण</u>

6.09 कार्यकुशलता तथा विशेषज्ञता में वृद्धि करने में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्मिक अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिनमें अपेक्षित दक्षता के पुनश्चर्या तथा विशेषज्ञता स्तर में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है।

<u>राष्ट्रीय आपात सम्प्रेषण कार्यक्रम :</u>

6.10 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपात सम्प्रेषण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप आपदा संबंधी अभियानों का प्रभावी प्रबंधन हुआ है।

<u>फेमेक्स/सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम/अभ्यास :</u>

6.11 संबंधित ए ओ आर में स्थलाकृति, जनसंख्या, मार्ग, भू-भाग तथा चिकित्सा सहायता, जल क्षेत्रों, अर्थमूविंग उपकरणों आदि जैसे संसाधनों की उलब्धता के बारे में कार्मिकों को परिचित कराने और जानकारी देने के अवसर मुहैया कराना। इससे कमान्डरों को स्थानीय निवासियों के बारे में जानने तथा अधिकारियों, जो आपदा के समय प्रथम कार्रवाई कर्ता होते हैं अथवा स्टेक होल्डरों के साथ संपर्क/समन्वय करने का अवसर भी मिलता है। इसके अतिरिक्त बटालियन की सभी 18 टीमों के टीम कमान्डरों को जिले के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों, जिले में

उपलब्ध संसाधनों, उस क्षेत्र में सामान्यतः आने वाली आपदाओं के पैटर्न के बारे में फैमेक्स के दौरान सूचना इकट्ठा करने के लिए विशेष क्षेत्र सौंपा गया है। सितम्बर 2012 तक इन कार्यक्रमों से कुल 17,09,887 लोग लाभान्वित हुए हैं।

6.12 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, बाढ़, भूंकप, भू-स्खलन, बादल फटने, चक्रवात, हिम-स्खलन आदि से स्वयं को बचाने के लिए अपेक्षित एहतियात और तैयारी के बारे में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। सितम्बर 2012 तक इन कार्यक्रमों से कुल 3,57,225 लोग लाभान्वित हुए हैं।

6.13 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मॉक अभ्यास भी आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की सहायता से राज्य सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी मॉक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। सितम्बर 2012 तक संबंधित एन डी आर एफ बटालियनों के ए ओ आर में कुल 253 मॉक अभ्यास आयोजित किए गए हैं जिनमें लगभग 1,67,664 लोगों ने भाग लिया।

<u>अभियान :</u>

6.14 अपने गठन के समय से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने अनेक अभियान चलाए हैं तथा अनेक बहुमूल्य जानें बचाई हैं और पीड़ितों के शवों को निकाला है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के प्रमुख अभियानों में वर्ष 2008 में बिहार में कोसी बाढ़, मई 2009 में पश्चिम बंगाल में आयला चक्रवात, मई 2010 में झारग्राम (पश्चिम बंगाल) में रेल दुर्घटना, जुलाई 2010 में शिवाड़ी, मुंबई (महाराष्ट्र) में क्लोरीन रिसाव, वर्ष 2010 में लेह में बादल फटने, अप्रैल 2010 में मायापुरी रेडियेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2011 में सिक्किम भूकंप, वर्ष 2012 में जालंधर में फैक्ट्री भवन का ढहना, वर्ष 2012 में असम में बाढ़ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने मार्च 2011 के अंतिम सप्ताह में रिफु, चो, जापान में सुनामी, जिसके बाद परमाणु रियेक्टर से रेडिएशन रिसाव (लीकेज) हुआ, के दौरान भी कार्रवाई की। जनवरी 2012 से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख अभियानों का विवरण नीचे दिया गया है-

<u>चक्रवात थाणे :</u>

6.15 वर्ष 2011 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान 'थाणे' आया। 30 दिसम्बर को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और पुदुचेरी में 130 से 140 किमी.

प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली तथा वर्षा हुई जिससे जिला कुड्डूलोर (आंध्र प्रदेश) और विशेष रूप से पांडिचेरी में भारी क्षति हुई। तमिलनाडु में कुल 40 लोग तथा पांडिचेरी में 07 लोग मारे गए। दिसम्बर/जनवरी 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की 08 टीमें (04 बटालियन से 07 तथा 05 बटालियन से 01 बटालियन) तैनात की गईं जो 48 नौकाओं बाढ़ बचाव उपकरणों, एम ई आर, सी एस एस आर उपकरणों तथा ए एस के ए लाइटों आदि से सुसज्जित थीं। इन टीमों ने लोगों को पहले से सचेत कर दिया और ये चक्रवात 'थाणे' से व्यापक केज्युलिटी को नियंत्रित कर सकीं। चक्रवात के बाद इन सभी टीमों ने सड़कों को साफ करने तथा पूरी तरह से ठप्प विद्युत आपूर्ति की बहाली में मदद की।

<u>मालीगांव, गुवाहाटी जिला कामरूप (असम) :</u>

6.16 03/02/2012 को लगभग 0935 बजे रेलवे स्टेशन मिर्जा और अजारा में यात्री ट्रेन दुर्घटना के बारे में सुरक्षा अधिकारी एन एफ रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी जिला कामरूप (असम) से सूचना प्राप्त हुई। 01 बटालियन एन डी आर एफ, गुवाहाटी से दो टीमें, जिनमें 03 राजपत्रित अधिकारी, 06 अधीनस्थ अधिकारी तथा 52 अन्य कार्मिकों को मिलाकर कुल 61 लोग शामिल थे, एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हुईं तथा 030955 बजे घटना स्‌थल पर पहुंच गईं। दोनों टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया तथा क्षतिग्रस्त और पटरी से उतरे कोचों से 40 व्यक्तियों को निकाला। यह अभियान 031330 बजे खत्म हुआ तथा दोनों टीमें अपने-अपने स्थानों पर वापिस लौट गईं।

<u>कामपुर (असम) में आग लगने की घटना :</u>

6.17 कामरूप, असम में आर. बी. कॉमर्सियल कॉटन प्रोडक्शन इन्डस्ट्री, मिर्जा में 15.02.2012 को लगभग 1610 बजे आग लगने की दुर्घटना घटी। यह सूचना सिविलयनों द्वारा की गई। तदनुसार गुवाहाटी, असम में स्थित 01 बटालियन एन डी आर एफ से एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 05 अधीनस्थ अधिकारी, 40 अन्य कार्मिक कुल 45 लोग शामिल थे, अपेक्षित बचाव उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुई तथा 151618 बजे घटना स्थल पर पहुंच गई। इस टीम ने फायर एक्सटिनगुशर तथा प्रैसर पम्प की मदद से बचाव अभियान/आग बुझाने का कार्य शुरू किया। एन डी आर एफ की टीम ने 06 घायल फैक्ट्री श्रमिकों को निकाला तथा आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया।

<u>जिला घुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने की घटना :</u>

6.18 01 बटालियन एन डी आर एफ से सौ से अधिक एन डी आर एफ बचावकर्ताओं, गहन गोताखोरों तथा बचाव नौकाओं से युक्त एक सशक्त टीम ने इस दुरूह कार्य को संभाला और अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 30 अप्रैल, 2012 को वह अभागी नौका पलट गई थी, के चौथे दिन लगातार कार्य कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की तीव्र धारा डूबे पीड़ितों के शवों को दूर तक बहाकर ले गई जिससे यह कार्य अत्यधिक कठिन हो गया किंतु 1 बटालियन एन डी आर एफ के बचावकर्ताओं के अथक प्रयासों से 30.4.2012 से 8.05.2012 तक 19 शव निकाले जा सके तथा पीड़ित परिवारों को सौंपे गए।

<u>टैंक रोड, करोल बाग, दिल्ली :</u>

6.19 टैंक रोड, करोल बाग में ढहे भवन के बारे में श्री आकाश महापात्रा, उपायुक्त, सेंट्रल दिल्ली की मांग पर 31.3.2012 को 08 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 1 राजपत्रित अधिकारी, 03 अधिकारी, 34 अन्य कार्मिक कुल 38 लोग तथा 2 कुत्ते शामिल थे, सी एस एस आर/एम एफ आर उपकरणों के साथ 310640 बजे घटना स्थल के लिए रवाना हुई। एन डी आर एफ की टीम ने 31.3.2012 से 2.4.2012 तक बचाव अभियान चलाया तथा मलवे से 03 शव निकाले।

<u>जालंधर, पंजाब में ढांचे का ढहना :</u>

6.20 जिला प्रशासन की मांग पर 07 बटालियन एन डी आर एफ, भटिन्डा (पंजाब) की 02 टीमें ढह गए फैक्ट्री भवन के मलवे में फंसे पीड़ितों के खोज और बचाव अभियान के लिए 16.4.2012 को जालंधर (पंजाब) में तैनात किया गया। एन डी आर एफ टीम ने 16.4.2012 से 24.4.2012 तक दिन-रात अभियान चलाए और 12 लोगों की सफलतापूर्वक जान बचाई और 19 शव निकाले।

<u>वर्ष 2012 में असम में बाढ़ :</u>

6.21 एन डी आर एफ ने असम के लखीमपुर, कामरूप, तिनसुकिया, सोनितपुर, सिवसागर, रंगिया, जोरहट और नागांव जिलों, जिनमें जून-जुलाई 2012 में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई थी, में 25.6.2012 से 01 बटालियन एन डी आर एफ की 16 टीमें तथा 02 बटालियन एन डी आर एफ की 04 टीमें 64 नौकाओं तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैनात की गईं।

ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर थी तथा तेज बाढ़ से प्रभावित जिलों में बारपेटा, धीमाजी, जोरहट, गोलाघाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिवसागर, नागांव, मोरीगांव, लखीमपुर, कोकराझार, घुबरी, नलबाड़ी, बोगईगांव, चिरांग, बाक्सा, सोनितपुर, ऊदलगुड़ी, गोलपाड़ा कचार, कामरूप तथा करीमगंज जिले शामिल थे। एन डी आर एफ ने बचाव और राहत अभियान चलाए तथा हजारों अलग-अलग पड़े लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बाढ़ प्रभावित लोगों में कई टन राहत सामग्री के वितरण और उनहें इलाज मुहैया कराने में राज्य प्रशासन की मदद की की। इन टीमों ने कुल 32207 बाढ़ प्रभावित लोगों को निकाला तथा 13 शव निकाले। उन्होंने 15539 बाढ़ प्रभावित परिवारों में 1913 क्विंटल राहत सामग्री भी वितरित की है।

<u>अमरनाथ यात्रा</u>

6.22 07 बटालियन एन डी आर एफ की 02 टीमें, जिनमें 02 राजपत्रित अधिकारी, 6 अधीनस्थ अधिकारी, 85 अन्य कार्मिक कुल 83 लोग शामिल थे, पोर्टेबल शैल्टर-06 और अन्य एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ फैमेक्स और अमरनाथ यात्रा के लिए 25/06/2012 से 2/08/2012 तक पहलगाम/चंदनवाड़ी/शेषनाग और जोलीपाल (जम्मू एवं कश्मीर) में तैनात की गईं। टीम ने 06 शवों तथा 08 घायल पीड़ितों को पिपसूटोप से चंदनबाड़ी पहुंचाया, 84 लोगों को अस्पताल पहुंचाने से पहले उपचार मुहैया कराया तथा लगभग 5200 यात्रियों को अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई।

<u>सुंदरबानी, राजौरी जिला (जम्मू एवं कश्मीर) :</u>

6.23 महानिरीक्षक (प्रचालन), सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, सी जी ओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली की मांग पर 07 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 02 अधीनस्थ अधिकारी, अन्य 27 कुल 30 लोगों को एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ 27/07/2012 से 28/07/2012 तक खोज एवं बचाव अभियान (सीमा सुरक्षा बल के 1 गुमशुदा राजपत्रित अधिकारी तथा 01 चालक) के लिए सुंदरबनी, राजौरी जिला (जम्मू एवं कश्मीर) में तैनात की गई। इस टीम ने 02 शव निकाले।

<u>पश्चिम बंगाल :</u>

6.24 02 बटालियन एन डी आर एफ कोलकाता से एन डी आर एफ की 04 टीमें, जिनमें से एक टीम में 01-राजपत्रित अधिकारी, 05 अधीनस्थ अधिकारी, 29-अन्य कुल 35 लोग तथा 05 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे तथा दूसरी टीम, जिसमें 03 अधीनस्थ अधिकारी, 32 अन्य कार्मिक कुल 35 लोग तथा 05 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, 15.07.2012 से 11.09.2012 तक जलपाईगुड़ी (उत्तरी बंगाल), अलीपुरद्वार, जिला जलपाईगुडी (उत्तरी बंगाल) में तथा तीसरी टीम, जिसमें 01-राजपत्रित अधिकारी, 03 अधीनस्थ अधिकारी, 31 अन्य कार्मिक, कुल 35 लोग और 4 नौकाएं तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, सिलीगुड़ी में और चौथी टीम, जिसमें 04 अधीनस्थ अधिकारी, 31 अन्य कार्मिक, कुल 35 लोग तथा 04 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, 19.07.2012 से 29.8.2012 तक सिलीगुड़ी जिले में तैनात की गईं। इन टीमों ने बचाव अभियान चलाया तथा 196 फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तथा चतरापुर, मैनागुड़ी क्षेत्र में 250 प्रभावित लोगों में 03 क्विंटल राहत सामग्री वितरित की।

<u>गंग नहर, पुलिस थाना निवाड़ी, मोदीनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में रासायनिक पदार्थों का पता लगाना :</u>

6.25 03.07.2012 को पुलिस थाना निवाड़ी, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में गंग नहर के निकट अज्ञात रासायनिक पदार्थों से युक्त ड्रमों के ढेर का निरीक्षण करने के लिए एन डी आर एफ की एक टीम की तैनाती के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, जिला गाजियाबाद की मांग पर 08 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 04 अधीनस्थ अधिकारी, 35 अन्य कार्मिक, कुल 40 लोग तथा एन बी सी उपकरण शामिल थे, घटना स्थल के लिए रवाना हुई तथा सामग्री को निष्क्रिय किया। इस टीम ने वहां से सेम्पल लिया जिसकी डी आर डी ई ग्वालियर के विश्लेषण के अनुसार एन-विनियलकारबेजोल (एन- वी आई एन वाई एल सी ए आर बी ए जैड ओ एल ई) तथा फिनोजाईबेंजाइल एल्कोहल के रूप में पहचान की गई। यदि इससे गंगा नहर का पानी जहरीला हो जाता है तो यह खतरनाक रसायन होने के कारण घातक हो सकता था।

<u>प्रतापपुरा वडोदरा (गुजरात) में प्रतापपुरा सरोवर की सुरक्षा दीवार में दरार आना :</u>

6.26 13.08.2012 को 1700 बजे जिला कलैक्टर, बड़ोदरा से प्रतापपुरा गांव में प्रतापपुरा सरोवर की सुरक्षा दीवार में दरार पड़ने तथा समीप के दो गांवों में पानी घुसने के बारे में सूचना मिलने के बाद एन डी आर एफ की 06 बटालियन की दो टीमें, जिसमें 02-राजपत्रित अधिकारी, 09 अधीनस्थ अधिकारी, 59 अन्य कार्मिक कुल 70 लोग शामिल थे, 04 नौकाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। इस टीम ने बचाव अभियान शुरू किया तथा गांव प्रतापपुरा और विडिन्द्रा के 300 ग्रामीणों को बचाया तथा उन्हें निचले क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

<u>भोजपुर, बिहार :</u>

6.27 जिला भोजपुर में सोन नदी में 35 व्यक्तियों को ले जा रही एक नाव के उलटने के बारे में 10.09.2012 को अपर जिला मजिस्ट्रेट, भोजपुर, बिहार की मांग पर 09 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 07 अधीनस्थ अधिकारी, 20 अन्य कार्मिक कुल 28 लोग तथा 04 डीप डाइवर्स, 04 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, घटना स्थल के लिए रवाना हुई। इस टीम ने 10.09.2012 से 14.09.2012 तक एस ए आर अभियान चलाया तथा 13 शव निकाले।

<u>संसद भवन, दिल्ली में तैनाती :</u>

6.28 लोक सभा और राज्य सभा के क्षेत्रों के दौरान सी बी आर एन की किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के लिए 20 जुलाई से 7 जुलाई 2012 तक 08 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम संसद भवन, दिल्ली में तैनात की गई।

<u>सहाकार, नागपुर, पुणे (महाराष्ट्र) में ढांचे का ढहना :</u>

6.29 साहकार, नागपुर, पुणे (महाराष्ट्र) में निर्माणाधीन 04 मंजिले भवन के ढहने के बाद 24.09.2012 को 05 बटालियन, एन डी आर एफ की दो टीमों, जिनमें 07-अधीनस्थ अधिकारी, 63 अन्य कार्मिक कुल 70 लोग, मीडीकल टीम एम ओ-01, एस ओ एस-02, मैडिकलस्टाफ-अन्य 05 कुल-78 तथा एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरण शामिल थे, ने एस ए आर अभियान चलाया। इस टीम ने 11 लोगों को निकाला तथा 10 शव निकाले।

<u>बादल फटना :</u>

6.30 बादल फटने के संबंध में सितम्बर/अक्तूबर 2012 माह में जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में तैनात 08 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम ने खोज अभियान चलाया तथा 09 शव निकाले।

<u>ब्रह्मोत्सवम के दौरान तैनाती :</u>

6.31 13.10.2012 से 23.10.2012 तक ब्रह्मोत्सवम के दौरान तिरुमाला में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक टीम तैनात की गई। इस टीम ने झील में, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए गए थे, में हमारी नौकाओं की सेवाएं भी लीं। यह कार्य अच्छी तरह से सम्पन्न हो गया।

6.32 एन डी आर एफ ने देश में आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त एन डी आर एफ की टीमों ने कॉमनवेल्थ खेल-2010, क्रिकेट विश्व कप-2011, दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2011 तक हरिद्वार में महाकुंभ, 2010 और 2011 में सबरीमाला मेला, 2011 और 2012 में अमरनाथ यात्रा आदि के दौरान सी बी आर एन कार्रवाई की। एन डी आर एफ द्वारा की गई आपात कार्रवाई तथा सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम से आपदा अथवा आपदा जैसी स्थितियों के दौरान त्वरित कार्रवाई करने में सरकारी तंत्र की जिम्मदारी के बारे में देशवासियों में विश्वास की भावना पैदा हुई है।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एन एस एस पी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.33 वर्ष 2012-13 के दौरान एन आई डी एम ने 83 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 16 वेब-आधारित ऑनलाइन पाठयक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया। 31 अक्तूबर, 2012 तक एन आई डी एम ने 41 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे जिनमें 1142 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन 41 पाठ्यक्रमों में से 15 पाठ्यक्रम राज्य ए टी आई आपदा प्रबंधन केन्द्रों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए गए हैं। फेस-टु-फेस कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने 31 अक्तूबर, 2012 तक 8 वेब-आधारित ऑनलाइन पाठयक्रम भी आयोजित किए। वर्ष 2012-13 के दौरान 24.1.2013 तक एन आई डी एम द्वारा

कैम्पस के भीतर तथा कैम्पस के बाहर आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक III और IV पर दिया गया है।

उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित कार्यक्रम

6.34 एन आई डी एम ने विज्ञान प्रसार दिल्ली के सहयोग से 17-18 अप्रैल, 2012 तथा 7-8 जून, 2012 के दौरान दो उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में लगलग 2500 लोगों ने भाग लिया।

अन्य गतिविधियां

6.35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एन आई डी एम ने 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 2012 तक की अवधि के दौरान कुछ अन्य गतिविधियां चलाईं। इन गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

पर्यावरण दिवस

6.36 एन आई डी एम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 5 जून, 2012 को '' विश्व पर्यावरण दिवस'' मनाया।

6.37 डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले अन्य अतिथियों में प्रो. वी. के. शर्मा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, श्री प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के महानिदेशक, डॉ. लीना श्रीवास्तव, टेरी (टी ई आर आई) विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और बच्चे शामिल थे।

6.38 इस अवसर पर एन आई डी एम के तीन प्रकाशन अर्थात् ''ईकोसिस्टम अप्रोच टु डिजास्टर रिस्क रिडेक्शन'' ''एनवायरनमेंटल एक्स्ट्रीम्स एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स'' और ''डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन'' भी प्रकाशित किए गए।

6.39 विभिन्न विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में नारे तथा कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

वन महोत्सव

6.40 एन आई डी एम ने 23 जुलाई, 2012 को '' वन महोत्सव'' मनाया जिसका उद्देश्य वनों तथा डी आर आर से इसके संबंध के बारे में अधिकारियों को जानकारी देना था।

6.41 श्री वी. के. दुग्गल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर श्री मुकुल गोयल, आई जी/एन डी आर एफ भी उपस्थित थे। इस समारोह के दौरान एन आई डी एम के दो प्रकाशन अर्थात् ''इण्डिया डिजास्टर रिपोर्ट 2011'' और ''डायरेक्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्स पर्सन्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट'' जारी किए गए।

इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों तथा एन आई डी एम तथा एस डी एम सी से फैकल्टी और स्टॉफ सदस्यों द्वारा अनेक पौधे लगाए गए।

हिन्दी दिवस

6.42 एन आई डी एम ने 14 सितम्बर, 2012 को अपने परिसर में '' हिन्दी दिवस'' मनाया। श्री विनोद अग्निहोत्री, सम्पादक 'नेशनल दुनिया' ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा इस कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव का आदान-प्रदान किया।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

6.43 एन डी एम ए तथा एन आई डी एम ने इस वर्ष 10 अक्तूबर, 2012 को इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जिसमें री टी. नंदा कुमार, माननीय सदस्य, डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, एन डी एम ए तथा श्री ए. के. मंगोत्रा, सचिव (बी एम), गृह मंत्रालय शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बी. के. शर्मा, पूर्व प्राचार्य, लूडलो कैसल स्कूल, दिल्ली ने सेफ स्कूल्स : जर्नी ऑफ लूडलो कैसल स्कूल पर एक विशेष वार्ता की। इस

अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 'सेफगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डी आर आर' विषय पर एक पुस्तक भी जारी की गई जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर स्कूली छात्रों द्वारा लिखी गई कविताओं और स्लोगनों का संकलन है।

6.44 इसके अतिरिक्त इस अवसर पर एन आई डी एम ने विद्यालय सुरक्षा के बारे में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टेकल्डरों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की ''विद्यालय सुरक्षा योजनाएं'' तैयार करने के संबंध में स्कूलों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। स्कूलों से प्राप्त प्रस्तावों में से पूरे देश में 15 चयनित योजनाओं को पुरष्कृत किया गया।

प्रशिक्षण मॉड्यूल्स

6.45 एन आई डी एम ने 11 इन हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किए हैं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के आधार पर कुछ और मॉड्यूल्स विकास की प्रक्रिया में हैं। एन आई डी एम द्वारा विकसित मॉड्यूल्स में जिला आपदा प्रबंधन योजना, ग्राम आपदा प्रबंधन योजना, समुदाय आधारित डी आर आर बाढ़ जोखिम प्रबंधन, मनो-सामाजिक देखभाल, आपदा प्रबंधन में जेंडर संबंधी मुद्दे, शहरी जोखिम प्रबंधन, भूकंप प्रबंधन, आपदाओं में बच्चों की आवश्यकताएं, आपदा के पश्चात क्षति तथा आवश्यकताओं का आकलन, आपदा प्रबंधन में जी आई एस, रासायनिक (औद्योगिक) आपदाएं, भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन, एन डी आर एफ अधिकारियों तथा आपदाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन शामिल हैं। 11 मॉड्यूल्स में से पांच मॉड्यूल्स मुद्रित हो चुके हैं जबकि अन्य मुद्रण के लिए तैयार हैं।

6.46 भारत सरकार-यू एन डी पी डी आर आर कार्यक्रम के अंतर्गत एन आई डी एम द्वारा 6 मॉड्यूल्स/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इनमें डी आर आर को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर से 1 आवास क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को पर्यावरण क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को शहरी क्षेत्र आपदा उपरान्त दीर्घकालिक बहाली की मुख्य धारा में लाना शामिल है। ये मॉड्यूल्स तथा दिशानिर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित इन-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	4-8 अप्रैल	डॉ. सूर्य प्रकाश	15
2.	आई आर एस: बेसिक एंड इन्टरमीडिएट	25-27 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	14
3.	आई आर एस : ऑपरेशन्स सेक्शन चीफ	28-29 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	12
4.	नागरिक रक्षा आधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	9-13 मई	श्री पी. के. पाठक	18
5.	मेनस्ट्रिमिंग डी एम फॉर जे एस	19-20 मई	प्रो. संतोष कुमार डॉ. सुषमा गुलेरिया	11
6.	एन डी आर एफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	20-24 जून	श्री पी. के. पाठक	23
7.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रशमन	27 जून-1 जुलाई	डॉ. सूर्य प्रकाश	30
8.	बेसिक/इंटरमीडिएट आई आर एस पाठ्यक्रम	4-8, 2011 जुलाई	श्री अरुण सहदेव	9
9.	आपदा प्रबंधन में एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉरमेटिक्स	12-14 जुलाई	सुश्री श्रीजा नायर	11
10.	आई आर एस : इन्टीग्रेटिड प्लानिंग सेक्यान चीफ	18-22 जुलाई	श्री अरुण सहदेव	16
11.	आपदा और अशक्तता	18-22 जुलाई	डॉ. सुजाता सतपथी	20
12.	भूंकप जोखिम प्रशमन एवं	25-29 जुलाई	डॉ. अमीर अली	24

	प्रबंधन		खान	
13.	आई आर एस : इन्सीडेंट कमांडर	1-3 अगस्त	श्री अरुण सहदेव	15
14.	जलवायु-परिवर्तन एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन	8-12 अगस्त	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए डी. कौशिक	39
15.	शहरी जोखिम सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	5-9 सितम्बर	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय	21
16.	एकीकृत सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	12-16 अगस्त	डॉ. अनिल के. गुप्ता	22
17.	आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका से संबंधित कार्यक्रम	19-23 सितम्बर	श्री पी. के. पाठक	19
18.	अफ्रीकी पदाधिकारियों के लिए विस्तृत आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी टी ओ टी	19-30 सितम्बर	प्रो. संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	22
19.	जेंडर एंड डिसास्टर मैनेजमेंट	26-30 सितम्बर	डॉ. आजिन्दर वालिया	16
20.	आई आर एस : सिम्यूलेशन एक्सरसाइज	12-14 अक्तूबर	श्री अरुण सहदेव	15
21.	आपदा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल एन डी आर एस	10-14 अक्तूबर	डॉ. सुजाता सतपथी	26
22.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं प्रशमन	17-21 अक्तूबर	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	25
23.	आई आर एस : एरिया कमांड	3-4 नवंबर	श्री पी. के. पाठक	12
24.	आई आर एस : लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ	14-19 नवंबर	श्री अरुण सहदेव	11
25.	एन सी सी और एन एस एस	21-23 नवंबर	डॉ. पी. के.	40

	अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम		पाठक	
26.	आपदाओं में रिप्रोडिक्टिव हेल्थ, जेंडर एंड साइको सोशल स्पोर्ट	21-24 नवंबर	डॉ. सुजाता सतपथी	13
27.	आपदा प्रबंधन में एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फारमेटिक्स	21-25 नवंबर	सुश्री श्रीजा नायर	12
28.	सूखा प्रशमन एवं प्रबंधन	28 नवबंर-2 दिसम्बर	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	7
29.	टी ओ टी ऑन ब्लेन्डेड लर्निंग इन ग्लोबल कैम्पस (जी सी-21) ऑनलाइन प्लेटफार्म विथ जी आई जैड	5-7 दिसम्बर, 11	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	15
30.	भगदड़ जोखिम न्यूनीकरण	8-9 दिसम्बर	श्री शेखर चतुर्वेदी	16
31.	पी ई डी आर आर के साथ इन्टरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इकोसिस्टम एप्रोच टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (इको-डी आर आर)	12-15 दिसम्बर	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	19
32.	आई आर एस : एडवांस्ड आई आर एस	दिसम्बर 12-16, 2011	श्री अरुण सहदेव	12
33.	जेंडर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट	19-23दिसम्बर	डॉ. अजिन्दर वालिया	5
34.	पूर्व-चेतावनी	9-13 जनवरी	श्री विश्वनाथ दास	33
35.	आपदाओं में बच्चों की जरूरत	30 जनवरी-3 फरवरी	डॉ. अजिन्दर वालिया	21
36.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	1-3 फरवरी	डॉ. अनिल के. गुप्ता	12
37.	सांस्कृतिक धरोहर जोखिम	6-10 फरवरी	सुश्री चन्द्राणी	7

	प्रबंधन		बंधोपाध्याय	
38.	स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर डिजास्टर रिस्पांडर्स (एन डी आर एफ)	13-17 फरवरी	डॉ. सुजाता सतपथी	20
39.	एप्लीकेशन ऑफ जियोइन्फारमेटिक्स इन डी एम	13-17 फरवरी	सुश्री श्रीजा नायर	15
40.	एन वाई के एस पदाधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम	27 फरवरी-2 मार्च	श्री पी. के. पाठक	21
41.	मीडिया और पी आई ओ के लिए आपदा प्रबंधन	29 फरवरी-2 मार्च	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय	22
42.	जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण	5-9 मार्च	डॉ. सूर्य प्रकाश	10
43.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	19-23 मार्च	डॉ. ए. डी. कौशिक	24
44.	ए पी पी पी ए प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन	23 मार्च	प्रो. संतोष कुमार	38
45.	आपदाओं के दौरान जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम	26-27 मार्च	डॉ. अनिल के. गुप्ता	18
			कुल	**826**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थल	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	भारी बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	25-29 अप्रैल	डॉ. ए. डी. कौशिक डॉ. के. जे. आनंद कुमार	23
2.	डिजास्टर मास कैज्यूल्टी मैनेजमेंट	बी आई पी ए आर डी, बिहार	25-29 अप्रैल	डॉ. सुजाता सतपथी प्रो. संतोष कुमार	31
3.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	एस आई आर डी, महाराष्ट्र	9-13 मई	श्री विश्वनाथ दास	21
4.	फॉरेस्ट्री सेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम)	एफ आर आई, देहरादून	16-20 मई	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए. डी. कौशिक	20
5.	सी बी डी आर एम	डी डी यू एस आई आर डी, उत्तर प्रदेश	23-27 मई	श्री शेखर चतुर्वेदी	20
6.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	सी डब्ल्यू सी, एन डब्ल्यू ए	30 मई से 3 जून	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	42
7.	जेंडर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट	एस आई पी ए आर डी, त्रिपुरा	6-10 जून	डॉ. अजिन्दर वालिया	61
8.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास	जे के आई एम पी ए, जम्मू एवं	13-17 जून	डॉ. आमीर अली खान	23

		कश्मीर			
9.	औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएं	ए टी आई, कर्नाटक	13-17 जून	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	26
10.	डी ए एल ए	डी एम एम सी, देहरादून	27-29 जून, 2011	प्रो. संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	32
11.	पी टी एस, किशनगढ़ में पुलिस के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	पी टी एस, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान	25-30 जुलाई 2011	श्री पी. के. पाठक	28
12.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एम सी आर एच आर डी आई, ए पी	1-5 अगस्त	श्री विश्वनाथ दास	48
13.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	यू ए ए, उत्तराखंड	23-26 अगस्त	डॉ. सूर्य प्रकाश	15
14.	भूंकप जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	जी बी पी आई एच ई डी, सिक्किम	5-9 सितम्बर 11	प्रो. चंदन घोष	29
15.	तटीय जोखिम प्रबंधन	जी आई डी एम, गुजरात	12-16 सितम्बर	डॉ. सुषमा गुलेरिया श्री विश्वनाथ दास	37
16.	आपदा डाटाबेस प्रबंधन (ब्लेंडेड लर्निंग)	नोएडा	21-23 सितम्बर	सुश्री श्रीजा नायर डॉ. अनिल के. गुप्ता	22
17.	चक्रवात जोखिम	एम सी आर	26-30	श्री विश्वनाथ	27

	प्रशमन एवं प्रबंधन	एच आर डी, ए पी	सितम्बर	दास	
18.	लैंडस्लाइड्स मिटिगेशन बाई जिओसिंथेटिक	एच आई जी ए, हिमाचल प्रदेश	31 अक्तूबर-4 नवंबर	डॉ. सूर्य प्रकाश	29
19.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	यू पी ए ए एम, उत्तर प्रदेश	31 अक्तूबर-4 नवबंर	श्री शेखर चतुर्वेदी	39
20.	डी डी एम पी तैयार करना	जी ए ए, ओडिशा	21-25 नवबंर	श्री विश्वनाथ दास	17
21.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	ए आई एम, चेन्नई	28 नवबंर-2 दिसम्बर	डॉ. अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	16
22.	डी डी एम ए के सहयोग से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	17 दिसम्बर	श्री पी. के. पाठक	95
23.	डी डी एम ए के सहयोग से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	21 दिसम्बर	श्री पी. के. पाठक	85
24.	आपदा पश्चात् क्षति एवं आवश्यकता का आकलन	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	26-28, दिसम्बर 2011	प्रो. संतोष कुमार	32
25.	जलवायु परिवर्तन एवं सूखा जोखिम प्रबंधन	डी एम आई, भोपाल	2-6 जनवरी 2012	डॉ. अनिल के. गुप्ता, डॉ. सुषमा गुलेरिया	29

26.	ढांचों की रेट्रोफिटिंग तकनीकी और प्रबंधन संबंधी मुद्दे	एच आई पी ए, हरियाणा	9-13 जनवरी	प्रो. चंदन घोष	22
27.	डी डी एम पी तैयार करना	सी जी ए ए ए, छत्तीसगढ़	16-20 जनवरी, 2011	श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ. सुषमा गुलेरिया	19
28.	डी डी एम ए, दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन ओरियेन्टेशन वर्कशॉप	जे पी सिद्धार्थ होटल, दिल्ली	20 जनवरी	डॉ. आमीर अली खान	60
29.	आपदा सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्र विकास	ए टी आई, मिजोरम	30 जनवरी-3 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकश प्रो. चंदन घोष	18
30.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	ए टी आई, पश्चिम बंगाल	6-10 फरवरी	डॉ. के. जे. आनंद कुमार डॉ. ए. डी. कौशिक	16
31.	एम जी एस आई पी ए पी, ए टी आई के साथ विद्यालय-सुरक्षा	लुधियाना, पंजाब	6-10 फरवरी	डॉ. अजिन्दर वालिया	30
32.	आपदा प्रबंधन संबंधी सैटकॉम कार्यक्रम	विज्ञान प्रसार, दिल्ली	7-8 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकाश	150
33.	आपदा पश्चात् क्षति एवं आवश्यकता का आकलन	एच सी एम आर आई पी ए, जयपुर	10 फरवरी	प्रो. संतोष कुमार	23
34.	भूस्खलनों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	गंगटोक, सिक्किम	13-15 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकाश	96
35.	डी डी एम ए, दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन ओरियन्टेशन	एम सी डी सिविक सेंटर, दिल्ली	14 फरवरी	श्री पी. के. पाठक डॉ. आमीर	80

	वर्कशॉप			अली खान	
36.	ए टी आई उत्तराखंड के सहयोग से भूकंपों में प्रतिभागी प्रबंधन	शांति कुंज, हरिद्वार	20-24 फरवरी	प्रो. सी. घोष डॉ. ए. डी. कौशिक	52
37.	तटीय खतरे और आपदा प्रबंधन	एस आई आर डी, तमिलनाडु	22-24 फरवरी	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा एस. नायर	34
38.	आपदा से सुरक्षित वातावरण के लिए भवन संहिता और डिजाइन	सी जी ए ए, छत्तीसगढ़	27 फरवरी-2 मार्च	प्रो. चंदन घोष	23
39.	वनाग्नि प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	27 फरवरी-2 मार्च	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए. डी. कौशिक	21
40.	क्षेत्रीय टी ओ टी : यू एन एफ जी ए के सहयोग से रिप्रोडेक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ	वाई ए एस एच ए डी ए	28 फरवरी-2 मार्च 2012	डॉ. सुजाता सतपथी	14
41.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	डी डी यू एस आई आर डी, उत्तर प्रदेश	12-16 मार्च	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	21
42.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	आई एल डी एम, केरल	14-16 मार्च	श्री विश्वनाथ दास	32
43.	भूकंप जोखिम प्रबंधन	एम ए टी आई, मेघालय	26-30 मार्च	प्रो. चंदन घोष	85
44.	सुनामी पूर्व-चेतावनी	एम सी आर एच आर डी संस्थान	28-29 मार्च	डॉ. विश्वनाथ दास	17
				कुल	**1660**

<u>अनुलग्नक-III</u>

एन आई डी एम द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कैम्पस में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आपदा प्रबंधन में जिओ-इन्फारमेटिक्स एप्लीकेशन	2-4 अप्रैल	सुश्री श्रीजा नायर	15
2.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूंकपीय सुरक्षा मूल्यांकन	24-27 अप्रैल	प्रो. सी घोष	68
3.	आई आर एस : बेसिक एंड इंटरमीडिएट	30 अप्रैल 4 मई	अरुण सहदेव	14
4.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	7-11 मई	रितु राज	29
5.	स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	14-18 मई	रितु राज	31
6.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	21-25 मई	अजिन्दर वालिया	25
7.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	28 मई-1 जून	रितु राज	19
8.	स्कूल प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	4-8 जून	अजिन्द्र वालिया	20
9.	निशक्त व्यक्तियों के लिए आपदा तैयारी	11-15 जून	एस. चतुर्वेदी दीपक के. मिश्रा	10
10.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी	11-15 जून	रितु राज	21

	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण			
11.	आई आर एस मॉडयूल्ज के कस्टमाइजेशन संबंधी वैधीकरण-कार्यक्रम	11-15 जून	अरुण सहदेव	10
12.	स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	18-22 जून	रितु राज	24
13.	आपदा अभियान केन्द्रों (ई ओ सी) संबंधी कार्यक्रम	25-29 जून	अरुण सहदेव	39
14.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	27-29 जून	प्रो. सी घोष	57
15.	सड़क दुर्घटनाएं एवं इसकी सुरक्षा	2-3 जुलाई	एस. चतुर्वेदी	20
16.	जेंडर सेंसिटिव आपदा प्रबंधन	16-20 जुलाई	अजिन्द्र वालिया	27
17.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली के भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	25-27 जुलाई	प्रो. सी घोष	47
18.	आई आर एस : ओपरेशन सैक्शन चीफ कोर्स	3-5 सितम्बर	अरुण सहदेव	12
19.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं मीडिया	5-7 सितम्बर	सी. बंदोपाध्याय	22
20.	एन सी सी एवं एन एस एस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम	17-21 सितम्बर	पी. के. पाठक	14
21.	आपदा में फंसे बालकों की जरूरतें	17-21 सितम्बर	डॉ. अजिन्द्र वालिया श्री दीपक के मिश्रा	21
22.	जलवायु परिवर्तन एवं सूखा जोखिम प्रबंधन	24-28 सितम्बर	अनिल के. गुप्ता	22
23.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा	26-28 सितम्बर	सी. घोष	51

	दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन			
24.	डी आर आर को पर्यावरण की मुख्य धारा में शामिल करना (आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इको सिस्टम एप्रोच)	8-12 अक्तूबर	अनिल के. गुप्ता	19
25.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	17-19 अक्तूबर	सी. घोष	38
26.	सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन	29 अक्तूबर-2 नवंबर	पी के. पाठक	15
27.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	31 अक्तूबर-2 नवंबर	सी घोष	69
28.	आपदा मनो-सामाजिक देखभाल	5-9 नवंबर	सुषमा गुलेरिया दीपक के मिश्रा	15
29.	एस डी एम ए तथा डी डी एम ए के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3-7 दिसम्बर	सी बंदोपाध्याय	48
30.	गोकराजु रंगाराजू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (जी आर आई ई टी) हैदराबाद के बी-टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय परिचायक कार्यक्रम	4 दिसम्बर	चंदन घोष	75
31.	आई आर एस : प्लानिंग सैक्शन चीफ कोर्स	10-14 दिसम्बर	अरुण सहदेव	9

32.	अफगानिस्तान में उप राष्ट्रीय शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत अफगान भागीदारी के तहत आई आई पी ए में प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए विषय-परिचायक कार्यक्रम	13 दिसम्बर	एस. चतुर्वेदी	14
33.	आपदाओं में तनाव प्रबंधन : ए केयर गिवर मॉडयूल	7-11 जनवरी	एस. चतुर्वेदी दीपक के मिश्रा	27
34.	पी पी प्रभाग, गृह मंत्रालय तथा एस ए एफ (एम ई ए) के सहयोग से अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन	7-18 जनवरी	संतोष कुमार एस. चतुर्वेदी	19
			कुल	**966**

<u>अनुलग्नक-IV</u>

एन आई डी एम द्वारा 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कैम्पस के बाहर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	स्थान	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की सं.
1.	क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरिन एक्शन	एम सी आर एच आर डी आई हैदराबाद	30 अप्रैल-3 मई	एस सतपथी	30
2.	बाढ़ आपदा प्रबंधन : राष्ट्रीय जल अकादमी (एन डब्ल्यू ए) के सहयोग से कार्रवाई के लिए एजेंडा	एन डब्ल्यू ए, पुणे	30 अप्रैल-4 मई	के. जे. आनंद कुमार	34
3.	भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	7-11 मई	सी घोष	26
4.	क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इन हयूमैनिटेरियन एक्शन	ए ए एस सी असम	8-11 मई	एस. सतपथी	15
5.	परिवर्तनशील जलवायु में बाढ़ आपदा प्रबंधन	यू पी ए ए एम	21-25 मई	अनिल के. गुप्ता डॉ. ए डी कौशिक	28
6.	जिला आपदा प्रबंधन योजना : योजना एवं प्रक्रिया तैयार करना	छत्तीसगढ़	18-22 जून	एस. चतुर्वेदी	34
7.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	गुजरात	18-22 जून	के. जे. आनंद कुमार ए डी कौशिक	25
8.	आपदा प्रबंधन के लिए	ओडिशा	2-4 जुलाई	अनिल के	16

	कानूनी ढांचा			गुप्ता श्रीजा नायर	
9.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	बिहार	6-9 अगस्त	प्रो. संतोष कुमार	27
10.	आपदा उपरांत क्षति एवं आवश्यकता मूल्यांकन एवं रिकवरी ढांचा	झारखंड	3-7 सितम्बर	संतोष कुमार	25
11.	आपदा प्रबंधन में जियो-इन्फारमेटिक्स प्रयोग	कर्नाटक	3-7 सितम्बर	श्रीजा नायर	17
12.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं पुनर्वास	सिक्किम	19-22 सितम्बर	सी. घोष	20
13.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करना	एच आई पी ए हिमाचल प्रदेश	24-28 सितम्बर	अजिन्दर वालिया सुषमा गुलेरिया	23
14.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	24-28 सितम्बर	के. जे. अनंदा कुमार	21
15.	विद्यालय प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एम ए टी आई मेघालय	8-12 नवंबर	एस. चतुर्वेदी	42
16.	भू-स्खलन जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन	महाराष्ट्र	5-7 नवंबर	सूर्य प्रकाश	20
17.	आपदा जोखिम सामाजिक देखभाल	एन आई डी एम	5-9 नवंबर	सुषमा गुलेरिया दीपक के मिश्रा	15
18.	आई आर एस संबंधी पाठ्यक्रम	पूर्वी कन्नड़ जिला,	5-9 नवंबर	अरुण सहदेव	37

		कर्नाटक			
19.	शहरी जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	मेघालय	19-23 नवंबर	सी घोष	24
20.	वन अग्नि जोखिम प्रशमन प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	26-30 नवंबर	ए डी कौशिक अनिल के गुप्ता	12
21.	आपदा सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र विकास	उत्तराखंड	10-14 दिसम्बर	सूर्य प्रकाश	15
22.	प्रतिकूल मौसम घटनाओं (लू एवं शीत लहर) का प्रभाव	डी डी यू एस आई आर डी उ. प्र.	20-21 दिसम्बर	एस. चतुर्वेदी	34
23.	एन डी एम ए के आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण संबंधी पायलट परियोजना का एफ एफ टी पी	मेहबूब नगर आंध्र प्रदेश	26-27 दिसम्बर	के. जे. अनंदा कुमार	43
24.	शहरी जोखिमों का भागीदारी प्रबंधन	डी एम एम सी देहरादून	8-11 जनवरी	सी बंदोपाध्याय ए. डी कौशिक	17
25.	भवन कोड एवं डिजाइन	ए टी आई- रायपुर	14-18 जनवरी	चंदन घोष	20
26.	आई आर एस संबंधी पाठ्यक्रम	गंगटोक सिक्किम	16-20 जनवरी	अरुण सहदेव	40
27.	जिला जोखिम प्रबंधन योजना : योजना एवं प्रक्रिया	यू पी ए ए ए एम, उ. प्र.	21-23 जनवरी	एस चतुर्वेदी	23
28.	एकीकृत सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	एस आई आर डी झारखंड	22-24 जनवरी	के जे आनंधा कुमार	17
29.	आई आर एस संबंधी कार्यक्रम	यशादा, पुणे	28 जनवरी-1 फरवरी	पी के पाठक	23
30.	आपदा प्रबंधन में वन क्षेत्र की भूमिका	एफ आर आई देहरादून	28 जनवरी-1 फरवरी	ए. डी कौशिक अनिल के गुप्ता	11
				कुल	**734**

अध्याय-7

परिणाम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

7.1 वर्ष के दौरान वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय का विभागीय लेखाकरण संगठन लेखाओं के संकलन के बाद मासिक व्यय विवरण तैयार करता है। यह संगठन व्यय की प्रगति के बारे में कार्यक्रम प्रभागों को अवगत कराने के लिए मासिक आधार पर भी व्यय रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के कार्य संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। इन रिपोर्टों से मंत्रालय के व्यय की गति को समान रखने तथा आबंटित निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद के रूप में एम आई एस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) रिपोर्टों का प्रयोजन भी पूरा होता है।

7.2 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों को किए गए बजटीय आबंटनों को एम आई एस जोडा जाता है और प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों, अनुपूरकों तथा पुनर्विनियोजन की गणना करने के लिए वित्त प्रभाग के अधीन विभागीय लेखाकरण संगठन प्रशासनिक प्रभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन प्रशासनिक प्रभागों को विभिन्न कार्यक्रम उद्देश्यों को हासिल करने में सहयोग करता है तथा यह वित्त मंत्रालय के साथ इंटरफेस का कार्य करता है। विभागीय लेखाकरण संगठन उत्तम बजट प्रक्रिया के सिद्वांतों का अनुपालन करने के बारे में उनका मार्गदर्शन करता है। विभागीय लेखा संगठन अलर्ट और सलाह के माध्यम से सुशासन में सहायता करता है ताकि यह सुनिश्तिच किया जा सके कि निधियां समान रूप से जारी की जाएं तथा वित्त वर्ष के अंत में व्यय की बहुतायत न हो।

7.3 चूंकि पूंजीगत कार्य बड़ी तादाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माण संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके साथ भी अलग बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि व्यय की गति की समीक्षा की जा सके और वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभागीय लेखा संगठन, गृह मंत्रालय वेबसाइट पर वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है जिनमें निम्नलिखित को दर्शाया जाता है :

(i) प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि को अंतरण का विवरण ;

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशियों का विवरण; और

(iv) प्रमुख योजनावार व्यय का विवरण।

7.5 इन विवरणों को मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसमें संबंधित माह तक के वास्तविक आंकड़े तथा पूर्व वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े दर्शाये जाते हैं ताकि तुलना करने में आसानी हो सके। वेबसाइट सी पी एस एम एस (सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम) पर योजनागत व्यय संबंधी वास्तविक समय (रियल टाइम) रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से, विभागीय लेखाकरण संगठन, गृह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों/योजनाओं आदि के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुतीकरण करता है।

7.6 विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी अनुदानों की निगरानी और उनके उपयोग को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि जारी निधियों से वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। क्षेत्र स्तर पर बजट निष्पादन के संबंध में आन्तरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के लिए एक फीड बैक तंत्र के रूप में कार्य करती है। आंतरिक लेखा संगठन को अध्याय **(परिशिष्ट-।)** के अनुसार अधिदेश प्राप्त है। इसमें जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया है और कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े खतरों को अभिज्ञात करने का प्रयास किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा परिणाम बजट के इस पहलु का आकलन करने के लिए की जाती है कि क्षेत्र स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इस कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसका कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में समग्र निर्देशन देना है। अपर सचिव वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय इस लेखा परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय को मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की लेखापरीक्षा की है जिससे कि मूल्यवर्धन के लिए

परिकल्पित स्वतंत्र और उद्देश्यपरक आश्वासन दिया जा सके और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। आई ओ ए ने पुडुचेरी सरकार के सार्वजनिक लेखाओं की लेखा परीक्षा भी की है। आन्तरिक लेखा परीक्षा में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख लेखापरीक्षा कार्यों के लिए डाटा माइनिंग साफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। आन्तरिक लेखा संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमाण-पत्रों के स्तरोन्नयन तथा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संगठन के बहुत से सदस्यों नें सर्टिफाइड इंटर्नल ऑडिटर (सी आई ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सी आई एस ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर (सी आई एस एम) इत्यादि जैसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।

7.7 सर्विस डिलीवरी में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा संवितरण का कार्य अधिकतर जी ई पी जी (गवर्नमेंट इलैक्ट्रोनिक पेमेंट गेटवे) के माध्यम से किया जाता है ताकि निधियों के उचित तथा वास्तविक अंतरण को सुगम बनाया जा सके। इस समय इस मंत्रालय के सैंतालीस भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में से चौंतीस जी ई पी जी प्लेटफार्म में चले गए हैं।

परिशिष्ट-I

आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर:

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की भूमिका:

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुपरक विश्वास और परामर्शदात्री गतिविधि है जो किसी संगठन के कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने तथा उसे और बेहतर बनाने की दृष्टि से की जाती है। इससे संगठनों को, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासित करने संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करके तथा उसे बेहतर बनाते हुए एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आंतरिक लेखापरीक्षा, उन नियंत्रणों से संबंधित होती है जिनसे निम्नलिखित सुनिश्चित होता है:

- वित्तीय और प्रचालन संबंधी सूचना की विश्वसनीयता और समग्रता
- कार्य की प्रभावकारिता और दक्षता
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा
- कानूनों, विनियमों और संविदाओं का अनुपालन

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली, लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करेंगी जिससे कि यह जांच की जा सके कि विभिन्न कार्यालय सामान्य तौर पर भारत सरकार तथा विशेषरूप से गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों की लेखा और वित्तीय अभिलेखों की परिशुद्धता की जांच करेगी और पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। वह मंत्रालय की नीतियों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-स्तर पर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा, निष्पादन संबंधी पहलुओं को देखने के अलावा जारी की गई निधियों के वास्तविक निष्पादन और कार्यान्वित की गई स्कीमों का मूल्यांकन यह जानने के लिए करेगी कि क्या निर्धारित लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। वह योजना बनाने तथा अन्य संबंधित पहलुओं को भी देखेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण से जुड़ी कमजोरियों पर ध्यान देगी तथा नियंत्रण संबंधी तंत्रों में सुधार लाने के लिए विचार प्रकट करेगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का उद्देश्य गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों की समग्र परिचालन प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है। वह नीतिगत दिशानिर्देशों, योजना संबंधी प्रावधानों और लक्ष्यों से संबंधित कार्यकलापों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तथा सुझाव देगी जिनसे कार्यकलाप और बेहतर हो सकें। आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिदेश में व्यय संबंधी इकाइयों के कार्यकरण से जुड़े

सभी पहलू शामिल हैं और यह केवल वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि यह मूल्यांकन करेगी और सिफारिशें देगी जिससे कि राजकोष से जारी धनराशि का इष्टतम सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मंत्रालय से जारी प्रतयेक रुपये की जांच और लेखापरीक्षा करे और उसके अनुरूप ही अपनी लेखापरीक्षा संबंधी योजना बनाए। लेखापरीक्षा संबंधी योजना अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के व्यापक दायरे पर ध्यान केन्द्रित करेगी और जोखिम आकलन और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लेखापरीक्षा संबंधी प्राथमिकताएं और दायरा निर्धारित करेगी।

उत्तरदायित्व:

कार्यक्रम से जुड़े प्रभाग संगठन से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आन्तरिक नियंत्रण की इन प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करने की दृष्टि से आंतरिक लेखारीक्षा व्यय संबंधी इकाइयों, कार्यक्रमों से संबंधित प्रभागों और लेखापरीक्षा समिति को आश्वासन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सुगम बनाने में परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन लेखापरीक्षा धोखाधड़ी, सत्यनिष्ठा और अनुपालन के मामलों की जांच करने से संबंधित कार्यक्रम संबंधी प्रभागों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी।

योजनाएं:

आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा, समिति के समक्ष वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रस्तुत करेगी और लेखापरीक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त योजना में निहित लेखापरीक्षाएं करेगी। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं प्रभागों द्वारा किए गए जोखिम आकलनों पर आधारित होंगी तथा लेखापरीक्षा द्वारा अनुमोदित मौजूदा लेखापरीक्षा, रणनीति से सामने आए लेखा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

रिपोर्टें:

सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें मुख्य लेखापरीक्षा कार्यपालक के अनुमोदन से जारी की जाएंगी। रिपोर्टें, जिनमें महत्वूपर्ण मुद्दे निहित होंगे, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से परिचालित की जाएंगी इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा किए गए कार्य पर आधारित प्रमुख विचारों के सार उल्लेख मंत्रालय की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा में किया जाएगा

तथा उक्त को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभागों से यह अपेक्षित होगा कि वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करें और गैर-अनुपालना के मुद्दों को पर्याप्त कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति की ध्यान में लाया जाएगा।

<u>पहुंच:</u>

लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सभी अधिकारियों, भवनों से संपर्क कर सकती है तथा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण और प्रलेखन की मांग कर सकती है।

<u>स्वतंत्रता:</u>

पेशेवर लेखापरीक्षा मानकों (लेखापरीक्षा मैनुअल में समाहित) तथा लेखा परीक्षक की आचार संहिता के अनुसार वस्तुनिष्ट लेखा परीक्षा सेवा की व्यवस्था करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्वतंत्रता गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट अधिदेश सौंपकर सुनिश्चित की जाएगी। पेशेवर और आचार संबंधी मानकों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

<u>आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन का ढांचा:</u>

<u>लेखापरीक्षा समिति:</u>

लेखापरीक्षा समिति एक शीर्ष निकाय होगी जिसका प्रयोजन निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करना होगा:

(i) संस्था के वित्तीय विवरणों और खुलासों की विश्वसनीयता
(ii) संस्था के नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता।
(iii) संस्था के कार्य संचालन संहिता, विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
(iv) बाहरी लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, योग्यताएं और निष्पादन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी:

- सचिव (गृह), अध्यक्ष
- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह) उपाध्यक्ष
- मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह), सदस्य सचिव
- निदेशक(वित्त) सदस्य
- निदेशक (वित्त-पर्स), सदस्य
- लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा संगठन के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर को अंतिम रूप देने और उसे अनुमोदित करने तथा संगठन के भीतर इसकी भूमिका, जिम्मेदारी और ढांचा स्थापित करने के लिए जिम्मदार हागी।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रशासन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगी तथा वह दिशा तय करेगह जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य चलने चाहिए।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाओं का जायजा भी लेगी तथा उन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी जिनमें कुछ गंभीर मुद्दे निर्धारित किए गए हैं।

- आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन लेखा परीक्षा समिति के समक्ष आतंरिक लेखा परीक्षा कार्य की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करेगा तथा लेखा परीक्षा समिति गंभीर मुद्दों को आन्तरिक लेखा परीक्षा टिप्पणी के लिए लिखित रूप में तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित प्रभागों के साथ उठाएगी।

<u>प्रबंधन दल:</u>

(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रबंधन दल के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी होंगे जो मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(ii) प्रबंधन दल प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श करेगा तथा लेखापरीक्षा संबंधी प्राथिमिकताओं की योजना बनाएगा। प्रबंधन दल आन्तरिक लेखा-परीक्षा के सभी चरणों, वार्षिक लेखा परीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यों का नियोजन, लेखापरीक्षा, रिपोर्टें तैयार करना एवं उन्हें जारी करना तथा लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की मॉनीटरिंग तथा उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) प्रबंधन दल उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधनों एवं उनके उपयोग को अंतिम रूप प्रदान करेगा। प्रबंधन दल लेखापरीक्षा दल के लिए लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शियों का अनुमोदन करेगा तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निर्णय लेगा। प्रबंधन दल विभिन्न लेखापरीक्षा दलों के साथ लेखापरीक्षाओं के केन्द्र बिन्दुओं, निर्देशन तथा महत्व के विषय में विचार विमर्श करेगा।

(iv) प्रबंधन दल विभिन्न योजनाओं के लिए मानक लेखापरीक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा तथा इन्हें इन लेखापरीक्षा दलों को मुहैया करवाएगा जो कार्य योजना के अनुसार लेखापरीक्षा करेंगे। उन्हें प्रत्येक लेखापरीक्षा दल से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करे तथा इसके अलावा ये लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने के पश्चात अपना निर्णय लागू करेंगे।

प्रबंधन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- मुख्य लेखा नियंत्रक (अध्यक्ष)
- लेखा नियंत्रक (उपाध्यक्ष)
- निदेशक (लेखा), सीमा सुरक्षा बल (सदस्य)
- उप निदेशक (लेखा), के.रि.पु.ब. (सदस्य)
- उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, आई ए (सदस्य सचिव)
- विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक(सदस्य)
- आई एफ ए, दिल्ली पुलिस

आई ए प्रबंधन दल सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा तथा यह लेखापरीक्षा दलों का गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा।

<u>मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक:</u>

(i) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा संगठन के बीच की कड़ी होगा।

(ii) प्रबंधन दल के मुखिया के रूप में मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा दल के सम्मुख आने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रबंधन दल के अन्य सदस्यों से इनपुट लेने के पश्चात अंतिम निर्णय लेगा।

(iii) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसाधनों तथा लेखापरीक्षा दल के सदयों के बारे में निर्णय लेगा। वह वार्षिक लेखा परीक्षा योजना को भी अनुमोदित करेगा। वह विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए कवरेज के दायरे तथा गंभीरता संबंधी मार्गदर्शन करेगा।

(iv) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को इस संबंध में परामर्श देगा कि किसी विशेष लेखापरीक्षा में किसी विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किस प्रकार किया जाए। ग्राहक तथा मंत्रालय को जारी किए जाने से पूर्व लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन दल नियमित रूप से लेखापरीक्षा दलों से मिलेंगे ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य में ध्यान केन्द्रण के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। यदि लेखापरीक्षा ग्राहक द्वारा रिकॉर्ड मुहैया करवाए जाने से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी उपयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ग्राहकों से मिलकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

(vi) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के सामान्य प्रारूप को और उस प्रारूप जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान कार्य संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाना है को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा।

(vii) मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह मंत्रालय) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक होगा।

<u>लेखापरीक्षा निष्पादन दल में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे:</u>

- केन्द्रीय पुलिस बलों के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठनों सहित गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन
- गृह मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय
- गृह मंत्रालय के अन्य प्रभागों से
- अस्थायी अटैचमेंट पर विभिन्न स्थानों पर अन्य सिविल मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पार्टियों से लगाए गए परामर्शदाता

अध्याय - 6

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) :

6.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा दिनांक 30 मई, 2005 को किया गया था। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर, 2005 को अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को 27 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एवं दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिससे आपदा आने पर समयोचित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं से, विशेष रूप से रोकथाम, तैयारी और प्रशमन का कार्य, निपुणता और बेहतर समन्वित तरीके से करने में गहन रूप से लगा हुआ है।

आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति (एन पी डी एम)

6.2 आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति को दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस नीति में ''रोकथम, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी बातों को अपना कर समग्र, पहले से तैयारी, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यनीति तैयार कर सुरक्षित और आपदा मुक्त भारत बनाने'' का राष्ट्रीय विजन परिलक्षित होता है।

पहले जारी किए गए तथा प्रक्रियाधीन दिशानिर्देश

6.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से दिशानिर्देश तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें सरकार, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थान कार्पोरेट क्षेत्र तथा समुदाय सहित सभी पणधारियों को शामिल किया गया है। जारी किए गए दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों का वितरण अध्याय I में 'नीतिगत पहलें' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।

जागरूकता अभियान

6.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दृश्य-श्रृव्य स्पॉट्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, मुद्रित सामग्री, आदि जैसे संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न आपदाओं के बारे में जोखिम, आकलन तैयारी और आत्म-निर्भरता में सुधार लाने के लिए अभियान चलाए हैं। इस वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- चक्रवात, बाढ़ अपदा प्रबंधन और प्रतिमान परिवर्तन के लिए श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स तैयार करना;
- भूकम्प, बाढ़, चक्रवात और शहरी बाढ़ के बारे में श्रव्य-दृश्य स्पॉट्स को निजी टेलीविजन चैनलों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, लोक सभा टी वी, एफ एम रेडियो चैनलों पर प्रसारित करना;
- विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन;
- रेलवे आरक्षण टिकटों पर संदेशों का मुद्रण;
- बाढ़ एवं चक्रवात आपदा प्रबंधन जागरूकता पर पोस्टरों तथा पर्चों का मुद्रण

नकली अभ्यास

6.5 विभिन्न प्रकार के अनेक नकली अभ्यास किए गए हैं।

प्रशमन परियोजनाएं

6.6 चक्रवात, भूकंप, संचार नेटवर्क, भू-स्खलन, स्कूल-सुरक्षा और बाढ़ों आदि से संबंधित राष्ट्रीय प्रशमन परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है/अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहु-विषयक दलों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाई जा रही हैं जिनमें वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय स्रोतों और तकनीकी विधिक क्षेत्रों जैसी सभी सहायक पद्धतियों को विवरण होगा।

विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल :

6.7 भारत में भोपाल रासायनिक दुर्घटना, 1984 (जिसमें 38,000 लोग मारे गए), लातूर भूकम्प 1993 (जिसमें 22,000 लोग मारे गए), ओडिशा सुपर साइक्लोन, 1999 (जिसमें 7600 लोग मारे गए), गुजरात भूकंप, 2001 (जिसमें 20,000 लोग मारे गए), सुनामी, 2004 (जिसमें 10,700 लोग मारे गए), मुंबई मानसून, 2005 (जिसमें 1000 लोग मारे गए) जैसी कुछ प्रमुख आपदाओं तथा इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र के न होने से भारत सरकार को सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र/ढांचे के बारे में सोचना पड़ा। विगत में मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन की हानि के अतिरिक्त करोड़ों रु. की सम्पत्तियां भी नष्ट हुईं/उनकी हानि हुई। मानवजाति तथा सामग्री के इतने भारी नुकसान के फलस्वरूप भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया जिसे प्राधिकार सं. 64, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित किया गया।

6.8 इस अधिनियम में आपदाओं तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान है। परिणामस्वरूप भारत में आपदाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने/उनका प्रशमन करने के लए गृह मंत्रालय के दिनांक 19.1.2006 के आदेश के अनुसार 08 बटालियनों (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रत्येक की 02 बटालियनें) को शामिल करके एक बहु-दक्षता युक्त उच्च पेशेवर ''राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल'' का गठन किया गया। आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल में 10 बटालियनें हैं जिनमें से प्रत्येक में 1149 कार्मिक हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सीमा बल से 02 बटालियनों के परिवर्तन/स्तरोन्नयन को भी अनुमोदित कर दिया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्य

- आसन्न आपदा की स्थिति में तैनाती
- आपदाओं की स्थिति में विशिष्ट कार्रवाई करना
- परमाणु, जैविक एवं रासायनिक आपदा (क्षेत्र तथा कार्मिकों को दूषण रहित करना)

- मलबे को हटाना

- पीड़ितों-जीवित अथवा मृतकों को बाहर निकालना
- पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराना
- पीड़ितों को नैतिक सहायता प्रदान करना
- राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्राधिकारियों की सहायता
- सिस्टर एजेंसियों के साथ समन्वय
- अनुरोध प्राप्त होने पर विदेशों को सहायता मुहैया कराना
- क्षमता निर्माण
- एस डी आर एफ को प्रशिक्षण प्रदान करना
- सामुदायिक जागरूकता-लक्षित समूह-गांववासी, स्कूली बच्चे, गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी तथा राज्य प्रशासन।

<u>प्रशिक्षण</u>

6.09 कार्यकुशलता तथा विशेषज्ञता में वृद्धि करने में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के कार्मिक अनेक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिनमें अपेक्षित दक्षता के पुनश्चर्या तथा विशेषज्ञता स्तर में अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है।

<u>राष्ट्रीय आपात सम्प्रेषण कार्यक्रम :</u>

6.10 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपात सम्प्रेषण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप आपदा संबंधी अभियानों का प्रभावी प्रबंधन हुआ है।

<u>फेमेक्स/सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम/अभ्यास :</u>

6.11 संबंधित ए ओ आर में स्थलाकृति, जनसंख्या, मार्ग, भू-भाग तथा चिकित्सा सहायता, जल क्षेत्रों, अर्थमूविंग उपकरणों आदि जैसे संसाधनों की उलब्धता के बारे में कार्मिकों को परिचित कराने और जानकारी देने के अवसर मुहैया कराना। इससे कमान्डरों को स्थानीय निवासियों के बारे में जानने तथा अधिकारियों, जो आपदा के समय प्रथम कार्रवाई कर्ता होते हैं अथवा स्टेक होल्डरों के साथ संपर्क/समन्वय करने का अवसर भी मिलता है। इसके अतिरिक्त बटालियन की सभी 18 टीमों के टीम कमान्डरों को जिले के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उस क्षेत्र में सामान्यत: आने वाली आपदाओं के पैटर्न के बारे में फैमेक्स

के दौरान सूचना इकट्ठा करने के लिए विशेष क्षेत्र सौंपा गया है। सितम्बर 2012 तक इन कार्यक्रमों से कुल 17,09,887 लोग लाभान्वित हुए हैं।

6.12 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, बाढ़, भूंकप, भू-स्खलन, बादल फटने, चक्रवात, हिम-स्खलन आदि से स्वयं को बचाने के लिए अपेक्षित एहतियात और तैयारी के बारे में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। सितम्बर 2012 तक इन कार्यक्रमों से कुल 3,57,225 लोग लाभान्वित हुए हैं।

6.13 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मॉक अभ्यास भी आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की सहायता से राज्य सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी मॉक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। सितम्बर 2012 तक संबंधित एन डी आर एफ बटालियनों के ए ओ आर में कुल 253 मॉक अभ्यास आयोजित किए गए हैं जिनमें लगभग 1,67,664 लोगों ने भाग लिया।

<u>अभियान :</u>

6.14 अपने गठन के समय से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने अनेक अभियान चलाए हैं तथा अनेक बहुमूल्य जानें बचाई हैं और पीड़ितों के शवों को निकाला है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के प्रमुख अभियानों में वर्ष 2008 में बिहार में कोसी बाढ़, मई 2009 में पश्चिम बंगाल में आयला चक्रवात, मई 2010 में झारग्राम (पश्चिम बंगाल) में रेल दुर्घटना, जुलाई 2010 में शिवाड़ी, मुंबई (महाराष्ट्र) में क्लोरीन रिसाव, वर्ष 2010 में लेह में बादल फटने, अप्रैल 2010 में मायापुरी रेडियेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2011 में सिक्किम भूकंप, वर्ष 2012 में जालंधर में फैक्ट्री भवन का ढहना, वर्ष 2012 में असम में बाढ़ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने मार्च 2011 के अंतिम सप्ताह में रिफु, चो, जापान में सुनामी, जिसके बाद परमाणु रियेक्टर से रेडिएशन रिसाव (लीकेज) हुआ, के दौरान भी कार्रवाई की। जनवरी 2012 से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख अभियानों का विवरण नीचे दिया गया है-

<u>चक्रवात थाणे :</u>

6.15 वर्ष 2011 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान 'थाणे' आया। 30 दिसम्बर को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और पुदुचेरी में 130 से 140 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली तथा वर्षा हुई जिससे जिला कुड्डूलोर (आंध्र प्रदेश) और

विशेष रूप से पांडिचेरी में भारी क्षति हुई। तमिलनाडु में कुल 40 लोग तथा पांडिचेरी में 07 लोग मारे गए। दिसम्बर/जनवरी 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की 08 टीमें (04 बटालियन से 07 तथा 05 बटालियन से 01 बटालियन) तैनात की गईं जो 48 नौकाओं बाढ़ बचाव उपकरणों, एम ई आर, सी एस एस आर उपकरणों तथा ए एस के ए लाइटों आदि से सुसज्जित थीं। इन टीमों ने लोगों को पहले से सचेत कर दिया और ये चक्रवात 'थाणे' से व्यापक केज़्युलिटी को नियंत्रित कर सकीं। चक्रवात के बाद इन सभी टीमों ने सड़कों को साफ करने तथा पूरी तरह से ठप्प विद्युत आपूर्ति की बहाली में मदद की।

<u>**मालीगांव, गुवाहाटी जिला कामरूप (असम) :**</u>

6.16 03/02/2012 को लगभग 0935 बजे रेलवे स्टेशन मिर्जा और अजारा में यात्री ट्रेन दुर्घटना के बारे में सुरक्षा अधिकारी एन एफ रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी जिला कामरूप (असम) से सूचना प्राप्त हुई। 01 बटालियन एन डी आर एफ, गुवाहाटी से दो टीमें, जिनमें 03 राजपत्रित अधिकारी, 06 अधीनस्थ अधिकारी तथा 52 अन्य कार्मिकों को मिलाकर कुल 61 लोग शामिल थे, एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हुईं तथा 030955 बजे घटना स्थल पर पहुंच गईं। दोनों टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया तथा क्षतिग्रस्त और पटरी से उतरे कोचों से 40 व्यक्तियों को निकाला। यह अभियान 031330 बजे खत्म हुआ तथा दोनों टीमें अपने-अपने स्थानों पर वापिस लौट गईं।

<u>**कामपुर (असम) में आग लगने की घटना :**</u>

6.17 कामरूप, असम में आर. बी. कॉमर्सियल कॉटन प्रोडक्शन इन्डस्ट्री, मिर्जा में 15.02.2012 को लगभग 1610 बजे आग लगने की दुर्घटना घटी। यह सूचना सिविलयनों द्वारा की गई। तदनुसार गुवाहाटी, असम में स्थित 01 बटालियन एन डी आर एफ से एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 05 अधीनस्थ अधिकारी, 40 अन्य कार्मिक कुल 45 लोग शामिल थे, अपेक्षित बचाव उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुई तथा 151618 बजे घटना स्थल पर पहुंच गई। इस टीम ने फायर एक्सटिनगुशर तथा प्रैसर पम्प की मदद से बचाव अभियान/आग बुझाने का कार्य शुरू किया। एन डी आर एफ की टीम ने 06 घायल फैक्ट्री श्रमिकों को निकाला तथा आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया।

<u>**जिला घुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने की घटना :**</u>

6.18 01 बटालियन एन डी आर एफ से सौ से अधिक एन डी आर एफ बचावकर्ताओं, गहन गोताखोरों तथा बचाव नौकाओं से युक्त एक सशक्त टीम ने इस दुरूह कार्य को संभाला और

अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 30 अप्रैल, 2012 को वह अभागी नौका पलट गई थी, के चौथे दिन लगातार कार्य कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की तीव्र धारा डूबे पीड़ितों के शवों को दूर तक बहाकर ले गई जिससे यह कार्य अत्यधिक कठिन हो गया किंतु 1 बटालियन एन डी आर एफ के बचावकर्ताओं के अथक प्रयासों से 30.4.2012 से 8.05.2012 तक 19 शव निकाले जा सके तथा पीड़ित परिवारों को सौंपे गए।

<u>टैंक रोड, करोल बाग, दिल्ली :</u>

6.19 टैंक रोड, करोल बाग में ढहे भवन के बारे में श्री आकाश महापात्रा, उपायुक्त, सेंट्रल दिल्ली की मांग पर 31.3.2012 को 08 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 1 राजपत्रित अधिकारी, 03 अधिकारी, 34 अन्य कार्मिक कुल 38 लोग तथा 2 कुत्ते शामिल थे, सी एस एस आर/एम एफ आर उपकरणों के साथ 310640 बजे घटना स्थल के लिए रवाना हुई। एन डी आर एफ की टीम ने 31.3.2012 से 2.4.2012 तक बचाव अभियान चलाया तथा मलवे से 03 शव निकाले।

<u>जालंधर, पंजाब में ढांचे का ढहना :</u>

6.20 जिला प्रशासन की मांग पर 07 बटालियन एन डी आर एफ, भटिन्डा (पंजाब) की 02 टीमें ढह गए फैक्ट्री भवन के मलवे में फंसे पीड़ितों के खोज और बचाव अभियान के लिए 16.4.2012 को जालंधर (पंजाब) में तैनात किया गया। एन डी आर एफ टीम ने 16.4.2012 से 24.4.2012 तक दिन-रात अभियान चलाए और 12 लोगों की सफलतापूर्वक जान बचाई और 19 शव निकाले।

<u>वर्ष 2012 में असम में बाढ़ :</u>

6.21 एन डी आर एफ ने असम के लखीमपुर, कामरूप, तिनसुकिया, सोनितपुर, सिवसागर, रंगिया, जोरहट और नागांव जिलों, जिनमें जून-जुलाई 2012 में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ गई थी, में 25.6.2012 से 01 बटालियन एन डी आर एफ की 16 टीमें तथा 02 बटालियन एन डी आर एफ की 04 टीमें 64 नौकाओं तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैनात की गईं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर थी तथा तेज बाढ़ से प्रभावित जिलों में बारपेटा, धीमाजी, जोरहट, गोलाघाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिवसागर, नागांव, मोरीगांव, लखीमपुर, कोकराझार, घुबरी, नलबाड़ी, बोगईगांव, चिरांग, बाक्सा, सोनितपुर, ऊदलगुडी, गोलपाड़ा कचार, कामरूप तथा करीमगंज जिले शामिल थे। एन डी आर एफ ने बचाव और राहत अभियान चलाए तथा हजारों अलग-अलग पड़े लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बाढ़ प्रभावित लोगों में कई टन राहत सामग्री के वितरण और उनहें इलाज मुहैया कराने में राज्य प्रशासन की मदद की की। इन टीमों

ने कुल 32207 बाढ़ प्रभावित लोगों को निकाला तथा 13 शव निकाले। उन्होंने 15539 बाढ़ प्रभावित परिवारों में 1913 क्विंटल राहत सामग्री भी वितरित की है।

<u>अमरनाथ यात्रा</u>

6.22 07 बटालियन एन डी आर एफ की 02 टीमें, जिनमें 02 राजपत्रित अधिकारी, 6 अधीनस्थ अधिकारी, 85 अन्य कार्मिक कुल 83 लोग शामिल थे, पोर्टेबल शैल्टर-06 और अन्य एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ फैमेक्स और अमरनाथ यात्रा के लिए 25/06/2012 से 2/08/2012 तक पहलगाम/चंदनवाड़ी/शेषनाग और जोलीपाल (जम्मू एवं कश्मीर) में तैनात की गईं। टीम ने 06 शवों तथा 08 घायल पीड़ितों को पिपसूटोप से चंदनबाड़ी पहुंचाया, 84 लोगों को अस्पताल पहुंचाने से पहले उपचार मुहैया कराया तथा लगभग 5200 यात्रियों को अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान की गई।

<u>सुंदरबानी, राजौरी जिला (जम्मू एवं कश्मीर) :</u>

6.23 महानिरीक्षक (प्रचालन), सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, सी जी ओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली की मांग पर 07 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 02 अधीनस्थ अधिकारी, अन्य 27 कुल 30 लोगों को एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरणों के साथ 27/07/2012 से 28/07/2012 तक खोज एवं बचाव अभियान (सीमा सुरक्षा बल के 1 गुमशुदा राजपत्रित अधिकारी तथा 01 चालक) के लिए सुंदरबनी, राजौरी जिला (जम्मू एवं कश्मीर) में तैनात की गई। इस टीम ने 02 शव निकाले।

<u>पश्चिम बंगाल :</u>

6.24 02 बटालियन एन डी आर एफ कोलकाता से एन डी आर एफ की 04 टीमें, जिनमें से एक टीम में 01-राजपत्रित अधिकारी, 05 अधीनस्थ अधिकारी, 29-अन्य कुल 35 लोग तथा 05 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे तथा दूसरी टीम, जिसमें 03 अधीनस्थ अधिकारी, 32 अन्य कार्मिक कुल 35 लोग तथा 05 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, 15.07.2012 से 11.09.2012 तक जलपाईगुड़ी (उत्तरी बंगाल), अलीपुरद्वार, जिला जलपाईगुड़ी (उत्तरी बंगाल) में तथा तीसरी टीम, जिसमें 01-राजपत्रित अधिकारी, 03 अधीनस्थ अधिकारी, 31 अन्य कार्मिक, कुल 35 लोग और 4 नौकाएं तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, सिलीगुड़ी में और चौथी टीम, जिसमें 04 अधीनस्थ अधिकारी, 31 अन्य कार्मिक, कुल 35 लोग तथा 04 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, 19.07.2012 से

29.8.2012 तक सिलीगुड़ी जिले में तैनात की गईं। इन टीमों ने बचाव अभियान चलाया तथा 196 फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया तथा चतरापुर, मैनागुड़ी क्षेत्र में 250 प्रभावित लोगों में 03 क्विंटल राहत सामग्री वितरित की।

<u>गंग नहर, पुलिस थाना निवाड़ी, मोदीनगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में रासायनिक पदार्थों का पता लगाना :</u>

6.25 03.07.2012 को पुलिस थाना निवाड़ी, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में गंग नहर के निकट अज्ञात रासायनिक पदार्थों से युक्त ड्रमों के ढेर का निरीक्षण करने के लिए एन डी आर एफ की एक टीम की तैनाती के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, जिला गाजियाबाद की मांग पर 08 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 04 अधीनस्थ अधिकारी, 35 अन्य कार्मिक, कुल 40 लोग तथा एन बी सी उपकरण शामिल थे, घटना स्थल के लिए रवाना हुई तथा सामग्री को निष्क्रिय किया। इस टीम ने वहां से सेम्पल लिया जिसकी डी आर डी ई ग्वालियर के विश्लेषण के अनुसार एन-विनियलकारबेजोल (एन- वी आई एन वाई एल सी ए आर बी ए जैड ओ एल ई) तथा फिनोजाईबेंजाइल एल्कोहल के रूप में पहचान की गई। यदि इससे गंगा नहर का पानी जहरीला हो जाता है तो यह खतरनाक रसायन होने के कारण घातक हो सकता था।

<u>प्रतापपुरा वडोदरा (गुजरात) में प्रतापपुरा सरोवर की सुरक्षा दीवार में दरार आना :</u>

6.26 13.08.2012 को 1700 बजे जिला कलैक्टर, बड़ोदरा से प्रतापपुरा गांव में प्रतापपुरा सरोवर की सुरक्षा दीवार में दरार पड़ने तथा समीप के दो गांवों में पानी घुसने के बारे में सूचना मिलने के बाद एन डी आर एफ की 06 बटालियन की दो टीमें, जिसमें 02-राजपत्रित अधिकारी, 09 अधीनस्थ अधिकारी, 59 अन्य कार्मिक कुल 70 लोग शामिल थे, 04 नौकाओं तथा जीवन रक्षक उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। इस टीम ने बचाव अभियान शुरू किया तथा गांव प्रतापपुरा और विडिन्द्रा के 300 ग्रामीणों को बचाया तथा उन्हें निचले क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

<u>भोजपुर, बिहार :</u>

6.27 जिला भोजपुर में सोन नदी में 35 व्यक्तियों को ले जा रही एक नाव के उलटने के बारे में 10.09.2012 को अपर जिला मजिस्ट्रेट, भोजपुर, बिहार की मांग पर 09 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम, जिसमें 01 राजपत्रित अधिकारी, 07 अधीनस्थ अधिकारी, 20 अन्य

कार्मिक कुल 28 लोग तथा 04 डीप डाइवर्स, 04 नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण शामिल थे, घटना स्थल के लिए रवाना हुई। इस टीम ने 10.09.2012 से 14.09.2012 तक एस ए आर अभियान चलाया तथा 13 शव निकाले।

<u>संसद भवन, दिल्ली में तैनाती :</u>

6.28 लोक सभा और राज्य सभा के क्षेत्रों के दौरान सी बी आर एन की किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के लिए 20 जुलाई से 7 जुलाई 2012 तक 08 बटालियन, एन डी आर एफ की एक टीम संसद भवन, दिल्ली में तैनात की गई।

<u>सहाकार, नागपुर, पुणे (महाराष्ट्र) में ढांचे का ढहना :</u>

6.29 साहकार, नागपुर, पुणे (महाराष्ट्र) में निर्माणाधीन 04 मंजिले भवन के ढहने के बाद 24.09.2012 को 05 बटालियन, एन डी आर एफ की दो टीमों, जिनमें 07-अधीनस्थ अधिकारी, 63 अन्य कार्मिक कुल 70 लोग, मीडीकल टीम एम ओ-01, एस ओ एस-02, मैडिकलस्टाफ-अन्य 05 कुल-78 तथा एम एफ आर/सी एस एस आर उपकरण शामिल थे, ने एस ए आर अभियान चलाया। इस टीम ने 11 लोगों को निकाला तथा 10 शव निकाले।

<u>बादल फटना :</u>

6.30 बादल फटने के संबंध में सितम्बर/अक्तूबर 2012 माह में जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में तैनात 08 बटालियन एन डी आर एफ की एक टीम ने खोज अभियान चलाया तथा 09 शव निकाले।

<u>ब्रह्मोत्सवम के दौरान तैनाती :</u>

6.31 13.10.2012 से 23.10.2012 तक ब्रह्मोत्सवम के दौरान तिरुमाला में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक टीम तैनात की गई। इस टीम ने झील में, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए गए थे, में हमारी नौकाओं की सेवाएं भी लीं। यह कार्य अच्छी तरह से सम्पन्न हो गया।

6.32 एन डी आर एफ ने देश में आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त एन डी आर एफ की टीमों ने कॉमनवेल्थ खेल-2010, क्रिकेट विश्व कप-2011, दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2011 तक हरिद्वार में महाकुंभ, 2010 और 2011 में सबरीमाला मेला, 2011 और 2012 में अमरनाथ यात्रा आदि के दौरान सी बी आर एन कार्रवाई की। एन डी आर एफ द्वारा की गई आपात कार्रवाई तथा सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम से आपदा अथवा

आपदा जैसी स्थितियों के दौरान त्वरित कार्रवाई करने में सरकारी तंत्र की जिम्मदारी के बारे में देशवासियों में विश्वास की भावना पैदा हुई है।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एन एस एस पी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.33 वर्ष 2012-13 के दौरान एन आई डी एम ने 83 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 16 वेब-आधारित ऑनलाइन पाठयक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया। 31 अक्तूबर, 2012 तक एन आई डी एम ने 41 फेस-टु-फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे जिनमें 1142 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन 41 पाठ्यक्रमों में से 15 पाठ्यक्रम राज्य ए टी आई आपदा प्रबंधन केन्द्रों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए गए हैं। फेस-टु-फेस कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने 31 अक्तूबर, 2012 तक 8 वेब-आधारित ऑनलाइन पाठयक्रम भी आयोजित किए। वर्ष 2012-13 के दौरान 24.1.2013 तक एन आई डी एम द्वारा कैम्पस के भीतर तथा कैम्पस के बाहर आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक ।।। और IV पर दिया गया है।

उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित कार्यक्रम

6.34 एन आई डी एम ने विज्ञान प्रसार दिल्ली के सहयोग से 17-18 अप्रैल, 2012 तथा 7-8 जून, 2012 के दौरान दो उपग्रह (सैटेलाइट) आधारित कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में लगलग 2500 लोगों ने भाग लिया।

अन्य गतिविधियां

6.35 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एन आई डी एम ने 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 2012 तक की अवधि के दौरान कुछ अन्य गतिविधियां चलाईं। इन गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

पर्यावरण दिवस

6.36 एन आई डी एम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 5 जून, 2012 को '' विश्व पर्यावरण दिवस'' मनाया।

6.37 डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले अन्य अतिथियों में प्रो. वी. के. शर्मा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, श्री प्रकाश मिश्रा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के महानिदेशक, डॉ. लीना श्रीवास्तव, टेरी (टी ई आर आई) विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और बच्चे शामिल थे।

6.38 इस अवसर पर एन आई डी एम के तीन प्रकाशन अर्थात् ''ईकोसिस्टम अप्रोच टु डिजास्टर रिस्क रिडेक्शन'' ''एनवायरनमेंटल एक्स्ट्रीम्स एंड क्लाइमेट डिजास्टर्स'' और ''डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन'' भी प्रकाशित किए गए।

6.39 विभिन्न विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में नारे तथा कविता लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

वन महोत्सव

6.40 एन आई डी एम ने 23 जुलाई, 2012 को '' वन महोत्सव'' मनाया जिसका उद्देश्य वनों तथा डी आर आर से इसके संबंध के बारे में अधिकारियों को जानकारी देना था।

6.41 श्री वी. के. दुग्गल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर श्री मुकुल गोयल, आई जी/एन डी आर एफ भी उपस्थित थे। इस समारोह के दौरान एन आई डी एम के दो प्रकाशन अर्थात् ''इण्डिया डिजास्टर रिपोर्ट 2011'' और ''डायरेक्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्स पर्सन्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट'' जारी किए गए।

इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों तथा एन आई डी एम तथा एस डी एम सी से फैकल्टी और स्टॉफ सदस्यों द्वारा अनेक पौधे लगाए गए।

हिन्दी दिवस

6.42 एन आई डी एम ने 14 सितम्बर, 2012 को अपने परिसर में '' हिन्दी दिवस'' मनाया। श्री विनोद अग्निहोत्री, सम्पादक 'नेशनल दुनिया' ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा इस कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव का आदान-प्रदान किया।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

6.43 एन डी एम ए तथा एन आई डी एम ने इस वर्ष 10 अक्तूबर, 2012 को इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जिसमें री टी. नंदा कुमार, माननीय सदस्य, डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, एन डी एम ए तथा श्री ए. के. मंगोत्रा, सचिव (बी एम), गृह मंत्रालय शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बी. के. शर्मा, पूर्व प्राचार्य, लूडलो कैसल स्कूल, दिल्ली ने सेफ स्कूल्स : जर्नी ऑफ लूडलो कैसल स्कूल पर एक विशेष वार्ता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 'सेफगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डी आर आर' विषय पर एक पुस्तक भी जारी की गई जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर स्कूली छात्रों द्वारा लिखी गई कविताओं और स्लोगनों का संकलन है।

6.44 इसके अतिरिक्त इस अवसर पर एन आई डी एम ने विद्यालय सुरक्षा के बारे में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टेकल्डरों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की ''विद्यालय सुरक्षा योजनाएं'' तैयार करने के संबंध में स्कूलों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। स्कूलों से प्राप्त प्रस्तावों में से पूरे देश में 15 चयनित योजनाओं को पुरष्कृत किया गया।

प्रशिक्षण मॉड्यूल्स

6.45 एन आई डी एम ने 11 इन हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किए हैं और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के आधार पर कुछ और मॉड्यूल्स विकास की प्रक्रिया में हैं। एन आई डी एम द्वारा विकसित मॉड्यूल्स में जिला आपदा प्रबंधन योजना, ग्राम आपदा प्रबंधन योजना, समुदाय आधारित डी आर आर बाढ़ जोखिम प्रबंधन, मनो-सामाजिक देखभाल, आपदा प्रबंधन में जेंडर संबंधी मुद्दे, शहरी जोखिम प्रबंधन, भूकंप प्रबंधन, आपदाओं में बच्चों की आवश्यकताएं, आपदा के पश्चात क्षति तथा आवश्यकताओं का आकलन, आपदा प्रबंधन में जी आई एस, रासायनिक (औद्योगिक) आपदाएं, भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन, एन डी आर एफ अधिकारियों तथा आपदाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन शामिल हैं। 11 मॉड्यूल्स में से पांच मॉड्यूल्स मुद्रित हो चुके हैं जबकि अन्य मुद्रण के लिए तैयार हैं।

6.46 भारत सरकार-यू एन डी पी डी आर आर कार्यक्रम के अंतर्गत एन आई डी एम द्वारा 6 मॉड्यूल्स/दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इनमें डी आर आर को विकास क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर से 1 आवास क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को पर्यावरण क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, डी आर आर को शहरी क्षेत्र आपदा उपरान्त दीर्घकालिक बहाली की मुख्य धारा में लाना शामिल है। ये मॉड्यूल्स तथा दिशानिर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

<u>अनुलग्नक-I</u>

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित इन-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	4-8 अप्रैल	डॉ. सूर्य प्रकाश	15
2.	आई आर एस: बेसिक एंड इन्टरमीडिएट	25-27 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	14
3.	आई आर एस : ऑपरेशन्स सेक्शन चीफ	28-29 अप्रैल	श्री अरुण सहदेव	12
4.	नागरिक रक्षा आधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	9-13 मई	श्री पी. के. पाठक	18
5.	मेनस्ट्रिमिंग डी एम फॉर जे एस	19-20 मई	प्रो. संतोष कुमार डॉ. सुषमा गुलेरिया	11
6.	एन डी आर एफ कमांडरों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी	20-24 जून	श्री पी. के. पाठक	23

	बुनियादी पाठ्यक्रम			
7.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रशमन	27 जून-1 जुलाई	डॉ. सूर्य प्रकाश	30
8.	बेसिक/इंटरमीडिएट आई आर एस पाठ्यक्रम	4-8, 2011 जुलाई	श्री अरुण सहदेव	9
9.	आपदा प्रबंधन में एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉरमेटिक्स	12-14 जुलाई	सुश्री श्रीजा नायर	11
10.	आई आर एस : इन्टीग्रेटिड प्लानिंग सेक्यान चीफ	18-22 जुलाई	श्री अरुण सहदेव	16
11.	आपदा और अशक्तता	18-22 जुलाई	डॉ. सुजाता सतपथी	20
12.	भूंकप जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	25-29 जुलाई	डॉ. अमीर अली खान	24
13.	आई आर एस : इन्सीडेंट कमांडर	1-3 अगस्त	श्री अरुण सहदेव	15
14.	जलवायु-परिवर्तन एवं बाढ़ आपदा प्रबंधन	8-12 अगस्त	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए डी. कौशिक	39
15.	शहरी जोखिम सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	5-9 सितम्बर	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय	21
16.	एकीकृत सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	12-16 अगस्त	डॉ. अनिल के. गुप्ता	22
17.	आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका से संबंधित कार्यक्रम	19-23 सितम्बर	श्री पी. के. पाठक	19
18.	अफ्रीकी पदाधिकारियों के लिए विस्तृत आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी टी ओ टी	19-30 सितम्बर	प्रो. संतोष कुमार श्री शेखर चतुर्वेदी	22
19.	जेंडर एंड डिसास्टर मैनेजमेंट	26-30 सितम्बर	डॉ. आजिन्दर वालिया	16

20.	आई आर एस : सिम्यूलेशन एक्सरसाइज	12-14 अक्तूबर	श्री अरुण सहदेव	15
21.	आपदा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल एन डी आर एस	10-14 अक्तूबर	डॉ. सुजाता सतपथी	26
22.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन एवं प्रशमन	17-21 अक्तूबर	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	25
23.	आई आर एस : एरिया कमांड	3-4 नवंबर	श्री पी. के. पाठक	12
24.	आई आर एस : लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ	14-19 नवंबर	श्री अरुण सहदेव	11
25.	एन सी सी और एन एस एस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम	21-23 नवंबर	डॉ. पी. के. पाठक	40
26.	आपदाओं में रिप्रोडिक्टिव हेल्थ, जेंडर एंड साइको सोशल स्पोर्ट	21-24 नवंबर	डॉ. सुजाता सतपथी	13
27.	आपदा प्रबंधन में एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फारमेटिक्स	21-25 नवंबर	सुश्री श्रीजा नायर	12
28.	सूखा प्रशमन एवं प्रबंधन	28 नवबंर-2 दिसम्बर	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	7
29.	टी ओ टी ऑन ब्लेन्डेड लर्निंग इन ग्लोबल कैम्पस (जी सी-21) ऑनलाइन प्लेटफार्म विथ जी आई जैड	5-7 दिसम्बर, 11	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	15
30.	भगदड़ जोखिम न्यूनीकरण	8-9 दिसम्बर	श्री शेखर चतुर्वेदी	16
31.	पी ई डी आर आर के साथ इन्टरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इकोसिस्टम एप्रोच टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन	12-15 दिसम्बर	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	19

	(इको-डी आर आर)			
32.	आई आर एस : एडवांस्ड आई आर एस	दिसम्बर 12-16, 2011	श्री अरुण सहदेव	12
33.	जेंडर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट	19-23दिसम्बर	डॉ. अजिन्दर वालिया	5
34.	पूर्व-चेतावनी	9-13 जनवरी	श्री विश्वनाथ दास	33
35.	आपदाओं में बच्चों की जरूरत	30 जनवरी-3 फरवरी	डॉ. अजिन्दर वालिया	21
36.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	1-3 फरवरी	डॉ. अनिल के. गुप्ता	12
37.	सांस्कृतिक धरोहर जोखिम प्रबंधन	6-10 फरवरी	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय	7
38.	स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर डिजास्टर रिस्पांडर्स (एन डी आर एफ)	13-17 फरवरी	डॉ. सुजाता सतपथी	20
39.	एप्लीकेशन ऑफ जियोइन्फारमेटिक्स इन डी एम	13-17 फरवरी	सुश्री श्रीजा नायर	15
40.	एन वाई के एस पदाधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम	27 फरवरी-2 मार्च	श्री पी. के. पाठक	21
41.	मीडिया और पी आई ओ के लिए आपदा प्रबंधन	29 फरवरी-2 मार्च	सुश्री चन्द्राणी बंधोपाध्याय	22
42.	जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण	5-9 मार्च	डॉ. सूर्य प्रकाश	10
43.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	19-23 मार्च	डॉ. ए. डी. कौशिक	24
44.	ए पी पी पी ए प्रतिभागियों के लिए आपदा प्रबंधन	23 मार्च	प्रो. संतोष कुमार	38
45.	आपदाओं के दौरान जल एवं स्वच्छ्ता संबंधी कार्यक्रम	26-27 मार्च	डॉ. अनिल के. गुप्ता	18

			कुल	**826**

<u>अनुलग्नक-II</u>

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थल	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	भारी बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	25-29 अप्रैल	डॉ. ए. डी. कौशिक डॉ. के. जे. आनंद कुमार	23
2.	डिजास्टर मास कैज्यूल्टी मैनेजमेंट	बी आई पी ए आर डी, बिहार	25-29 अप्रैल	डॉ. सुजाता सतपथी प्रो. संतोष कुमार	31
3.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	एस आई आर डी, महाराष्ट्र	9-13 मई	श्री विश्वनाथ दास	21
4.	फॉरेस्ट्री सेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम)	एफ आर आई, देहरादून	16-20 मई	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए. डी.	20

				कौशिक	
5.	सी बी डी आर एम	डी डी यू एस आई आर डी, उत्तर प्रदेश	23-27 मई	श्री शेखर चतुर्वेदी	20
6.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	सी डब्ल्यू सी, एन डब्ल्यू ए	30 मई से 3 जून	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	42
7.	जेंडर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट	एस आई पी ए आर डी, त्रिपुरा	6-10 जून	डॉ. अजिन्दर वालिया	61
8.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास	जे के आई एम पी ए, जम्मू एवं कश्मीर	13-17 जून	डॉ. आमीर अली खान	23
9.	औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएं	ए टी आई, कर्नाटक	13-17 जून	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	26
10.	डी ए एल ए	डी एम एम सी, देहरादून	27-29 जून, 2011	प्रो. संतोष कुमार श्री अरुण सहदेव श्री शेखर चतुर्वेदी	32
11.	पी टी एस, किशनगढ़ में पुलिस के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी बुनियादी पाठ्यक्रम	पी टी एस, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान	25-30 जुलाई 2011	श्री पी. के. पाठक	28
12.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एम सी आर एच आर डी आई, ए पी	1-5 अगस्त	श्री विश्वनाथ दास	48
13.	विस्तृत भूस्खलन जोखिम प्रबंधन	यू ए ए, उत्तराखंड	23-26 अगस्त	डॉ. सूर्य प्रकाश	15

14.	भूंकप जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	जी बी पी आई एच ई डी, सिक्किम	5-9 सितम्बर 11	प्रो. चंदन घोष	29
15.	तटीय जोखिम प्रबंधन	जी आई डी एम, गुजरात	12-16 सितम्बर	डॉ. सुषमा गुलेरिया श्री विश्वनाथ दास	37
16.	आपदा डाटाबेस प्रबंधन (ब्लेंडेड लर्निंग)	नोएडा	21-23 सितम्बर	सुश्री श्रीजा नायर डॉ. अनिल के. गुप्ता	22
17.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	एम सी आर एच आर डी, ए पी	26-30 सितम्बर	श्री विश्वनाथ दास	27
18.	लैंडस्लाइड्स मिटिगेशन बाई जिओसिंथेटिक	एच आई जी ए, हिमाचल प्रदेश	31 अक्तूबर-4 नवंबर	डॉ. सूर्य प्रकाश	29
19.	जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	यू पी ए ए एम, उत्तर प्रदेश	31 अक्तूबर-4 नवबंर	श्री शेखर चतुर्वेदी	39
20.	डी डी एम पी तैयार करना	जी ए ए, ओडिशा	21-25 नवबंर	श्री विश्वनाथ दास	17
21.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन	ए आई एम, चेन्नई	28 नवबंर-2 दिसम्बर	डॉ. अनिल गुप्ता सुश्री श्रीजा नायर	16
22.	डी डी एम ए के सहयोग से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	17 दिसम्बर	श्री पी. के. पाठक	95

23.	डी डी एम ए के सहयोग से न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन	रोहिणी न्यायालय, दिल्ली	21 दिसम्बर	श्री पी. के. पाठक	85
24.	आपदा पश्चात् क्षति एवं आवश्यकता का आकलन	एच आई पी ए, हिमाचल प्रदेश	26-28, दिसम्बर 2011	प्रो. संतोष कुमार	32
25.	जलवायु परिवर्तन एवं सूखा जोखिम प्रबंधन	डी एम आई, भोपाल	2-6 जनवरी 2012	डॉ. अनिल के. गुप्ता, डॉ. सुषमा गुलेरिया	29
26.	ढांचों की रेट्रोफिटिंग तकनीकी और प्रबंधन संबंधी मुद्दे	एच आई पी ए, हरियाणा	9-13 जनवरी	प्रो. चंदन घोष	22
27.	डी डी एम पी तैयार करना	सी जी ए ए ए, छत्तीसगढ़	16-20 जनवरी, 2011	श्री शेखर चतुर्वेदी डॉ. सुषमा गुलेरिया	19
28.	डी डी एम ए, दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन ओरियेन्टेशन वर्कशॉप	जे पी सिद्धार्थ होटल, दिल्ली	20 जनवरी	डॉ. आमीर अली खान	60
29.	आपदा सुरक्षित पर्वतीय क्षेत्र विकास	ए टी आई, मिजोरम	30 जनवरी-3 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकश प्रो. चंदन घोष	18
30.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	ए टी आई, पश्चिम बंगाल	6-10 फरवरी	डॉ. के. जे. आनंद कुमार डॉ. ए. डी. कौशिक	16
31.	एम जी एस आई पी ए पी, ए टी आई के	लुधियाना, पंजाब	6-10 फरवरी	डॉ. अजिन्दर वालिया	30

	साथ विद्यालय-सुरक्षा				
32.	आपदा प्रबंधन संबंधी सैटकॉम कार्यक्रम	विज्ञान प्रसार, दिल्ली	7-8 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकाश	150
33.	आपदा पश्चात् क्षति एवं आवश्यकता का आकलन	एच सी एम आर आई पी ए, जयपुर	10 फरवरी	प्रो. संतोष कुमार	23
34.	भूस्खलनों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	गंगटोक, सिक्किम	13-15 फरवरी	डॉ. सूर्य प्रकाश	96
35.	डी डी एम ए, दिल्ली के सहयोग से आपदा प्रबंधन ओरियन्टेशन वर्कशॉप	एम सी डी सिविक सेंटर, दिल्ली	14 फरवरी	श्री पी. के. पाठक डॉ. आमीर अली खान	80
36.	ए टी आई उत्तराखंड के सहयोग से भूकंपों में प्रतिभागी प्रबंधन	शांति कुंज, हरिद्वार	20-24 फरवरी	प्रो. सी. घोष डॉ. ए. डी. कौशिक	52
37.	तटीय खतरे और आपदा प्रबंधन	एस आई आर डी, तमिलनाडु	22-24 फरवरी	डॉ. अनिल के. गुप्ता सुश्री श्रीजा एस. नायर	34
38.	आपदा से सुरक्षित वातावरण के लिए भवन संहिता और डिजाइन	सी जी ए ए, छत्तीसगढ़	27 फरवरी-2 मार्च	प्रो. चंदन घोष	23
39.	वनाग्नि प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	27 फरवरी-2 मार्च	डॉ. अनिल के. गुप्ता डॉ. ए. डी. कौशिक	21
40.	क्षेत्रीय टी ओ टी : यू एन एफ जी ए के सहयोग से रिप्रोडेक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ	वाई ए एस एच ए डी ए	28 फरवरी-2 मार्च 2012	डॉ. सुजाता सतपथी	14

41.	बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	डी डी यू एस आई आर डी, उत्तर प्रदेश	12-16 मार्च	डॉ. के. जे. आनंद कुमार	21
42.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	आई एल डी एम, केरल	14-16 मार्च	श्री विश्वनाथ दास	32
43.	भूकंप जोखिम प्रबंधन	एम ए टी आई, मेघालय	26-30 मार्च	प्रो. चंदन घोष	85
44.	सुनामी पूर्व-चेतावनी	एम सी आर एच आर डी संस्थान	28-29 मार्च	डॉ. विश्वनाथ दास	17
				कुल	**1660**

<u>अनुलग्नक-III</u>

एन आई डी एम द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कैम्पस में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आपदा प्रबंधन में जिओ-इन्फारमेटिक्स एप्लीकेशन	2-4 अप्रैल	सुश्री श्रीजा नायर	15
2.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूंकपीय सुरक्षा मूल्यांकन	24-27 अप्रैल	प्रो. सी घोष	68
3.	आई आर एस : बेसिक एंड इंटरमीडिएट	30 अप्रैल 4 मई	अरुण सहदेव	14
4.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	7-11 मई	रितु राज	29
5.	स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	14-18 मई	रितु राज	31

6.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	21-25 मई	अजिन्दर वालिया	25
7.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	28 मई-1 जून	रितु राज	19
8.	स्कूल प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	4-8 जून	अजिन्द्र वालिया	20
9.	निशक्त व्यक्तियों के लिए आपदा तैयारी	11-15 जून	एस. चतुर्वेदी दीपक के. मिश्रा	10
10.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	11-15 जून	रितु राज	21
11.	आई आर एस मॉडयूल्ज के कस्टमाइजेशन संबंधी वैधीकरण-कार्यक्रम	11-15 जून	अरुण सहदेव	10
12.	स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	18-22 जून	रितु राज	24
13.	आपदा अभियान केन्द्रों (ई ओ सी) संबंधी कार्यक्रम	25-29 जून	अरुण सहदेव	39
14.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	27-29 जून	प्रो. सी घोष	57
15.	सड़क दुर्घटनाएं एवं इसकी सुरक्षा	2-3 जुलाई	एस. चतुर्वेदी	20
16.	जेंडर सेंसिटिव आपदा प्रबंधन	16-20 जुलाई	अजिन्द्र वालिया	27
17.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली के भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	25-27 जुलाई	प्रो. सी घोष	47

18.	आई आर एस : ओपरेशन सैक्शन चीफ कोर्स	3-5 सितम्बर	अरुण सहदेव	12
19.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं मीडिया	5-7 सितम्बर	सी. बंदोपाध्याय	22
20.	एन सी सी एवं एन एस एस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम	17-21 सितम्बर	पी. के. पाठक	14
21.	आपदा में फंसे बालकों की जरूरतें	17-21 सितम्बर	डॉ. अजिन्द्र वालिया श्री दीपक के मिश्रा	21
22.	जलवायु परिवर्तन एवं सूखा जोखिम प्रबंधन	24-28 सितम्बर	अनिल के. गुप्ता	22
23.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	26-28 सितम्बर	सी. घोष	51
24.	डी आर आर को पर्यावरण की मुख्य धारा में शामिल करना (आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इको सिस्टम एप्रोच)	8-12 अक्तूबर	अनिल के. गुप्ता	19
25.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	17-19 अक्तूबर	सी. घोष	38
26.	सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन	29 अक्तूबर-2 नवंबर	पी के. पाठक	15
27.	रेपिड विजुअल सर्वे द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन	31 अक्तूबर-2 नवंबर	सी घोष	69
28.	आपदा मनो-सामाजिक देखभाल	5-9 नवंबर	सुषमा गुलेरिया दीपक के मिश्रा	15
29.	एस डी एम ए तथा डी डी	3-7 दिसम्बर	सी बंदोपाध्याय	48

	एम ए के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम			
30.	गोकराजु रंगाराजू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (जी आर आई ई टी) हैदराबाद के बी-टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय परिचायक कार्यक्रम	4 दिसम्बर	चंदन घोष	75
31.	आई आर एस : प्लानिंग सैक्शन चीफ कोर्स	10-14 दिसम्बर	अरुण सहदेव	9
32.	अफगानिस्तान में उप राष्ट्रीय शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत अफगान भागीदारी के तहत आई आई पी ए में प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए विषय-परिचायक कार्यक्रम	13 दिसम्बर	एस. चतुर्वेदी	14
33.	आपदाओं में तनाव प्रबंधन : ए केयर गिवर मॉडयूल	7-11 जनवरी	एस. चतुर्वेदी दीपक के मिश्रा	27
34.	पी पी प्रभाग, गृह मंत्रालय तथा एस ए एफ (एम ई ए) के सहयोग से अफ्रीकी देशों के अधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन	7-18 जनवरी	संतोष कुमार एस. चतुर्वेदी	19
			कुल	**966**

<u>अनुलग्नक-IV</u>

एन आई डी एम द्वारा 1 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कैम्पस के बाहर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	स्थान	दिनांक	संकाय	प्रतिभागियों की सं.
1.	क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरिन एक्शन	एम सी आर एच आर डी आई हैदराबाद	30 अप्रैल-3 मई	एस सतपथी	30
2.	बाढ़ आपदा प्रबंधन : राष्ट्रीय जल अकादमी (एन डब्ल्यू ए) के सहयोग से कार्रवाई के लिए एजेंडा	एन डब्ल्यू ए, पुणे	30 अप्रैल-4 मई	के. जे. आनंद कुमार	34
3.	भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	7-11 मई	सी घोष	26
4.	क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण रिप्रोडक्टिव	ए ए एस सी असम	8-11 मई	एस. सतपथी	15

	एंड चाइल्ड हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन				
5.	परिवर्तनशील जलवायु में बाढ़ आपदा प्रबंधन	यू पी ए ए एम	21-25 मई	अनिल के. गुप्ता डॉ. ए डी कौशिक	28
6.	जिला आपदा प्रबंधन योजना : योजना एवं प्रक्रिया तैयार करना	छत्तीसगढ़	18-22 जून	एस. चतुर्वेदी	34
7.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	गुजरात	18-22 जून	के. जे. आनंद कुमार ए डी कौशिक	25
8.	आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा	ओडिशा	2-4 जुलाई	अनिल के गुप्ता श्रीजा नायर	16
9.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	बिहार	6-9 अगस्त	प्रो. संतोष कुमार	27
10.	आपदा उपरांत क्षति एवं आवश्यकता मूल्यांकन एवं रिकवरी ढांचा	झारखंड	3-7 सितम्बर	संतोष कुमार	25
11.	आपदा प्रबंधन में जियो-इन्फारमेटिक्स प्रयोग	कर्नाटक	3-7 सितम्बर	श्रीजा नायर	17
12.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं पुनर्वास	सिक्किम	19-22 सितम्बर	सी. घोष	20
13.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करना	एच आई पी ए हिमाचल प्रदेश	24-28 सितम्बर	अजिन्दर वालिया सुषमा गुलेरिया	23
14.	चक्रवात जोखिम	पश्चिम बंगाल	24-28	के. जे. अनंदा	21

	प्रशमन एवं प्रबंधन		सितम्बर	कुमार	
15.	विद्यालय प्रबंधन के लिए स्कूल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एम ए टी आई मेघालय	8-12 नवंबर	एस. चतुर्वेदी	42
16.	भू-स्खलन जोखिम एवं जोखिम प्रबंधन	महाराष्ट्र	5-7 नवंबर	सूर्य प्रकाश	20
17.	आपदा जोखिम सामाजिक देखभाल	एन आई डी एम	5-9 नवंबर	सुषमा गुलेरिया दीपक के मिश्रा	15
18.	आई आर एस संबंधी पाठ्यक्रम	पूर्वी कन्नड़ जिला, कर्नाटक	5-9 नवंबर	अरुण सहदेव	37
19.	शहरी जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	मेघालय	19-23 नवंबर	सी घोष	24
20.	वन अग्नि जोखिम प्रशमन प्रबंधन	एफ आर आई देहरादून	26-30 नवंबर	ए डी कौशिक अनिल के गुप्ता	12
21.	आपदा सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र विकास	उत्तराखंड	10-14 दिसम्बर	सूर्य प्रकाश	15
22.	प्रतिकूल मौसम घटनाओं (लू एवं शीत लहर) का प्रभाव	डी डी यू एस आई आर डी उ. प्र.	20-21 दिसम्बर	एस. चतुर्वेदी	34
23.	एन डी एम ए के आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण संबंधी पायलट परियोजना का एफ एफ टी पी	मेहबूब नगर आंध्र प्रदेश	26-27 दिसम्बर	के. जे. अनंदा कुमार	43
24.	शहरी जोखिमों का भागीदारी प्रबंधन	डी एम एम सी देहरादून	8-11 जनवरी	सी बंदोपाध्याय ए. डी कौशिक	17
25.	भवन कोड एवं डिजाइन	ए टी आई-रायपुर	14-18 जनवरी	चंदन घोष	20

26.	आई आर एस संबंधी पाठ्यक्रम	गंगटोक सिक्किम	16-20 जनवरी	अरुण सहदेव	40
27.	जिला जोखिम प्रबंधन योजना : योजना एवं प्रक्रिया	यू पी ए ए ए एम, उ. प्र.	21-23 जनवरी	एस चतुर्वेदी	23
28.	एकीकृत सूखा जोखिम प्रशमन प्रबंधन	एस आई आर डी झारखंड	22-24 जनवरी	के जे आनंधा कुमार	17
29.	आई आर एस संबंधी कार्यक्रम	यशादा, पुणे	28 जनवरी-1 फरवरी	पी के पाठक	23
30.	आपदा प्रबंधन में वन क्षेत्र की भूमिका	एफ आर आई देहरादून	28 जनवरी-1 फरवरी	ए. डी कौशिक अनिल के गुप्ता	11
				कुल	**734**

अध्याय-7

परिणाम बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

7.1 वर्ष के दौरान वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए गृह मंत्रालय का विभागीय लेखाकरण संगठन लेखाओं के संकलन के बाद मासिक व्यय विवरण तैयार करता है। यह संगठन व्यय की प्रगति के बारे में कार्यक्रम प्रभागों को अवगत कराने के लिए मासिक आधार पर भी व्यय रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों में गृह मंत्रालय के कार्य संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। इन रिपोर्टों से मंत्रालय के व्यय की गति को समान रखने तथा आबंटित निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद के रूप में एम आई एस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) रिपोर्टों का प्रयोजन भी पूरा होता है।

7.2 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक प्रभागों को किए गए बजटीय आबंटनों को एम आई एस जोडा जाता है और प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों, अनुपूरकों तथा पुनर्विनियोजन की गणना करने के लिए वित्त प्रभाग के अधीन विभागीय लेखाकरण संगठन प्रशासनिक प्रभागों के साथ मिलकर कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन प्रशासनिक प्रभागों को विभिन्न कार्यक्रम उद्देश्यों को हासिल करने में सहयोग करता है तथा यह वित्त मंत्रालय के साथ इंटरफेस का कार्य करता है। विभागीय लेखाकरण संगठन उत्तम बजट प्रक्रिया के सिद्वांतों का अनुपालन करने के बारे में उनका मार्गदर्शन करता है। विभागीय लेखा संगठन अलर्ट और सलाह के माध्यम से सुशासन में सहायता करता है ताकि यह सुनिश्तिच किया जा सके कि निधियां समान रूप से जारी की जाएं तथा वित्त वर्ष के अंत में व्यय की बहुतायत न हो।

7.3 चूंकि पूंजीगत कार्य बड़ी तादाद में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माण संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए उनके साथ भी अलग बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि व्यय की गति की समीक्षा की जा सके और वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

7.4 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभागीय लेखा संगठन, गृह मंत्रालय वेबसाइट पर वित्तीय आंकड़े भी जारी करता है जिनमें निम्नलिखित को दर्शाया जाता है :

(i) प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण;

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि को अंतरण का विवरण ;

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशियों का विवरण; और

(iv) प्रमुख योजनावार व्यय का विवरण।

7.5 इन विवरणों को मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसमें संबंधित माह तक के वास्तविक आंकड़े तथा पूर्व वर्ष के तदनुरूपी आंकड़े दर्शाये जाते हैं ताकि तुलना करने में आसानी हो सके। वेबसाइट सी पी एस एम एस (सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम) पर योजनागत व्यय संबंधी वास्तविक समय (रियल टाइम) रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से, विभागीय लेखाकरण संगठन, गृह मंत्रालय अपने कार्यक्रमों/योजनाओं आदि के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुतीकरण करता है।

7.6 विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी अनुदानों की निगरानी और उनके उपयोग को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि जारी निधियों से वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। क्षेत्र स्तर पर बजट निष्पादन के संबंध में आन्तरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के लिए एक फीड बैक तंत्र के रूप में कार्य करती है। आंतरिक लेखा संगठन को अध्याय **(परिशिष्ट-I)** के अनुसार अधिदेश प्राप्त है। इसमें जोखिम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया है और कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े खतरों को अभिज्ञात करने का प्रयास किया गया है। साथ ही लेखापरीक्षा परिणाम बजट के इस पहलु का आकलन करने के लिए की जाती है कि क्षेत्र स्तर पर वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। इस कार्य को सुकर बनाने के लिए सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसका कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में समग्र निर्देशन देना है। अपर सचिव वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय इस लेखा परीक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय को मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की लेखापरीक्षा की है जिससे कि मूल्यवर्धन के लिए परिकल्पित स्वतंत्र और उद्देश्यपरक आश्वासन दिया जा सके और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। आई ओ ए ने पुडुचेरी सरकार के सार्वजनिक लेखाओं की लेखा परीक्षा भी की है। आन्तरिक लेखा परीक्षा में आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए सूचना प्रोद्योगिकी के प्रयोग

पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख लेखापरीक्षा कार्यों के लिए डाटा माइनिंग साफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। आन्तरिक लेखा संगठन के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित प्रमाण-पत्रों के स्तरोन्नयन तथा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस संगठन के बहुत से सदस्यों नें सर्टिफाइड इंटर्नल ऑडिटर (सी आई ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिस्टम ऑडिटर (सी आई एस ए) सर्टिफाइड इनफर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर (सी आई एस एम) इत्यादि जैसे प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं।

7.7 सर्विस डिलीवरी में सुधार करने के लिए इस मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा संवितरण का कार्य अधिकतर जी ई पी जी (गवर्नमेंट इलैक्ट्रोनिक पेमेंट गेटवे) के माध्यम से किया जाता है ताकि निधियों के उचित तथा वास्तविक अंतरण को सुगम बनाया जा सके। इस समय इस मंत्रालय के सैंतालीस भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में से चौंतीस जी ई पी जी प्लेटफार्म में चले गए हैं।

<u>**परिशिष्ट-I**</u>

<u>**आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर:**</u>

<u>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की भूमिका:</u>

आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुपरक विश्वास और परामर्शदात्री गतिविधि है जो किसी संगठन के कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने तथा उसे और बेहतर बनाने की दृष्टि से की जाती है। इससे संगठनों को, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासित करने संबंधी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करके तथा उसे बेहतर बनाते हुए एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आंतरिक लेखापरीक्षा, उन नियंत्रणों से संबंधित होती है जिनसे निम्नलिखित सुनिश्चित होता है:

- वित्तीय और प्रचालन संबंधी सूचना की विश्वसनीयता और समग्रता
- कार्य की प्रभावकारिता और दक्षता
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा
- कानूनों, विनियमों और संविदाओं का अनुपालन

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली, लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करेंगी जिससे कि यह जांच की जा सके कि विभिन्न कार्यालय सामान्य तौर पर भारत सरकार तथा विशेषरूप से गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा गृह मंत्रालय के विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों की लेखा और वित्तीय अभिलेखों की परिशुद्धता की जांच करेगी और पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। वह मंत्रालय की नीतियों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-स्तर पर वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा, निष्पादन संबंधी पहलुओं को देखने के अलावा जारी की गईं निधियों के वास्तविक निष्पादन और कार्यान्वित की गई स्कीमों का मूल्यांकन यह जानने के लिए करेगी कि क्या निर्धारित लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। वह योजना बनाने तथा अन्य संबंधित पहलुओं को भी देखेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण से जुड़ी कमजोरियों पर ध्यान देगी तथा नियंत्रण संबंधी तंत्रों में सुधार लाने के लिए विचार प्रकट करेगी।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का उद्देश्य गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों की समग्र परिचालन प्रभावकारिता को बेहतर बनाना है। वह नीतिगत दिशानिर्देशों, योजना संबंधी प्रावधानों और लक्ष्यों से संबंधित कार्यकलापों का निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तथा सुझाव देगी जिनसे कार्यकलाप और बेहतर हो सकें। आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिदेश में व्यय संबंधी इकाइयों के कार्यकरण से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं और यह केवल वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि यह मूल्यांकन करेगी और सिफारिशें देगी जिससे कि राजकोष से जारी धनराशि का इष्टतम

सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन को प्राधिकृत किया जाएगा कि वह मंत्रालय से जारी प्रतयेक रुपये की जांच और लेखापरीक्षा करे और उसके अनुरूप ही अपनी लेखापरीक्षा संबंधी योजना बनाए। लेखापरीक्षा संबंधी योजना अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के व्यापक दायरे पर ध्यान केन्द्रित करेगी और जोखिम आकलन और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लेखापरीक्षा संबंधी प्राथमिकताएं और दायरा निर्धारित करेगी।

उत्तरदायित्व:

कार्यक्रम से जुड़े प्रभाग संगठन से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आन्तरिक नियंत्रण की इन प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करने की दृष्टि से आंतरिक लेखारीक्षा व्यय संबंधी इकाइयों, कार्यक्रमों से संबंधित प्रभागों और लेखापरीक्षा समिति को आश्वासन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावी प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सुगम बनाने में परामर्शदाता की भूमिका भी निभाएगी। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन लेखापरीक्षा धोखाधड़ी, सत्यनिष्ठा और अनुपालन के मामलों की जांच करने से संबंधित कार्यक्रम संबंधी प्रभागों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगी।

योजनाएं:

आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा, समिति के समक्ष वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रस्तुत करेगी और लेखापरीक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त योजना में निहित लेखापरीक्षाएं करेगी। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं प्रभागों द्वारा किए गए जोखिम आकलनों पर आधारित होंगी तथा लेखापरीक्षा द्वारा अनुमोदित मौजूदा लेखापरीक्षा, रणनीति से सामने आए लेखा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

रिपोर्टें:

सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टें मुख्य लेखापरीक्षा कार्यपालक के अनुमोदन से जारी की जाएंगी। रिपोर्टें, जिनमें महत्वूपर्ण मुद्दे निहित होंगे, लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन से परिचालित की जाएंगी इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों द्वारा किए गए कार्य पर आधारित प्रमुख विचारों के सार उल्लेख मंत्रालय की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा में किया जाएगा तथा उक्त को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभागों

से यह अपेक्षित होगा कि वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करें और गैर-अनुपालना के मुद्दों को पर्याप्त कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति की ध्यान में लाया जाएगा।

<u>पहुंच:</u>

लेखापरीक्षा के निष्पादन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा सभी अधिकारियों, भवनों से संपर्क कर सकती है तथा अपेक्षित सूचना, स्पष्टीकरण और प्रलेखन की मांग कर सकती है।

<u>स्वतंत्रता:</u>

पेशेवर लेखापरीक्षा मानकों (लेखापरीक्षा मैनुअल में समाहित) तथा लेखा परीक्षक की आचार संहिता के अनुसार वस्तुनिष्ट लेखा परीक्षा सेवा की व्यवस्था करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा अपेक्षित होगी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्वतंत्रता गृह मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट अधिदेश सौंपकर सुनिश्चित की जाएगी। पेशेवर और आचार संबंधी मानकों के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य की लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

<u>आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन का ढांचा:</u>

<u>लेखापरीक्षा समिति:</u>

लेखापरीक्षा समिति एक शीर्ष निकाय होगी जिसका प्रयोजन निम्नलिखित का पर्यवेक्षण करना होगा:

(i) संस्था के वित्तीय विवरणों और खुलासों की विश्वसनीयता
(ii) संस्था के नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता।
(iii) संस्था के कार्य संचालन संहिता, विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन
(iv) बाहरी लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, योग्यताएं और निष्पादन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य का निष्पादन।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी:

- सचिव (गृह), अध्यक्ष
- अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह) उपाध्यक्ष
- मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह), सदस्य सचिव
- निदेशक(वित्त) सदस्य
- निदेशक (वित्त-पर्स), सदस्य
- लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा संगठन के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर को अंतिम रूप देने और उसे अनुमोदित करने तथा संगठन के भीतर इसकी भूमिका, जिम्मेदारी और ढांचा स्थापित करने के लिए जिम्मदार हागी।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रशासन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगी तथा वह दिशा तय करेगह जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य चलने चाहिए।
- लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षाओं का जायजा भी लेगी तथा उन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगी जिनमें कुछ गंभीर मुद्दे निर्धारित किए गए हैं।

- आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन लेखा परीक्षा समिति के समक्ष आतंरिक लेखा परीक्षा कार्य की तिमाही समीक्षा प्रस्तुत करेगा तथा लेखा परीक्षा समिति गंभीर मुद्दों को आन्तरिक लेखा परीक्षा टिप्पणी के लिए लिखित रूप में तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से संबंधित प्रभागों के साथ उठाएगी।

<u>प्रबंधन दल:</u>

(i) आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों के प्रबंधन दल के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी होंगे जो मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

(ii) प्रबंधन दल प्रमुख जोखिम क्षेत्रों के संबंध में विचार-विमर्श करेगा तथा लेखापरीक्षा संबंधी प्राथिमिकताओं की योजना बनाएगा। प्रबंधन दल आन्तरिक लेखा-परीक्षा के सभी चरणों, वार्षिक लेखा परीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यों का नियोजन, लेखापरीक्षा, रिपोर्टें तैयार करना एवं उन्हें जारी करना तथा लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की मॉनीटरिंग तथा उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई का पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) प्रबंधन दल उपलब्ध लेखापरीक्षा संसाधनों एवं उनके उपयोग को अंतिम रूप प्रदान करेगा। प्रबंधन दल लेखापरीक्षा दल के लिए लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शियों का अनुमोदन करेगा तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निर्णय लेगा। प्रबंधन दल

विभिन्न लेखापरीक्षा दलों के साथ लेखापरीक्षाओं के केन्द्र बिन्दुओं, निर्देशन तथा महत्व के विषय में विचार विमर्श करेगा।

(iv) प्रबंधन दल विभिन्न योजनाओं के लिए मानक लेखापरीक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा तथा इन्हें इन लेखापरीक्षा दलों को मुहैया करवाएगा जो कार्य योजना के अनुसार लेखापरीक्षा करेंगे। उन्हें प्रत्येक लेखापरीक्षा दल से यह उम्मीद की जाती है कि वह कम से कम उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करे तथा इसके अलावा ये लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा कार्यों को पूरा करने के पश्चात अपना निर्णय लागू करेंगे।

प्रबंधन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- मुख्य लेखा नियंत्रक (अध्यक्ष)
- लेखा नियंत्रक (उपाध्यक्ष)
- निदेशक (लेखा), सीमा सुरक्षा बल (सदस्य)
- उप निदेशक (लेखा), के.रि.पु.ब. (सदस्य)
- उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, आई ए (सदस्य सचिव)
- विभिन्न फील्ड कार्यालयों में उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक(सदस्य)
- आई एफ ए, दिल्ली पुलिस

आई ए प्रबंधन दल सम्पूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा तथा यह लेखापरीक्षा दलों का गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा।

<u>मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक:</u>

(i) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रक्रिया के सम्पूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा संगठन के बीच की कड़ी होगा।

(ii) प्रबंधन दल के मुखिया के रूप में मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा दल के सम्मुख आने वाले विभिन्न मुद्दों के संबंध में प्रबंधन दल के अन्य सदस्यों से इनपुट लेने के पश्चात अंतिम निर्णय लेगा।

(iii) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संसाधनों तथा लेखापरीक्षा दल के सदयों के बारे में निर्णय लेगा। वह वार्षिक लेखा परीक्षा योजना को भी अनुमोदित करेगा। वह विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए कवरेज के दायरे तथा गंभीरता संबंधी मार्गदर्शन करेगा।

(iv) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों को इस संबंध में परामर्श देगा कि किसी विशेष लेखापरीक्षा में किसी विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित किस प्रकार किया जाए। ग्राहक तथा मंत्रालय को जारी किए जाने से पूर्व लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन दल नियमित रूप से लेखापरीक्षा दलों से मिलेंगे ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य में ध्यान केन्द्रण के संबंध में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। यदि लेखापरीक्षा ग्राहक द्वारा रिकॉर्ड मुहैया करवाए जाने से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक किसी उपयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ग्राहकों से मिलकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

(vi) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट के सामान्य प्रारूप को और उस प्रारूप जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान कार्य संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाना है को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा।

(vii) मुख्य लेखा नियंत्रक (गृह मंत्रालय) मुख्य कार्यकारी लेखापरीक्षक होगा।

<u>लेखापरीक्षा निष्पादन दल में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी होंगे:</u>

- केन्द्रीय पुलिस बलों के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठनों सहित गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन
- गृह मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय
- गृह मंत्रालय के अन्य प्रभागों से
- अस्थायी अटैचमेंट पर विभिन्न स्थानों पर अन्य सिविल मंत्रालय के अन्य भुगतान एवं लेखा कार्यालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पार्टियों से लगाए गए परामर्शदाता